हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही
29 अगस्त, 2023
खण्ड-2, अंक- 3
अधिकृत विवरण

विषय सूची
मंगलवार, 29 अगस्त, 2023

पृष्ठ संख्या

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को उनके जन्म दिवस पर बधाई देना

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

हरियाणा विधान सभा के पूर्व अध्यक्षों एवं पूर्व मंत्री/यूनिवर्सिटी सीनियर सैकेंडरी मॉडल स्कूल, कुरूक्षेत्र के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनंदन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

पंजाब विधान सभा के सदस्य का स्वागत

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

सत्र की अवधि बढ़ाने का मामला उठाना

प्रश्नों के जवाब न आने का मामला उठाना

सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से संबंधित सूचना देना

लेह में शहीद हुए जवानों का मामला उठाना

हाई टी के लिए सदन के सदस्यों को आमंत्रित करना

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों के बारे में सूचना

शून्य काल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना

शून्य काल में नाम न होने का मामला उठाना

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों/गैर सरकारी संकल्पों/अल्पावधि चर्चा/प्राईवेट मैम्बर बिल तथा नियम 84 के तहत प्रस्तावों के बारे में सूचना

शून्य काल में बोलने के लिए नाम न होने का मामला उठाना

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों/गैर सरकारी संकल्पों/अल्पावधि चर्चा/प्राईवेट मैम्बर बिल तथा नियम 84 के तहत प्रस्तावों के बारे में सूचना (पुनरारम्भ)

यूनिवर्सिटी सीनियर सैकेंडरी मॉडल स्कूल, कुरूक्षेत्र के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के दूसरे ग्रुप का अभिनंदन करना

आशा वर्कर्ज की विभिन्न समस्याओं का मामला उठाना

शून्य काल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा शून्य काल में बोलने के लिए सभी सदस्यों के लिए समय निर्धारित करने बारे में सूचना देना

परिवार पहचान पत्र से संबंधित नोटिफिकेशन सदन में ले डाउन करने बारे मामला उठाना

शून्य काल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना (पुनरारम्भ)

उप मुख्यमंत्री द्वारा लाल डोरा स्वामित्व योजना के तहत डाटा देने के संबंध में सूचना देना

शून्य काल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना (पुनरारम्भ)

दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, करनाल के अध्यापक तथा विद्यार्थियों का अभिनंदन करना

शून्य काल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना (पुनरारम्भ)

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

बैठक का स्थगन

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ की फसल के मुआवजे की मांग से संबंधित

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना के बारे में मामला उठाना

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

वक्तव्य-

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित

दक्षिणी हरियाणा के लिए 100 फुट गहरे ट्यूबवैल्ज के लिए बिजली के कनैक्शन देने के बारे में सूचित करना

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

प्रयास इंटरनैशनल स्कूल, गन्नौर के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों और हरियाणा विधान सभा के पूर्व सदस्य का अभिनंदन

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

परिवार पहचान पत्र में त्रुटि सुधार के लिए आम जनता के समक्ष आने वाली समस्या बारे

वक्तव्य-

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित

वॉक आउट

नेवा पोर्टल के माध्यम से हरियाणा विधान सभा की लोक लेखा समिति की 88वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करना

नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

विधायी कार्य-

(क) विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक

1. हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन), विधेयक 2023
2. हरियाणा वाद्य (शोर नियंत्रण) निरसन विधेयक, 2023
3. हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023
4. सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023

चन्द्रयान-3 की चांद के दक्षिणी छोर पर सफल लैंडिंग के संबंध में लाए जाने वाले सरकारी प्रस्ताव में कुछ नाम जोड़ने का मामला उठाना

रिपीलिंग किए गए बिलों का मामला उठाना

रूल्ज कमेटी की मीटिंग बुलाने का मामला उठाना

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

(ख) पुर:स्थापित, विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक

1. हरियाणा विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2023

मुख्यमंत्री द्वारा अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने बारे घोषणा करना

हरियाणा की मारकंडा, टांगरी और घग्घर नदियों की ड्रेजिंग के लिए एक कमेटी
का गठन करने के संबंध में सूचना देना
डॉ. रघुवीर सिंह कादियान, विधायक द्वारा कैग की रिपोर्ट के बारे में फाईनैंशियल मिसमैनेजमैंट से संबंधित उठाये गए विषयों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जवाब देना
विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

2. हरियाणा विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2023

सरकारी प्रस्ताव

चन्द्रयान-3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बारे में
मुख्यमंत्री महोदय तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद एवं रक्षाबंधन के अवसर पर बधाई देना

हरियाणा विधान सभा
मंगलवार, 29 अगस्त, 2023

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान मंडल, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 11:00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चन्द गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को उनके जन्म दिवस पर बधाई देना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यान चन्द के जन्मदिन के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। मैं अपनी और सदन की तरफ से सभी देशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की मूलभूत सुविधाएं

*41. **श्री प्रमोद कुमार विज**: क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या पानीपत में एच.एस.वी.पी. की मूलभूत सुविधाएं जैसे स्टॉर्म वाटर, जलापूर्ति, सफाई, सीवरेज विभिन्न विभागों के अंतर्गत हैं;

(ख) क्या उक्त सुविधाएं सुचारु रूप से चल रही हैं; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) सफाई व अन्य कार्यों के निष्पादन के लिए पानीपत में एच.एस.वी.पी. के उपलब्ध संसाधन क्या हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सुविधाएं किसी एक विभाग को स्थानांतरित की जा सकती हैं; तथा

(ड) यदि हां, तो उक्त सुविधाओं को कब तक विभाग को स्थानांतरित किए जाने की संभावना है?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):

(क) हाँ, श्रीमान् जी।

(ख) हाँ, श्रीमान् जी। जो सेवाएं पानीपत में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.) के कार्यक्षेत्र में हैं, वे सुचारू रूप से चल रही हैं।

ग(,)घ(,)ड.(एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

वक्तव्य

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) ह.श.वि.प्रा (.ने शहरी संपदा, पानीपत में सैक्टर-6, 7, 8, 11, 12, 13-17, 18, 24, 25P-I, 25P-II, 29P-I और 29P-II, 40 विकसित किए हैं। तत्पश्चात, सैक्टर-6, 11, 12, 13-17, 25पी-I, 25P-II, 29P-I और 29P-II की सभी सेवाएं) जल-आपूर्ति और सीवरेज को छोड़कर (नगर निगम, पानीपत को हस्तांतरित कर दी गईं थी और इन सेवाओं का रख-रखाव वर्तमान में नगर निगम, पानीपत द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्त सैक्टरों की जल-आपूर्ति व सीवरेज सेवाओं के अलावा ह.श.वि.प्रा .द्वारा सैक्टर-29 में21 - 21एम.एल.डी .क्षमता के दो सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र तथा जल-घर का रख-रखाव व संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सैक्टर-7-8, 18, 24 और 40 (भाग (में सभी सेवाओं का रख-रखाव ह.श.वि.प्रा . द्वारा किया जा रहा है। सैक्टर-6 में0 . 8एम.एल.डी .व सैक्टर-19)गाँव भैंसवाल के नजदीक (में 30 एम.एल.डी .क्षमता के मल-जल शोधन संयंत्रों का रख-रखाव व संचालन भी ह.श.वि.प्रा . द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्त जल-आपूर्ति का रख-रखाव ह.श.वि.प्रा .द्वारा आंशिक रूप से अपने कर्मचारियों के माध्यम से व आंशिक रूप से कार्य को ठेके पर देकर करवाया जा रहा है। ह.श.वि.प्रा .के कार्यक्षेत्र में आने वाली बाकी सेवाओं का रख-रखाव कार्य को ठेके पर देकर करवाया जा रहा है।

विकास कार्यों के पूर्ण होने के बाद सेवाओं का दस वर्ष तक रख-रखाव ह.श.वि.प्रा .के अधिदेश में है क्योंकि ह.श.वि.प्रा .द्वारा केवल दस वर्ष के लिए रख-रखाव का खर्च वसूला जाता है। तत्पश्चात इन सेवाओं का रख-रखाव स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किया जाना होता है।

.....

उपरोक्त तारांकित प्रश्न का उत्तर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) द्वारा दिया गया।

इन सभी सेवाओं का रख-रखाव एक ही विभाग अर्थात नगर निगम, पानीपत को हस्तांतरित करना संभव है। इस तरह का प्रस्ताव ,माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा अनुमोदन के बाद 3 से 6 महीने के भीतर लागू हो जाने की संभावना है।

श्री प्रमोद कुमार विज : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्विसिज में स्टॉर्म वाटर, स्ट्रीट लाईट, सफाई और रोड्स का काम कॉरपोरेशन देख रही है और वाटर सप्लाई और सीवरेज का काम एच.एस.वी.पी. देख रहा है। हमारे यहां जो सैक्टर्ज हैं उनमें कुछ तो बहुत पुराने हो चुके हैं अर्थात 20-25 साल पुराने हो चुके हैं। वहां के सीवरेज इतने सफिसियेंट हैं कि वे वोल्यूम ही नहीं ले सकते हैं और वे बहुत डैमेज हो चुके हैं उनमें काफी तो बंद हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खासकर सीवरेज की सफाई व्यवस्था के लिए साधनों की थोड़ी सी कमी है और कॉन्ट्रैक्टर मैनुअल काम ज्यादा करते हैं। उनके पास भी साधनों का कोई बहुत बड़ा अरेंजमैंट नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि या तो एच.एस.वी.पी. साधनों को मकैनिकल करे। जैसे पब्लिक हैल्थ के पास सुपर सकर मशीन है, सीवर सक्शन एण्ड जैटिंग मशीन है, ग्रैबर्स हैं, पावर राईडर मशींज हैं अगर इन मशीनरीज के द्वारा काम करेंगे तो शायद सीवरेज सिस्टम ठीक हो पाएगा। मंत्री जी, प्रावधान है कि जो सैक्टर्ज 10 साल पुराने हो गये हैं उनको कॉरपोरेशन के हैंडऑवर करना है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस काम को जल्दी से जल्दी कॉरपोरेशन को ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि कॉरपोरेशन इस काम को देखे। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा जोकि मेरा एक सुझाव भी है prefabricated, precast जो ड्रेन सिस्टम है उनको आज मैंने कई जगह पर देखा है जिसके मैंने यू.एल.बी. मंत्री श्री कमल गुप्ता जी को फोटोग्राफ्स भी भेजे हैं। अगर वह सिस्टम अडोप्ट कर लिया जाए तो जो prefabricated, precast ड्रेन्ज हैं उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर वह इस्तेमाल करेंगे तो उससे सफाई की व्यवस्था में सुधार मिलेगा। कल भी यहां पर एक जिक्र हो रहा था कि अगर हम कलस्टर को स्टोर करने के लिए कोई प्राईमरी सैंटर बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री प्रमोद कुमार विज : सर, मेरा एक प्रश्न तो यह है कि सफाई व्यवस्था के लिए एक साधन क्रियेट किया जा सकता है। जिस तरह से मैट्रोसिटीज में हर जगह पर 200-300 गज जगह के

अन्दर ही गंद फेंका जाता है और वहीं से उठाकर लेकर जाते हैं। इसमें मेरा आग्रह है कि यहां भी ऐसी ही व्यवस्था की जाए ताकि सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से हो। यह कब तक हो सकती है उसके बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पानीपत में हुडा के पास दो सीवरेज क्लीनिंग मशीनें हैं, दो गैस किट हैं, बूट हैं, सुरक्षा के 10 हैल्मेट हैं, मास्क हैं, 40 दस्ताने हैं, सुरक्षा पेटी हैं और स्टाफ भी लगभग काफी है और इसके अलावा भी जो सफाई की व्यवस्था करनी होती है तो हम टैंडर भी करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर से भी टैंडर करवाते हैं। यह सही है कि हुडा के जो 10 साल से पुराने सैक्टर्ज हैं उनमें कुछ को लोकल बोडी विभाग को ट्रांसफर भी किया है और बाकी सैक्टर्ज को भी लोकल बोडी विभाग को ट्रांसफर करने की हमारी योजना है। माननीय सदस्य ने जो नई prefabricated का सुझाव दिया है इसके बारे में भी हम विचार कर लेंगे। अगर ये भी होगी तो इसको भी करेंगे और सफाई की व्यवस्था को ठीक करवाएंगे।

बिजली चोरी के मामलों का ब्यौरा

***42. श्री मामन खान :** क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) जिला नूंह में 1 अप्रैल, 2019 से आज तक सरकार द्वारा पकड़े गए बिजली चोरी के मामलों की निर्वाचन क्षेत्र वार संख्या /ब्यौरा क्या है;

(ख) एल.एल.-1 जांच रिपोर्ट की प्रति तथा ऊपर वर्णित प्रत्येक चोरी के मामले का परिकलन पत्र उपलब्ध कराया जाए;

(ग) क्या ऊपर वर्णित एल.एल.-1 जांच रिपोर्टों तथा परिकलन पत्रों को सरकार विक्रय/ बिक्री परिपत्र संख्या डी-21/2017 तथा डी-43/2017 के अनुसार बनाया गया है; यदि नहीं, तो सरकार द्वारा दोषी/गलती करने वाले कर्मचारियों /अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) जिला नूंह के ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों से उपरोक्त चोरी के मामलों में पृथक- पृथक कितनी राशि एकत्रित की गई है; तथा

(ड) क्या सरकार एकत्रित राशि को वापिस करेगी जिसकी गलत गणना उपरोक्त एल.एल.-1 जांच रिपोर्टों तथा परिकलन पत्रकों में की गई है; यदि हां, तो उक्त

राशि के कब तक वापस किए जाने की संभावना है; यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

ऊर्जा मंत्री (रणजीत सिंह): श्रीमान जी,

(क) जिला नूंह के नूंह, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, हथीन और सोहना निर्वाचन क्षेत्रों में 1 अप्रैल, 2019 से 31 जुलाई, 2023 तक पकड़े गए चोरी के मामलों की संख्या क्रमशः 2799, 3535, 4182, 23 (जिला नूंह में आंशिक क्षेत्र होने के कारण) और 2177 है।

(ख) मांगी गई जानकारी बहुत विस्तृत है और लगभग 20 हजार पृष्ठों की है। इतना विस्तृत डाटा देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

(ग) नियमानुसार, गणना शीट सेल्ज परिपत्र संख्या डी-21/2017 के अनुसार तैयार की जाती हैं। हालांकि, सेल्ज परिपत्र संख्या डी-43/2017 के प्रावधान के अनुसार, आकलन प्राधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी उपभोक्ता अपीलकर्ता प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

(घ) जिला नूंह के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र से क्रमशः 895.59 लाख रुपये और 413.24 लाख रुपये की राशि एकत्र की गई है।

(ड) जहां भी गणना शीट में विसंगतियां पाई जाएंगी, तो राशि वापिस कर दी जाएगी। इसके अलावा यदि प्रभावित उपभोक्ता/व्यक्ति से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त होता है, तो जांच के बाद इसी तरह के कार्रवाई की जाएगी। यह कार्य छह महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

श्री मामन खान: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने हमारे यहां निगम में बिजली चोरी के मामले में जो वर्ष 2017 का सर्कुलर दिया हुआ है, उसके हिसाब से रूरल में 16 घंटे का चार्ज होना चाहिए और अर्बन में 24 घंटे का चार्ज होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इसका एक एग्जैंपल देता हूँ। एक जलालपुर फीडर है, जिस पर गांव उमरा और गांव गोहाना दोनों आते हैं। गोहाना में तो 24

घंटे के हिसाब से चार्जिज लिए जा रहे हैं और उमरा में 8 घंटे के हिसाब से चार्जिज लिए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से इन्होंने उपभोक्ताओं से चोरी के मामलों में 9 करोड़ रूपये चार्ज किए हैं। मैं सदन के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने कितने पैसे 24 घंटे के हिसाब से चार्ज किए हैं और कितने पैसे 16 घंटे के हिसाब से चार्ज किए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न के माध्यम से एल.एल.1 शीट मांगी थी, लेकिन मुझे ये शीट नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई उपभोक्ता चोरी के केस में पकड़ा जाता है तो उसको एल.एल.-1 कैलकुलेशन शीट नहीं दी जाती बल्कि उसको सिर्फ एक नोटिस थमा दिया जाता है कि उसके बिजली चोरी के केस में इतने पैसे बने हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी दरख्वास्त है कि जब भी बिजली चोरी का कोई केस पकड़ा जाये उस स्थिति मे एल.एल.-1 शीट के साथ कैलकुलेशन शीट भी दी जाये ताकि पता चल सके कि उपभोक्ता से जो चार्ज किया जा रहा है, वह अर्बन के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है या रूरल के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। ऐसा नहीं होने की वजह से उपभोक्ता को यह पता ही नहीं होता है कि उससे किस हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। अत: अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे प्रश्न की सप्लीमैंट्री के संदर्भ में बताया जाये कितना-कितना पैसा किस-किस रेट पर रूरल और अर्बन में चार्ज किया गया है।

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमने हरियाणा में आठ बार अलग-अलग साइमलटेनीयसली रेड किए हैं। पहले गांव में 80 प्रतिशत बिजली की चोरी होती थी जोकि अब घटकर मात्र 20 प्रतिशत ही रह गई है। अगर सारी डिटेल पूछे तो हमने 209926 चैकिंग करने का काम किया गया जिसमें से 33547 चोरी पकड़ी गई। अब इसकी डिटेल की शहर में कितनी थी अर्बन में कितनी थी, उस संदर्भ में सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। जैसा कि माननीय सदस्य ने

बताया भी है कि रूरल में 16 घंटे का चार्ज होना चाहिए और अर्बन में 24 घंटे का चार्ज होना चाहिए, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि चार्जिज करते समय इसी तरीके को फोलो किया जाता है लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने समस्या बताई है, यदि इस तरह का माननीय सदस्य के पास कोई स्पेसिफिक केस है, तो हमें बतायें कि हम ऐसे केस को एग्जामिन करेंगे और उपभोक्ता को उसका पैसा वापिस करने का भी काम करेंगे।

श्री मामन खान: अध्यक्ष महोदय, मैं एल.एल.-1 कैलकुलेशन शीट लेकर आया हूँ जिसको देखने पर पायेंगे कि ग्रामीणों से 24-24 घंटे के हिसाब से चार्जिज किए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, अफसरों ने जो सर्कुलर हमारे निगम में दिया हुआ है, क्या कारण है कि उस सर्कुलर के हिसाब से चार्ज नहीं किया जा रहा है। क्यों इस सर्कुलर को बाई पास करने का काम किया जाता है। जिन अफसरों ने यह गलत कैलकुलेशन करने का काम किया है, सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है तथा यह भी जानना चाहता हूँ कि जो ज्यादा पैसा उपभोक्ताओं से चार्ज किया गया है, वह पैसा कब तक उनको वापिस करने का काम किया जायेगा।

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम तुरंत एक्शन लेने का काम करते हैं। अगर माननीय सदस्य के पास कोई स्पेसिफिक केस है तो वे मुझे बता दें तो हम तुरंत पैसा वापिस करेंगे और जिस अफसर ने यह काम किया है उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेने का भी काम करेंगे।

चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण की वर्तमान स्थिति

***43. श्री सोमबीर :** क्या चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री कृपया बताएंगे कि दादरी में चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है तथा इसका ब्यौरा क्या हैं?

शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री (श्री अनिल विज): बजट सत्र 2022-23 के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने जिला चरखी-दादरी में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। विभाग राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि के चयन की प्रक्रिया में है। भूमि चिन्हित होने के बाद परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कार्यकारी एजेंसी की नियुक्ति की जाएगी।

श्री सोमबीर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमने इसके लिए 350 एकड़ जमीन फ्री ऑफ कोस्ट देने का प्रस्ताव पहले ही दे रखा है लेकिन बावजूद इसके इस कार्य में दो साल से डिले हो रहा है।अत: इस कार्य को जल्द से जल्द शुरू किया जाये। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, दादरी के अंदर चिकित्सा सुविधाओं की बहुत जरूरत है। यहां पर जो होस्पिटल है उसमें 16 डाक्टरों की कमी है। यहां पर एम.आर.आई., सी.टी. स्कैन और इसके साथ ही बहुत सी दूसरी सुविधाओं की भी बहुत कमी है। अत: यहां पर तुरंत प्रभाव से चिकित्सा सुविधायें देने का काम किया जाये।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर से भूमि के प्रस्ताव वहां से आये हैं। एक प्रस्ताव श्री धर्मवीर सिंह, सांसद, भिवानी की तरफ से भी प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि इस परियोजना हेतु ग्राम पंचायत बिरही कलां में वे 102 एकड़ भूमि नि:शुल्क देने को तैयार हैं। इसी प्रकार एक प्रस्ताव श्रीमती नैना सिंह चौटाला, विधायक, बाढ़डा, चरखी दादरी से भी दिनांक 10.8.2022 को प्राप्त हुआ है। जिसमें ग्राम पंचायत घसोला ने इस परियोजना के लिए 102 एकड़ पंचायती भूमि नि:शुल्क देने की बात की है। स्पीकर सर, इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है और जल्दी ही इसका मुआयना करके यह तय किया जायेगा कि किस जगह पर चिकित्सा

महाविद्यालय बनाया जाना उपयुक्त रहेगा, के बाद जल्द ही इसकी बाकी की सारी प्रक्रिया भी शुरू कर देंगे।

सामान्य पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को आयु में छूट

***44. श्रीमती किरण चौधरीः** क्या मुख्यमंत्री कृप्या बताएंगे किः–

(क) क्या सरकार ने सामान्य पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यार्थियों को आयु में छूट देने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की, जबकि सीईटी की परीक्षा लेने से पहले इसके लिए आश्वस्त किया गया था; तथा

(ख) सरकारी एजेंसी द्वारा नियमों में बार–2 संशोधन करने के कारण क्या है;

(ग) उन अभ्यार्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अवसर मिलेगा जिनकी आयु उक्त परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी की लापरवाही की वजह से अधिक हो चुकी है ?

Chief Minister (Shri Manohar Lal): Sir, a statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) The Government of Haryana allowed age relaxation to only three categories of candidates for CET examination:

i. Those who had applied for certain advertisements issued by the Haryana Staff Selection Commission which were subsequently withdrawn for administrative reasons vide its Notification No. 42/2/2018-5GS-I Dated 25 March 2022.

ii. The candidates who have worked on equivalent post on ad-hoc / contract / work-charged / daily wages basis excluding the period of break in any Department / Board /Corporation of Haryana Government including

Government-aided-institutions vide its Notification No.22/06/2021-1GS-III dated 25 March 2022.

iii. Candidates who belong to certain special categories like scheduled castes, backward classes, persons with disability, etc., vide Notification No. 22/06/2021-1GS-III dated 25 March 2022.

All these relaxations were incorporated in CET-Phase II examination, i.e., Advt. No. 03/2023. Further, the Haryana Staff Selection Commission took a decision on 30 April 2023 that

i. For the candidates, who were eligible at CET Stage-I but have now become over age be allowed to appear for Stage-II provisionally. If they get selected then their post shall be kept on hold and their case shall be sent to Government for approval / relaxation at that stage.

ii. If due to cancellation of previous examinations, a candidate has crossed the maximum age limit of 52 to enter in Haryana Government Service then he/she shall also be allowed to apply provisionally. In case he/she gets selected then the post shall be kept on hold and Government's opinion will be taken.

b) No Sir, the Government is not frequently amending the rules.

c) None, Sir.

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर वर्ष 2019 से बहुत ज्यादा संख्या में सरकारी नौकरियां लंबित पड़ी हुई हैं और आज तक मेजर नौकरियों की भी भर्ती नहीं हो पाई है और हरियाणा आज बेरोजगारी का हब बन गया है। आज प्रदेश के नौजवान बच्चे पूरी तरह से दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि उनको अपना भविष्य अंधकारमय नज़र आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री

जी से पूछना चाहती हूँ कि सी.ई.टी. को न तो कोई स्टैच्युट दिया गया है, न इसका असेंबली के अंदर कोई लेजिसलेशन लेकर आया गया है। अत: यह जो सी.ई.टी. का मसला है अर्थात यह जो कामन इलीजिबल टैस्ट का जो प्रावधान बनाया गया है जिसको पूरे हरियाणा द्वारा कामन एक्सप्लाइटेशन टैस्ट का दर्जा दिया जा चुका है, यह आज के दिन पूरी तरह से this lacks transparency है opaque process है और यह ऐसा प्रोसैस है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर हो क्या रहा है ? जो इसको खुद कंडक्ट कर रहे हैं, उनको भी शायद पता नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि 1122000 बच्चों ने सी.ई.टी. का टैस्ट दिया है जिसमें से 359000 कैंडीडेट्स पास हुए। मुझे समझ नहीं आता कि किस आधार पर चार गुणा कैंडीडेट्स को बुलाने का काम किया गया। प्रश्न यह उठता है कि बाकी जिन बच्चों ने यह टैस्ट पास किया हुआ है, वे कहां जायेंगे ? साथ ही साथ टैक्निकल और नोन टैक्निकल के जो यह 64 ग्रुप्स हैं, इन सबको क्लब कर दिया गया है। मतलब हर ग्रुप का अलग अलग एग्जाम करने की बजाय सभी को क्लब कर दिया गया है। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि बार-बार क्वैशचंज की रिपीटीशन हो रही है। कोर्ट ने भी इस बारे में संज्ञान लिया है। यही नहीं जो ई.डब्ल्यू.एस. और एक्स-सर्विसमैन की कैटेगरी है, उनको भी एक तरह से जनरल कैटेगरी में दिखा दिया गया है। मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि जो यह बार बार तमाशे हो रहे हैं, सरकार इस एजेंसी के खिलाफ punitive action क्यों नहीं ले रही है। साथ के साथ ये जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, उसको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया है। जब इस तरह से क्वैशंचंज की बार-बार रिपीटीशन होती है तो ऐसी अवस्था में संबंधित एजेंसी को ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया है। जब इस तरह के क्वैशचनंस दिए जाते हैं, उनकी बार बार रिपीटीशन होती है, 6 तारीख को एग्जाम होना होता है फिर उस एग्जाम को 7 तारीख को करवाया जाता है। सरकार रातों रात कोर्ट में भागती है। पूरी रात बच्चे सड़कों के उपर बैठे रहते हैं। उनको इस बात की सोच बनी रहती है कि एग्जाम होगा के नहीं होगा। फिर एग्जाम नहीं होता है। ऐसी अवस्था में कितनी मानसिक परेशानी हमारे बच्चों को झेलनी पड़ रही है। यह हरियाणा के बच्चों के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो रिप्लाई दिया है, के संदर्भ में कहना चाहूंगी कि मेरा जो प्रश्न है उसमें 'ग'भाग में मैंने यह पूछा है कि "(c) the number of

candidates who are likely to get chance to appear in the exam who have over-aged due to negligence of the conducting agency? लेकिन रिप्लाई में 'नन'कह दिया जाता है और साथ ही रिप्लाई में यह भी कहते हैं कि

" i. For the candidates, who are eligible at CET Stage -I but have now become over-age be allowed to appear for stage-II provisionally. If they get selected then their post shall be kept on hold and their case shall be sent to Government for approval/relaxation at that stage."

सर, अपने आपको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। साथ-ही-साथ आगे कहते हैं कि -

"ii. If due to cancellation of previous examinations, a candidate has crossed the maximum age limit of 52 to enter in Haryana Government Service then he/she shall also be allowed to apply provisionally. In case he/she gets selected then the post shall be kept on hold and Government's opinion will be taken."

फिर से गवर्नमैंट का ओपिनियन लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है ? सरकार समन्वय बनाकर काम करे। मैं सदन पटल पर कह रही हूं कि सरकार एसएससी को बर्खास्त करे। इसे खत्म कीजिए। एसएससी अपना काम करने में पूरी तरह से असमर्थ है। इस पर बहुत बड़े-बड़े आरोप लगे हैं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की सप्लीमैंट्री में विषय कम हैं और विषय को इधर-उधर ज्यादा घुमाया जा रहा है।

Smt. Kiran Chaudhary: Speaker Sir, I have asked only questions.

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि क्वैश्चन नहीं हैं। जो हैं उनका मैं जवाब देता हूं और सैद्धांतिक विषय को लेकर हमने एक पोलिसी बनाई है। उस पोलिसी पर चर्चा की जा सकती है। उसके बारे में मैं यह कह सकता हूं कि गवर्नमैंट की सिलैक्शंज प्रक्रिया बहुत लम्बा समय लेती रही हैं आज से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से लेती रही हैं। पोस्टें सैंक्शन होती हैं, फिर भर्ती के लिए या तो रिक्विजीशन लेट जाती है, रिक्विजीशन जाती है तो वहां का

प्रोसीजर लम्बा है। फिर कैटेगरी ऑफ पोस्ट्स इतनी ज्यादा हैं कि अगर यह प्रावधान रखा जाए कि हर कैटेगरी के लिए अलग-से टैस्ट होगा तो चाहे 10 पोस्ट्स हैं तब भी लाखों लोगों ने अप्लाई करना है, चाहे 500 पोस्ट्स हैं तब भी लाखों लोग अप्लाई करेंगे। अत: हमने इसको स्पीड अप करने के लिए रास्ता निकाला और इसके लिए हमने एक नई पॉलिसी बनाई है। उस पोलिसी के 2 पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि जैसे ग्रुप-डी का हमने किया है कि ग्रुप-डी की सभी पोस्ट्स का एक काडर बना दिया जाए। एक काडर बनाने के बाद मान लो कोई एक डिपार्टमैंट में जाता है, दूसरे में जाता है। मान लो कोई पीयन है तो वह यहां भी वही काम करेगा, वहां भी वही काम करेगा और हम उसको यह सुविधा भी दे रहे हैंकि एक समय के बाद अगर वह अपने डिपार्टमैंट को बदलना भी चाहे क्योंकि जब एक ही काडर बन गया है तो उसने काम यहां भी करना है वहां भी काम ही करना है, वह अपनी च्वॉयस से भी जा सकता है। सीनियॉरिटी के हिसाब से जैसे हम ट्रांसफर करते हैं वैसे ही सीनियॉरिटी के हिसाब से उसके डिपार्टमैंट्स भी बदले जा सकते हैं लेकिन अभी ग्रुप-सी में हम यह काम नहीं कर पाए हैं। मैं सदन को अपनी मंशा बताना चाहता हूं क्योंकि ग्रुप-सी में भी बहुत विभाग हैं। सब विभागों के अपने सर्विस रूल्ज बने हुए हैं। सर्विस रूल्ज में छोटे-छोटे अंतर को डालकर एक भर्ती संभव होती ही नहीं थी। इसी में से आगे ये चीजें ग्रुप-सी में एक जो हमने कार्यक्रम शुरू किया उसके अंदर कुछ सुविधा कर ली है लेकिन कुछ और आगे चलकर करेंगे ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। जैसे अभी ग्रुप-सी में जितनी भी प्रकार की रिक्विजीशंज थी, 35000 के आसपास, हमने उन सब की एक ही ऐडवर्टीजमैंट की। उसके अंदर जो कुल ऐप्लीकेशंज आई हैं, 11 लाख 22 हजार लोगों ने अप्लाई किया है। उसके बाद 3 लाख 59 हजार ने सीईटी फेज-1 क्वालिफाई किया है। 3 लाख 59 हजार के बदले में भी 501 टाइप्स ऑफ पोस्ट्स किये हैं। अब 501 एग्जाम्स लेने से आगे क्योंकि उसमें सबके सर्विस रूल्ज अलग-अलग होने के कारण से उनको अलग-अलग एग्जाम्स लेने की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं लेकिन अगेन उन 3 लाख 59 हजार को बुलाएंगे तो सालों साल लगते हैं। फिर उसके लिए यह आया कि समान क्वालीफिकेशन होने के नाते जो-जो ग्रुपिंग की जा सकती है, उनका ग्रुप बनाया जाए। माननीय सदस्या ने ठीक कहा कि ये 64 ग्रुप्स ऐसे बने हैं और इन ग्रुप्स के एक ग्रुप का एक बार एक्जाम होगा। माननीय

सदस्या ने तो कहा कि 64 ग्रुप्स का एग्जाम इकट्ठा लिया जा रहा है। 64 ग्रुप्स का एग्जाम इकट्ठा नहीं लिया जा रहा है बल्कि 64 एग्जाम्स होंगे। एक-एक ग्रुप के नाते जिनकी क्वालीफिकेशंज सेम है। मान लो किसी की क्वालीफिकेशंज डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है तो वे सब इकट्ठे होंगे। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बत्तरा: अध्यक्ष महोदय, इस सी.ई.टी. के बारे में सबको पता है।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो प्रश्न किया गया है मैं उसका जवाब दे रहा हूं। इसमें 64 एग्जॉम अलग-अलग कैटेगरीज के होंगे। यह अलग बात है कि हमारे कमिशन ने तय किया है कि जिन कैटेगरीज में कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा है उनके एग्जॉम पहले ले लिये जाएं। इनमें दो ग्रूप क्रमश: 56 और 57 ऐसे थे जिनमें कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा थी। इसलिए यह तय किया गया कि इनके एग्जॉम पहले ले लिए जाएं और बाकी ग्रुप्स में कम संख्या रह जाएगी उनमें उसके हिसाब से चलेंगे। इसमें एक रिपिटशन ऑफ क्वैश्चन का अलग से विषय आया है। चूंकि यह मैटर सब ज्यूडिस है इसलिए मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा। यह मामला कोर्ट में गया हुआ है और इस पर कोर्ट जैसा फैसला करेगा उसके ऊपर कमिशन निर्णय ले लेगा। इस संबंध में ज्यादा क्वैश्चन नहीं हैं। इसके अतिरिक्त एक 4 गुणा कैडिडेट्स बुलाने का विषय आया है। इसके बाद भी किसी कैटेगरी में पोस्ट्स ज्यादा हैं और किसी कैटेगरी में कम पोस्ट्स हैं। इसलिए हरेक कैटेगरी की पोस्ट्स के लिए कैंडिडेट्स की पूरी संख्या को बुलाने की बजाए, मान लें कहीं पर 25 बच्चे सैलेक्ट होने हैं तो जो सी.ई.टी. क्वॉलिफाई करके 1 नम्बर पर आया है। इसका मतलब यह है कि उनकी भी मैरिट बनी है। जब मैरिट बनी है तो 25 पोस्ट्स के लिए 100 कैडिडेट्स का टैस्ट लेंगे और उनमें भी कोई कैंडिडेट मैरिट में नहीं आता है तो इसमें कमिशन का मानना है कि इसके बाद वाले कैंडिडेट्स की मैरिट

में आने की संभावना नहीं है। इसमें 100 में से 25 मैरिट वाले कैंडिडेट्स सैलेक्ट हो जाएंगे और बाकी 75 में से किसी दूसरी कैटेगरीज में एप्लाई किया हुआ है और वह 4 गुणा में आएगा तो सैलेक्ट हो जाएगा। इसलिए यह 4 गुणा कैंडिडेट्स बुलाने का प्रावधान रखा है। यह ठीक है कि इसका विरोध हुआ है। इसके बाद सरकार विचार करेगी कि हमने इसको कैसे लेना है? इसमें दूसरी बात एज के संबंध में आयी है। हमने 3 जगहों पर ऐज में रिलैक्सेशन देने की बात कही है। इसमें एक रिलैक्सेशन है कि जिन्होंने पहले की एडवर्टाइजमैंट में एप्लाई किया था लेकिन वह एडवर्टाइजमैंट सी.ई.टी. के कारण से विद्ड्रा कर ली गयी और अगर उसके कारण से संबंधित कैंडिडेट्स ओवर ऐज हो गये हैं तो उनको रिलैक्सेशन दी है। इसमें उनकी उसी दिन की एज मानी जाएगी जिस दिन उन्होंने पहले वाली एडवर्टाइजमैंट में एप्लाई किया था।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में रिप्लाई में नहीं बताया गया है।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में बताया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को जवाब दे रहा हूं कि पहले नम्बर पर दिया है कि those who had applied for certain advertisements issued by the Haryana Staff Selection Commission which were subsequently withdrawn for administrative reasons हमने इनको ऐज रिलैक्सेशन दी है। यह पहले नम्बर पर दिया हुआ है। दूसरे नम्बर पर दिया है कि those candidates who have worked on equivalent post on ad-hoc/ contract/ worked-charged/ daily wages basis in the Government not in Boards/ Corporations. इससे आगे लिख दिया है कि excluding the period of break in any Department/ Board/ Corporation of Haryana Government including

Government-aided-institutions. तो उनको छोड़कर बाकी सबको भी रिलैक्सेशन दिया है। तीसरा candidates who belong to certain special categories को रिलैक्सेशन दिया है।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मैंने स्पेसिफिक क्वैश्चन पूछा है।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने कहा था कि इसका उत्तर नहीं दिया है लेकिन हमने इसका उत्तर लिखित में दिया है।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, इसमें मैने स्पेसिफिक यह पूछा है कि what is the number of candidates who are likely to get chance to appear in the exam. इसमें इन्होंने अपने आप ही कह दिया कि हमने इसमें कुछ नहीं लिखा है।

श्री अध्यक्ष: किरण जी, आपकी बात पूरी हो गयी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और आप जानते ही हैं कि यह पूरे हरियाणा प्रदेश से संबंधित है।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बाद में कुछ ऐसे कैंडीडेट्स हरियाणा स्टॉफ सैलेक्शन कमिशन के पास आए और कहा कि हमारी ऐज गवर्नमैंट की अपर ऐज लिमिट से ऊपर हो गयी है क्योंकि इस संबंध में गवर्नमैंट ने 52 साल तक की ऐज लिमिट रखी हुई है और बाकी जनरल कैटेगरी के लिए 42 साल है व बी.सी/एस.सी. के लिए नियमानुसार छूट है।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं ?(विघ्न)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में न तो पूछा गया था और न ही हमारे पास उत्तर आया है। लेकिन इसमें जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं उनको परीक्षा में बैठने के लिए चांस दे दिया गया है। अगर उनमें से कैंडिडेट्स सैलेक्ट होते हैं तो उन्होंने सरकार के ऊपर छोड़ा है और सरकार उसकी पॉलिसी बनाएगी। चूंकि इस ऐज के कैंडिडेट्स का सैलेक्शन होने के चांस नहीं होते हैं, फिर भी यदि कुछ होंगे तो सरकार उस पर निर्णय लेगी।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इसमें वही बात आ गयी कि इस पर सरकार निर्णय लेगी। वे बेचारे तो वैसे के वैसे ही पड़े रह गये हैं। मैंने नम्बर ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में पूछा है लेकिन उसका जवाब नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष: किरण जी, अगर एक-एक क्वैश्चन पर 15-15 मिनट का टाईम लगेगा तो दूसरे माननीय सदस्यगण अपने प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। आप दूसरे माननीय सदस्यों के राईट्स को रोक रही हैं।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं तो अपने सप्लीमैंट्री का आंसर मांग रही हूं।

श्री अध्यक्ष: किरण जी, आपके सप्लीमैंट्री का जवाब आ चुका है।

श्री राम कुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार तो हमारा क्वैश्चन पूछने का नम्बर ही नहीं आएगा। हमको भी अपने क्वैश्चन पूछने हैं।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगी कि यह नौजवानों का मसला है। इसलिए मुझे अपनी बात रखने दें। क्या माननीय सदस्य नौजवानों के खिलाफ हैं?

श्री राम कुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को कहना चाहूंगा कि मैं नौजवानों के खिलाफ नहीं हूं।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मैं अपनी बात रख रही हूं इसलिए माननीय सदस्य को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं माननीय सदस्य के समय पर बीच में उठकर नहीं बोलती हूं। माननीय सदस्य को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि जब मर्जी आए खड़े होकर बोलने लग जाएं।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस क्वैश्चन से संबंधित जितने भी सप्लीमैंट्रीज माननीय सदस्या के हैं उनके बारे में वे लिखित में मेरे पास भिजवा दें। उन सभी का जवाब दिया जाएगा।

श्री राम कुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: गौतम जी, आप बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों की बात का उत्तर दे रहा हूं। इस प्रश्न पर जितने भी सप्लीमैंट्रीज हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि इस प्रश्न पर बहुत से सप्लीमैंट्रीज आ सकते हैं। माननीय सदस्य जितने सप्लीमैंट्री देना चाहें उनको आज शाम तक दे दें। उन सभी के लिखित जवाब दे दिये जाएंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन पटल पर पूछा है कि जो काम गलत हुआ है सरकार ने उस एजेंसी के खिलाफ क्या एक्शन लिया है ?

श्री मनोहर लाल : किरण जी, कुछ गलत नहीं हुआ है।

श्रीमती किरण चौधरी : मुख्यमंत्री जी, आप यह बात कह रहे हो कि कुछ गलत नहीं हुआ है।

श्री मनोहर लाल : किरण जी, हां मैं यह बात कह रहा हूं कि कुछ गलत नहीं हुआ है।

श्रीमती किरण चौधरी :अध्यक्ष महोदय, अगर कोई गलत काम नहीं हुआ तो हरियाणा स्टाफ सलैक्शन बोर्ड को पूरी तरह से बर्खास्त करो क्योंकि बच्चों का शोषण हो रहा है।

हरियाणा विधान सभा के पूर्व अध्यक्षों एवं पूर्व मंत्री/यूनिवर्सिटी सीनियर सैकेंडरी मॉडल स्कूल, कुरूक्षेत्र के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सदन में सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा, पूर्व अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा एवं पूर्व मंत्री, हरियाणा सरकार अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं पूरे सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूं।

माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री कुलदीप शर्मा, पूर्व अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं पूरे सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूं।

माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी सीनियर सैकेंडरी मॉडल स्कूल, कुरूक्षेत्र के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं पूरे सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूं।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

ट्रॉमा सेन्टर खोलने बारे

***45. श्री लक्षमण सिंह यादव :** क्या स्वास्थ्य मंत्री कृप्या बताएंगें कि:-

(क) रेवाड़ी जिले के गुरावड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक ट्रॉमा सैंटर खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

Health Minister (Shri Anil Vij):

a) No, Sir.

b) Does not arise in view of the response to part (a).

श्री लक्ष्मण सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने गुरावड़ा में ट्रामा सेंटर बनाये जाने बारे क्वैश्चन लगाया था। इन्होंने 'नो सर' में रिप्लाई दिया कि इस परिप्रेक्ष में प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवदेन करना चाहूंगा कि अपनी रिप्लाई में यह बात लिख देते कि भविष्य में इसकी जरूरत होगी तो हम इस पर जरूर विचार करेंगे । इससे मैं भी आश्वस्त हो जाता और जनता भी आश्वस्त हो जाती लेकिन इतना कड़ा संज्ञान लेते हुए इसका 'नो सर' में जवाब देना, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है कि एन.एच. 71 से हमारा 95 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। अगर रोहतक के बाद कहीं ट्रामा सेंटर है तो 65 किलोमीटर आगे पड़ता है और इससे आगे 30 किलोमीटर रेवाड़ी का स्थान पड़ता है, इस एन.एच. पर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा आवागमन होता है। यहां पर कभी भी मिसहैपनिंग होने की आशंका बनी रहती है और मिसहैपनिंग हुई भी हैं। जब वहां पर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए एक-एक सैंकिंड निकालना बड़ा भारी हो जाता है। अगर उस व्यक्ति को नजदीक में अप्रोच मिल जायेगी तो कोई बुराई नहीं है। हमारा जो सी.एच.सी. सेंटर है, उसी के लिए मैं यह बात कह रहा हूं कि इसको ट्रामा सेंटर में कन्वर्ट कर दिया जाये ताकि वहां पर फैसिलिटी बढ़ सके। वहां पर जमीन भी अवैलेबल है इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर विचार किया जाये।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अभी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में यह सी.एच.सी. गुरावड़ा में लोकेटिड है और यह on Rewari-Jhajjar highway पर 24 घंटे काम करती है। इसी प्रकार से Trauma Centre at District Civil Hospital Rewari is located at a distance of 21 Kms. from Gurawara and District Hospital, Jhajjar is located at the distance of 27 Kms. from Gurawara which are providing the services. अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की गाईडलाइंज हैं कि एक ट्रामा सेंटर से दूसरे ट्रामा सेंटर का जो डिस्टेंस है, वह कम से कम 50 किलोमीटर पर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये अस्पताल 21-21 किलोमीटर पर बने हुए हैं और जल्दी ही हम वहां पर एम्स की सुविधाएं भी शुरू करने जा रहे हैं। जो सब सुविधाओं से सम्पन्न होगा और हमारे हर अस्पताल के साथ एम्बुलैंसिंज भी अटैच्ड हैं। हमारे वहां पर Advance Life Support System लगे हुए हैं इसलिए इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए यहां पर ट्रामा सेंटर बनाना किसी भी नियमों में नहीं है। जहां तक सी.एच.सी. को अपग्रेड करने की बात है तो वहां पर जो कुछ हो सकता होगा वह मैं समान लगवा दूंगा लेकिन मैं ट्रामा सेंटर नहीं बनवा सकता हूं। ट्रामा सेंटर के लिए हमें कई विशेषज्ञ डॉक्टरों और इक्विपमैंट्स की आवश्यकता होती है। हां अगर माननीय सदस्य को वहां पर कोई इक्विपमैंट्स लगवाने की आवश्यकता है तो मैं इनके आग्रह पर जरूर लगा दूंगा।स्पीकर सर, हमने एक बात और भी सोची है कि अब हम खाली ट्रॉमा सैंटर नहीं बनाएंगे। आवश्यकता आ रही है जैसे कि दिल्ली से पानीपत तक कोई भी अस्पताल नहीं है। राई के पास एक ट्रॉमा सैंटर बनाने की आवश्यकता आ रही है। इसके लिए वहां से हमारे विधायक भी बार-बार इस बात का प्रेशर उठाते हैं लेकिन हम खाली ट्रॉमा सैंटर नहीं बनाना चाहते हैं। क्योंकि स्टाफ पूरा देना पड़ता है जबकि केस हफ्ते, दो हफ्ते एक दिन में एक आता है। हम ट्रॉमा सैंटर वहां बनाना चाहते हैं जो फुल फलैज्ड हॉस्पिटल हो। वहां डॉक्टर बाकी समय में सारा काम करे और अगर ट्रॉमा सैंटर में कोई केस आ जाता है तो उसका भी इलाज करे। हम बनाना चाहते हैं। राई के पास मैं खुद इच्छुक हूं। हमारे महामंत्री बड़ौली जी ने जगह भी बताई है। हम ऐसी जगहों पर बनाना चाहते हैं लेकिन अगर मैं बनाऊंगा तो पूरा अस्पताल बनाऊंगा। अगर अस्पताल के मानदंड पूरे होते होंगे तभी बनाऊंगा वैसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो चलते नहीं हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी पहली बात तो यह है कि मरीज और एक्सीडेंटल वाले मरीज को कोई किलोमीटर नहीं गिननी । उसके लिए तो एक-एक मिनट और एक-एक सैकिण्ड गिननी मुश्किल होती है ।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष: लक्ष्मण जी, हर किलोमीटर पर भी ट्रॉमा सैंटर नहीं बन सकता है ।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि अगर भविष्य में इस तरह की योजना है तो मंत्री जी जरूर पूरी करें। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने एक अच्छी बात कही है कि हम उस हॉस्पिटल को अपग्रेड कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यही निवेदन है कि उस हॉस्पिटल को 50 बैड में अपग्रेड कर दें। उससे भी काम चल जाएगा। मंत्री जी की बात उनकी जगह सही है लेकिन इसको 50 बैड का हॉस्पिटल डिक्लेयर करें।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैं उसे एग्जामिन करवा लूंगा और अगर उसके मापदंड पूरे होते होंगे और जमीन होगी तो हम उसको इक्विप कर देंगे। यह मैं कर सकता हूं। ये हम कर देंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव: मंत्री जी, मैंने पहले भी 50 बैड के लिए लिखकर दिया था। एग्जामिन करवा लेना चाहिए था। आपने सदन में पिछली बार भी कहा था कि हम मैंपिंग करवा रहे हैं, एग्जामिन करवा रहे हैं लेकिन उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कंपनी ने मैपिंग का रिजल्ट बिल्कुल तैयार कर दिया है। हमें उम्मीद है कि हमने जो मैपिंग करवाई है कि इस स्तर के अस्पताल कहां-कहां पर होने चाहिएं। डब्ल्यू.एच.ओ. की गाइडलाइंस के मुताबिक क्या होना चाहिए। उन्होंने यह लगभग कम्पलीट कर दिया है, जो प्रिंटिंग में है। यह हमारे डिपार्टमैंट को जल्दी ही सब्मिट हो जाएगा।

श्री सुरेन्द्र पंवार: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने राई में हॉस्पिटल बनाने के बारे में कहा है। इस पर में कहना चाहूंगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: पंवार जी, आप बैठ जाएं। यह राई का क्वैश्चन ही नहीं है।

श्री सुरेन्द्र पंवार: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने राई में हॉस्पिटल बनाने के बारे में कहा है।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष: पंवार जी, मंत्री जी ने राई में बनाने के लिए कहा है तो क्या आप यह चाहते है कि वे न बनाएं। (विघ्न)

श्री सुरेन्द्र पंवार: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने राई में हॉस्पिटल बनाने के बारे में कहा है। इस पर मैं यह कहना चाहूंगा कि राई में जमीन अवेलेबल है। अगर मंत्री जी कहे तो हम कल ही सोनीपत कारपोरेशन से फाइल भिजवा देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

सड़को का निर्माण करना

*** 46. श्री भारत भूषण बतरा:** क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:–

(क) रोहतक में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के निर्माण के दौरान विस्थापित हुए दुकानदारों और निवासियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उनके पुनर्वास तथा मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए कोई नीति बनाई गई है; यदि हां, तो उपरोक्त विस्थापित हुए दुकानदारों को दुकानों का आवंटन किया गया है तथा इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह तथ्य है कि सरकार द्वारा नए बाजार के साथ 15 फीट की सड़क बनाने की घोषणा की गई थी; यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसका ब्यौरा क्या है तथा उक्त उद्देश्य के लिए भूमि को अधिगृहित किए बिना निविदा आमंत्रित करने के कारण क्या हैं;

(घ) उपरोक्त 15 फीट की सड़क के कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है; तथा

(ड) क्या यह तथ्य है कि गांधी कैंप पुराना बाजार के साथ पुराने रेलवे ट्रैक पर 30 फीट की सड़क प्रस्तावित है; यदि हां, तो उक्त सड़क के कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है तथा इसका ब्यौरा क्या है?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता): श्रीमान् जी, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) नगर निगम, रोहतक द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और 15 फीट चौड़ी प्रस्तावित सड़क की उपरोक्त परियोजना के एकरेखन (एलाईनमैन्ट) में 158 संपत्तियां (77 वाणिज्यिक और 81 आवासीय) आती हैं।

(ख) एलिवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजना के कारण प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं मुआवजे हेतु सरकार के पत्र क्रमांक डी.जी.यू.एल.बी./सीटीपी–II/2023/19 दिनांक 13–01–2019 द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए है। विस्थापित व्यक्तियों को वित्तीय और अन्य सहायता देने के लिए 13–02–2023 के दिशानिर्देशों को और स्पष्ट किया गया तथा 24–08–2023 को अतिरिक्त लाभों से अवगत कराया गया। तदानुसार, दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही पूरी कर दी जाएगी।

(ग) हाँ, घोषणा कर दी गई है। तदानुसार, सरकार द्वारा नगर निगम, रोहतक में बजरंग भवन से डबल फाटक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक तक रू0 251.43 लाख की अनुमानित लागत से सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सड़क निर्माण में तेजी लाने और समय बचाने के लिए टेंडर आमंत्रित किया गया था.

(घ) नगर निगम, रोहतक में बजरंग भवन से डबल फाटक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक तक 15 फीट सड़क का निर्माण उन भूमि मालिकों की सहमति प्राप्त करने के बाद जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा जिनकी भूमि उपरोक्त सड़क के निर्माण के लिए आवश्यक है।

(ड) हाँ सर, काफी प्रयासों और अनुनय के बाद, रेल मंत्रालय ने इसे एक विशेष मामला मानते हुए, 01–08–2023 को अनापति प्रमाण पत्र जारी किया गया हैं, तदानुसार रू0 2298.94 लाख की अनुमानित लागत का अनुमान हरियाणा लोक निर्माण विभाग (पुल एवं सड़के) द्वारा तैयार किया गया है तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्रवाई की जायेगी।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, यह लोगों के रिहैबिलिटेशन का बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है जिसका इशू बहुत लम्बे समय से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन के अन्दर हैं।

अध्यक्ष महोदय, रोहतक में एक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बना है। मैं इसके संबंध में ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि यह रेलवे लाइन यहां पर वर्ष 1931 में आई थी। उसके बाद सैकिण्ड वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्ज ने यह सोचा कि यह नुकसानदायक है इसलिए उन्होंने इसको उखाड़ दी। उसके बाद वर्ष 1955 में दोबारा प्रपोजल आई और वर्ष 1961 में यह रेलवे लाइन वहां पर चली और रेल की सीटी बजी। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो डिसप्लेस्ड पर्सज हैं उनके पास वर्ष 1956 की मलकियत की रजिस्ट्रियां हैं। मैं यह बात इसलिए बताना चाहता था कि उनके पास रजिस्ट्रियां हैं। स्पीकर सर, दूसरी बात यह है कि रेलवे ने यह माना और कारपोरेशन ने यह कहा कि हमने डिमॉलिशन नहीं की। रेलवे ने कहा कि हमने डिमॉलिशन नहीं की। यानी यह कंट्रोवर्सी लम्बी हो जाएगी। पर यह अल्टीमेटली अर्बन लोकल बॉडिज डिपार्टमैंट के रिकॉर्ड पर आया कि 37 दुकानें डिमॉलिश हुईं। 6 रेजिडेंशियल हाऊसेज डिमॉलिश हुए और 14 सेमी प्रॉपर्टी जिनमें किसी ने गोडाउन बनाया हुआ था कोई डेरी वगैरह थी, ये प्रोपर्टीज यहां पर डिमॉलिश हुईं। जब यह डिमॉलिश हुआ उस समय इस सदन में और उस समय के आदरणीय मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी ने ऑन रिकार्ड मुख्य मंत्री जी की तरफ से एक ब्यान दिया और उसमें यह कहा कि रिहैबिलिटेशन हाऊस ऑफ फालिंग चलो उसमें मैं शॉर्ट में पढ़ देता हूं। अभी रेलवे ट्रैक रोहतक में हमने डिवैल्प किया है इसके साथ-साथ कुछ एरिया है जहां पर उन लोगों को रिहैबिलिटेट करने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि वहां से जब रेलवे ट्रैक निकला वहां पर दुकानदार भी थे, वहां पर रैजीडैंशियल एरिया भी था उन लोगों को आज 50 परसैंट कलैक्टर रेट पर उनका ऑक्यूपाईड एरिया या डॉक्यूमैंट्री प्रूफ उनकी ओनरशिप उसके हिसाब से उनको रिहैबिलिटेट किया जायेगा और 50 परसैंट कलैक्टर रेट के हिसाब से उनको प्लॉट्स दिये जायेंगे। This was the statement made by the Government. ये गवर्नमैंट की अनाऊंसमैंट थी। मेरे पास इसकी वीडियो भी है। मैंने उसका हिन्दी वर्जन आपके सामने रखा है। अब उसके बाद यह हुआ कि साइमलटेनियसली गवर्नमैंट ने उन 37 और 57 लोगों को कम्पनसेशन तो नहीं दिया एक 15 फुट की रोड लिबर्टी साइड में जो रेलवे स्टेशन के राईट साईड में पड़ती है उसकी एक प्रपोजल निकाल दी और उस प्रपोजल में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने 13.02.2023 के अंदर पॉलिसी एक

पॉलिसी बना दी और उसमें यह लिख दिया कि जो 118 दुकानें बन रही हैं उनके रेट 2.40 लाख रूपये,2.79 लाख रूपये और 1.90 लाख रूपये है। उस पॉलिसी में उन लोगों को रिहैबिलिटेट करने की बात कहीं भी नहीं है क्योंकि गवर्नमैंट का एक स्टैण्ड आ गया कि वहां पर रेलवे की प्रॉपर्टी है इसलिए वे वहां पर अनअथोराईज्ड ऑक्यूपैंट हैं इसलिए हम कोई कम्पनसेशन नहीं देंगे। यह बड़ी विडम्बना की बात है कि उस समय जो लोग पाकिस्तान मुख्य तौर पर पश्चिमी पाकिस्तान से वहां पर आये और यहां एस्टैब्लिश हुए, अपनी दुकानें बनाई, सब कुछ बनाया उनको इस तरह से उजाड़ दिया और 70 साल के बाद रेलवे ने उनको एकदम उठा दिया। वहां पर कोई ड्यू प्रोसैस ऑफ लॉ फोलो नहीं किया गया। मैं इस मामले में लम्बी चर्चा न करते हुए यह बताना चाहता हूं कि फिर विपक्ष का दबाव आया और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने वहां पर जाकर रेलवे ट्रैक का मुआयना किया, मैं भी उनके साथ था। तब सरकार के हाथ पांव थोड़े से फूल गये कि यह मामला कैसे इतना गड़बड़ है। उसके बाद सरकार ने इस पॉलिसी को रिवाईज कर दिया। सदन में मेरा सवाल आया उसके दो दिन पहले ही सरकार ने पॉलिसी एप्रूव की।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, अब आप यह बतायें कि आप चाहते क्या हैं? यह तो सारा कुछ हो चुका है। आप सरकार से क्या क्वैश्चन पूछना चाहते हैं?

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष जी, मेरा सवाल यह है कि जब सरकार वहां पर 15 फुट की सड़क निकाल रही है उसके बदले दुकान के बदले दुकान देनी चाहिए। उसका कोई प्रोसैस नहीं हुआ। न होगा बांस और न बजेगी बांसुरी। उसके बाद जिन लोगों को 40 हजार रूपये की रिबेट दी गई है उनको कृष्ण बेदी जी ने यहां पर अनाऊंस किया कि 50 परसैंट जहां 2 लाख 80 हजार रूपये है वहां पर एक लाख 40 हजार की रिबेट होनी चाहिए। एक्चुअल मेरा यह सवाल है। मेरा थर्ड सवाल यह है कि वहां पर मुख्यमंत्री जी भी अनाऊंस करके गए थे कि 30 फुट का वहां पर एक रेलवे ट्रैक में जो लैफ्ट साईड में पुराना बाजार पड़ता है वहां पर सड़क बनेगी। 6 साल में उस सड़क की कोई प्रोग्रैस नहीं हुई है। 7 साल हो गये उस 15 फुट की सड़क की कोई प्रोग्रैस नहीं और न ही लोगों को कोई कम्पनसेशन मिला। मुझे इसका उत्तर चाहिए।

डॉ. कमल गुप्ता: माननीय अध्यक्ष जी, सवाल पूछने वाले माननीय रोहतक के विधायक हैं और जो हमारी सरकार ने इतना बड़ा काम किया उसमें एलिवेटिड रेलवे ट्रैक बनाया क्योंकि वहां के लोगों को इतनी समस्या थी। उस समस्या के समाधान के लिए पहली सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने एलिवेटिड रेलवे ट्रैक बनाया विपक्ष के साथियों को इसके लिए सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए और जब इतना बड़ा काम होता है तो जो थोड़ी बहुत अड़चनें बीच में आती हैं हमारी सरकार ने उनको भी दूर करने का काम किया। जो एलिवेटिड रेलवे ट्रैक बना। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष :मंत्री जी, कृपया करके स्पैशिफिक उत्तर दे दें।

डॉ. कमल गुप्ता:स्पीकर सर, नम्बर एक तो बात यह है कि जो लोग प्रभावित हुए जो 37 लोग थे जिनकी वहां पर दुकानें थी उनको किसी भी गवर्नमैंट के कर्मचारी ने तोड़ा नहीं। उन्होंने स्वेच्छा से अपनी दुकानों को वहां से हटाया और उनको जो कम्पनसेशन दी है वह जैसा माननीय सदस्य ने कहा 50 परसैंट के अलावा एक लाख रूपया अतिरक्त भी दिया है। उनको 50 परसैंट की छूट के अलावा एक लाख रूपये प्रति गज दिया है और दूसरी बात जिन लोगों को यह चीज नहीं चाहिए जिनका बड़ा साईज था तो हमने उनको दुकान रिप्लेस करने का भी वायदा किया है। माननीय सदस्य की जो बात केवल 50 प्रतिशत तक थी उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि उसके साथ हमने 1 लाख रुपये और 50 प्रतिशत मुआवजा देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा कुछ शर्तें हैं उन्होंने कुछ अढ़ाई लाख रुपये रेट बताये थे वहां पर हमने 10 हजार रुपये कम किये हैं। पहले जो 2 लाख का था वह भी प्रथम तल पर 1 लाख 90 हजार रुपये किया है। रिहैबिलिटेशन के तहत जिन लोगों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें तोड़ी हैं उनको हमने यह मदद करने की बात की है। दूसरी बात यह है कि जो 30 फुट की सड़क है उसके लिए रेलवे ने एन.ओ.सी. दे दी है तथा उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रुवल आने वाली है जिसकी अनुमानित लागत 20,98,94,000/- रुपये है। ज्यों ही इसकी एडमिनस्ट्रेटिव एप्रुवल मिलेगी इस पर तुरन्त काम शुरू हो जायेगा। यह 1.7 किलोमीटर की है और जो15 फुट चौड़ी सड़क है वह जैसे-जैसे खाली होगी उसको वहां पर तुरन्त बनवा दिया जायेगा। इसके टैंडर लग चुके हैं।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब भी जवाब दें तो पहले फाइल पढ़ लिया करें। मंत्री जी यह बात ठीक नहीं कह रहे हैं। यह 1,00,000/- रुपया और 50, 000/- रुपया उन लोगों को दिया जायेगा जिनकी 15 फुट चौड़ी सड़क एक्वायर होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, माननीय मंत्री जी ने पूरा जवाब दे दिया है इसलिए अब आप बैठ जाइये।

पंजाब विधान सभा के सदस्य का स्वागत

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज सदन में सरदार सुखविन्द्र सिंह कोटली, सदस्य पंजाब विधान सभा सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

मलिकाना हक प्रदान करना

***47. श्री ईश्वर सिंह** : क्या उप मुख्यमंत्री कृप्या बताएंगे किः–

(क) गुहला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1952 से पंचायती जमीन पर खेती कर रहे पट्टेदारों तथा आबादकारों की संख्या कितनी है ; तथा

(ख) क्या इन पट्टेदारों को स्वामित्व अधिकार देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उपरोक्त प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

विकास एंव पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): श्रीमान् जी,

(क) गुहला निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 1350 व्यक्ति तकरीबन 4285.5 एकड़ पंचायती भूमि पर 1950 तथा 1960 के दशक से खेती कर रहे हैं।

(ख) हां, श्रीमान् जी। हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में संशोधन लाये जाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। मुख्यमंत्री की

अध्यक्षता में अधिकारीगण के अलावा उप मुख्यमन्त्री शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री तथा विकास एवं पंचायत मन्त्री की एक कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी की रिपोर्ट, प्रस्तुत होने के पश्चात्, इसके आधार पर प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

श्री ईश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम प्रश्न है कि कई भूमिहीन व्यक्तियों, जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता थी, को पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 और पंजाब ग्राम शामलात भूमि(विनियमन) अधिनियम, 1953 के तहत अकृषि योग्य भूमि आबंटित की गई थी। वह जमीन कृषि के लायक नहीं थी और वहां पर जंगल ही जंगल थे। पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद, ये पट्टेदार दिनांक 24.09.1986 तक इस भूमि पर काबिज रहे। उसके बाद इनको अदालत के आदेशों के कारण अलग-अलग समय पर बेदखल कर दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 24.09.1986 को बोधनी चमन एक्स-सर्विसमैन टैनेन्ट फारमिंग सोसायटी लिमिटेड बनाम हरियाणा सरकार व अन्य और ऐसे ही एक मामले में बेदखली के आदेशों के खिलाफ अपील खारिज करते हुए कहा था कि सरकार याचिकाकर्ताओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए उन्हें कहीं और पट्टे पर भूमि आबंटित कर सकती है। तथापि उस समय सरकार द्वारा आवश्यक पुनर्वास उपाय नहीं किये जा सके। सर, वर्ष 1950-52 के अन्दर ये काबिज हुए थे। उसके बाद तीन पीढ़ी गुजर गई। तीन पीढ़ी गुजरने के बाद आज तक उनको मालिकाना हक नहीं दिया गया। अत: मेरा प्रश्न था कि उनको मालिकाना अधिकार कब दिया जाएगा ? कितनी सरकारें आई और कितनी गई लेकिन आज तक किसी ने इस बात की सुध नहीं ली। हमारे गुहलाचीका के अन्दर वर्ष 1952 से लेकर अब तक कितने परिवार ऐसे हैं जिनकी मलकियत नहीं बनी, आबकारी नहीं दी। स्पीकर सर, मेरी आपसे यह गुजारिस है कि मंत्री जी ने जो जवाब दिया कि हमने पट्टेदारों के लिए कमेटी बनाई है। इस तरह की कमेटियां कितनी बार बनी और कितनी बार आई। मैं आपके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि पट्टेदारों को कभी तो यह कहा कि आप 2500 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए और पट्टा जारी रखिये। कभी यह कहा कि 1000 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रत्येक दस वर्ष के बाद 20 प्रतिशत की

बढ़ोतरी के साथ पट्टा धनराशि के रूप में भुगतान करेंगे। हर समय नियम बदले, कानून बदले परंतु बात वहीं की वहीं रही जहां थी।

श्री अध्यक्ष : ईश्वर सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री ईश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ही यही है कि उन लोगों को मालिकाना अधिकार कब तक दिया जाएगा ? मेरी दूसरी बात यह है जिसका खुलासा करना बहुत जरूरी है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 03.07.2014 तथा उसके पश्चात् दिनांक 28.04.2016 द्वारा नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार को पंजाब ग्राम शामलात भूमि नियमावली,1964 के नियम 6(क) के अनुसार भूमि के किसी भी टुकड़े को आबंटित करने से रोक दिया गया था। सिविल याचिका पर सुनवाई के लिए अब इसकी तारीख 08.12.2023 लगी हुई है।

श्री अध्यक्ष : ईश्वर सिंह जी, वैसे तो कोर्ट में केस है। Let it court decide.

श्री ईश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का संबंध कोर्ट से नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप ही तो कह रहे हैं कि अगली डेट लगी हुई है।

श्री ईश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी इस बात को दूसरी साईड में ले जाने के बजाए आप मेरी मंशा को समझिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सरकार ने कमेटी बनाने के लिए स्वीकार कर लिया है तो अच्छी बात है उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। सरकार ने यह तो माना कि हम कमेटी बनाएंगे और इसके ऊपर फैसला लेंगे। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि नियम को बदलते हुए एक्ट लाकर आप क्या नहीं कर सकते। मैं आखिर में यही पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार समयबद्ध तरीके से इसका जवाब देगी कि हम इस तारीख तक इस कमेटी का फैसला करेंगे ?

श्री देवेन्द्र सिंह बबली : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जैसा मैंने बताया कि इस पर कमेटी बनी है और सरकार इस पर पोजेटिव विचार कर रही है और बहुत जल्द ही सरकार इस पर पोजेटिव फैसला लेकर आने का काम करेगी।

श्री ईश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें समय सीमा तो निर्धारित नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : ईश्वर सिंह जी, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि हम जल्दी कर देंगे।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी यह बड़ा गम्भीर विषय है। यह एक सिर्फ चीका की बात नहीं है इसके साथ हमारे दो जिले कुरूक्षेत्र और कैथल के अन्दर कई ऐसी बंजर जमीन पोस्ट इंडीपैंडेस दी गई थी। उसके कई बार प्रयास किये गये हैं उसके लिए कई बार एक्ट में भी अमेंडमैंट की गई है। इसमें आखिर में एक्ट में अमेंडमैंट वर्ष 2012 के अन्दर हुई थी। इसको माननीय हाई कोर्ट ने स्ट्राईक डाउन कर दिया था। सरकार उस पर विचार करके जो भी लीगल रेमेडी लेनी है, वह हम लेंगे। उसके लिए चाहे हमें एक्ट में अमेंडमैंट करनी पड़ी, उस पर हम विचार करेंगे। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो पहले की तरह नुकसान होगा इसलिए टैक्निकली फिजिबिलिटी देखने के बाद ही इसमें कोई फैसला लिया जाएगा।

न्यायाधीशों की कमी

***48. Jh jkds'k nkSyrkckn** : क्या मुख्यमंत्री राज्य की निचली अदालतों में न्यायाधीशों से संबंधित निम्न सूचना देने की कृपा करेंगेः–

(क) राज्य में न्यायालयों वार न्यायाधीशों की संख्या कितनी है,

(ख) क्या राज्य के पास न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त है या राज्य में न्यायाधीशों की कमी है,

(ग) राज्य में न्यायालय मण्डल–वारअपेक्षित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तथा

(घ) हरियाणा न्यायपालिका में न्यायाधीशों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए जा रहे है?

@Chief Minister (Shri Manohar Lal): Sir, a statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a) The sanctioned strength of **246** posts of Haryana Superior Judicial Service Officers (Sessions Court) and **526** posts of Civil Judge (Junior Division) are sanctioned in **Lower Courts** in cadre of Haryana Civil Service (Judicial Branch);

(b) & c) The State has adequate number of sanctioned strength of Judges, a temporary shortage that may occur due to retirement, etc., is being addressed by direct recruitment and promotions regularly. Presently, the State requires 68 Officers in Higher Judiciary in the cadre of Haryana Superior Judicial Service, out of which 39 posts are to be filled by promotion and remaining to be filled up by way of direct recruitment. Whereas, 129 positions of Civil Judges (Junior Division) are vacant in cadre of Haryana Civil Service (Judicial Branch), the recruitment is in process; and

(d) The matter regarding filling up 129 vacant posts of Haryana Civil Service (Judicial Branch) is under consideration of the State Government. An Interlocutory Application in Civil Appeal No. 1867/2006 titled as Malik Mazhar Sultan vs. UPPSC and others was moved by the State of Haryana in the Supreme Court of India on 07 April 2022. The matter regarding filling up of 29 vacancies (under direct quota) in Haryana Superior Judiciary is under

---

@ Replied by the Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala)

consideration in the High Court and promotion case of Civil Judges (Junior Division) to the post of Additional District and Sessions Judges is also under consideration with State Government after an advice was sought from the Ministry of Law and Justice, Government of India.

श्री राकेश दौलताबाद : अध्यक्ष महोदय, विभाग ने जो जवाब दिया है वह बहुत ही जल्दबाजी में दे दिया है। इस प्रश्न के सैंटिमैंट को समझने की बजाए मैं आपको एक्चुअल डाटा के बारे में

बताना चाहूंगा कि भारत के न्यायालय सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कोर्ट में इस समय लगभग 5 करोड़ केस चल रहे हैं। जिसमें से 4.30 करोड़ केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। अध्यक्ष महोदय,वर्ष 2018 के नीति आयोग के स्ट्रैटजी पेपर में लिखा गया है कि इस स्पीड से कोर्ट केस निपटाने में लगभग 324 साल लग जायेंगे। वर्ष 2022 में भारत की न्यायालय सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की जिला अदालतों में Case Clearance Rate (CCR) सामान्य से 18 परसेंट धीमी है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले से ही जिला अदालतों में केस चल रहे हैं और आगे भी ज्यादा धीमी गति से चलते जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में जो उत्तर दिया गया है वह मेरे गले से नहीं उतर रहा है, मैं उसका कारण इस महान सदन को बताना चाहता हूं कि गुरूग्राम में मेरे साथ पांच वकील लगातार गरीब लोगों के केस लड़ रहे हैं। माननीय न्यायालय में दूसरे लोगों के केस के लिये तो तारीख पर तारीख मिलने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन गरीब आदमी यानी पीड़ित आदमी के लिये जब तारीख पर पर तारीख मिलती है तो उसका पूरा जीवन ही कोर्ट के चक्करों में गुजर जाता है। कोर्ट के केसों के मामले में बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं। एक फिल्म में तो अभिनेता सनी देयोल ने कोर्ट के सीन पर 'तारीख पर तारीख' का डायलॉग भी बोला हुआ है। जजों की कमी होने की वजह से इतने केसिज पैंडिंग पड़े रहते हैं और तारीख पर तारीख मिलती रहती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो लीगल सैल है वह लगातार जजों की कमी के कारण केसों की पैंडैंसी से जूझ रहा है। मेरा यह मानना है कि इस तरीके का जो सवाल है उसे विधान सभा की संबंधित समिति को रैफर करके उस पर आगामी कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य की गंभीरता उनके सवाल में खुद ही दिख रही है। माननीय सदस्य का सवाल यह था कि जजों की कितनी कमी है? उसके लिये सरकार क्या कर रही है? माननीय सदस्य ने जो सप्लीमैंट्री पूछी है वह इससे कहीं भी मेल नहीं खाती है क्योंकि उन्होंने बताया कि 5 करोड़ केस लंबित हैं और लगभग 4 करोड़ केस

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लंबित है और उनको सॉल्व करने में 324 साल लगेंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस संबंध में डिटेल्ड में एक पेज का जवाब सदन के पटल पर रखा है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में राज्य को हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा कार में न्यायपालिका में 68 अधिकारियों की आवश्यकता है, जिनमें से 39 पद पदोन्नति से भरे जाने हैं। हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के 129 रिक्त पदों में से 29 पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाने है। अध्यक्ष महोदय,मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि इनको यह भी पता होना चाहिये कि पहले State Public Service Commission Recruitment करती थी। अध्यक्ष महोदय, मलिक मज़हर सुल्तान का एक केस यू.पी. पब्लिक सर्विस कमीशन के विरूद्ध में हुआ था और उसके ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दे दिये कि पब्लिक सर्विस कमीशन का जो purview है उसको ओवर लुक करने का काम माननीय उच्च न्यायालय करेगा। अध्यक्ष महोदय, धीरे-धीरे माननीय उच्च न्यायालय का एक professionalism ऐसा रहा और अब यह हालत हो गई कि हरियाणा की तरफ से तीन अधिकारी एक यू.पी.एस.सी. चेयरपमैन, ए.जी. और एक सरकार का अधिकारी है और 6 जजिज बैठते हैं जो कहते हैं कि हम इस recruitment process को फॉलो करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके विरूद्ध में हरियाणा सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट लगाई हुई है। जिसकी हियरिंग भी होंगी क्योंकि यूनियन ऑफ इण्डिया को उसके अंदर नोटिस दिया गया है। यूनियन ऑफ इण्डिया के रिप्लाई पर माननीय उच्चतम न्यायालय जो डॉयरेक्शन देगा उसको मानेंगे। हमने तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो इस संबंध में पद रिक्त हैं उनको भरने का काम करना है। अध्यक्ष महोदय, सनी देयोल की फिल्म का एक डायलॉग 'तारीख पर तारीख' वाला इस सवाल से कोई संबंध नहीं रखता है।

श्री राकेश दौलताबाद: अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अपने प्रश्न को डिस्क्राइब किया था। मैंने अभी तक सप्लीमैंट्री तो पूछी ही नहीं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि प्रश्न का डिटेल्ड रिप्लाई दिया है लेकिन मेरे पहले प्वायंट का जवाब विभाग ने गंभीरतापूर्वक नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब माननीय उच्चतम

न्यायालय ने कहा कि स्पेशल कोर्ट विधायक और सांसद के केस 6 महीने के अंदर-अंदर निपटा दें लेकिन कोई भी केस 6 महीने में नहीं निपट रहा है। मैं इसका सॉल्यूशन यह चाहता हूं कि हमारी विधान सभा से माननीय उच्च न्यायालय को हमारे केसों को निपटाने के लिये एक रिक्वैस्ट जाये।

श्री अध्यक्ष: राकेश जी, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही कि विधान सभा माननीय उच्च न्यायालय को कैसे डॉयरेक्शन दे सकता है। हमारी विधान सभा इसके लिये कोई निर्णय नहीं ले सकती।

श्री राकेश दौलताबाद: अध्यक्ष महोदय, मैं निर्णय की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि स्टेट की तरफ से एक रिक्वैस्ट माननीय उच्च न्यायालय को जाये, उसकी बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: राकेश जी, वह सरकार की तरफ से चली जायेगी। आपका धन्यवाद, प्लीज अब आप बैठ जाइये।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग्ज को ना तो विधान सभा जो इलेक्टिव है और ना ही आई.ए.एस. ऑफिसर्ज जो एग्जीक्यूटिव है उसको आगे गति दे सकता है।

श्री अध्यक्ष: दुष्यंत जी, इस संबंध में कुछ भी नहीं हो सकता है।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यदि कोई पर्सन गलती करता है या गलत स्टेटमैंट आदि देता है तो उसके खिलाफ प्रिविलेज ऑफ मोशन तो आ सकता है, यह हमें संविधान में पॉवर भी है। इसके अलावा ज्यूडिशियल सिस्टम को आज के दिन यह कहना कि 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने में केस निपटाये, कैसे संभव हो सकता है। स्पेशल कोर्ट के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्ज डॉयरेक्शन आ चुकी है। जितने स्पेशल कोर्ट्स हैं चाहे वे सी.बी.आई. से संबंधित हों या चाहे वे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लंबित मामलों से संबंधित हों, मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा गति के अनुसार उन पर निर्णय लिये जा रहे हैं। हमने तो देश में पहली बार देखा है कि गुजरात के अंदर defamation case के अंदर दो साल

की सजा के साथ फैसला आया है। अध्यक्ष महोदय, यह स्पेशल कोर्ट होने के कारण ही संभव हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ कार्यवाही करने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष: दुष्यंत जी, यह विषय हमारी विधान सभा का नहीं है।

घोषणाओं की कुल संख्या

***49. श्री घनश्यामदास :** क्या मुख्यमंत्री जी कृपया बता सकेंगे:-

क) 15.05.2022 को यमुनानगर विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई कुल घोषणाओं की कुल संख्या:

ख) भाग 'क' में उल्लिखित घोषणाओं की संख्या जिन पर काम हो चूका है उनके साथ में उन घोषणाओं की संख्या भी जिन पर काम शुरू हो चुका है, और उन कामों का समय जिस समय तक उनका पूरा होने की संभावना है ।

ग) उन घोषणाओं की संख्या जिन पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ है, उन कामों की शुरुआत / पूरा होने का समय उनके साथ में, जिनका काम शुरू / पूरा होने का समय संभावित है, उसके साथ में विवरण भी ।

@मुख्यमत्रीं (श्री मनोहर लाल): सर, इस सम्बन्ध में, प्रस्तावित बिन्दुवार जानकारी निम्नलिखित है:-

क) 22 घोषणाएँ यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए 15 मई, 2022 को की गई थी।

ख) इन 22 घोषणाओं में से एक पर कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 11 घोषणाओं पर कार्य प्रगति में है। प्रत्येक घोषणा का सारांश ब्यौरा अनुबंध 'ए ' पर रखा है ।

ग) शेष 10 घोषणाओं पर कार्य विभिन्न स्तर पर कार्यान्वित है । प्रत्येक घोषणा का सारांश ब्यौरा अनुबंध 'ए' पर रखा है/

.

@ **उपरोक्त तारांकित प्रश्न का उत्तर ससंदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) द्वारा दिया गया।**

ANNEXURE-A

Detail of all 22 Announcements made on 15.05.2022 in Yamunanagar Constituency									
Sr. No.	**Anc. Code**	**Anc. Date**	**District**	**Announcement in Brief**	**Nodal Department**	**Dept Status**	**Likely date of start**	**Likely date of completion**	**Remarks**
1	26431	15-05-22	Yamuna Nagar	Special repair of road from Pansara Shahzadpur to Bibipur road.	PWD (B&R)	Commissioned			100% work Completed.
2	26426	15-05-22	Yamuna Nagar	Special repair of Jagadhri Workshop road 0.27 K.M. to 2.00 K.M.	PWD (B&R)	In Progress	20-08-23	19-02-24	PROGRESS (15% Work is Completed & rest is in progress).
3	26428	15-05-22	Yamuna Nagar	Special repair of road from Badi Majra to Tajakpur road.	PWD (B&R)	In Progress	22-08-23	21-02-24	PROGRESS (10% Work is Completed & rest is in progress).
4	26424	15-05-22	Yamuna Nagar	Renovation of PWD rest house in Yamunanagar constituency.	PWD (B&R)	Pending	01-06-24	31-12-25	Chief Architect Haryana, has been requested to provide Architectural Drawing. The Architect from Cheif Architect office visited the site on 28.06.2023 and Architectural drawings are under prep. The work will be taken up after Appproval of Architectural Drawings.
5	26425	15-05-22	Yamuna Nagar	Construction of Yamuna Nagar Khajuri Jathlana road upto Gumthala Rao.	PWD (B&R)	Pending	01-12-23	30-08-24	Rough Cost Estimate for Repair of this road with Cement Concrete Payment submited to Head Office Vide SE Chandigarh letter no. 97749 dated 21.06.2023 for seeking AA from Govt. work will be taken up after Approval.

6	26427	15-05-22	Yamuna Nagar	Special repair of road from Kait Kalanaur to Darwa road.	PWD (B&R)	Pending	01-10-23	31-12-23	The tender for repair of this road has been called on 25.08.2023 and will be received on 01.09.2023 The repair will be executed after allotment of Tender.
7	26432	15-05-22	Yamuna Nagar	Special repair of road from Amadalpur to Mali Majra road.	PWD (B&R)	Pending	01-11-23	30-04-24	The tender was submitted to Head office vide SE Chandigarh letter no. 84014 dated 29.05.2023 for allotemnt and the same has been rejected due to Higher Rates. Now retender have been invited, which will be received on 18.09.2023. The work will be executed after allotment of Tender.
8	26433	15-05-22	Yamuna Nagar	Special repair of road from Kaith Kalanaur road to Sugh road.	PWD (B&R)	Pending	01-11-23	30-04-24	The tender was submitted to Head office vide SE Chandigarh letter no. 84014 dated 29.05.2023 for allotemnt and the same has been rejected due to Higher Rates. Now retender have been invited, which will be received on 18.09.2023. The work will be executed after allotment of Tender.
9	26434	15-05-22	Yamuna Nagar	Special repair of road from Buria Khadri Deodhar road to Dayalgarh road.	PWD (B&R)	Pending	01-11-23	30-04-24	The tender was submitted to Head office vide SE Chandigarh letter no. 84014 dated 29.05.2023 for allotemnt and the same has been rejected due to Higher Rates. Now retender have been invited, which will be received on 18.09.2023. The work will be executed after allotment of Tender.
10	26435	15-05-22	Yamuna Nagar	Special repair of road from Kaith Kalanaur to Kaith road.	PWD (B&R)	Pending	01-11-23	30-04-24	The tender was submitted to Head office vide SE Chandigarh letter no. 84014 dated 29.05.2023 for allotemnt and the same has been rejected due to Higher Rates. Now retender have been invited, which will be received on 18.09.2023. The work will be executed after allotment of Tender.

11	26429	15-05-22	Yamuna Nagar	Special repair of road from Kaith Kalanaur to Odheri road.	PWD (B&R)	In Progress	28-08-23	27-02-24	Acceptance letter issued to the agency vide SE Chd. Letter No. 6843 dated 07.08.2023 and work will be started soon.
12	26430	15-05-22	Yamuna Nagar	Special repair of road from Kaith Kalanaur to Lapra road.	PWD (B&R)	In Progress	28-08-23	27-02-24	Acceptance letter issued to the agency vide SE Chd. Letter No. 6843 dated 07.08.2023 and work will be started soon.
13	26436	15-05-22	Yamuna Nagar	Special repair of road from Jagadhri Chhachhrauli to Chaneti road.	PWD (B&R)	In Progress	28-08-23	27-02-24	Acceptance letter issued to the agency vide SE Chd. Letter No. 6843 dated 05.07.2023 and work will be started soon.
14	26416	15-05-22	Yamuna Nagar	To provide 2 Nos. Grab machine to clear the blockage of manhole and 2 Nos. small sewer jetting machine to clear the sewer line in narrow streets	Public Health Engineering	In Progress	04-08-23	31-03-24	Work of providing two Grab Machines has been allotted to the agency on 04.08.2023 with a delivery period of six month. Further process of procuring two small Sewer Jetting Machines is under process through DGS&D, Haryana. DGS&D, Haryana has floated online tender on 01 .05.2023 for procurement of minimum 24 and Maximum 36 small sewer Jetting Machines for all departments in State of Haryana. Financial bids of this tender have been opened on 08.08.2023. Purchase order for supply of two Smaller Jetting Machines for Yamuna Nagar Town will be placed after finalization of said rate contact by High Powered Purchase Committee (HPPC) and issued by DGS&D Haryana. Likely date of completion of this CM Announcement is 31 .03.2024.
15	26362	15-05-22	Yamuna Nagar	Special Repair of link road from Village Buria to Sugh. (Road I.D.3045)	HSAMB	In Progress	01-09-23	31-05-24	Road ID-3045- Length of the road is 1.67 km. Administrative Approval granted for Rs. 20.47 Lacs on 25.04.2023. Technical sanction granted for Rs.20.85 Lacs on 23.05.2023. Tenders were opened on dated 20.07.2023 and approved on dated 22.08.2023. Now work will be allotted to contractor within 07 days. Time period of work is 9 months.

16	26363	15-05-22	Yamuna Nagar	Special Repair of link road from Village Tajakpur to Shamshan Ghat (Road I.D.3055)	HSAMB	In Progress	01-09-23	31-05-24	RoadID-3055 Length of the road is 0.69 km. Last special repair was carried out during 2014. Administrative Approval granted for Rs. 17.65 Lacs on 25.04.2023. Technical sanction granted for Rs.18.01 Lacs on 23.05.2023. Tenders opened on dated 27.07.2023 and approved on 22.08.2023. Now work will be allotted to contractor within 07 days. Time period of work is 9 months.
17	26364	15-05-22	Yamuna Nagar	Special Repair of link road from Village Panjupur to Bridge. (Road ID 3058)	HSAMB	In Progress	01-09-23	31-05-24	RoadID-3058 Length of the road is 1.02 km. Last special repair was carried out in the year 2014. Administrative Approval granted for Rs. 30.10 Lacs on 25.04.2023. Technical sanction granted for Rs.18.01 Lacs on 23.05.2023. Tenders opened on dated 27.07.2023 and approved on 22.08.2023. Now work will be allotted to contractor within 07 days. Time period of work is 9 months.
18	26365	15-05-22	Yamuna Nagar	Special Repair of link road from Village Panjupur to Khandwa. (Road ID 3059)	HSAMB	In Progress	01-09-23	31-05-24	RoadID-3059 Length of the road is 1.49 km. Last special repair was carried out in the year 2014. Administrative Approval granted for Rs. 39.10 Lacs on 25.04.2023. Technical sanction granted for Rs.18.01 Lacs on 23.05.2023. Tenders opened on dated 27.07.2023 and approved on 22.08.2023. Now work will be allotted to contractor within 07 days. Time period of work is 9 months.
19	23366	15-05-22	Yamuna Nagar	Special Repair of link road from Village Bhukhri to Buria road. (Road ID 3069)	HSAMB	In Progress	01-09-23	31-05-24	RoadID-3069 Length of the road is 1.70 km. Last special repair was carried out in the year 2016. Administrative Approval granted for Rs. 37.77 Lacs on 25.04.2023. Technical sanction granted for Rs.18.01 Lacs on 23.05.2023. Tenders opened on dated 27.07.2023 and approved on 22.08.2023. Now work will be

									allotted to contractor within 07 days. Time period of work is 9 months.
20	26404	15.05.2022	Yamunanagar	Construction of Chhath Puja Ghats on Jamuna ji. (Hamida, East Badhi Majra, West Badhi Marja, West Chhita Temple).	Irrigation & Water Resources	Pending	01-11-23	31-05-24	The Chhath Puja Ghat to be constructed under this announcement are on WJC (MLL) which is the major canal having discharge more than 17000 Cs. Therefore, being major structures, their Drawings are being got examined from the Design Wing of the department (CDO) for checking purpose. Accordingly, after completion of the departmental formalities, The Tenders will be called on 25/09/2023 work at Site will be started by 01/11/2023 will be completed upto 31/05/2024
21	26672	15.05.2022	Yamunanagar	Construction of Forests Research Institute in District Yamunanagar	Forests & Wild Life	Pending	01-01-24	01-01-26	The Panchayat of Village Kishanpur has given resolution for providing the Panchayat Land on lease to the Forests Department for development of Forests Research Institute. The DDPO will soon be sending the proposal of lease to Forests Department to the Director, Development & Panchayats Department for approval. After approval of lease, the Forests Department will be preparing the maps and cost estimates of the Project and the construction work will start soon thereafter.
22	26541	15.05.2022	Yamunanagar	Upgradation of GMS Farakhpur (300) Yamunanagar upto GSSS	Secondary Education	Pending	-		Matter of upgradation of the school by taking relaxation in norms from the Hon'ble C.M. is under process as the school has only 1.5 acres of land against the require 2 acres and the distance from the nearest Sr. Secy School is only 1.5 K.M. and lesser number of students i.e. 163 against the required number of 210 in 6th to 8th classes. Once the School is upgraded to Sr. Secondary Level, then efforts would be made to arrange land for the school as the Govt. Model Sanskrit Schools are affiliated to CBSE and minimum 2 acres of land is mandatory.

श्री घनश्याम दास: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि लगभग 15 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणाएं की थी और निश्चित रूप से जिन कार्यों की अत्यंत आवश्यकता होती है उनके ऊपर घोषणा करते हैं। लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग से तथा अन्य विभागों से 12 घोषणाएं थी। जो 25 करोड़ रूपये के कार्य लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग द्वारा करवाये जाने थे उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणाएं भी ले ली थी। दो कार्य लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग से संबंधित है तथा बाकी अन्य विभागों से संबंधित है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई प्रगति नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यमुनानगर जठलाना रोड की घोषणा की थी, उसके ऊपर बोर्ड प्लाई का उद्योग है और उस सड़क पर हर रोज वाहन उल्टते रहते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगा रहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जो इस प्रश्न का रिप्लाई दे रहे हैं वे उसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि विधान सभा का सत्र समाप्त होते ही मेरे साथ उस सड़क की विजिट कर ले तो उसके बाद वह सड़क बनाई जानी कितनी आवश्यक है, उन्हें इस बात का अनुमान लग जायेगा। मुझे माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बताएं कि खजुरी रोड पर कार्य कब तक शुरू होगा और कब तक वर्क कम्पलीट हो जायेगा और बाकी विभागों से संबंधित जो कार्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करने के लिये घोषणा की थी, उनको कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर की 5 सड़कें ऐसी हैं जिन पर हम फरवरी तक काम पूरा कर लेंगे। एक काम पब्लिक हैल्थ से संबंधित है उसे हम मार्च महीने तक पूरा कर देंगे। बाकी जो इनके 5 काम हैं उन्हें हम 31.05.2024 तक पूरा कर देंगे। जिस सड़क का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है उसकी पॉजीशन वाकई खराब है। उसको हम 31.06.2024 तक पूरा कर देंगे।

श्री घनश्याम दास : अध्यक्ष महोदय, 31.06.2024 का समय तो बहुत लम्बा है। मैं तो निवेदन करूंगा कि इसे 31 दिसम्बर, 2023 तक हर हाल में पूरा कर दिया जाए नहीं तो वहां पर दुर्घटनाओं का क्रम बना रहेगा और लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जिससे सरकार तथा

विभाग का अच्छा नाम या संदेश नहीं जाएगा। माननीय मंत्री जी इसका जरूर उत्तर दें कि यह सड़क कब तक पूरी हो जाएगी ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है। (शोर एवं व्यवधान)

12:00 बजे

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

तालाबों का जीर्णोद्धार

*50. **श्रीमती गीता भुक्कल:** क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगेः

(क) क्या झज्जर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में निम्नलिखित तालाबों के नवीनीकरण, सफाई तथा मरम्मत के कार्यो निष्पादन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैः-

1. गांव गोरिया में बाबा नथु नाथ तथा शिव मंदिर के पास वाला जोहड़;
2. गांव अकेड़ी मदनपुर में इंदिरा कॉलोनी के पास;
3. गांव मुंडेहाड़ा हरजी वाला जोहड़;
4. गांव तालाब बगला चैपाल से पास गुई जोहड़;
5. गांव धाना में डुमा वाला जोहड़;
6. गांव खेड़ी खुमार में गांव के बीच में तालाब रामेश्वर;
7. गांव छुछकवास मेन रोड पर खारियां जोहड़;
8. गांव भूरावास में प्राचीन तालाब;
9. गांव भदानी में सहरावत पाना का जोहड़;
10. गांव जौंधी में शिव मंदिर के पास वाला जोहड़; तथा

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कार्यो को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

मुख्यमत्रीं (श्री मनोहर लाल):

(क) जी हाँ, श्रीमान जी, झज्जर विधानसभा क्षेत्र के गांवों के ऊपर वार्णित सभी तालाब जीणोद्धार, सफाई व मुरम्मत हेतु कार्य योजना में लिए गए है।(अनुबंध -1 साथ सलंग्न है)

(ख) इन सभी तालाबों का कार्य नियोजन स्तर पर है, और मानसून सीजन उपरान्त इन तालाबों का जीर्णोद्धार, सफाई व मुरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर आरम्भ किया जाएगा। अनुमानित मानसून के बाद की स्थिति अनुसार इन कार्यो को लगभग 30 जून 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।

Annexure-I

Status of 10 Ponds in Question of Jhajjar Assembly Constituency								
Sr.No	**District**	**Block**	**Village**	**Pond Name**	**UID**	**Scheme**	**Executing Department**	**Status**
1	JHAJJAR	MATANHAIL	GORIYA(14-N)	Bhaiya Wala Pond (near Baba Nathunath & Shiv Mandir)	01HRJJRMTL0014GORI001	Phase-IV (2024-25)	PR-PW	Under Digital Survey
2	JHAJJAR	MATANHAIL	AKEHRIMADANPUR(200)	Banswala Pond (near Indra Colony)	01HRJJRMTL0200AKHE008	Phase-IV (2024-25)	PR-PW	Under Preliminary Estimate Stage
3	JHAJJAR	SALHAWAS	MUNDAHERA(198)	Harzi Wala Pond (Harjiwala)	01HRJJRSLW0198MUND001	Phase-IV (2024-25)	PR-PW	Under Digital Survey
4	HAJJAR	JHAJJAR	TALAO(112)	Gulhi Wala (Gui Johar Near Bagla Chaupal)	01HRJJRJJR0112TALA004	Phase-IV (2024-25)	PR-PW	Under Digital Survey
5	JHAJJAR	SALHAWAS	DHANA(162)	Duma Wala Pond	01HRJJRSLW0162DHAN004	Phase-IV (2024-25)	PR-PW	Under Digital Survey
6	JHAJJAR	JHAJJAR	KHERIKHUMAR(111)	Gyan Dass Wala (Rameshwar Pond)	01HRJJRJJR0111KHER003	Phase-III (SBM-G 2023-24)	PR-PW	Under Preliminary Estimate Stage
7	JHAJJAR	MATANHAIL	ISLAMGARH / Chhuchhakawas(117)	Khariya	01HRJJRMTL0117ISHL003	Phase-II (MP 2022-23)	IWRD-Construction	Under Preliminary Estimate Stage
8	JHAJJAR	SALHAWAS	BHURAWAS(194)	Mata Mandir (Ancient Pond)	01HRJJRSLW0194BHUR001	Phase-IV (2024-25)	PR-PW	Under Digital Survey
9	JHAJJAR	JHAJJAR	BHADANI(94)	Firni Wala (Saharawat Pond)	01HRJJRDDL0094BHAD003	Phase-IV (2024-25)	PR-PW	Under Digital Survey
10	JHAJJAR	JHAJJAR	JONDHI(107)	Baba Wala Pond (near Shiv Mandir)	01HRJJRJJR0107JOND001	Phase-III (SBM-G 2023-24)	PR-PW	Under Tender Stage
Note-All these above 10 ponds are under Planning Stage								

गंदे पानी की समस्या का समाधान करना

***51. श्री राम कुमार गौतम:** क्या जन स्वास्थय अभियंत्रिकी मंत्री कृप्या बताएंगे कि क्या नारनौंद विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव बास की सभी चारों पंचायतों में गंदे पानी की समस्या का समाधान करने के लिए गांव बास की भूमि अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग मंत्री (डा0 बनवारी लाल): हां, श्रीमान जी ; एक वक्तव्य सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

वक्तव्य

मल शुद्धिकरण संयंत्र के निर्माण हेतु ई भूमि पर 4.00 एकड़ भूमि खरीदी जा रही है। क्योंकि, तीन संभावित भूमि- विक्रेताओं द्वारा मांगी गई दरे कलेक्टर दर से बहुत अधिक है, इसलिए सचिवों की समिति ने 6 अगस्त, 2023 को सिफारिश की कि मामले को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय भूमि खरीद समिति पर निर्णय लेने के लिए भेजा जाए।

स्वीकृत कॉलोनियों की संख्या

*52. **श्री सत्यप्रकाश:** क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) नगर निगम, मानेसर तथा नगर परिषद, पटौदी मंडी में स्वीकृत कॉलोनियों की संख्या कितनी है;

(ख) स्वीकृत सम्पति विस्तारित लाल डोरा के संबंध में उपरोक्त नगर निगम तथा नगर परिषद में विलय किए गए गांवो की स्थिति क्या है; तथा

(ग) 20.12.2020 से 30.06.2023 तक नगर निगम, मानेसर तथा नगर परिषद, पटौदी मंडी में स्वीकृत नक्शों की संख्या कितनी है?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता): श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

क)नगर निगम, मानेसर, नगर परिषद पटौदी और पूर्ववर्ती नगर समिति हेली मंडी में स्वीकृत कॉलोनियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः

क्र0 सं0	**नगरपालिकाओं का नाम**	**विवरण**
1.	नगर निगम मानेसर	अधिसूचना दिनांक 25.07.2023 द्वारा तीन कालोनियों को नागरिक सुखसुविधाऐं तथा अपूर्ण अवसंरचना वाले क्षेत्र घोषित किये गये।
2.	नगर परिषद पटौदी मंडी	वर्ष 2004 में 8 कालोनियां को नियमित किया गया।1 कालोनी 19.02.2014 को नागरिक सुखसुविधाऐं तथा अपूर्ण अवसंरचना वाला क्षेत्र घोषित किया गया और 1 कालोनी को 28.09.2018 को नागरिक सुखसुविधाऐं तथा अपूर्ण अवसंरचना वाला क्षेत्र घोषित किया गया।
3.	नगर पालिका हेली मंडी	6 कालोनियों 15.04.2014 को नागरिक सुखसुविधाऐं तथा अपूर्ण अवसंरचना वाले क्षेत्र घोषित किया गया और 1 कालोनी को 28.09.2018 को नागरिक सुखसुविधाऐं तथा अपूर्ण अवसंरचना वाला क्षेत्र घोषित किया गया।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि नगरपालिका हेली मंडी को अधिसूचना दिनांक 11.07.2023 के माध्यम से नगर परिषद पटौदी मंडी में विलय कर दिया गया है।

ख) नगर पालिकाओं में विलय किये गये गांवों के लाल डोरा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को यथास्थान नियमित माना जाता है और नगर पालिकाओं में विलय किये गये गांवों के लाल डोरा के बाहर के निर्मित क्षेंत्रों को नागरिक सुखसुविधाऐं तथा अपूर्ण अवसंरचना वाला क्षेत्र घोषित करने के लिए लिया जा रहा है।

20.12.2020 से 30.06.2023 तक स्वीकृत भवन योजनाओं की स्वीकृति का विवरण निम्नलिखित है;

क्र0 सं0	नगरपालिकाओं का नाम	सीएलयू मामलों में भवन योजनाओं की स्वीकृति की संख्या	हरियाणा ऑनलाइन भवन योजना स्वीकृत प्रणाली के माध्यम/ हस्तचालित द्वारा स्वीकृत भवन योजनाओं की संख्या
1.	नगर निगम मानेसर	6	-
2.	नगर परिषद पटौदी मंडी	1	146
3.	नगर पालिका हेली मंडी (जो अब नगर परिषद पटौदी मंडी मे विलय हो गया है)	3	104

सड़क को पुनः निर्मित करना

*53. **श्री विनोद भयाना:-** क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि-

(क) क्या यह तथ्य है कि हांसी की मुख्य सड़क बुरी अवस्था में है जबकि शहर से दिल्ली एवं हिसार की ओर जाने वाली उक्त सड़क चार मार्गी के रूप में निर्मित हो चुकी है; तथा

(ख) क्या उपरोक्त सड़क को पुनः निर्मित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसके कब तक पुनःनिर्मित किए जाने की संभावना है?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):

(क) नहीं श्रीमान जी।

(ख) इस सड़क की कुल लंबाई 8.98 कि॰ मी॰ है, जिसमें से 5.18 कि॰ मी॰ (कि॰ मी॰ 0.0 से 2.70 और कि॰ मी॰ 6.50 से 8.98) की लंबाई में 4-लेन का कार्य प्रगति पर है। फिलहाल 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है। शेष 3.80 कि॰ मी॰ लंबाई (कि॰ मी॰ 2.70 से 6.50) पहले से ही 4-लेन है।

अनियमित कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना

***54. श्री सुरेन्द्र पंवार:** क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) सोनीपत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनियों की संख्या कितनी है तथा उक्त कॉलोनियां को कब तक नियमित किये जाने की संभावना है;

(ख) उक्त कॉलानियां को अनधिकृत घोषित किये जाने के आधार का ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) क्या उपरोक्त अनधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज लाइन तथा पीने के पानी की पाइपलाइन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता): श्री मान,

(क) सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में कुल 35 अनधिकृत कॉलोनियों की पहचान हरियाणा नगरपालिका अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विषेष उपबंध) अधिनियम 2016 संशोधित वर्ष 2021 के अतंर्गत की गई है। जिन में से प्रत्येक को प्राथमिकता के आधार पर आगामी तीन मास के अन्दर निर्दिष्ट मापदंडों की पूर्ति होने पर ''घोषित क्षेत्र'' के रूप में अधिसूचित कर दिया जायेगा।

(ख) हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की उल्लंघना कर विकसित हुई कॉलोनियों को अनधिकृत घोषित किया गया है।

(ग) हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं और अवसंरचना का प्रबन्धन (विषेष उपबंध) अधिनियम 2016, संशोधित वर्ष 2021 के तहत ''घोषित क्षेत्र'' होने के बाद, ये कॉलोनी नागरिक मूलभूत सुविधाओं के लिए पात्र होगी।

पुलिस हिरासत में हुई मौतों की संख्या

***55. श्री नीरज शर्मा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) राज्य में जनवरी, 2015 से 31 जुलाई, 2023 तक पुलिस हिरासत में मरने वाले व्यक्तियों का जिलेवार और व्यक्तिगत-**वार ब्यौरा क्या हैं, तथा**

(ख) उपरोक्त घटनाओं की जाँच करने वाले अधिकारियों के नाम **क्या हैं** तथा दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या **कार्रवाई** की गई है ?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): महोदय, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

वर्ष	जिला		पुलिस हिरासत में हुई मौत का विवरण	जांच/अनुसंधान अधिकारी	कार्रवाई
2015	1	गुरूग्राम	संपूर्णानंद ठाकुर पुत्र मोहन ठाकुर निवासी जगरपुर मालदा, पश्चिम बंगाल।	श्री गुरदयाल सिंह, एच.पी.एस, ए.सी.पी.	एक आपराधिक अभियोग संख्या 94 दिनांक 05.09.2015 धारा 304, 34 भा.द.स., थाना डी.एल.एफ फेज -1, गुरुग्राम के तहत दर्ज किया गया। मामले का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। दो प्राईवेट व्यक्तियों/अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है। न्यायिक जांच में आरोपी पुलिस कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया।
	2	रोहतक	अमित पुत्र ओम प्रकाश निवासी भालौठ, रोहतक	निरीक्षक संदीप सिंह, राज्य अपराध शाखा, रोहतक।	एक आपराधिक अभियोग संख्या 544 दिनांक 20.08.15 धारा 302, 34 भा.द.स., थाना सदर, रोहतक में दर्ज किया गया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
	3	भिवानी	श्री हरिओम पुत्र स्वर्गीय राम पाल जाति जाट निवासी निमरी (कैदी)	उप.नि. रामधारी, थाना सदर भिवानी	एक आपराधिक अभियोग संख्या 473 दिनांक 20.07.2015 धारा 302 भा.द.स., थाना सदर भिवानी में दर्ज किया गया। साक्ष्य के अभाव में मामले को अनट्रेस (अदमपता) किया गया।
2016	1	गुरूग्राम	विजय उर्फ सुदामा पुत्र राम चरण निवासी बेलझाटी थाना लेखा कटरा उड़िया यूपी (थाना सुशांत लोक में)	स.उप.नि. कंवर सिंह	विभागीय जांच की गई। कोई त्रुटि नहीं पाई गई।
	2	फरीदाबाद	मदन पुत्र स्वर्गीय गंगा राम निवासी ग्राम चापानेरी जिला। अजमेर (राजस्थान)	निरीक्षक योगेश कटारिया, थाना प्रबंधक सेक्टर 38 फरीदाबाद	एक आपराधिक अभियोग संख्या संख्या 134 दिनांक 13.04.2016 धारा 302/34 भा.द.स., थाना सेक्टर-31, फरीदाबाद के तहत दर्ज किया गया। मामले की जांच की जा रही है।
	3	फरीदाबाद	रवि उर्फ अर्जुन पुत्र कमल निवासी गांव सिरोही, थाना सेक्टर-55, फरीदाबाद।	उप.नि. अयूब खान, क्राइम ब्रांच एनआईटी, फरीदाबाद	न्यायिक जांच की गई। कोई त्रुटि नहीं पाई गई।
	4	सिरसा	पवन कुमार पुत्र भगवाना राम निवासी बाहिया	हिसार के डी.एस.पी. सिद्धार्थ ढांडा की अध्यक्षता में एस.आई.टी	एक आपराधिक अभियोग संख्या 370 दिनांक 14.10.2016 धारा 193, 196, 199, 200, 342, 34 भा.द.स., थाना रानिया के तहत दर्ज किया गया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
2017	1	पलवल	पवन उर्फ हरिया पुत्र देवेन्द्र जाति गुर्जर निवासी भैंसरावली, जिला फरीदाबाद	निरीक्षक करमवीर सिंह, तत्कालीन थाना प्रभारी, हसनपुर	एक आपराधिक अभियोग संख्या 285 दिनांक 05.12.2017 धारा 148, 149, 302, 120 बी, 216 भा.द.स. और शस्त्र अधिनियम, थाना हसनपुर, पलवल के तहत दर्ज किया गया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायिक जांच की गई। कोई त्रुटि नहीं पाई गई।
	2	दादरी	बलबीर पुत्र सागर मल निवासी दिघडिया थाना सूरजगढ़ जिला। झुंझुनू (राजस्थान)	पी.उप.नि. विकास ओहलान तत्कालीन थाना प्रबंधक सिटी दादरी	एक आपराधिक अभियोग संख्या 500 दिनांक 07.07.2017 धारा 302 भा.द.स., थाना सदर दादरी में दर्ज किया गया। जांच में मामला असत्य पाया गया, इसलिए रद्द कर दिया गया।
	3	दादरी	रमेश कुमार पुत्र कृष्ण कुमार निवासी छपार	निरीक्षक रघुबीर सिंह, तत्कालीन थाना प्रबंधक, सदर दादरी	एक आपराधिक अभियोग संख्या 500 दिनांक 07.07.2017 धारा 302 भा.द.स., थाना सदर दादरी में दर्ज किया गया। जांच में मामला असत्य पाया गया, इसलिए रद्द कर दिया गया।
2018	1	करनाल	जेबा राम उर्फ जलेबी पुत्र माम चंद जाति देहा निवासी मंगल कॉलोनी, देहा बस्ती, चंद सरिया, करनाल।	श्री शमशेर सिंह एच.पी.एस., डी.एस.पी. राज्य	एक आपराधिक अभियोग संख्या 527 दिनांक 11.05.18 थाना सिटी करनाल में धारा 302, 34 भा.द.स. और 3 एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। जांच में मामला असत्य पाया गया, इसलिए रद्द कर दिया गया।

				अपराध शाखा, मधुबन		
	2	पानीपत	राजेश पुत्र बख्शी राम निवासी विकास नगर पानीपत।	उप.नि. जगबीर सिंह सीआईए-द्वितीय, पानीपत	एक आपराधिक अभियोग संख्या 1317 दिनांक 17.12.18 धारा 365, 302, 34 भा.द.स., थाना चांदनी बाग, पानीपत में दर्ज किया गया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	
	3	कैथल	अमरजीत पुत्र ओम प्रकाश निवासी फ्रेंड कॉलोनी, कैथल	स.उप.नि. सुभाष, एस.एच.ओ. ढांड	एक आपराधिक अभियोग संख्या 37 दिनांक 24.03.2018 धारा 304ए, 223, 34 भा.द.स., थाना ढांड में दर्ज किया गया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	
	4	सिरसा	जगदेव सिंह सहारण निवासी कालूवाना	श्री विजय कुमार, डी.एस.पी. राज्य अपराध शाखा, हिसार	एक आपराधिक अभियोग संख्या 51 दिनांक 07.04.2018 धारा 304ए, 34 भा.द.स., थाना बड़ागुढ़ा, सिरसा में दर्ज किया गया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	
	5	पलवल	बलजीत पुत्र मंगल जाति बाल्मीकि निवासी पचानका वर्तमान निवासी असावटी थाना गदपुरी, पलवल	श्री मौजी राम, डीएसपी होडल की अध्यक्षता में एस.आई.टी. जिसमें थाना प्रबंधक, थाना सदर पलवल, प्रभारी पुलिस चौंकी, गदपुरी और प्रभारी साइबर सेल, पलवल शामिल हैं	आपराधिक अभियोग संख्या 704 दिनांक 12.09.2018, धारा 279, 304ए, 224 भा.द.स., थाना सदर पलवल और 706 दिनांक 12.06.2018, धारा 302 भा.द.स. और एससी/एसटी अधिनियम, थाना सदर पलवल के तहत दर्ज किया गया। जांच में मामला असत्य पाया गया, इसलिए रद्द कर दिया गया।	
	6	झज्जर	राजेश पुत्र रणधीर निवासी वार्ड नंबर 01, झज्जर	श्री विवेक कुंडू, डीएसपी, राज्य अपराध शाखा, गुरुग्राम	एक आपराधिक अभियोग संख्या 1252 दिनांक 28.11.2018 धारा 306 भा.द.स., थाना सिटी, झज्जर में दर्ज किया गया। जांच में मामला असत्य पाया गया, इसलिए रद्द कर दिया गया।	
2019	1	फरीदाबाद	संजय राय पुत्र अभिजीत राय निवासी मकान नंबर 481, सेक्टर-22, फ़रीदाबाद	स.उप.नि. योगेश कुमार, साइबर सेल सेक्टर-30, फरीदाबाद	पोस्टमार्टम कराया गया। न्यायिक जांच की गई। कोई त्रुटि नहीं पाई गई।	
	2	फरीदाबाद	संदीप पुत्र रमेश चंद निवासी गांव राजपुरा खादर, थाना चांदहट, जिला पलवल।	महिला स.उप.नि. सुमन, महिला पुलिस थाना, बल्लभगढ़, फरीदाबाद	एक आपराधिक अभियोग संख्या 175 दिनांक 25.03.2019 धारा 224, 309 भा.द.स., थाना सेंट्रल फरीदाबाद के तहत दर्ज किया गया। जांच में मामला असत्य पाया गया, इसलिए रद्द कर दिया गया।	
	3	पलवल	सुरेश उर्फ गुड्डु निवासी भुलवाना थाना होडल पलवल	श्री विवेक चौधरी, डीएसपी, होडल की अध्यक्षता में एस.आई.टी. गठित की गई जिसमें थाना प्रबंधक, थाना कैंप, थाना प्रबंधक, थाना गदपुरी, उप.नि. सुरेंद्र सिंह, थाना, होडल और स.उप.नि. राकेश कुमार, प्रभारी एवीटी स्टाफ हथीन शामिल हैं।	एक आपराधिक अभियोग संख्या 695 दिनांक 31.10.2019 धारा 307, 332, 353 भा.द.स. और 25 शस्त्र अधिनियम थाना पलवल के तहत दर्ज किया गया। साक्ष्य के अभाव में मामले को अनट्रेस (अदमपता) किया गया।	
2020	1	अंबाला	रिंकू पुत्र किशन लाल निवासी मकान नं. 3220 छोटा शिवालय कच्चा बाजार, अम्बाला कैंट	एमएस नीलम कुमारी, जेएमआईसी अंबाला	न्यायिक जांच की गई। कोई त्रुटि नहीं पाई गई।	

	2	कुरूक्षेत्र	विकास उर्फ कांशी पुत्र ईशम सिंह निवासी मुरादनगर थाना लाडवा।	पूजा सिंगला डी/ जे.एम.आई.सी. कुरूक्षेत्र	न्यायिक जांच की गई। कोई त्रुटि नहीं पाई गई।	
	3	हिसार	अमित पुत्र फूल सिंह निवासी गांव। मैयार, जिला. हिसार	श्री नारायण चंद, एच.पी.एस, तत्कालीन डीएसपी, हिसार-द्वितीय	एक आपराधिक अभियोग संख्या 226 दिनांक 10.08.2020 धारा 120 बी, 302, 34 भा.द.स. और 3 एससी/एसटी अधिनियम, थाना अग्रोहा, हिसार में दर्ज की गई। जांच में मामला असत्य पाया गया, इसलिए रद्द कर दिया गया।	
	4	झज्जर	बलजीत पुत्र रण सिंह निवासी सागवान (भिवानी)	उप.नि. राजेश कुमार 109/झज्जर	एक आपराधिक अभियोग संख्या 152 दिनांक 31.05.2020 धारा 223, 224, 279, 304-ए भा.द.स., थाना सदर झज्जर के तहत दर्ज किया गया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	
2021	1	पानीपत	सुशील पुत्र राजिंदर निवासी बबैल पानीपत।	उप.नि. सतीश 593/आर.आर. सीआईए-I पानीपत	एक आपराधिक अभियोग संख्या 97 दिनांक 01.04.21 धारा 307 और 302 भा.द.स. थाना सेक्टर 13-17, पानीपत के तहत दर्ज किया गया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।	
	2	पानीपत	अयूब पुत्र अब्दुल रहमान निवासी विद्यानंद कॉलोनी, पानीपत।	जांच एस.आई.टी. पानीपत द्वारा की गई।	एक आपराधिक अभियोग संख्या 436 दिनांक 08.06.2021 धारा 302, 34 भा.द.स., थाना किला पानीपत में दर्ज किया गया। आरोपी पुलिस अधिकारियों को अदालत ने बरी कर दिया।	
	3	फतेहाबाद	सुधीर पुत्र सुभाष पुत्र लाधू राम निवासी मल्हेर जिला। फतेहाबाद	सुश्री पूजा वशिष्ठ आई.पी.एस, ए.एस.पी, हिसार	एक आपराधिक अभियोग संख्या 437 दिनांक 05.09.21 धारा 342, 306, 34 भा.द.स. थाना शहर फतेहाबाद के तहत दर्ज किया गया। जांच में मामला असत्य पाया गया, इसलिए रद्द कर दिया गया।	
	4	झज्जर	दीपक पुत्र सुभाष निवासी नया गांव।	निरीक्षक परवीन कुमार, थाना प्रबंधक, थाना सेक्टर- 06 बहादुरगढ़, झज्जर	एक आपराधिक अभियोग संख्या 32 दिनांक 13.02.2021 धारा 302, 323, 342 भा.द.स., थाना सेक्टर- 06, बहादुरगढ़ में दर्ज किया गया। जांच में मामला असत्य पाया गया, इसलिए रद्द कर दिया गया।	
	5	भिवानी	राज कुमार पुत्र रोशन लाल निवासी गांव सिवाना (जिसके खिलाफ अभियोग संख्या संख्या 313 दिनांक 27.08.21 धारा 363/366/506 भा.द.स. पीएस बवानी खेड़ा के तहत मामला दर्ज किया गया था और उसने आत्महत्या कर ली थी)	श्री आत्मा राम, एच.पी.एस, डी.एस.पी, राज्य अपराध शाखा, रोहतक	एक आपराधिक अभियोग संख्या 324 दिनांक 05.09.21 धारा 302, 34 भा.द.स., 7, 13 पीसी एक्ट, 3 (2) (वी) एससी/एसटी एक्ट थाना बवानी खेड़ा के तहत दर्ज किया गया। मामले की जांच की जा रही है।	
2022	1	फरीदाबाद	महेंद्र पुत्र कालीचरण निवासी मकान नंबर 2148, सेक्टर-23ए, फ़रीदाबाद	उप.नि. कृष्ण गोपाल, चौंकी प्रभारी- संजय कॉलोनी, फरीदाबाद	एक आपराधिक अभियोग संख्या 687 दिनांक 10.11.22 धारा 302 भा.द.स. थाना मुजेसर, फरीदाबाद के तहत दर्ज किया गया। साक्ष्य के अभाव में मामले को अनट्रेस (अदमपता) किया गया।	
	2	करनाल	रमेश कुमार पुत्र सुक्खा सिंह निवासी वार्ड नंबर 2 असंध	श्री मुकेश कुमार, एच.पी.एस, डी.एस.पी, मुख्यालय, करनाल	एक आपराधिक अभियोग संख्या 850 दिनांक 14.09.2022 धारा 306, 34 भा.द.स., थाना असंध में दर्ज किया गया। जांच में मामला असत्य पाया गया, इसलिए रद्द कर दिया गया।	
2023 (31.07.23 तक)	1	फरीदाबाद	सैकुल खान पुत्र इस्लाम निवासी गांव टीकरी जिला अलवर (राजस्थान)	उप.नि. राजेश कुमार, थाना साइबर क्राइम	एक आपराधिक अभियोग संख्या 258 दिनांक 24.07.23 धारा 302, 34 भा.द.स., थाना ओल्ड फरीदाबाद के तहत दर्ज किया गया। मामले की जांच की जा रही है।	

				एन.आई.टी, फरीदाबाद		
	2	सिरसा	गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरा पुत्र सरोतम सिंह निवासी देसुमलकाना	उप.नि. राजेंद्र प्रसाद 145/सिरसा थाना कालांवाली।	एक आपराधिक अभियोग संख्या 255 दिनांक 30.07.2023 धारा 147, 148, 149, 302, 342, 365 भा.द.स., थाना कालांवाली के तहत दर्ज किया गया। मामले की जांच की जा रही है।	
	3	महेंद्रगढ़	पंचशीला डे पुत्री प्रणब डे निवासी जनाया जिला हुगली (पश्चिम बंगाल) वर्तमान पता 67-ए, चंदन विहार, नई दिल्ली।	निरीक्षक रविंदर कुमार	एक आपराधिक अभियोग संख्या 463 दिनांक 29.06.23 धारा 302, 34 भा.द.स. थाना सिटी नारनौल के तहत दर्ज किया गया। मामले की जांच की जा रही है।	

किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराना

***56. श्री शीशपाल सिंह केहरवाला:-** क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे किः-

(क) राज्य में बाढ़ के कारण कुल कितने एकड़ फसलें प्रभावित हुई;

(ख) सिरसा जिले में बाढ़ के कारण कुल कितने एकड़ फसलें प्रभावित हुई; तथा

(ग) क्या फसलों के नुकसान को वहन करने वाले किसानों को सरकार द्वारा मुआवजा दिए जाने की संभावना है तथा किस नियम के आधार पर मुआवजे की राशि निर्धारित की जाएगी तथा उसका ब्यौरा क्या है?

उपमुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):

(क) राज्य में हाल में आई बाढ़ के कारण दिनांक 25.08.2023 को ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों द्वारा किये गये दावों अनुसार क्षतिग्रस्त फसलों का कुल क्षेत्रफल 687586 एकड़ है।

(ख) सिरसा जिले में हाल में आई बाढ़ के कारण दिनांक 25.08.2023 को ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों द्वारा किये गये दावों अनुसार प्रभावित फसलों का कुल क्षेत्रफल 6574 एकड़ है।

(ग) हाँ, श्रीमान जी। राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों द्वारा दावे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक समर्पित पोर्टल यानी https://ekshatipurti.haryana.gov.in/ लॉन्च किया है। मुआवजे का वितरण राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के मानदंडों के अनुसार सत्यापन पूरा होने के बाद उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा। फसलों के नुकसान के लिए राज्य के मानदंड इस प्रकार हैं:-

<table>
<tr><td colspan="2">भारत सरकार के नार्मज</td><td colspan="2">हरियाणा राज्य के नार्मज</td></tr>
<tr><td colspan="2">सूखा, भूकम्प, बाढ़, आग, ओलावृष्टि, शीत लहर/पाला, भूस्खलन, बादल फटना, चक्रवात, सुनामी, हिमस्खलन और कीट हमले</td><td colspan="2">बाढ़/जलभराव, बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग, आग, भारी बारिश, ओलावृष्टि, कीट हमले तथा धूल भरी आंधी</td></tr>
<tr><td>खराबा</td><td>नार्मज</td><td>खराबा</td><td>नार्मज</td></tr>
<tr><td rowspan="6">जहां फसल खराबा 33 प्रतिशत या इससे अधिक हो</td><td rowspan="6">8500/- रूपये प्रति हैक्टेयर जो कि 3441/-रूपये प्रति एकड बीजा हुआ असिंचित क्षेत्र और 17000/-रूपये प्रति हैक्टेयर जो कि 6883/- रूपये प्रति एकड बीजा हुआ सिंचित क्षेत्र, न्यूनतम सहायता कम से कम 1000/- रूपये असिंचित क्षेत्र और 2000/- रूपये सिंचित क्षेत्र और बोए गए क्षेत्र तक सीमित</td><td>≥ 25 से < 33 तक</td><td>9000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहू, धान, कपास और गन्ना) 7000/-रूपये प्रति एकड़ (सरसों और अन्य फसलें)</td></tr>
<tr><td>≥ 33 से < 50 तक</td><td>9000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहू, धान, कपास और गन्ना) 7000/-रूपये प्रति एकड़ (सरसों और अन्य फसलें)</td></tr>
<tr><td>≥ 50 से < 75 तक</td><td>12000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहू, धान, कपास और गन्ना)
9000/-रूपये प्रति एकड़ (सरसों और अन्य फसलें)</td></tr>
<tr><td>≥ 75 से अधिक</td><td>15000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहू, धान, कपास और गन्ना)
12500/-रूपये प्रति एकड़
(सरसों और अन्य फसलें)</td></tr>
<tr><td colspan="2">सूखा, शीत लहर/पाला, भूकम्प, भूस्खलन, बादल फटना के केस में</td></tr>
<tr><td>खराबा</td><td>नार्मज</td></tr>
<tr><td>जहां फसल खराबा 33 प्रतिशत या इससे अधिक हो</td><td>7000/- रूपये प्रति एकड बीजा हुआ सिंचित क्षेत्र और 3500/- रूपये प्रति एकड असिंचित क्षेत्र</td></tr>
</table>

कचरा एकत्रित करने के लिए निविदाओं का ब्यौरा

***57. श्री प्रदीप चौधरी:** क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) कालका नगर परिषद में घर–घर से कूड़ा एकत्रित करने के लिए निविदाएं कब जारी की गई थी तथा इन निविदाओं के लिए कितने ठेकेदारों ने आवेदन किया था ;

(ख) उस ठेकेदार का नाम व पता क्या है जिसे उक्त निविदा आवंटित की गई है; तथा

(ग) क्या उपरोक्त निविदाएं नगर परिषद के चेयरमैन की स्वीकृति से जारी की गई थी?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता): श्रीमान जी,

(क) प्रारंभ में, नगर परिषद, कालका द्वारा घर–घर कूड़ा संग्रहण के लिए निविदा 05.03.2022 को जारी की गई थी, लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इसके बाद, नगर परिषद कालका ने दिनांक 21.10.2022 को पुनः निविदा जारी की गई थीं, जिसमे पांच ठेकेदारों ने भाग लिया।

(ख) निविदा मेसर्स श्री श्याम एसोसिएट्स, पंजीकृत दफ्तर–दुकान नं. 115, आपका बाजार, गुरूग्राम-122001 को आवंटित की गई थी।

(ग) दिनांक 19.02.2022 को सक्षम प्राधिकारी यानी सरकार से प्रशासनिकअनुमोदन प्राप्त करने के बाद निविदा आमंत्रित की गई थी। नगर परिषद, कालका का निर्वाचित निकाय 13.07.2022 को अस्तित्व में आया। इसके अलावा, 11.01.2023 को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री की अध्यक्षता में कार्य समिति द्वारा दर को मंजूरी दे दी गई थी, जिसमें अध्यक्ष नगर परिषद, कालका भी सदस्य थे तथा उपस्थित भी थे।

.....

ट्यूबवैल कनैक्शन जारी करना

***58. श्रीमती रेणु बाला:** क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि:-

(क) क्या यह तथ्य है कि वर्ष 2019 से 2021 तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा किसानों को डिमांड नोटिस जारी किया गया है जिसके परिणामस्वरूप किसानों द्वारा विभाग को 30-30 हजार रूपये

जमा करवाए गए हैं परन्तु किसानों को अब तक ट्यूबवैल के कनैक्शन जारी नहीं किये गए; तथा

(ख) यदि हां, तो उक्त ट्यूबवैल कनैक्शन कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

ऊर्जा मंत्री (श्री रणजीत सिंह):

(क) हाँ, श्रीमान जी। सरकार की स्वीकृति के अनुसार, यूएचबीवीएन ने 01.01.2019 से 31.12.2021 के दौरान ट्यूबवैल कनैक्शन के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को डिमांड नोटिस जारी करने के लिए फील्ड कार्यालयों को बिक्री परिपत्र संख्या यू-06/2023 दिनांक 25.05.2023 से दिशा-निर्देश जारी किए है। जारी किए गए 11119 डिमांड नोटिसों में से, 5634 आवेदकों ने 10.08.2023 तक 30,000/-रुपये की सहमति राशि जमा करवा दी है। 5634 आवेदकों में से जिन्होंने 30,000/- रुपये की सहमति राशि जमा करवा दी है 19 आवेदकों ने बुनियादी ढांचे की पूरी लागत जमा करवा दी है।

(ख) नए ट्यूबवैल कनैक्शन गांव-वार वरिष्ठता के आधार पर डिमांड नोटिस का जवाब देने वाले आवेदकों को जारी किए जाएंगे, जैसे ही वे बिजली के बुनियादी ढांचे की लागत जमा कर देंगे तथा अन्य नियम और शर्तों जैसे कि 3 स्टार रेटिड मोटर पंपसेट और सूक्ष्म सिंचाई/यूजीपीएल प्रणाली की स्थापना को पूरा करेंगे, यूएचबीवीएन जल्द ही इन ट्यूबवैल कनैक्शनों को देने के लिए एनआईटी जारी करने जा रहा है। सभी ट्यूबवैल कनैक्शन मार्च, 2024 तक दिए जाने संभावित है।

ओपन एयर जिम के निर्माण के संबंध में ब्यौरा

***59. श्री शमशेर सिंह गोगी :** क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि :–

(क) असंध विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2023 तक सरकार द्वारा कुल कितने ओपन एयर जिमों का निर्माण कार्य शुरू किया है तथा इनका खंड वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है ; तथा

(ग) क्या यह तथ्य है कि असंध विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के कुछ खंडों में सरकार द्वारा ओपन एयर जिम का निर्माण कार्य शुरू नहीं करवाया गया है; यदि हां,

तो उसके कारण क्या है तथा उपरोक्त जिमों का निर्माण कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेंद्र सिंह बबली) :

(क) श्रीमान् जी, अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2023 तक असंध विधानसभा क्षेत्र में किसी भी ओपन–एयर जिम के लिए कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। ओपन–एयर जिम की जगह, मौजूदा भवनों में इन्डोर जिम स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। असंध विधानसभा क्षेत्र में इन्डोर जिम की स्थापना हेतु अब तक छः ग्राम पंचायतों प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। यह कार्य निविदा प्रक्रियाधीन हैं।

(ख) निविदा आंवटन उपरान्त, मौजूदा भवनों की मुरम्मत/उन्नयन का सिविल कार्य छः माह के अंदर पूरा किया जाएगा। रेट कान्ट्रैक्ट को अन्तिम रूप देने उपरान्त उपकरण तथा फिटिंग की जाएगी।

(ग) उक्त (क) एवं (ख) के अनुसार।

.....

अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाबों का कार्य

***60.श्री सीता राम यादव :** क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:–

कनीना नगरपरिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 तालाबों का कार्य अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत कब तक शुरू किये जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डा॰ कमल गुप्ता): श्रीमान, वर्तमान में अमृत सरोवर योजना के अन्तर्गत नगर पालिका कनीना के किसी भी तालाब के जीर्णोद्धार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

स्टेडियम का कार्य पूरा करना

81. श्री दीपक मंगला : क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि सरकार द्वारा घुघेरा स्टेडियम का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है; यदि हां, तो उपरोक्त स्टेडियम का कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): श्रीमान् जी, घुघेरा स्टेडियम का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। यह कार्य दिनांक 30.11.2023 तक पूरा होने की संभावना है। खेल विभाग द्वारा दिनांक 06.11.2018 को राशि रूपये 7,18,65,607/- की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस कार्य की संविदा एजेंसी को रूपये राशि 6,78,55,794/- दिनांक 06.08.2019 को आवंटित किया गया था। समझौते के अनुसार काम पूरा होने की निर्धारति तारीख 29.09.2020 थी। लेकिन, निर्धारित समयावधि में काम पूरा नहीं हो सका, कार्य में देरी के कुछ कारण इस प्रकार हैः-

1. वास्तुशिल्प रेखाचित्रों में कुछ परिवर्तन किये गये थे। कार्यशील चित्र दिनांक 03.08.2021 को जारी किए गए थे। इसलिए, लगभग 24 महीने की देरी हुई।

2. फैक्टरी क्षेत्र एवं नहर किनारे के क्षेत्र सहित चारदीवारी की भूमि का विवाद लगभग 2 माह दिनांक 05/2021 से 06/2021 तक चला। अब, यह विवाद सुलझ गया है।

3. तालाब/गड्ढे होने के कारण साइट पर जलजमाव हो गया था। लगभग 18560 वर्गमीटर क्षेत्र पानी में डुबा हुआ था। पानी को हटाने और बाधा मुक्त स्थल उपलब्ध कराने में लगभग 2 महीने का समय 07/2021 से 08/2021 लग गया था।

वर्तमान में, कार्य की जगह बाधा मुक्त हो चुकी है और सभी मुद्दों का समाधान हो गया है।

---

66 के.वी. लाइन को हटाना

82. श्री दीपक मंगला: क्या बिजली मंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) क्या यह तथ्य है कि पलवल में नई एक्सटेंशन कॉलोनी क्षेत्र के ऊपर से 66 के.वी. हाईटेंशन लाइन गुजर रही है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या कोई सर्वे किया गया है तथा उपरोक्त लाइन को हटाने के लिए 3.65 करोड़ रुपये का अनुमान तैयार किया गया है तथा उक्त कार्य को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री रणजीत सिंह):

(क) हाँ श्रीमान, पलवल में नई एक्सटेंशन कॉलोनी के ऊपर से एक 66 के.वी. हाई टेंशन पलवल-चांदहट लाइन गुजर रही है।

(ख) हां, इस लाइन को शिफ्ट करने की संभाव्यता की जांच करने के लिए सर्वे किया गया है। रसूलपुर रोड़ के साथ टावर लोकेशन संख्या 1 से 8 तक 66 के.वी. भूमिगत बिजली केबल के माध्यम से इस लाइन के एक हिस्से को शिफ्ट करने की लागत 3.65 करोड़ रुपये आंकी गई है।

वर्तमान में, इस लाइन को हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि यह 66 के.वी. सब-स्टेशन, पलवल और 66 के.वी. सब-स्टेशन, चांदहट के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक है और 66 के.वी. सब-स्टेशन, पलवल के लिए सप्लाई के दूसरे स्रोत के रूप में कार्य करती है।

.....

प्लाटों के आवंटन का ब्यौरा

83. श्री भारत भूषण बतरा : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) रोहतक में सेक्टर 18, 18–ए, 21 तथा 21–ए में प्लॉटों के आवंटन का कार्य शुरू किया गया था तथा उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्हें जुलाई, 2023 तक प्लॉट आवंटित किए गए तथा उनके रेट तथा श्रेणी–वार ब्यौरा क्या है, तथा

(ख) रोहतक में पुराने औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान ग्राउंड पर जुलाई, 2023 तक कितने वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स आवंटित किये गए तथा उनका रेट क्या है तथा श्रेणीवार ब्यौरा क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान जी,

(क) यह प्रस्तुत किया जाता है कि सैक्टर–18, 18–ए (टॉसपोर्ट नगर), रोहतक में भूखण्डों के आवंटन का कार्य ई–नीलामी के माध्यम से 27.08.2021 से शुरू किया गया था1 18 न. भूखण्डों का आवंटन जुलाई, 2023 तक किया जा

चुका है1 बूथ स्थल की नीलामी की आरक्षित कीमत रू. 14,75,500/– से रू. 17,10,500/– तथा क्योसक स्थल की नीलामी की आरक्षित कीमत रू. 4,46,300/– से रू. 10,06,200/– रखी गई है1 सैक्टर–21 और 21–ए, रोहतक में किसी भी भूखण्ड का आवंटन नहीं किया गया है1

(ख) पुरानी आई.टी.आई. ग्राउंड, रोहतक में जुलाई, 2023 तक कुल 104 न. व्यावसायिक भूखण्डों का आवंटन ई–नीलामी के माध्यम से किया गया है1 इन भूखण्डों की आरक्षित कीमत रू. 72,57,200/– से रू. 2,23,64,070/– रखी गई है

.....

सामुदायिक केन्द्रों का ब्यौरा

84. श्री भारत भूषण बतराः क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि :–

(क) नगर निगम, रोहतक के अंतर्गत आने वाले सामुदायिक केंद्रों की संख्या कितनी है तथा इनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त सामुदायिक केंद्रों का निर्माण जनता की सुविधा के लिए किया गया था तथा संचालन के लिए सोसायटी/एन.जी.ओ. को सौंप दिया गया तथा सभी कार्यों के लिए दरें तय की गई थी; यदि हां तो, उक्त केंद्रों के लिए निर्धारित दरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सामुदायिक केंद्रों को पट्टे पर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त सामुदायिक केंद्रों को किस योजना के अंतर्गत पट्टे पर दिया गया है तथा इसकी शर्तें क्या है तथा इसका ब्यौरा क्या है;

(ड) सामुदायिक केन्द्रों को पट्टे पर देने का निर्णय सरकार द्वारा कब लिया गया तथा इसका ब्यौरा क्या है; तथा

(च) क्या उक्त केंद्रों को नाम–मात्र किराये पर आमजन को देने का सरकार का कोई प्रावधान है; यदि नहीं, तो इसका ब्यौरा क्या है?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डा0 कमल गुप्ता): श्रीमान् जी,

(क) नगर निगम, रोहतक के अंतर्गत 28 सामुदायिक केंद्र हैं (विवरण **अनुलग्नक–क** पर उपलब्ध है)।

(ख) हां, जनता की सुविधा के लिए सामुदायिक केंद्रों का निर्माण किया गया है। 28 सामुदायिक केंद्रों में से 4 का संचालन नगर निगम, रोहतक द्वारा किया जा रहा है, 7 सामुदायिक केंद्र निजी संस्थाओं को पट्टे पर दिए गए हैं, जबकि शेष 17 सामुदायिक केंद्र संबंधित सोसायटी/एन0जी0ओ0 द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। विभिन्न कार्यों के आयोजन के लिए लगाए गए शुल्कों का विवरण **अनुलग्नक–क** पर उपलब्ध तालिका में दिया गया है।

(ग) नगर निगम, रोहतक ने 7 सामुदायिक केंद्रों को पट्टे पर दिया है।

(घ) नगर निगम, रोहतक ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 164 के तहत सामुदायिक केंद्रों को पट्टे पर दिया है। शर्तें एवम् विवरण **अनुलग्नक– ख** पर उपलब्ध हैं।

(ड) सामुदायिक केंद्रों की वार्षिक मरम्मत व रखरखाव पर व्यय को पूरा करने के लिए सामुदायिक केंद्रों को पट्टे पर देने का निर्णय नगर निगम, रोहतक के सदन की 17.11.2022 को आयोजित बैठक में लिया गया था।

(च) हरियाणा नगर निगम अधिनियम–1994 की धारा 164 के अनुसार, नगर निगम किसी भी अचल संपत्ति को किसी भी कीमत पर किराये पर देने के लिए सक्षम है।

Annexure-A/अनुलग्नक–क

Sr. No	Name of Community Centre/ Dharamshala	Operated By	Rate fixed By	Rates Per Program (in Rs)	Kriya Program (Rates in Rs.)
1	Maturam Community Centre, Gandhi Nagar	Hotel Rivoli	Municipal Corporation, Rohtak	17980	1800
2	Model Town Community Centre	M/s Satkar Food & Cateres	Municipal Corporation, Rohtak	Marriage programme -11000 Only for day time -5100 Only for Lunch -5100 Only for Satsang -5100 For Meeting -5100	1100
3	Sector-21 Community Center	M/s Satkar Food & Cateres	Municipal Corporation, Rohtak	Ground floor Marriage Program -50000 Religious Program -5000 Government Program -5000 1st & 2nd Floor	First Floor -5100 Second Floor-5100

				Marriage Program -50000 Religious Program -5000 Government Program -2100	
4	Kanheli Road, Community Center	M/s Satkar Food & Cateres	Municipal Corporation, Rohtak	Marriage program-11000 Religious Program - 5000	1100
5	Sector-2 Community Center	Hotel Rivoli	Municipal Corporation, Rohtak	25000	5100
6	Sector-3, Community Center	M/s Satkar Food & Cateres	Municipal Corporation, Rohtak	3000	1100
7	Madan Lal Dhingra, Community Center	Hotel Rivoli	Municipal Corporation, Rohtak	Marriage Ground Floor- 25000 Marriage 1st Floor - 20000 Marriage Program Lawn - 10000 Religious Program - 5000 Government Program Ground Floor-2100 Government Program 1st Floor - 1100	5100

8	Gandhi Camp Main Sabji Mandi (double storey)	Municipal Corporation, Rohtak	Municipal Corporation, Rohtak	Marriage programe-2100 Religious Programe - 5000	1100
9	Sector- 1 community Center	Municipal Corporation, Rohtak	Municipal Corporation, Rohtak	3000	1100
10	Sector-14 community Center	Municipal Corporation, Rohtak	Municipal Corporation, Rohtak	3000	1100
11	Ladhot Road, Community Center	Municipal Corporation, Rohtak	Municipal Corporation, Rohtak	11000	1100
12	Community Center situated at Sastri Nagar, Rohtak	Social persons of ward -1	Social persons of ward -1	FREE OF COST	FREE OF COST
13	Community Center situated at Sora Kothi, Back Side of Jain Public School, Rohtak	Social persons of ward -5	Social persons of ward -5	FREE OF COST	FREE OF COST
14	Community Centre (Fairan Pana), Baliyana	Social persons of the village	Social persons of the village	FREE OF COST	FREE OF COST

15	Community Centre (Near Park Majra Pana)	Social persons of the village	Social persons of the village	FREE OF COST	FREE OF COST
16	Community Centre (Near Arya Samaj Mandir), Baliyana	Social persons of the village	Social persons of the village	FREE OF COST	FREE OF COST
17	Community CentreVillage Paharawar	Social persons of the village	Social persons of the village	FREE OF COST	FREE OF COST
18	Balmiki Community Centre	Social persons of ward -17	Social persons of ward -17	FREE OF COST	FREE OF COST
19	Saini Community Center situated at Near God School, Rohtak	Panchayat Mohalla Sainiwas Samitti	Panchayat Mohalla Sainiwas Samitti	5600	1600
20	Community Center situated at Gau Karn, Rohtak	Haryana Dalit and Pichra Varg Association	Haryana Dalit and Pichra Varg Association	11000	FREE OF COST
21	Prachin Ramlila Centre	Shri Ram Trust	Shri Ram Trust	7100 TO 15000	5100
22	Azadgarh Community Centre	Azadgarh Vikas Kalyan Samiti	Azadgarh Vikas Kalyan Samiti	14000	2100

23	Parashuram Community Centre	Bhagwan Parshu Ram Kalyan Sammiti	Bhagwan Parshu Ram Kalyan Sammiti	FREE OF COST	FREE OF COST
24	Community Centre Old Bus Stand	Rohtak City Welfare Socity	Rohtak City Welfare Socity	11000	2100
25	Sugar Mil Colony Community Centre, Sunaria Chowk	Samudayik Kendra Suraj Parkash	Samudayik Kendra Suraj Parkash	4100	FREE OF COST
26	Ambedkar Colony Community Centre	Chamar Sudhar Samitti	Chamar Sudhar Samitti	3100	FREE OF COST
27	Community Centre in Preet Vihar	Chattar Singh Charitable Trust	Chattar Singh Charitable Trust	FREE OF COST	FREE OF COST
28	Balmiki Hostal in Balmiki Basti, W.no.4, Rohtak.	Baba Sadanath Dera	Baba Sadanath Dera	FREE OF COST	FREE OF COST

88 Annexure(B) / अनुलग्नक-खं

नगर निगम, रोहतक

प्रेषक:

आयुक्त,
नगर निगम, रोहतक।

सेवा में,

Hotel Rivoli,
Delhi Road, Rohtak.

क्रमांकः MCR/LO/2023/746 दिनांकः 15/5/23

विषयः मातुराम सामुदायिक केन्द्र वर्क-ऑर्डर बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

नगर निगम रोहतक द्वारा दिनांक 12.05.2023 को (5+5) वर्षो के लिए रोहतक शहर में स्थित मातुराम सामुदायिक केन्द्र को लीज पर देने के लिए ऑनलाईन टैण्डर कॉल किए गए थे। जिसमें आपकी फर्म होटल रिवोली द्वारा मु0 359180/-रू0 जी.एस.टी. सहित टैण्डर का बिड भरा गया था, जिसके बाद आपकी फर्म होटल रिवोली द्वारा भरे गए टैण्डर को नगर निगम द्वारा दिनांक 12.05.2023 को स्वीकृत कर लिया गया है और नगर निगम द्वारा निम्न शर्तोनुसार दिनांक 01.06.2023 से उक्त सामुदायिक केन्द्र का किराया शुरू कर दिया जाएगा।

Term & Conditions

1. The Tenure of contract will be for five years and may be further Extended to Five years with mutual consent with work satisfactory. The Rent will be increased by 10% every year.
2. Rent Should be deposited by the agency in the office of Municipal Corporation, Rohtak. On Monthly basis by 7th day of each month. If not deposited by the stipulated date then interest @ 18% will be charged for the period of delay.
3. The agency/Firm will be required to execute the following renovation work/construction at their own cost in the area :-

(a) White Wash/paint of the building will be done by the agency in a good manner.
(b) Fixing/maintenance of all the electrical, refrigeration & Electronics devices items.
(c) Pest control in Kitchen & other area on fortnight basis.
(d) Repair/ Maintenance/Renovation of Air Conditioners, covered area like Halls, Lounges, Reception Counter, all rooms, Kitchen, Store, Toilets, Lawns and Open Terrace by providing required material & electronic fixtures.
(e) However any major defect in the structure any part of the building will be maintained and rectified by the Municipal Corporation, Rohtak at their own risk and cost. The expenditure of such maintains/rectification will be incurred by the Municipal Corporation, Rohtak itself.

4. The Agency will pay the Electricity, water & sewerage charges.
5. The agency will be responsible for providing for proper security and housekeeping services in complete area of the building and open space.
6. The agency will be responsible for maintenance of open park area i.e grass cutting, Borrowing, trimming of plants etc.

Website – www.mcrohtak.gov.in E-mail - commissionermcr@gmail.com Ph. No. - +91-1262-251515-16, Fax No. +91-1262-258675, Toll Free No. 18001805007

नगर निगम, रोहतक

89

7- The Agency will deposit the security of Rs. 10 lakh refundable at the time of hand over to Municipal Corporation, security should be deposited before start the work.

8- The booking of Community Centre, Rooms & other parts of the complex will be booked by the agency at the rates fixed to be fixed by the Municipal Corporation, Rohtak. annexure attached The Contract may be cancelled during the agreement period any time by adopting due legal procedures if the agency fails to deposit the rent amount within the stipulated period in that case security will be forfeited.

9- The agency will be responsible to deposit the contribution under EPF & ESI rules regularly for its employees and details of which to be share with Municipal Corporation Rohtak.

10- The agency will be responsible for maintain its gadgets and equipment's (with warranty or without warranty) etc. in good working conditions with all safety measures at its own cost and expenses regularly.

11- The day to day cleanliness and maintenance of the Community Centre/ Kitchen/lawn will be the exclusive responsibility for the agency up to the satisfaction of Municipal Corporation, Rohtak.

12- The Municipal Corporation, Rohtak shall not be liable/responsible for any incident/occurrence/injury damage caused to the person/deployed by the bidder for rendering services as per this agreement. However, the agency shall indemnify the Municipal Corporation, Rohtak for these purposes.

13- The agency will maintain a register for making the day to day entries regarding activities/functions carried out in building premises.

14- In case of any dispute between the parties the shame shall be referred to the sole arbitrator. The Commissioner, Municipal, Rohtak will be arbitrator and his decision shall be final and binding upon the concerned parties.

15- The earnest money of Rs. 10 lakh of the successful contractor will be converted in to security which will be refunded without interest satisfactory completion of the contract period.

16- The agency will give an affidavit, that the agency has not been declared black listed by the Haryana Govt. or any Govt. or Public Sector undertaking.

17- The agency will charge rate of structure as fixed by Municipal Corporation already. (annexure attached)

18- The agency cannot make any permanent construction in any part of the community center and building will be handed over to MCR in same condition as it was at the time of contract.

19- All the booking receipts should be prescribed with the rates decided by MCR and will be saved with MCR on daily basis and dairy/register for the same also will be maintained by the agency which can be checked by concerned officers of MCR at any time failing which panel action will be taken.

20- If the agency fail to fulfill any of the above condition for maintenance, the maintenance will be carried out by MCR at departmental level and the expenditure incurred in maintenance will be deducted from the security deposited by the agency and contract will be withdrawn with immediate effect.

21- The agency will obey the directions issued by Hon'ble NGT or any other govt. dept. time to time failing which the panel action/challan if any imposed by the concerned authority will be borne by the agency.

22- **Penalty** if any of these amenities found faulty.

नगर निगम, रोहतक

90

Sr No.	Amenities	Penalty Amount	Remarks
1	AC, Taps, Lights, Floor, Toilet etc.	Rs. 5000 (Up to 7 Days)	If Not Repaired In 7 Days it will be repaired by MCR and cost of repair will be charged from agency with additional penalty of Rs. 5000
2	Sanitation of community centers	Rs. 1500 for per day	If not repaired as per satisfaction level of Mc then the agency will liable to pay the cost of work carried out by MC with additional penalty of Rs. 1500
3	Lawn maintenance	Rs. 1000 per day plus Rs. 4 per sq. yards.	If not repaired as per satisfaction level of MC then the agency will liable to pay the cost of work carried out by MCR with additional penalty of Rs. 1000

23 Inspection

Sr. No.	Inspection Authority	Timing of inspection	Nature of inspection
1	Land Officer	Monthly or when ever required	To check booking register and amenities
2	Financial committee	Quarterly	To check booking register and amenities
3	Any Competent authority of Municipal Corporation	When ever required	To check booking register and amenities

आयुक्त,
नगर निगम, रोहतक।

o/c

For HOTEL RIVOLI

Partner

91

नगर निगम, रोहतक

प्रेषक:

आयुक्त,
नगर निगम, रोहतक।

सेवा में,

Satkar Food Caterers, (Prop.)
Sh. Surjeet
Shop No. 101, Sheela Bye Pass,
Near Railway crossing,
Bus Stand Road, Rohtak.
Mob. No. 9991127530

d/c

क्रमांक: MCR/LO/2023/~~1931~~23/1537 दिनांक: 21/7/23

विषय: माडल टाऊन सामुदायिक केन्द्र के वर्क-ऑर्डर बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

नगर निगम रोहतक द्वारा दिनांक 12.05.2023 को (5+5) वर्षो के लिए रोहतक शहर में स्थित माडल टाऊन सामुदायिक केन्द्र को लीज पर देने के लिए ऑनलाईन टैण्डर कॉल किए गए थे। जिसमें आपकी फर्म Satkar Food Caterers द्वारा मु0 60,000/-रू0 जी.एस.टी. सहित टैण्डर का बिड भरा गया था, जिसके बाद आपकी फर्म Satkar Food Caterers द्वारा भरे गए टैण्डर को नगर निगम द्वारा दिनांक 13.07.2023 को स्वीकृत कर लिया गया है और नगर निगम द्वारा निम्न शर्तोनुसार दिनांक 01.09.2023 से उक्त सामुदायिक केन्द्र का किराया शुरू कर दिया जाएगा।

Term & Conditions

1. The Tenure of contract will be for five years and may be further Extended to Five years with mutual consent with work satisfactory. The Rent will be increased by 10% every year.
2. Rent Should be deposited by the agency in the office of Municipal Corporation, Rohtak. On Monthly basis by 7th day of each month. If not deposited by the stipulated date then interest @ 18% will be charged for the period of delay.
3. The agency/Firm will be required to execute the following renovation work/construction at their own cost in the area :-

(a) White Wash/paint of the building will be done by the agency in a good manner.
(b) Fixing/maintenance of all the electrical, refrigeration & Electronics devices items.
(c) Pest control in Kitchen & other area on fortnight basis.
(d) Repair/ Maintenance/Renovation of Air Conditioners, covered area like Halls, Lounges Reception Counter, all rooms, Kitchen, Store, Toilets, Lawns and Open Terrace by providin required material & electronic fixtures.
(e) However any major defect in the structure any part of the building will be maintained ar rectified by the Municipal Corporation, Rohtak at their own risk and cost. The expenditu of such maintains/rectification will be incurred by the Municipal Corporation, Rohtak itse

4. The Agency will pay the Electricity, water & sewerage charges.

92

नगर निगम, रोहतक

5. The agency will be responsible for providing for proper security and housekeeping services in complete area of the building and open space.
6. The agency will be responsible for maintenance of open park area i.e grass cutting, Borrowing, trimming of plants etc.
7. The Agency will deposit the security of Rs. 05 lakh refundable at the time of hand over to Municipal Corporation, security should be deposited before start the work.
8. The booking of Community Centre, Rooms & other parts of the complex will be booked by the agency at the rates fixed to be fixed by the Municipal Corporation, Rohtak. annexure attached The Contract may be cancelled during the agreement period any time by adopting due legal procedures if the agency fails to deposit the rent amount within the stipulated period in that case security will be forfeited.
9. The agency will be responsible to deposit the contribution under EPF & ESI rules regularly for its employees and details of which to be share with Municipal Corporation Rohtak.
10. The agency will be responsible for maintain its gadgets and equipment's (with warranty or without warranty) etc. in good working conditions with all safety measures at its own cost and expenses regularly.
11. The day to day cleanliness and maintenance of the Community Centre/ Kitchen/lawn will be the exclusive responsibility for the agency up to the satisfaction of Municipal Corporation, Rohtak.
12. The Municipal Corporation, Rohtak shall not be liable/responsible for any incident/occurrence/injury damage caused to the person/deployed by the bidder for rendering services as per this agreement. However, the agency shall indemnify the Municipal Corporation, Rohtak for these purposes.
13. The agency will maintain a register for making the day to day entries regarding activities/functions carried out in building premises.
14. In case of any dispute between the parties the shame shall be referred to the sole arbitrator. The Commissioner, Municipal, Rohtak will be arbitrator and his decision shall be final and binding upon the concerned parties.
15. The earnest money of Rs. 05 lakh of the successful contractor will be converted in to security which will be refunded without interest satisfactory completion of the contract period.
16. The agency will give an affidavit, that the agency has not been declared black listed by the Haryana Govt. or any Govt. or Public Sector undertaking.
17. The agency will charge rate of structure as fixed by Municipal Corporation already. (annexure attached)
18. The agency cannot make any permanent construction in any part of the community center and building will be handed over to MCR in same condition as it was at the time of contract.
19. All the booking receipts should be prescribed with the rates decided by MCR and will be saved with MCR on daily basis and dairy/register for the same also will be maintained by the agency which can be checked by concerned officers of MCR at any time failing which panel action will be taken.
20. If the agency fail to fulfill any of the above condition for maintenance, the maintenance will be carried out by MCR at departmental level and the expenditure incurred in maintenance will be deducted from the security deposited by the agency and contract will be withdrawn with immediate effect.
21. The agency will obey the directions issued by Hon'ble NGT or any other govt. dept. time to time failing which the panel action/challan if any imposed by the concerned authority will be

93

नगर निगम, रोहतक

22. **Penalty** if any of these amenities found faulty.

Sr No.	Amenities	Penalty Amount	Remarks
1	AC, Taps, Lights, Floor, Toilet etc.	Rs. 5000 (Up to 7 Days)	If Not Repaired In 7 Days it will be repaired by MCR and cost of repair will be charged from agency with additional penalty of Rs. 5000
2	Sanitation of community centers	Rs. 1500 for per day	If not repaired as per satisfaction level of Mc then the agency will liable to pay the cost of work carried out by MC with additional penalty of Rs. 1500
3	Lawn maintenance	Rs. 1000 per day plus Rs. 4 per sq. yards.	If not repaired as per satisfaction level of MC then the agency will liable to pay the cost of work carried out by MCR with additional penalty of Rs. 1000

23 Inspection

Sr. No.	Inspection Authority	Timing of inspection	Nature of inspection
1	Land Officer	Monthly or when ever required	To check booking register and amenities
2	Financial committee	Quarterly	To check booking register and amenities
3	Any Competent authority of Municipal Corporation	When ever required	To check booking register and amenities

आयुक्त,
नगर निगम, रोहतक।

94

नगर निगम, रोहतक

प्रेषक:

आयुक्त,
नगर निगम, रोहतक।

सेवा में,

Satkar Food Caters, (Prop.)
Sh. Surjeet
Shop No. 104, Sheela Bye Pass,
Near Railway crossing,
Bus Stand Road, Rohtak.
Mob. No. 9991127530

क्रमांक: MCR/LO/2023/14331 दिनांक: 21/7/23

विषय: सैक्टर-21 सामुदायिक केन्द्र वर्क-ऑर्डर बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

नगर निगम रोहतक द्वारा दिनांक 12.05.2023 को (5+5) वर्षो के लिए रोहतक शहर में स्थित सैक्टर-21 सामुदायिक केन्द्र को लीज पर देने के लिए ऑनलाईन टैण्डर कॉल किए गए थे। जिसमें आपकी फर्म Satkar Food Caterers द्वारा मु0 90,000/-रू0 जी.एस.टी. सहित टैण्डर का बिड भरा गया था, जिसके बाद आपकी फर्म Satkar Food Caterers द्वारा भरे गए टैण्डर को नगर निगम द्वारा दिनांक 13.07.2023 को स्वीकृत कर लिया गया है और नगर निगम द्वारा निम्न शर्तोनुसार दिनांक 01.09.2023 से उक्त सामुदायिक केन्द्र का किराया शुरू कर दिया जाएगा।

Term & Conditions

1. The Tenure of contract will be for five years and may be further Extended to Five years with mutual consent with work satisfactory. The Rent will be increased by 10% every year.
2. Rent Should be deposited by the agency in the office of Municipal Corporation, Rohtak. On Monthly basis by 7th day of each month. If not deposited by the stipulated date then interest @ 18% will be charged for the period of delay.
3. The agency/firm will be required to execute the following renovation work/construction at their own cost in the area :-

(k) White Wash/paint of the building will be done by the agency in a good manner.
(l) Fixing/maintenance of all the electrical, refrigeration & Electronics devices items.
(m) Pest control in Kitchen & other area on fortnight basis.
(n) Repair/ Maintenance/Renovation of Air Conditioners, covered area like Halls, Lounges, Reception Counter, all rooms, Kitchen, Store, Toilets, Lawns and Open Terrace by providing required material & electronic fixtures.
(o) However any major defact in the structure any part of the building will be maintained and rectified by the Municipal Corporation, Rohtak at their own risk and cost. The expenditure of such maintains/rectification will be incurred by the Municipal Corporation, Rohtak itself.

4. The Agency will pay the Electricity, water & sewerage charges.

95

नगर निगम, रोहतक

5. The agency will be responsible for providing for proper security and housekeeping services in complete area of the building and open space.
6. The agency will be responsible for maintenance of open park area i.e grass cutting, Borrowing, trimming of plants etc.
7. The Agency will deposit the security of Rs. 05 lakh refundable at the time of hand over to Municipal Corporation, security should be deposited before start the work.
8. The booking of Community Centre, Rooms & other parts of the complex will be booked by the agency at the rates fixed to be fixed by the Municipal Corporation, Rohtak. annexure attached The Contract may be cancelled during the agreement period any time by adopting due legal procedures if the agency fails to deposit the rent amount within the stipulated period in that case security will be forfeited.
9. The agency will be responsible to deposit the contribution under EPF & ESI rules regularly for its employees and details of which to be share with Municipal Corporation Rohtak.
10. The agency will be responsible for maintain its gadgets and equipment's (with warranty or without warranty) etc. in good working conditions with all safety measures at its own cost and expenses regularly.
11. The day to day cleanliness and maintenance of the Community Centre/ Kitchen/lawn will be the exclusive responsibility for the agency up to the satisfaction of Municipal Corporation, Rohtak.
12. The Municipal Corporation, Rohtak shall not be liable/responsible for any incident/occurrence/injury damage caused to the person/deployed by the bidder for rendering services as per this agreement. However, the agency shall indemnify the Municipal Corporation, Rohtak for these purposes.
13. The agency will maintain a register for making the day to day entries regarding activities/functions carried out in building premises.
14. In case of any dispute between the parties the shame shall be referred to the sole arbitrator. The Commissioner, Municipal, Rohtak will be arbitrator and his decision shall be final and binding upon the concerned parties.
15. The earnest money of Rs. 05 lakh of the successful contractor will be converted in to security which will be refunded without interest satisfactory completion of the contract period.
16. The agency will give an affidavit, that the agency has not been declared black listed by the Haryana Govt. or any Govt. or Public Sector undertaking.
17. The agency will charge rate of structure as fixed by Municipal Corporation already. (annexure attached)
18. The agency cannot make any permanent construction in any part of the community center and building will be handed over to MCR in same condition as it was at the time of contract.
19. All the booking receipts should be prescribed with the rates decided by MCR and will be saved with MCR on daily basis and dairy/register for the same also will be maintained by the agency which can be checked by concerned officers of MCR at any time failing which panel action will be taken.
20. If the agency fail to fulfill any of the above condition for maintenance, the maintenance will be carried out by MCR at departmental level and the expenditure incurred in maintenance will be deducted from the security deposited by the agency and contract will be withdrawn with immediate effect.
21. The agency will obey the directions issued by Hon'ble NGT or any other govt. dept. time to time failing which the panel action/challan if any imposed by the concerned authority will be borne by the agency.

Govt

96

नगर निगम, रोहतक

Sr No.	Amenities	Penalty Amount	Remarks
1	AC, Taps, Lights, Floor, Toilet etc.	Rs. 5000 (Up to 7 Days)	If Not Repaired In 7 Days it will be repaired by MCR and cost of repair will be charged from agency with additional penalty of Rs. 5000
2	Sanitation of community centers	Rs. 1500 for per day	If not repaired as per satisfaction level of Mc then the agency will liable to pay the cost of work carried out by MC with additional penalty of Rs. 1500
3	Lawn maintenance	Rs. 1000 per day plus Rs. 4 per sq. yards.	If not repaired as per satisfaction level of MC then the agency will liable to pay the cost of work carried out by MCR with additional penalty of Rs. 1000

23 Inspection

Sr. No.	Inspection Authority	Timing of inspection	Nature of inspection
1	Land Officer	Monthly or when ever required	To check booking register and amenities
2	Financial committee	Quarterly	To check booking register and amenities
3	Any Competent authority of Municipal Corporation	When ever required	To check booking register and amenities

आयुक्त,
नगर निगम, रोहतक।

97

नगर निगम, रोहतक

प्रेषक:

आयुक्त,
नगर निगम, रोहतक।

सेवा में,

Satkar Food Caterers. (Prop.)
Sh. Sarjeet,
Shop No. 101, Sheela Bye Pass,
Near Railway crossing,
Bus Stand Road, Rohtak.
Mob. No. 9991127530

क्रमांक: MCR/LO/2023/1439 दिनांक: 20/7/23

विषय: कन्हेली रोड सामुदायिक केन्द्र के वर्क-ऑर्डर बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

नगर निगम रोहतक द्वारा दिनांक 12.05.2023 को (5+5) वर्षो के लिए रोहतक शहर में स्थित कन्हेली रोड सामुदायिक केन्द्र को लीज पर देने के लिए ऑनलाईन टैण्डर कॉल किए गए थे। जिसमें आपकी फर्म Satkar Food Caterers द्वारा मु0 95,000/-रू0 जी.एस.टी. सहित टैण्डर का बिड भरा गया था, जिसके बाद आपकी फर्म Satkar Food Caterers द्वारा भरे गए टैण्डर को नगर निगम द्वारा दिनांक 13.07.2023 को स्वीकृत कर लिया गया है और नगर निगम द्वारा निम्न शर्तोनुसार दिनांक 01.09.2023 से उक्त सामुदायिक केन्द्र का किराया शुरू कर दिया जाएगा।

Term & Conditions

1. The Tenure of contract will be for five years and may be further Extended to Five years with mutual consent with work satisfactory. The Rent will be increased by 10% every year.
2. Rent Should be deposited by the agency in the office of Municipal Corporation, Rohtak. On Monthly basis by 7th day of each month. If not deposited by the stipulated date then interest @ 18% will be charged for the period of delay.
3. The agency/Firm will be required to execute the following renovation work/construction at their own cost in the area :-

(f) White Wash/paint of the building will be done by the agency in a good manner.
(g) Fixing/maintenance of all the electrical, refrigeration & Electronics devices items.
(h) Pest control in Kitchen & other area on fortnight basis.
(i) Repair/ Maintenance/Renovation of Air Conditioners, covered area like Halls, Lounges, Reception Counter, all rooms, Kitchen, Store, Toilets, Lawns and Open Terrace by providing required material & electronic fixtures.
(j) However any major defect in the structure any part of the building will be maintained and rectified by the Municipal Corporation, Rohtak at their own risk and cost. The expenditure of such maintains/rectification will be incurred by the Municipal Corporation, Rohtak itself.

4. The Agency will pay the Electricity, water & sewerage charges.

98

नगर निगम, रोहतक

5. The agency will be responsible for providing for proper security and housekeeping services in complete area of the building and open space.
6. The agency will be responsible for maintenance of open park area i.e grass cutting, Borrowing, trimming of plants etc.
7. The Agency will deposit the security of Rs. 05 lakh refundable at the time of hand over to Municipal Corporation, security should be deposited before start the work.
8. The booking of Community Centre, Rooms & other parts of the complex will be booked by the agency at the rates fixed to be fixed by the Municipal Corporation, Rohtak. annexure attached The Contract may be cancelled during the agreement period any time by adopting due legal procedures if the agency fails to deposit the rent amount within the stipulated period in that case security will be forfeited.
9. The agency will be responsible to deposit the contribution under EPF & ESI rules regularly for its employees and details of which to be share with Municipal Corporation Rohtak.
10. The agency will be responsible for maintain its gadgets and equipment's (with warranty or without warranty) etc. in good working conditions with all safety measures at its own cost and expenses regularly.
11. The day to day cleanliness and maintenance of the Community Centre/ Kitchen/lawn will be the exclusive responsibility for the agency up to the satisfaction of Municipal Corporation, Rohtak.
12. The Municipal Corporation, Rohtak shall not be liable/responsible for any incident/occurrence/injury damage caused to the person/deployed by the bidder for rendering services as per this agreement. However, the agency shall indemnify the Municipal Corporation, Rohtak for these purposes.
13. The agency will maintain a register for making the day to day entries regarding activities/functions carried out in building premises.
14. In case of any dispute between the parties the shame shall be referred to the sole arbitrator. The Commissioner, Municipal, Rohtak will be arbitrator and his decision shall be final and binding upon the concerned parties.
15. The earnest money of Rs. 05 lakh of the successful contractor will be converted in to security which will be refunded without interest satisfactory completion of the contract period.
16. The agency will give an affidavit, that the agency has not been declared black listed by the Haryana Govt. or any Govt. or Public Sector undertaking.
17. The agency will charge rate of structure as fixed by Municipal Corporation already. (annexure attached)
18. The agency cannot make any permanent construction in any part of the community center and building will be handed over to MCR in same condition as it was at the time of contract.
19. All the booking receipts should be prescribed with the rates decided by MCR and will be saved with MCR on daily basis and Dairy/register for the same also will be maintained by the agency which can be checked by concerned officers of MCR at any time failing which panel action will be taken.
20. If the agency fail to fulfill any of the above condition for maintenance, the maintenance will be carried out by MCR at departmental level and the expenditure incurred in maintenance will be deducted from the security deposited by the agency and contract will be withdrawn with immediate effect.
21. The agency will obey the directions issued by Hon'ble NGT or any other govt. dept. time to time failing which the panel action/challan if any imposed by the concerned authority will be borne by the agency.

99

नगर निगम, रोहतक

Sr No.	Amenities	Penalty Amount	Remarks
1	AC, Taps, Lights, Floor, Toilet etc.	Rs. 5000 (Up to 7 Days)	If Not Repaired In 7 Days it will be repaired by MCR and cost of repair will be charged from agency with additional penalty of Rs. 5000
2	Sanitation of community centers	Rs. 1500 for per day	If not repaired as per satisfaction level of Mc then the agency will liable to pay the cost of work carried out by MC with additional penalty of Rs. 1500
3	Lawn maintenance	Rs. 1000 per day plus Rs. 4 per sq. yards.	If not repaired as per satisfaction level of MC then the agency will liable to pay the cost of work carried out by MCR with additional penalty of Rs. 1000

23 Inspection

Sr. No.	Inspection Authority	Timing of inspection	Nature of inspection
1	Land Officer	Monthly or when ever required	To check booking register and amenities
2	Financial committee	Quarterly	To check booking register and amenities
3	Any Competent authority of Municipal Corporation	When ever required	To check booking register and amenities

आयुक्त,
नगर निगम, रोहतक।

100

नगर निगम, रोहतक

प्रेषकः

आयुक्त,
नगर निगम, रोहतक।

सेवा में,

Hotel Rivoli,
Delhi Road, Rohtak.

क्रमांकः MCR/LO/2023/747 दिनांकः 15/5/2023

विषयः सैक्टर-2 सामुदायिक केन्द्र वर्क-ऑर्डर बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

नगर निगम रोहतक द्वारा दिनांक 12.05.2023 को (5+5) वर्षो के लिए रोहतक शहर में स्थित सैक्टर-2 सामुदायिक केन्द्र को लीज पर देने के लिए ऑनलाईन टैण्डर कॉल किए गए थे। जिसमें आपकी फर्म होटल रिवोली द्वारा मु0 119180/-रू0 जी.एस.टी. सहित टैण्डर का बिड भरा गया था, जिसके बाद आपकी फर्म होटल रिवोली द्वारा भरे गए टैण्डर को नगर निगम द्वारा दिनांक 12.05.2023 को स्वीकृत कर लिया गया है और नगर निगम द्वारा निम्न शर्तोनुसार दिनांक 01.06.2023 से उक्त सामुदायिक केन्द्र का किराया शुरू कर दिया जाएगा।

Term & Conditions

1. The Tenure of contract will be for five years and may be further Extended to Five years with mutual consent with work satisfactory. The Rent will be increased by 10% every year.
2. Rent Should be deposited by the agency in the office of Municipal Corporation, Rohtak. On Monthly basis by 7th day of each month. If not deposited by the stipulated date then interest @ 18% will be charged for the period of delay.
3. The agency/Firm will be required to execute the following renovation work/construction at their own cost in the area :-

(a) White Wash/paint of the building will be done by the agency in a good manner.
(b) Fixing/maintenance of all the electrical, refrigeration & Electronics devices items.
(c) Pest control in Kitchen & other area on fortnight basis.
(d) Repair/ Maintenance/Renovation of Air Conditioners, covered area like Halls, Lounges, Reception Counter, all rooms, Kitchen, Store, Toilets, Lawns and Open Terrace by providing required material & electronic fixtures.
(e) However any major defect in the structure any part of the building will be maintained and rectified by the Municipal Corporation, Rohtak at their own risk and cost. The expenditure of such maintains/rectification will be incurred by the Municipal Corporation, Rohtak itself.

4. The Agency will pay the Electricity, water & sewerage charges.
5. The agency will be responsible for providing for proper security and housekeeping services in complete area of the building and open space.
6. The agency will be responsible for maintenance of open park area i.e grass cutting, Borrowing, trimming of plants etc.

नगर निगम, रोहतक

101

7. The Agency will deposit the security of Rs. 05 lakh refundable at the time of hand over to Municipal Corporation, security should be deposited before start the work.
8. The booking of Community Centre, Rooms & other parts of the complex will be booked by the agency at the rates fixed to be fixed by the Municipal Corporation, Rohtak. annexure attached The Contract may be cancelled during the agreement period any time by adopting due legal procedures if the agency fails to deposit the rent amount within the stipulated period in that case security will be forfeited.
9. The agency will be responsible to deposit the contribution under EPF & ESI rules regularly for its employees and details of which to be share with Municipal Corporation Rohtak.
10. The agency will be responsible for maintain its gadgets and equipment's (with warranty or without warranty) etc. in good working conditions with all safety measures at its own cost and expenses regularly.
11. The day to day cleanliness and maintenance of the Community Centre/ Kitchen/lawn will be the exclusive responsibility for the agency up to the satisfaction of Municipal Corporation, Rohtak.
12. The Municipal Corporation, Rohtak shall not be liable/responsible for any incident/occurrence/injury damage caused to the person/deployed by the bidder for rendering services as per this agreement. However, the agency shall indemnify the Municipal Corporation, Rohtak for these purposes.
13. The agency will maintain a register for making the day to day entries regarding activities/functions carried out in building premises.
14. In case of any dispute between the parties the shame shall be referred to the sole arbitrator. The Commissioner, Municipal, Rohtak will be arbitrator and his decision shall be final and binding upon the concerned parties.
15. The earnest money of Rs. 05 lakh of the successful contractor will be converted in to security which will be refunded without interest satisfactory completion of the contract period.
16. The agency will give an affidavit, that the agency has not been declared black listed by the Haryana Govt. or any Govt. or Public Sector undertaking.
17. The agency will charge rate of structure as fixed by Municipal Corporation already. (annexure attached)
18. The agency cannot make any permanent construction in any part of the community center and building will be handed over to MCR in same condition as it was at the time of contract.
19. All the booking receipts should be prescribed with the rates decided by MCR and will be saved with MCR on daily basis and dairy/register for the same also will be maintained by the agency which can be checked by concerned officers of MCR at any time failing which panel action will be taken.
20. If the agency fail to fulfill any of the above condition for maintenance, the maintenance will be carried out by MCR at departmental level and the expenditure incurred in maintenance will be deducted from the security deposited by the agency and contract will be withdrawn with immediate effect.
21. The agency will obey the directions issued by Hon'ble NGT or any other govt. dept. time to time failing which the panel action/challan if any imposed by the concerned authority will be borne by the agency.
22. **Penalty** if any of these amenities found faulty.

नगर निगम, रोहतक

102

Sr No.	Amenities	Penalty Amount	Remarks
1	AC, Taps, Lights, Floor, Toilet etc.	Rs. 5000 (Up to 7 Days)	If Not Repaired In 7 Days it will be repaired by MCR and cost of repair will be charged from agency with additional penalty of Rs. 5000
2	Sanitation of community centers	Rs. 1500 for per day	If not repaired as per satisfaction level of Mc then the agency will liable to pay the cost of work carried out by MC with additional penalty of Rs. 1500
3	Lawn maintenance	Rs. 1000 per day plus Rs. 4 per sq. yards.	If not repaired as per satisfaction level of MC then the agency will liable to pay the cost of work carried out by MCR with additional penalty of Rs. 1000

23 Inspection

Sr. No.	Inspection Authority	Timing of inspection	Nature of inspection
1	Land Officer	Monthly or when ever required	To check booking register and amenities
2	Financial committee	Quarterly	To check booking register and amenities
3	Any Competent authority of Municipal Corporation	When ever required	To check booking register and amenities

आयुक्त,
नगर निगम, रोहतक।

o/c

For HOTEL RIVOLI

Partner

नगर निगम, रोहतक

103

प्रेषक:

आयुक्त,
नगर निगम, रोहतक।

सेवा में,

Satkar Food Caterers, (Prop.)
Sh. Surjeet
Shop No. 101, Sheela Bye Pass,
Near Railway crossing,
Bus Stand Road, Rohtak.
Mob. No. 9991127530

क्रमांकः MCR/LO/2023 | 1436 दिनांकः 28/7/23

विषयः सैक्टर-3 सामुदायिक केन्द्र वर्क-ऑर्डर बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

नगर निगम रोहतक द्वारा दिनांक 12.05.2023 को (5+5) वर्षो के लिए रोहतक शहर में स्थित सैक्टर-3 सामुदायिक केन्द्र को लीज पर देने के लिए ऑनलाईन टैण्डर कॉल किए गए थे। जिसमें आपकी फर्म Satkar Food Caterers द्वारा मु0 1,18,000/-रू0 जी.एस.टी. सहित टैण्डर का बिड भरा गया था, जिसके बाद आपकी फर्म Satkar Food Caterers द्वारा भरे गए टैण्डर को नगर निगम द्वारा दिनांक 13.07.2023 को स्वीकृत कर लिया गया है और नगर निगम द्वारा निम्न शर्तोनुसार दिनांक 01.09.2023 से उक्त सामुदायिक केन्द्र का किराया शुरू कर दिया जाएगा।

Term & Conditions

1. The Tenure of contract will be for five years and may be further Extended to Five years with mutual consent with work satisfactory. The Rent will be increased by 10% every year.
2. Rent Should be deposited by the agency in the office of Municipal Corporation, Rohtak. On Monthly basis by 7th day of each month. If not deposited by the stipulated date then interest @ 18% will be charged for the period of delay.
3. The agency/Firm will be required to execute the following renovation work/construction at their own cost in the area :-

(p) White Wash/paint of the building will be done by the agency in a good manner.
(q) Fixing/maintenance of all the electrical, refrigeration & Electronics devices items.
(r) Pest control in Kitchen & other area on fortnight basis.
(s) Repair/ Maintenance/Renovation of Air Conditioners, covered area like Halls, Lounges, Reception Counter, all rooms, Kitchen, Store, Toilets, Lawns and Open Terrace by providing required material & electronic fixtures.
(t) However any major defect in the structure any part of the building will be maintained and rectified by the Municipal Corporation, Rohtak at their own risk and cost. The expenditure of such maintains/rectification will be incurred by the Municipal Corporation, Rohtak itself

4. The Agency will pay the Electricity, water & sewerage charges.

नगर निगम, रोहतक

104

5. The agency will be responsible for providing for proper security and housekeeping services in complete area of the building and open space.
6. The agency will be responsible for maintenance of open park area i.e grass cutting, Borrowing, trimming of plants etc.
7. The Agency will deposit the security of Rs. 05 lakh refundable at the time of hand over to Municipal Corporation, security should be deposited before start the work.
8. The booking of Community Centre, Rooms & other parts of the complex will be booked by the agency at the rates fixed to be fixed by the Municipal Corporation, Rohtak. annexure attached The Contract may be cancelled during the agreement period any time by adopting due legal procedures if the agency fails to deposit the rent amount within the stipulated period in that case security will be forfeited.
9. The agency will be responsible to deposit the contribution under EPF & ESI rules regularly for its employees and details of which to be share with Municipal Corporation Rohtak.
10. The agency will be responsible for maintain its gadgets and equipment's (with warranty or without warranty) etc. in good working conditions with all safety measures at its own cost and expenses regularly.
11. The day to day cleanliness and maintenance of the Community Centre/ Kitchen/lawn will be the exclusive responsibility for the agency up to the satisfaction of Municipal Corporation, Rohtak.
12. The Municipal Corporation, Rohtak shall not be liable/responsible for any incident/occurrence/injury damage caused to the person/deployed by the bidder for rendering services as per this agreement. However, the agency shall indemnify the Municipal Corporation, Rohtak for these purposes.
13. The agency will maintain a register for making the day to day entries regarding activities/functions carried out in building premises.
14. In case of any dispute between the parties the shame shall be referred to the sole arbitrator. The Commissioner, Municipal, Rohtak will be arbitrator and his decision shall be final and binding upon the concerned parties.
15. The earnest money of Rs. 05 lakh of the successful contractor will be converted in to security which will be refunded without interest satisfactory completion of the contract period.
16. The agency will give an affidavit, that the agency has not been declared black listed by the Haryana Govt. or any Govt. or Public Sector undertaking.
17. The agency will charge rate of structure as fixed by Municipal Corporation already. (annexure attached)
18. The agency cannot make any permanent construction in any part of the community center and building will be handed over to MCR in same condition as it was at the time of contract.
19. All the booking receipts should be prescribed with the rates decided by MCR and will be saved with MCR on daily basis and dairy/register for the same also will be maintained by the agency which can be checked by concerned officers of MCR at any time failing which panel action wil be taken.
20. If the agency fail to fulfill any of the above condition for maintenance, the maintenance will b carried out by MCR at departmental level and the expenditure incurred in maintenance will b deducted from the security deposited by the agency and contract will be withdrawn wi immediate effect.
21. The agency will obey the directions issued by Hon'ble NGT or any other govt. dept. time time failing which the panel action/challan if any imposed by the concerned authority will borne by the agency.

105

नगर निगम, रोहतक

22. **Penalty** if any of these amenities found faulty.

Sr No.	Amenities	Penalty Amount	Remarks
1	AC, Taps, Lights, Floor, Toilet etc.	Rs. 5000 (Up to 7 Days)	If Not Repaired In 7 Days it will be repaired by MCR and cost of repair will be charged from agency with additional penalty of Rs. 5000
2	Sanitation of community centers	Rs. 1500 for per day	If not repaired as per satisfaction level of Mc then the agency will liable to pay the cost of work carried out by MC with additional penalty of Rs. 1500
3	Lawn maintenance	Rs. 1000 per day plus Rs. 4 per sq. yards.	If not repaired as per satisfaction level of MC then the agency will liable to pay the cost of work carried out by MCR with additional penalty of Rs. 1000

23 Inspection

Sr. No.	Inspection Authority	Timing of inspection	Nature of inspection
1	Land Officer	Monthly or when ever required	To check booking register and amenities
2	Financial committee	Quarterly	To check booking register and amenities
3	Any Competent authority of Municipal Corporation	When ever required	To check booking register and amenities

आयुक्त,
नगर निगम, रोहतक।

106

नगर निगम, रोहतक

प्रेषक:

आयुक्त,
नगर निगम, रोहतक।

सेवा में,

Hotel Rivoli,
Delhi Road, Rohtak.

क्रमांक: MCR/LO/2023/566 दिनांक: 29/3/23

विषय: शहीद मदन लाल धींगड़ा सामुदायिक केन्द्र वर्क-ऑर्डर बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

नगर निगम रोहतक द्वारा दिनांक 18.02.2023 को (5+5) वर्षो के लिए रोहतक शहर में स्थित शहीद मदन लाल धींगड़ा सामुदायिक केन्द्र को लीज पर देने के लिए ऑनलाईन टैण्डर कॉल किए गए थे। जिसमें आपकी फर्म होटल रिवोली द्वारा मु0 8,51,000/-रू0 जी.एस.टी. सहित टैण्डर का बिड भरा गया था, जिसके बाद आपकी फर्म होटल रिवोली द्वारा भरे गए टैण्डर को नगर निगम द्वारा दिनांक 09.03.2023 को स्वीकृत कर लिया गया है और नगर निगम द्वारा निम्न शर्तोनुसार दिनांक 01.06.2023 से उक्त सामुदायिक केन्द्र का किराया शुरू कर दिया जाएगा।

Term & Conditions

1. The Tenure of contract will be for five years and may be further Extended to Five years with mutual consent with work satisfactory. The Rent will be increased by 10% every year.
2. Rent Should be deposited by the agency in the office of Municipal Corporation, Rohtak. On Monthly basis by 7th day of each month. If not deposited by the stipulated date then interest @ 18% will be charged for the period of delay.
3. The agency/Firm will be required to execute the following renovation work/construction at their own cost in the area :-

(a) White Wash/paint of the building will be done by the agency in a good manner.
(b) Fixing/maintenance of all the electrical, refrigeration & Electronics devices items.
(c) Pest control in Kitchen & other area on fortnight basis.
(d) Repair/ Maintenance/Renovation of Air Conditioners, covered area like Halls, Lounges, Reception Counter, all rooms, Kitchen, Store, Toilets, Lawns and Open Terrace by providing required material & electronic fixtures.
(e) However any major defect in the structure any part of the building will be maintained and rectified by the Municipal Corporation, Rohtak at their own risk and cost. The expenditure of such maintains/rectification will be incurred by the Municipal Corporation, Rohtak itself.

4. The Successful Bidder will pay the Electricity, water & sewerage charges.
5. The agency will be responsible for providing for proper security and housekeeping services in complete area of the building and open space.

107

नगर निगम, रोहतक

6. The agency will be responsible for maintenance of open park area i.e grass cutting, Borrowing, trimming of plants etc.
7. The Successful bidder will deposit the security of Rs. 10 lakh refundable at the time of hand over to Municipal Corporation, security should be deposited before start the work.
8. The booking of Community Centre, Rooms & other parts of the complex will be booked by the agency at the rates fixed to be fixed by the Municipal Corporation, Rohtak. annexure attached The Contract may be cancelled during the agreement period any time by adopting due legal procedures if the agency fails to deposit the rent amount within the stipulated period in that case security will be forfeited.
9. The agency will be responsible to deposit the contribution under EPF & ESI rules regularly for its employees and details of which to be share with Municipal Corporation Rohtak.
10. The agency will be responsible for maintain its gadgets and equipment's (with warranty or without warranty) etc. in good working conditions with all safety measures at its own cost and expenses regularly.
11. The day to day cleanliness and maintenance of the Community Centre/ Kitchen/lawn will be the exclusive responsibility for the agency up to the satisfaction of Municipal Corporation, Rohtak.
12. The Municipal Corporation, Rohtak shall not be liable/responsible for any incident/occurrence/injury damage caused to the person/deployed by the bidder for rendering services as per this agreement. However, the agency shall indemnify the Municipal Corporation, Rohtak for these purposes.
13. The agency will maintain a register for making the day to day entries regarding activities/functions carried out in building premises.
14. In case of any dispute between the parties the shame shall be referred to the sole arbitrator. The Commissioner, Municipal, Rohtak will be arbitrator and his decision shall be final and binding upon the concerned parties.
15. The earnest money of Rs. 10 lakh of the successful contractor will be converted in to security which will be refunded without interest satisfactory completion of the contract period.
16. The agency will give an affidavit, that the agency has not been declared black listed by the Haryana Govt. or any Govt. or Public Sector undertaking.
17. The agency will charge rate of structure as fixed by Municipal Corporation already. (annexure attached)
18. The agency cannot make any permanent construction in any part of the community center and building will be handed over to MCR in same condition as it was at the time of contract.
19. All the booking receipts should be prescribed with the rates decided by MCR and will be saved with MCR on daily basis and dairy/register for the same also will be maintained by the agency which can be checked by concerned officers of MCR at any time failing which panel action will be taken.
20. If the agency fail to fulfill any of the above condition for maintenance, the maintenance will be carried out by MCR at departmental level and the expenditure incurred in maintenance will be deducted from the security deposited by the agency and contract will be withdrawn with immediate effect.
21. The agency will obey the directions issued by Hon'ble NGT or any other govt. dept. time to time failing which the panel action/challan if any imposed by the concerned authority will be borne by the agency.
22. **Penalty** if any of these amenities found faulty.

108

नगर निगम, रोहतक

Sr No.	Amenities	Penalty Amount	Remarks
1	AC, Taps, Lights, Floor, Toilet etc.	Rs. 5000 (Up to 7 Days)	If Not Repaired In 7 Days It will be repaired by MCR and cost of repair will be charged from agency with additional penalty of Rs. 5000
2	Sanitation of community centers	Rs. 1500 for per day	If not repaired as per satisfaction level of Mc then the agency will liable to pay the cost of work carried out by MC with additional penalty of Rs. 1500
3	Lawn maintenance	Rs. 1000 per day plus Rs. 4 per sq. yards.	If not repaired as per satisfaction level of MC then the agency will liable to pay the cost of work carried out by MCR with additional penalty of Rs. 1000

24 Inspection

Sr. No.	Inspection Authority	Timing of inspection	Nature of inspection
1	Land Officer	Monthly or when ever required	To check booking register and amenities
2	Financial committee	Quarterly	To check booking register and amenities
3	Any Competent authority of Municipal Corporation	When ever required	To check booking register and amenities

O/C

आयुक्त,
नगर निगम, रोहतक।

For HOTEL RIVOLI

Partner

Recieved on 28/05/2023
at 4:55 PM

.....

जनता दरबार लगाना

85. श्री प्रदीप चौधरी : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या विपक्ष के सदस्य अपने–अपने निर्वाचनक्षेत्रों में जनता की शिकायतों के समाधान के लिए जनता दरबार आयोजित कर सकते हैं; यदि हां, तो क्या ऐसे दरबारों में उपस्थित ना होने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का का कोई प्रावधान है ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं श्रीमान् । क्रमांक 5/1/93–IPol, दिनांक 25.08.2023 द्वारा जारी सरकार के हिदायतों की प्रति अनुबंध 'ए' पर संलग्न है ।

Annexure 'A'

No. 5/1/93-1Pol
HARYANA GOVERNMENT
POLITICAL AND PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT
CHIEF SECRETARY'S OFFICE

Dated Chandigarh, the 25th August 2023

To

All the Administrative Secretaries to Government of Haryana.
All the Heads of Departments,
All the Divisional Commissioners in Haryana.
The Registrar, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.
All the Deputy Commissioners in Haryana
All the MDs of Boards, Corporations, Public Undertakings of the State
All the Registrars of the Universities of the State
All the Sub Divisional Officers (Civil) in Haryana

Subject:- Clarification regarding holding of meetings by the MLAs at District Level (or with District Level Officers).

***

Sir/Madam,

In the instructions bearing No. 10/8/96-1 Pol dated 29 March 2006, it was provided that DC, SP and all Heads of Offices of the District concerned would receive the Chief Minister at Rest House whenever he pays his first visit to the District. On subsequent visit only the DC and the SP of the District concerned would receive him alongwith such of Heads of Offices as are specially required with respect to the purpose of visit. These instructions, inter-alia, provide that DC, SP and Heads of Offices posted in the District will receive and call on the Ministers/Ministers of State/Deputy Ministers at the Rest House on their first visit to the District Headquarters. On subsequent visit of the Ministers/Ministers of State/Deputy Ministers only the District Heads/Sub Divisional Heads of the Departments under the control of Ministers/Ministers of State/Deputy Ministers, etc., would receive the Minister. The officers of other Departments shall be present only if specially asked for by the visiting Minister concerned.

Furthermore, instructions were issued that in case of visit of a Cabinet Minister, the Sub Divisional Magistrate or Deputy Superintendent of Police will not be required to accompany the Minister. Only the officers of the department under the control of the Minister should accompany him as required by the Minister.

Apart from the above, the District Grievances Redressal Committees have been setup in every District to be Chaired by a Minister. Besides, as per Government instructions bearing No. 5/45/2004-1DG dated 15 June, 2004 the "Open Darbar'" for redressal of Public Grievances will be held once in a month on a fixed day at each Sub Division Headquarter under the Chairmanship of DC concerned. In these Darbars the MLA whose constituencies fall in the Sub Division concerned will also be invited. As such, the "Open Darbars" for redressal of Public Grievances are Chaired by the DC concerned.

The issue of Chairing of "Open Darbar" or meeting with District Level Officers by an MLA has been considered again and it is clarified that no MLA can call a meeting of officers or chair "Open Darbar". However, an MLA may visit a particular Government officer/office for discussion on an issue concerning the Public, under reasonable intimation, so that all the due courtesies and protocol is extended to him.

Yours faithfully,

Ashok Kumar
Dy. Superintendent, Political
for the Chief Secretary to Government, Haryana

CC:

1. All MPs of the State.
2. All MLAs of the State.
3. The Secretary, Haryana Vidhan Sabha for communicating the above instructions to all concerned

धूल भरी आंधी की समस्या को हल करना

86. श्री प्रदीप चौधरीः क्या पर्यावरण वन, एवं वन्य जीव मंत्री कृप्या बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में टांगरी पूल से त्रिलोकपुर चौक तक के क्षेत्र में लोगों को निरंतर धूल भरी आंधियो के अप्रदूषण में रहना पडता है; यदि हॉ तो धूल भरी आंधी का कारण क्या है तथा इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गऐ या उठाऐ जाने की संभावना है कि इस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री (श्री कंवर पाल): परिवेशी वायु गुणवत्ता के नमूने तीन स्थानों अर्थात्

(1) रायपुर रानी में त्रिलोकपुर चौक; (2) मैसर्ज, माता बाला सुन्दरी स्क्रीनिंग प्लांट, रायपुर रानी; (3) रायपुर रानी में त्रिलोकपुर चौक से 300 मीटर दूर से प्रश्नगत क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए दिनांक 21.08.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकूला क्षेत्र द्वारा एकत्रित किए गए थे। त्रिलोकपुर चौक की विश्लेषण रिपोर्ट 656 दिनांक 22.08.2023 के अनुसार पैरामीटर विविक्त पदार्थ (PM_{10}) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड़ द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुण मानकों की निर्धारित सीमा से अधिक हैं। क्रमशः मैसर्ज माता बाला सुन्दरी स्क्रीनिंग प्लांट तथा रायपुर रानी में त्रिलोकपुर चौक से 300 मीटर दूर की विश्लेषण रिपोर्ट नम्बर 657 तथा 658 दिनांक 22.08.2023 के अनुसार निर्धारित सीमा में हैं।

रिकॉर्ड के अनुसार टांगरी पुल से त्रिलोकपुर चौक के क्षेत्र में 37 स्क्रीनिंग प्लांट स्थापित किए गए है, जिसमें से 2 स्क्रीनिंग प्लांट हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड़ द्वारा बंद तथा सील्ड (मोहरबंद) हैं तथा 2 स्क्रीनिंग प्लांट स्वयं से बन्द पड़े है। इस समय, 33 स्क्रीनिंग प्लांट बोर्ड की वैध सहमति से संचालित किए जा रहे है तथा स्क्रीनिंग प्लांट के लिए जारी अधिसूचना दिनांक 10.03.2016 की पालना कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, स्क्रीनिंग प्लांटों में गीली प्रक्रिया शामिल है, जिसमें पानी का प्रयोग करके सामग्री साफ की जाती हैं तथा उसकी धुलाई की जाती है। सभी स्क्रीनिंग प्लांटों में धूल के दमन के लिए सड़क पर पानी का नियमित छिड़काव के लिए टैंकरों से फिटिड सामूहिक रूप से 02 ट्रैक्टर हायर किए गए हैं तथा लोकबुक अनुरक्षित की जा रही है। प्रत्येक स्क्रीनिंग प्लांट क्षेत्र के भीतर वाहनीय संचलन के कारण धूल

उत्सर्जन को कम करने के लिए स्क्रीनिंग प्लांटों के लिए जारी अधिसूचना दिनांक 10.03.2016, के अनुसार प्लांटों में बाहरी परिधि पर वृक्षों/लचीले कपड़े की रोक मुहैया कराई गई है। क्षेत्रीय अधिकारी, पंचकूला ने ट्रकों/डम्परों/ट्रालीयाँ जिन पर तिरपाल नहीं पाया जाता है को चालान करने के लिए पत्र दिनांक 09.04.2022 तथा 15.06.2023 द्वारा आर टी ओ से भी अनुरोध किया गया था।

टोल के पास नगर निगम, गुरूग्राम की भूमि का ब्यौरा

87. श्री नीरज शर्मा : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) गुरूग्राम–फरीदाबाद टोल रोड पर टोल एकत्रित करने के स्थल के पास नगर निगम, गुरूग्राम की भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ख) क्या नगर निगम की जमीन नगर निगम गुरूग्राम द्वारा टोल कंपनी को उपयोग के लिए दी गई है; यदि हां, तो किन शर्तों पर भूमि दी गई तथा इसका ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) क्या टोल कंपनी ने नगर निगम गुरूग्राम द्वारा दी गई भूमि के उतने ही क्षेत्रफल पर कब्जा किया है या वर्तमान में उससे अधिक भूमि पर कब्जा किया है; यदि हां, तो नगर निगम का कुल कितना अतिरिक्त क्षेत्र टोल कंपनी के कब्जे में है?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता): श्रीमान् जी,

(क) नगर निगम, गुरूग्राम की 20 एकड़ (गैर–मुमकिन पहाड़) भूमि गुरूग्राम–फरीदाबाद टोल प्लाजा के आस पास दोनो तरफ लगती है।

(ख) नगर निगम, गुरूग्राम ने अपनी कोई भी जमीन टोल कंपनी को उपयोग के लिए नहीं दी है।

(ग) नगर निगम, गुरूग्राम की कोई भी भूमि टोल कम्पनी को नहीं दी गई है, अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता।

.....

प्रतिपूरक वनरोपण का विवरण

88. श्री नीरज शर्मा: क्या पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(ए) क्या राज्य में प्रतिपूरक वनीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है तथा शिवालिक और अरावली में अब तक कुल कितनी वन भूमि का गैर वानिकी उपयोगो के लिए परिवर्तन किया गया है और कितने की छतिपूर्ति हुई है;

(बी) क्या सीए द्वारा अनुमोदित मूल स्थलों को पूर्व में बदल दिया गया है और यदि हां, तो नए स्थलों के लिए भारत सरकार से वन विभाग द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया :

(सी) राज्य में कैम्पा के तहत 1980 के बाद से वर्षवार व्यय के साथ बची कुल धनराशि और प्रतिपूर्ति पौधरोपण के तहत पेड़ बन चुके पौधों की संख्या;

(डी) क्या अरावली में सीए के लिए कोई खाली क्षेत्र है;

(ई) अरावली सफारी क्षेत्र में आने वाले निजी क्षेत्र का विवरण;

(फ) परियोजना सफ़ारी का अपेक्षित व्यय और वृक्षारोपण गतिविधियों और गैर- वृक्षारोपण गतिविधियों पर इसका वितरण; और

(जी) क्या सफारी परियोजना का कोई लागत-लाभ विश्लेषण किया गया है?

वन मंत्री (श्री कंवर पाल):

(ए) जी श्रीमान। वनों के डायवर्जन के लिए सहजता से उपलब्ध आंकड़े समग्र रूप से जिलों का है और 1980 के बाद से शिवालिक और अरावली

पहाड़ियों की उपस्थिति वाले जिलों में डायवर्ट की गई दर्ज वन भूमि का वन क्षेत्र इस प्रकार है: -

क्रम संख्या	जिले का नाम	परिवर्तित (डाइवर्टेड) वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)
शिवालिक जिले		
1	पंचकुला	601.41
2	अंबाला	570.10
3	यमुनानगर	426.95
	कुल	**1598.46**
अरावली जिले		
4	गुरुग्राम	822.43
5	फरीदाबाद	499.66
6	नूह	287.67
7	रेवाड़ी	408.72
8	महेन्दरगढ़	237.66
9	चरखी दादरी	10.48
10	भिवानी	374.72
	योग	**2641.34**
	कुल योग	**4239.80**

वर्ष 2010 से कैम्पा सृजन उपरांत अब तक उक्त जिलों में कुल 5698.63 प्रतिपूर्ति पौधारोपण किया गया है। वन भूमि परिवर्तन के अधिकांश मामलों में, मौजूदा उजड़ी हुई वन भूमि में प्रतिपूर्ति पौधारोपण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार किया गया है।

(बी) हां, ऐसे मामले हैं जहां वन संरक्षण अधिनियम के तहत किए गए प्रस्तावों के अनुमोदन के समय प्रस्तावित स्थानों से भिन्न स्थानों पर सीए वृक्षारोपण किया गया है। कुछ मामलों में, सीए स्थलों में बदलाव के लिए वन मण्डलों के प्रस्तावों को मंजूरी के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को

भेजा गया है। कुछ मामलों में मंजूरी मिल चुकी है और बाकी के लिए मंजूरी का इंतजार है।

(सी) 1अप्रैल, 2023 तक राज्य कैम्पा प्राधिकरण के पास 966.40 करोड़ उपलब्ध है। राज्य कैम्पा प्राधिकरण जनवरी, 2010 में सरकार द्वारा अधिसूचना 5330-फीट.-4-09/511 दिनांक 18.01.2010 द्वारा बनाया गया कैम्पा के निर्माण के बाद से वर्षवार व्यय का विवरण नीचे दिया गया है-

क्रम संख्या	वर्ष	कैम्पा के अंतर्गत किया गया वनरोपण कार्य (करोड़ में)
1	2009-10	कैम्पा के तहत कोई काम नहीं हुआ
2	2010-11	11.23
3	2011-12	16.12
4	2012-13	20.54
5	2013-14	17.87
6	2014-15	21.90
7	2015-16	32.68
8	2016-17	56.50
9	2017-18	62.30
10	2018-19	122.52
11	2019-20	60.32
12	2020-21	124.34
13	2021-22	212.17
14	2022-23	135.16
कुल योग		**893.64**

विभाग द्वारा योजनावार वृक्षारोपण का अभिलेख तब तक रखा जाता है जब तक कि यह यौवन काल में होता है। उनकी परिपक्वता के बाद, किसी भी वृक्षारोपण या प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुए सभी उन पेड़ों की गणना की जाती है, जो सड़कों या नहरों के किनारे पट्टियों पर खड़े होते हैं। ब्लॉक वन क्षेत्रों में इन्हें गश्त और निगरानी के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाती है।

अतः किसी विशेष योजना या प्राकृतिक रूप से विकसित वृक्षों को अलग अलग छांटना संभव नहीं है।

(डी) अरावली का स्वामित्व अधिकतर समुदाय, नगर निगमों, पंचायतों या निजी हाथों में होता है। वन विभाग अरावली में केवल उन भूमियों को विनियमित करता है जो पंजाब भू-संरक्षण अधिनियम 1900 की विशेष धारा- 4 और/या 5 के तहत अधिसूचित हैं।अरावली में सीए के लिए रिक्त क्षेत्रों की उपलब्धता की जानकारी विभाग के पास आसानी से उपलब्ध नहीं है।

(ई) अरावली सफारी पार्क परियोजना का प्रस्ताव वर्तमान में योजना और विचार चरण में है और अभी तक इसके क्षेत्र को कोई अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(एफ) प्रश्न 'ई' को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(जी) प्रश्न 'ई' को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

गंदे पानी की निकासी के लिए स्थाई प्रबंध / व्यवस्था करना

89. श्रीमती नैना सिंह चौटाला: क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि बाढड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांव महराणा, नांधा, कुब्जानगर, बधवाना, झोझू खुर्द, कारी मोद, नौसवा, पिचैपा कलां, खेड़ी सनवाल, पालड़ी, ढाणी फोगाट, असवारी, निहालगढ़, गोकल, धनासरी, रूदडौल, चांदवास, बालरोड, शीशवाला, बादल, काकडोली हुक्मी, संतोखपुरा, चांगरोड, कारी रूपा-दास, मकराना, झोझू कलां, चिडिया, कादमा, बाढड़ा तथा दुधवा से गंदे पानी की निकासी के लिए कोई स्थायी व्यवस्था की गई है; यदि हां, तो उसका ग्राम-वार ब्यौरा क्या है?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): महोदया, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण, पंचकूला द्वारा ग्रे-वाटर मैनेजमेंट और पॉन्ड्स का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उपर्युक्त 30 गांवों के गंदे पानी की निकासी के संबंध में विवरण *अनुलग्क क* में दिया गया है और संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं -

(क) ग्राम महराणा, नांधा, खेड़ी सनवाल और शीशवाला के आबादी में गंदे पानी का ठहराव नहीं है। गांव शीशवाला के गंदे पानी की पहाड़ों के पास गांव के बाहर निकासी की जा रही हैं ।

(ख) दो गांवों के बीच विवाद के चलते करीब 300 फीट लंबाई में गांव कारी रूपा-दास में गंदे पानी के जमा होने की समस्या है। हालांकि ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर पर इस कार्य के लिए टेंडर निकाला जा चुका है।

(ग) गांव झोझू खुर्द, ढाणी फोगाट, निहालगढ़ और गोकल में भूमि चकबंदी का काम पूरा होने के बाद गंदे पानी की निकासी का स्थायी समाधान निकाला जाएगा।

(घ) गांव रूदडौल और धनासरी में पंचायती भूमि की अनुपलब्धता और एक समान स्थलाकृति न होने के कारण गंदे पानी की निकासी का कोई स्थायी समाधान नहीं है।

(ड) गांव असवारी, चांदवास और बाढड़ा में वेटलैंड तकनीक के प्रावधान के साथ मॉडल तालाब का कार्य प्रगति पर है।

(ढ) गांव पिचैपा कलां में गंदे पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर पर करवाई जाएगी।

(ण) गांव कारी मोद और काकडोली हुक्मी में गंदे पानी की निकासी के स्थायी समाधान के कार्यों का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है।

(च) कुब्जानगर, बधवाना, नौसवा, पालड़ी, बालरोड, बादल, संतोखपुरा, चांगरोड, झोझू कलां, चिड़िया और दुधवा गांवों में गंदे पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था के लिए कार्य की अनुमानित लागत 4.72 करोड़ रुपये होने की संभावना है।

¼N) गांव मकराना व गांव कादमा की दक्षिण फिरनी में लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़क के समन्वय से गंदे पानी की निकासी का स्थायी समाधान किया जाएगा।

अनुलग्क क

30 गांवों का विस्तृत विवरण इस प्रकार हैः-

क्र0 स0	गांव का नाम	विवरण
1	महराणा	दूषित जल की निकासी का समाधान जिला योजना के तहत सीवर लाइन का उपयोग कर किया गया है।
2	नांधा	आबादी क्षेत्र में जल-भराव नहीं है। गंदे पानी की निकासी के लिए आर0सी0सी0 पाइप लाइन लगाई गई है।
3	कुब्जानगर	आबादी क्षेत्र में कुछ नालियां टूटी हुई हैं, जिनकी मरम्मत पर करीब पांच लाख रुपये खर्च होंगे।
4	बधवाना	फिरनियाँ कच्ची हैं। फिरनी के चारों ओर आर0सी0सी0 नाली बनाने की जरूरत है] जिस पर अनुमानित 65 लाख रुपये की लागत आएगी।
5	झोझू खुर्द	आबादी क्षेत्र में ज्यादा जल भराव नहीं है। भूमि चकबंदी न होने के कारण गंदे पानी की निकासी का स्थाई समाधान नहीं हो पा रहा है।
6	कारी मोद	गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों की जरूरत है] जिस पर करीब 26-13 लाख रुपये खर्च होंगे।
7	नौसवा	आबादी क्षेत्र में नालियों की मरम्मत एवं नवीनीकरण की आवश्यकता है] जिसकी अनुमानित लागत 10 लाख रुपये है।
8	पिचैपा कलां	गंदे पानी की निकासी का कार्य पंचायत अपने स्तर पर करेगी।
9	खेड़ी सनवाल	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत दूषित जल की निकासी की समस्या का समाधान किया गया है।
10	पालड़ी	फिरनी के साथ आर0सी0सी0 नाली के निर्माण की आवश्यकता है] जिसकी अनुमानित लागत 85 लाख रुपये है।
11	ढाणी फोगाट	गांव के अंदर नालियां सही स्थिति में हैं। गांव के बाहर फिरनी में सीवर लाइन का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर विभिन्न स्थानों पर सोख्ता गड्ढे /बोर का प्रावधान किया है। आबादी के अंदर कहीं भी दूषित पानी एकत्र नहीं होता है। हालाँकि, दूषित पानी गाँव के बाहर जमा होता है। गांव की भूमि चकबंदी न होने के कारण इसके समाधान के लिए पंचायती भूमि की पहचान नहीं हो पा रही है।
12	असवारी	आबादी क्षेत्र में पानी का भराव नहीं हैं तथा मॉडल तालाब का कार्य प्रगति पर है] जिसमें वेटलैंड तकनीक का प्रावधान किया गया है।
13	निहालगढ़	भूमि चकबंदी नहीं होने के कारण गंदे पानी की निकासी का स्थाई समाधान नहीं हो पा रहा है।
14	गोकल	भूमि चकबंदी नहीं होने के कारण गंदे पानी की निकासी का स्थाई समाधान नहीं हो पा रहा है।
15	धनासरी	भूमि चकबंदी नहीं होने के कारण गंदे पानी की निकासी का स्थाई समाधान नहीं हो पा रहा है।

16	रूदडौल	गांव की प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति एक समान न होने के कारण गंदे पानी की निकासी पंचायत भूमि में करवाना संभव नहीं है।
17	चांदवास	गंदे पानी की निकासी के लिए पंचायत अपने स्तर पर नाली का निर्माण करा रही है। इसके अलावा मॉडल तालाब का निर्माण भी किया जाना है] जिसमें वेटलैंड तकनीक का प्रावधान किया गया है] जिसका कार्य प्रगति पर है।
18	बालरोड	फिरनी कच्ची होने के कारण फिरनी के साथ-साथ नाली बनाने की आवश्यकता है] जिसकी अनुमानित लागत 50 लाख रुपये है।
19	शीशवाला	आबादी क्षेत्र में जलभराव नहीं है। पानी की निकासी गांव के बाहर पहाड़ के पास हो रही है।
20	बादल	गांव में मॉडल तालाब का काम चल रहा है] जिसके बाद गंदे पानी की समस्या दूर हो जाएगी और मॉडल तालाब तक गंदा पानी ले जाने के लिए 2000 फीट लंबे नाले की जरूरत है] जिस पर अनुमानित 19 लाख रुपये की लागत आएगी।
21	काकडोली हुक्मी	ग्राम पंचायत काकड़ौली में गंदे पानी की निकासी के लिए नाली की आवश्यकता है] जिसकी लागत करीब 10-60 लाख रुपये आएगी।
22	संतोखपुरा	आबादी क्षेत्र के अंदर कहीं भी गंदे पानी का भराव नहीं हैं। हालांकि करीब 200 फीट कच्ची फिरनी पर गंदा पानी जमा हो जाता है] जिसके समाधान पर करीब 200 फीट फिरनी पर 10 लाख रुपये का खर्च आएगा।
23	चांगरोड	फिरनी के साथ-साथ कलियानी तालाब तक नाले के निर्माण की आवश्यकता है] जिसकी अनुमानित लागत 1-25 करोड़ रुपये है।
24	कारी रूपा-दास	आबादी क्षेत्र में जलभराव नहीं है, लेकिन दोनों गांवों के बीच विवाद के कारण करीब 300 फीट लंबाई में जलभराव की समस्या है. हालांकि इस कार्य के लिए पंचायत द्वारा अपने स्तर पर टेंडर भी लगा दिया गया है।
25	मकराना	गांव की दक्षिण दिशा में फिरनी के साथ पानी निकासी की समस्या है। नाली का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) विभाग द्वारा कराया जाना है।
26	झोझू कलां	गांव के अंदर कहीं भी गंदा पानी जमा नहीं होता है. गांव के बाहर फिरनी के साथ गंदे पानी की निकासी के लिए नाले की आवश्यकता है] जिसकी लागत लगभग 4-69 लाख रुपये होगी।
27	चिडिया	फिरनी के साथ-साथ नाली के निर्माण के लिए 20-37 लाख रुपये का अनुमान है जिसका प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी] जिला परिषद चरखी दादरी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु तैयार कर मुख्य अभियंता] पंचायती राज] लोक निर्माण विभाग] हरियाणा] चण्डीगढ़ को भेज दिया गया है।

28	कादमा	दूषित पानी गांव के अंदर कहीं भी जमा नहीं होता है] लेकिन बस स्टैंड के पास जमा होता है] जिसके लिए लोक निर्माण विभाग] सड़क एवं भवन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
29	बाढड़ा	गांव के अंदर कहीं भी दूषित पानी जमा नहीं होता है। गाँव में गंदा पानी तालाब में एकत्र होता था] जिसकी खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य अटल भू-जल /अमृत सरोवर योजना के अन्तर्गत प्रगति पर है।
30	दुधवा	गांव के चारों ओर सीवर लाइन की सफाई ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर पर कराई गई है] जिससे दूषित पानी की निकासी की समस्या का समाधान हो गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत द्वारा पी0डब्लू0डी0 ¼बी0एंड0आर0½ सड़क के साथ एस0एफ0सी0 योजना के तहत नाली निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया है] जिसकी अनुमानित लागत करीब 40 लाख रुपये होगी. ग्राम पंचायत द्वारा अपने स्तर पर जल्द ही नाली का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

मंडलीय कार्यालय स्थापित करना

90. श्रीमती नैना सिंह चौटाला: क्या बिजली मंत्री कृपया बताएंगे कि बाढड़ा में बिजली विभाग का मंडलीय कार्यालय कब तक स्थापित किए जाने की संभावना हैं; तथा उसका ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री रणजीत सिंह): श्रीमान जी, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के लिए स्वीकृत पुनर्गठन मानदंड़ों के आधार पर, बाढड़ा में एक मंडल स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से विकास कार्यों का ब्यौरा

91. श्रीमती नैना सिंह चौटालाः क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) बाढड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा अब तक ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से मांग किए गए विकास कार्यों की संख्या कितनी है

(ख) इन विकास कार्यों में संबंधित विभाग द्वारा अब तक क्या प्रगति की गई है तथा उसका ब्यौरा क्या है तथा

(ग) बाढड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित स्वीकृत विकास कार्यों की संख्या क्या है जो कि ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): श्रीमती जी,

(क) ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से बाढडा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा कुल 714 विकास कार्यो की मांग की गई है।

(ख) बाढडा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों से प्राप्त 714 विकास कार्यो में से 678 मांगों की सिफारिश जन प्रतिनिधियों द्वारा संबंधित विभागों को भेजी गई है। अब तक 125 मांगें फिजीबल (Feasible) पाई गई है। इन 125 फिजीबल (Feasible) मागों की प्रगति निम्न प्रकार से है:–

1 तैयार किए गए अनुमानों (Estimate Prepared) की संख्या :41
2 राज्य को बजट के लिए प्रस्तुत (Submitted for budget) कार्यो की संख्या :30
3 स्वीकृत/अनुमोदित (Sanctioned) कार्यो की संख्या : 9
4 पूर्ण किए गए कार्यो (Completed) की संख्या : 2

विभागवार विवरण अनुलग्नक पर दिया गया है

(ग) सीईओ जिला परिषद चरखी दादरी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बाढडा विधानसभा क्षेत्र से संबंधित 9 विकास कार्य को ग्राम दर्शन पोर्टल पर स्वीकृत/अनुमोदित किया गया है।

122

Annexure - 'A'

Gram Darshan : Assembly Constituency Badhra Abstract Report -Department Wise

SNo	Department Name	Total Demands Received	Demands Recommended By PR	Demands Rejected At State level	Demands Pending at State Level	Demands Forwarded to District	No. of Not Feasible demands	Demands Pending For Feasibility	Demands Pending With District	Demands declared Feasible	Estimates Not Prepared	Estimates Prepared	Pending For Fund Allocation from State	Demands for which Fund is Allocated by PRIs	Pending for Fund allocation with District	No. of demands for which fund Sanctioned	No. of demands Pending For Fund Allocation at GP/PS	No. fo demands for which Fund Allocated by State	No. of demands Rejected at Admin Approval	No. of demands In Progress	No. of demands Completed
1	Agriculture and Farmers Welfare Department, Haryana	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Animal Husbandry & Dairying Department	10	10	1	0	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	AYUSH	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CADA	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Development and Panchayat Department	371	346	0	0	346	4	241	10	91	81	10	0	0	0	9	8	2	0	0	2
7	Elementary Education Department	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Environment Department	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department, Haryana	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Haryana Land Records	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Haryana Pond and Waste Water Pond Authority	15	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Haryana State Agricultural Marketing Board	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation Limited	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Health Department Haryana	11	11	0	9	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Home Department	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	HSRLM	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Information Technology, Electronics and Communication Department	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Irrigation & Water Resources Department, Haryana	30	30	6	1	23	1	0	10	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Public Health Engineering Department	32	31	0	0	31	4	0	24	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Public Relations Department	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Public Works (Building and Roads) Department	62	62	0	16	46	0	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Renewable Energy Department, Haryana	4	4	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rural Development Department	62	61	0	0	61	10	45	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

.....

193

SNo	Department Name	Total Demands Received	Demands Recommended By PR	Demands Rejected At State level	Demands Pending at State Level	Demands Forwarded to District	No. of Not Feasible demands	Demands Pending For Feasibility	Demands Pending With District	Demands declared Feasible	Estimates Not Prepared	Estimates Prepared	Pending For Fund Allocation from State	Demands for which Fund is Allocated by PRIs	Pending for Fund allocation with District	No. of demands for which fund Sanctioned	No. of demands Pending For Fund Allocation at GP/PS	No. fo demands for which Fund Allocated by State	No. of demands Rejected at Admin Approval	No. of demands In Progress	No. of demands Completed
24	School Education, Haryana	18	18	0	15	3	0	0	1	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Skill Development & Industrial Training Department, Haryana	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Social Justice & Empowerment Department	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sports & Youth Affairs Department	30	27	1	0	26	0	0	24	2	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0
28	Technical Education Department, Haryana	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Transport Department	15	15	0	0	15	0	0	3	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes Department	5	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Women and Child Development Department	6	6	1	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	714	678	10	96	572	20	286	141	125	84	41	30	0	0	9	8	2	1	0	2

.....

फसल बीमा का ब्यौरा

92.श्री जगबीर सिंह मलिक: क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल का बीमा किया गया है; यदि हां, तो प्रत्येक जिले में उक्त योजना शुरू होने के बाद कौन-कौन सी कंपनिया यह

कार्य कर रही है तथा उनसे कितना प्रीमियम प्राप्त हुआ तथा प्रत्येक मौसम में किसानों को कितनी राशि वितरित की गयी;

(ख) इन कंपनियों के पास लंबित तथा उनके द्वारा हल किये गए दावों का ब्यौरा क्या है तथा योजना की शरूआत से दावों की अस्वीकृति के कारण क्या है तथा इसका जिलावार ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): श्रीमान जी,

(क) राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2016 से फसलों का बीमा किया जा रहा है। बीमा कंपनियों द्वारा 6447.59 करोड़ रुपये का प्रीमियम प्राप्त किया गया है तथा 7090.52 करोड़ रुपये किसानों को खरीफ 2016 से खरीफ 2022 तक उनकी फसल के नुकसान के दावे के रूप में वितरित किए गए हैं। जिलेवार, योजना के तहत बीमा कंपनियों द्वारा किसानों से एकत्रित किए गए प्रीमियम और दावे अनुलग्नक "X" पर संलग्न हैं।

(ख) जिलेवार सरकार द्वारा निपटाए गए दावे और लंबित मामले कारण सहित **अनुलग्नक** "Y" पर संलग्न हैं

अनुलग्नक –X

कंपनीवार, जिलावार, मौसमवार एकत्रित किया गया प्रीमियम तथा किसानों को खरीफ 2016 से खरीफ 2022 तक दिया गया मुआवजा

राशि ₹ करोड़ में

बीमा कंपनी	रिलायंस जीआईसी लिमिटेड				आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीआईसी लिमिटेड				ओरिएंटल जीआईसी			
जिला	दिया गया मुआवजा		कुल प्रीमियम		दिया गया मुआवजा		कुल प्रीमियम		दिया गया मुआवजा		कुल प्रीमियम	
	ख़रीफ़ 2016	रबी 2016-17	ख़रीफ़ 2016	रबी 2016-17	ख़रीफ़ 2017	रबी 2017-18	ख़रीफ़ 2017	रबी 2017-18	ख़रीफ़ 2018	रबी 2018-19	ख़रीफ़ 2018	रबी 2018-19
भिवानी	20.33	6.90	40.07	9.04	117.59	14.23	38.61	13.06	130.42	15.23	50.82	31.42
फरीदाबाद	1.38	0.07	0.72	0.70	1.39	0.07	0.44	1.99	0.04	0.45	1.65	1.28
कैथल	13.90	2.68	7.19	4.84	6.67	10.98	9.50	6.81	35.69	6.34	23.51	6.35
कुरूक्षेत्र	4.83	5.97	5.72	3.54	8.70	8.62	5.13	3.59	37.26	3.13	10.34	4.33
पंचकुला	0.43	0.38	1.17	0.96	0.26	0.25	2.40	1.03	1.35	0.77	3.92	3.10
रेवाड़ी	3.66	5.16	5.50	4.05	8.35	0.34	3.13	2.32	28.93	1.69	15.81	5.44
सिरसा	20.84	0.30	18.51	10.35	341.33	15.52	26.07	12.91	156.37	13.47	77.48	36.69
कुल	**65.36**	**21.46**	**78.88**	**33.48**	**484.29**	**50.00**	**85.28**	**41.71**	**390.08**	**41.08**	**183.53**	**88.62**
	बजाज आलियांज जीआईसी				बजाज आलियांज जीआईसी				एसबीआई जीआईसी लिमिटेड			
अंबाला	9.38	0.96	9.25	5.65	5.27	2.55	8.45	8.12	34.33	5.36	6.91	9.26
गुरूग्राम	4.08	0.62	0.91	1.73	2.60	0.50	2.03	3.64	3.73	0.44	2.65	3.01
हिसार	34.32	7.85	48.84	15.94	120.60	5.65	72.10	20.17	112.87	19.02	136.28	45.80
जींद	33.30	2.49	23.29	10.48	40.71	1.33	30.58	14.68	70.86	3.59	52.75	29.83
करनाल	15.72	2.25	18.17	8.25	5.77	15.41	17.87	11.15	19.70	0.48	15.14	13.94
महेंद्रगढ़	1.20	2.39	6.83	5.81	15.32	4.87	7.80	5.91	8.44	3.20	9.08	10.16
सोनीपत	17.06	1.75	12.24	6.62	16.88	1.06	11.30	8.51	28.31	31.20	14.20	10.59
कुल	**115.06**	**18.30**	**119.53**	**54.47**	**207.16**	**31.38**	**150.13**	**72.18**	**278.24**	**63.28**	**237.01**	**122.59**

	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीआईसी लिमिटेड				बजाज आलियांज जीआईसी				यूनिवर्सल सोम्पो जीआईसी			
चरखी दादरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.33	1.35	18.15	8.89
फतेहाबाद	10.13	4.23	10.35	7.06	86.44	0.31	20.98	11.85	60.20	13.50	60.55	20.32
झज्जर	10.85	0.61	8.58	1.86	8.99	2.33	8.81	3.38	10.52	1.38	23.45	6.72
मेवात	5.11	0.63	0.84	1.08	2.03	0.27	2.10	1.73	2.74	1.10	3.26	1.92
पलवल	4.15	2.44	3.70	2.41	9.82	0.09	6.08	4.22	8.49	2.02	8.81	4.59
पानीपत	3.59	0.79	6.15	2.80	0.39	0.07	5.74	5.44	5.96	0.96	7.55	6.43
रोहतक	16.98	3.51	23.33	1.94	4.83	1.56	15.60	4.14	8.90	5.04	33.91	8.90
यमुनानगर	3.00	5.05	5.50	2.70	1.05	0.25	6.30	4.19	10.03	13.07	4.71	3.90
कुल	**53.82**	**17.27**	**58.44**	**19.85**	**113.55**	**4.87**	**65.62**	**34.94**	**136.17**	**38.41**	**160.39**	**61.68**
कुल योग	**234.23**	**57.03**	**256.84**	**107.80**	**805.00**	**86.25**	**301.04**	**148.83**	**804.49**	**142.77**	**580.93**	**272.89**

कंपनीवार, जिलावार, मौसमवार एकत्रित किया गया प्रीमियम तथा किसानों को खरीफ 2016 से खरीफ 2022 तक दिया गया मुआवजा

राशि ₹ करोड़ में

बीमा कंपनी	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी				एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी				एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी				एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी		किसानों को भुगतान किए गए मुआवजे का कुल योग	प्रीमियम का कुल योग
जिला	दिया गया मुआवजा		कुल प्रीमियम		दिया गया मुआवजा		कुल प्रीमियम		दिया गया मुआवजा		कुल प्रीमियम		दिया गया मुआवजा	कुल प्रीमियम		
	ख़रीफ़ 2019	रबी 2019-20	ख़रीफ़ 2019	रबी 2019-20	ख़रीफ़ 2020	रबी 2020-21	ख़रीफ़ 2020	रबी 2020-21	ख़रीफ़ 2021	रबी 2021-22	ख़रीफ़ 2021	रबी 2021-22	ख़रीफ़ 2022	ख़रीफ़ 2022		
भिवानी	111.60	55.91	127.09	39.34	310.76	61.17	132.93	55.90	365.99	48.98	168.04	52.17	255.63	212.00	1514.75	970.49
फरीदाबाद	0.50	0.88	1.41	1.15	0.61	2.95	2.02	1.03	1.66	0.56	0.70	6.49	0.16	0.67	10.72	20.25
कैथल	7.28	28.76	28.75	12.24	6.06	2.36	54.25	15.13	5.04	3.17	35.05	10.47	0.90	23.30	129.82	237.39
कुरूक्षेत्र	6.97	8.07	21.29	7.37	4.77	0.60	26.82	9.34	2.67	6.80	18.85	0.38	0.94	12.14	99.33	128.84
पंचकुला	1.07	0.46	1.62	0.79	1.22	0.98	4.34	3.25	0.40	1.32	2.84	2.52	2.55	1.71	11.45	29.65
रेवाड़ी	22.01	17.32	32.56	7.62	27.87	1.29	24.64	10.88	58.96	6.87	27.25	11.27	20.82	27.82	203.29	178.29
सिरसा	122.64	36.59	199.96	42.66	360.96	46.29	233.63	49.53	356.34	87.96	222.62	73.01	59.23	275.05	1617.84	1278.47
कुल	**272.07**	**147.99**	**412.68**	**111.18**	**712.26**	**115.64**	**478.62**	**145.07**	**791.08**	**155.66**	**475.34**	**156.31**	**340.23**	**552.70**	**3587.20**	**2843.47**
	एसबीआई जीआईसी लिमिटेड				रिलायंस जीआईसी लिमिटेड				रिलायंस जीआईसी लिमिटेड				रिलायंस जीआईसी लिमिटेड			
अंबाला	6.07	10.08	7.92	7.99	0.32	0.01	9.50	6.41	0.00	11.67	5.69	52.47	1.31	4.20	87.29	141.82
गुरूग्राम	4.48	0.51	3.47	2.88	1.69	0.09	6.76	3.75	11.57	0.52	7.63	4.18	3.75	7.09	34.58	49.73
हिसार	131.44	60.40	182.85	56.00	218.75	9.68	151.63	47.90	272.17	12.15	139.57	13.39	380.34	181.10	1385.23	1111.57
जींद	33.95	20.89	52.94	30.02	21.80	2.26	75.09	24.00	94.81	2.93	58.75	22.61	97.69	64.63	426.61	489.65

करनाल	15.63	14.65	16.72	12.15	1.04	0.45	17.07	11.93	1.34	1.28	10.02	22.33	0.26	6.20	93.98	180.94
महेंद्रगढ़	11.73	9.98	13.71	10.59	23.74	1.09	24.81	20.30	7.97	1.52	26.39	7.43	10.98	28.36	102.44	177.18
सोनीपत	38.74	20.45	13.56	9.98	9.70	8.56	18.77	14.45	18.27	11.12	16.17	3.47	10.59	13.07	213.68	152.93
कुल	**242.03**	**136.96**	**291.17**	**129.60**	**277.04**	**22.14**	**303.64**	**128.73**	**406.13**	**41.19**	**264.22**	**125.87**	**504.92**	**304.66**	**2343.81**	**2303.82**
	बजाज आलियांज जीआईसी				**बजाज आलियांज जीआईसी**				**बजाज आलियांज जीआईसी**				**बजाज आलियांज जीआईसी**			
चरखी दादरी	24.30	9.86	18.17	27.41	47.80	1.89	34.74	12.13	55.69	11.37	34.76	6.66	47.28	47.02	228.87	207.95
फतेहाबाद	25.55	28.44	73.63	70.38	49.84	3.66	71.44	22.13	98.42	12.32	52.17	5.98	155.81	60.94	548.84	487.79
झज्जर	6.84	2.31	11.70	5.41	4.99	3.01	22.03	7.54	14.78	5.61	15.39	3.34	11.95	13.86	84.16	132.07
मेवात	4.65	1.59	2.89	1.74	9.45	7.61	3.84	3.47	13.55	14.36	5.93	6.12	25.04	14.59	88.12	49.51
पलवल	2.29	5.77	10.66	4.83	1.96	1.15	12.33	7.41	11.24	2.11	9.14	20.34	11.08	8.16	62.59	102.68
पानीपत	0.05	3.93	7.21	5.52	0.06	0.37	7.83	5.60	0.78	1.64	3.80	7.72	0.54	2.29	19.13	74.08
रोहतक	12.61	8.05	24.22	5.89	6.23	2.36	22.05	7.58	8.36	7.92	16.31	3.02	5.51	13.44	91.88	180.33
यमुनानगर	0.37	0.87	4.31	2.78	0.19	0.01	7.16	4.35	0.06	1.56	3.92	13.43	0.42	2.73	35.94	65.98
कुल	**76.66**	**60.82**	**152.79**	**123.97**	**120.52**	**20.06**	**181.41**	**70.21**	**202.87**	**56.88**	**141.43**	**66.60**	**257.62**	**163.03**	**1159.52**	**1300.39**
कुल योग	**590.76**	**345.77**	**856.64**	**364.75**	**1109.82**	**157.84**	**963.68**	**344.01**	**1400.08**	**253.73**	**880.99**	**348.78**	**1102.77**	**1020.40**	**7090.52**	**6447.59**

अनुलग्नक-Y

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार द्वारा हल किए गए दावों का जिलेवार विवरण राशि ₹ करोड़ में

जिला	सीज़न	राज्य/ भारत सरकार द्वारा हल किया गया दावा	बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया गया दावा	
भिवानी	ख़रीफ़ 2017	1.16	1.16	806.87
सिरसा	ख़रीफ़ 2019 & 2020	71	71	
रेवाड़ी	ख़रीफ़ 2019 & 2020	48	48	
रेवाड़ी	ख़रीफ़ 2020	5.90	5.90	
भिवानी	ख़रीफ़ 2022	255	255	
रेवाड़ी	ख़रीफ़ 2022	20.81	20.81	
हिसार	ख़रीफ़ 2022	380	380	
नूह	ख़रीफ़ 2022	25	25	
सिरसा	ख़रीफ़ 2022	623		* भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा मामले को सुलझा लिया गया है और शेष दावों के लिए ₹ 623 करोड़ का भुगतान जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।
कुल योग		**1429.87**		

कुछ विवादित मामले लंबित हैं जो योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार उचित निर्णय के लिए प्रक्रियाधीन हैं। जिलेवार विवरण इस प्रकार है:

जिला	सीज़न	लंबित रहने का कारण
भिवानी	ख़रीफ़ 2022	बीमा कंपनी द्वारा उठाई गई आपत्तियां निस्तारण की प्रक्रिया में हैं।
रेवाड़ी	ख़रीफ़ 2022	
हिसार	ख़रीफ़ 2022	बीमा कंपनी द्वारा अधिक बीमा की आपत्तियां निपटान की प्रक्रिया में हैं।
नूह	ख़रीफ़ 2022	फर्जी बीमा के संबंध में डीसी नूंह के स्तर पर जांच लंबित है। रिपोर्ट का इंतजार है।

खाली भूमि पर परियोजना का विकास

93.श्री घनश्याम सर्राफ: क्या उपमुख्यमंत्री कृपया बताएंगे की क्या भिवानी-दादरी सड़क पर रेलवे उपरि पुल से मल संशोधन संयंत्र तक खाली भूमि पर परियोजना विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उपरोक्त रिक्त भूमि को किसी योजना में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता): नहीं सर, हालांकि पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 24 एकड़ जमीन उपलब्ध की जा चुकी है ।

रखरखाव पर खर्च की गई राशि

94. डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा: क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जींद सर्कल में बिजली विभाग द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है तथा उसका मद-वार ब्यौरा क्या है; तथा

(ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जींद सर्कल में रख-रखाव पर खर्च की गई राशि कितनी है तथा उसका मण्डल-वार ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री (श्री रणजीत सिंह): श्रीमान जी,

(क) वित्तीय वर्ष 2023-24 (जुलाई-2023 तक) के दौरान जींद सर्कल में 34.45 करोड़ रुपये मुख्य कार्यों और रख-रखाव कार्यों पर खर्च किए गए हैं, जिनका मद-वार विवरण पटल पर रखा गया है।

(ख) जींद सर्कल के जींद शहर, नरवाना और सफीदों डिवीजनों में क्रमशः 4.69 करोड़ रुपये, 2.55 करोड़ रुपये और 2.29 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2023-2024 (जुलाई-2023 तक) के दौरान रख-रखाव कार्यों पर खर्च किए गए हैं।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2023-24, जुलाई-23 तक खर्च का विवरण

क्रम संख्या	कार्य का नाम	खर्च (रुपये लाखों में)			
		ऑप्रेशन डिवीजन जींद	ऑप्रेशन डिवीजन नरवाना	ऑप्रेशन डिवीजन सफीदों	कुल
क	**रख-रखाव कार्य**				
1	निम्न दबाव लाइन का सुधार कार्य	71.02	58.00	14.15	143.17
2	उच्च दबाव लाइन का सुधार कार्य	29.91	31.65	178.72	240.28
3	निम्न वितरण प्रणाली में सुधार और मजबूती	19.74	38.14	14.94	72.82
4	पुराने ए.सी.एस.आर. कंडक्टर एवं टूटे हुए खंभे को बदलना	119.23	100.71	12.86	232.80
5	220/132 के.वी. लाइनों का रख-रखाव	3.26	0.48	0.23	3.97
6	ट्रांसफार्मर और 220/132 के.वी सब-स्टेशनों का रख-रखाव	17.74	11.39	8.63	37.76
7	अन्य कार्य, यदि कोई हो	208.18	15.04	0.00	223.22
	कुल	**469.08**	**255.41**	**229.53**	**954.02**
ख	**मुख्य कार्य**				
1	नये ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाना	43.71	18.74	19.17	81.62
2	ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि	18.03	33.85	10.31	62.19
3	33 के.वी. सब-स्टेशनों की क्षमता वृद्धि	45.35	49.21	0.00	94.56
4	220/132 के.वी. ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाना/ क्षमता वृद्धि	180.51	47.34	898.00	1125.85
5	म्हारा गांव जगमग गांव योजना का निष्पादन	0.00	567.12	0.00	567.12

6	जी.एस.सी. कार्य	86.77	130.26	55.10	272.13
7	उच्च दबाव लाइन का स्थानांतरण	88.93	109.82	0.00	198.75
8	फीडरों का विभाजन	0.00	89.65	0.00	89.65
	कुल	**463.30**	**1045.99**	**982.58**	**2491.87**
	कुल योग	**932.38**	**1301.40**	**1212.11**	**3445.89**

माइनर को पुनःपक्का/पुनः निर्मित करना

95. डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) क्या जींद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ने वाली संगतपुरा माइनर को पुनः पक्का/पुनः निर्मित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक पुनः पक्का/पुनः निर्मित किए जाने की संभावना है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) जींद डिस्ट्रीब्यूट्री नंबर 6A की बुर्जी संख्या 13630–दाएं से निकलने वाली संगतपुर माइनर की बुर्जी 0 से 3500 (टेल) के पुनर्वास के कार्य की परियोजना, जिसकी लागत राशि 27.28 लाख रूपये है, को दिनांक 27.07.2023 को हुई स्थायी तकनीकी समिति की बैठक में मंजूरी दे दी गई है और यह कार्य 30.06.2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।

.....

सीवरेज के नए निस्तारण का निर्माण

96. श्री लक्ष्मण नापा: क्या जन स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) क्या यह तथ्य है कि रतिया शहर में सीवरेज के नए निस्तारण का निर्माण करने के लिए ई-भूमि पोर्टल द्वारा भूमि खरीदी गई थी तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; तथा

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री (डॉ बनवारी लाल):

(क) श्रीमान जी, रतिया शहर में टोहाना रोड और फतेहाबाद रोड पर नए इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशनों के निर्माण के लिए 30 मीटर × 30 मीटर प्रत्येक के लिए, भूमि की आवश्यकता है और मामला विचाराधीन है।

(ख) नए डिस्पोजल के निर्माण का कार्य भूमि की खरीद और अनुमान की प्रशासनिक मंजूरी व फंड के आवंटन के बाद, 2 साल के अन्तराल मे पूरा किया जाएगा।

खंभे लगाने के बाद बिजली आपूर्ति करना

97. श्री सुभाष गांगोली: क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या यह तथ्य है कि सफीदों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांव सिंहपुरा, गांगोली तथा बागरू खुर्द में बीपीएल कॉलोनियों के लोग अपने खर्चे पर केबल/तारें लगवाकर बहुत दूर से बिजली ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कॉलोनियों में खंभे लगाकर बिजली आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उक्त कार्य कब तक किए जाने की संभावना है?

ऊर्जा मंत्री (श्री रणजीत सिंह): श्रीमान जी,

(क) **(1)** सिंहपुरा की बी.पी.एल. कॉलोनी में कनेक्शन लंबी पी.वी.सी. केबल के माध्यम से जारी कर दिए गए हैं। अब इस कॉलोनी में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत बिजली का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की योजना है।

(2) गांव गांगोली की बी.पी.एल. कॉलोनी में खंभे लगाकर दो बिजली कनेक्शन दिए गए हैं।

(3) बागरू खुर्द की बी.पी.एल. कॉलोनी में बिजली कनेक्शन के लिए **24.08.2023** तक कोई आवेदन नहीं किया गया है।

(ख) इन कॉलोनियों में बिजली का बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

स्वीकृत कार्यों को पूरा करना

98. श्री सुभाष गांगोली: क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे किः-

क) क्या सफीदों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में गत वर्ष के विधायक आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों, मुख्यमंत्री कोड 25284 के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों तथा डी-प्लान के अंतर्गत गांव मवाना की त्यागी/चमार चैपाल के स्वीकृत कार्य जिसके लिए आठ माह पहले निविदा आमंत्रित की जा चुकी है, को पूरा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; तथा

ख) क्या सफीदों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निविदा आमंत्रित करने के बाद खेत खलिहान योजना के अंतर्गत स्वीकृत रास्तों का कार्य पूरा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उक्त कार्यों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली):

(क) सफीदों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में गत वर्ष के विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना (वी.ए.एन.जी.वाई) के अंतर्गत 142.67 लाख रुपये

की राशि के 20 कार्य स्वीकृत किए गए थे। इन सभी कार्यों की भौतिक प्रगति का विवरण अनुलग्नक 'ए' पर संलग्न है।

मुख्यमंत्री घोषणा कोड 25284 के अंतर्गत 71 कार्य स्वीकृत किए गए थे। विवरण अनुलग्नक 'बी' पर संलग्न है।

डी-प्लान योजना के अंतर्गत गांव मवाना की त्यागी/चमार चैपाल का कार्य वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत किया गया था। एजेंसी को कार्यादेश दिनांक 23.12.2022 को जारी किया गया। कार्य शुरू करने के लिए स्मरण पत्र भी जारी किए गए, जिसमें अतिंम 20.08.2023 भी शामिल हैं। यदि एजेंसी काम शुरू करने में विफल रहती है, तो उसे वंचित व दंडित किया जाएगा। परियोजना पूरा होने की संभावित तिथि 30.09.2023 है।

(ख) खेत खलिहान योजना के अंतर्गत 447.45 लाख रुपये की राशि के 48 कार्य स्वीकृत किये गये थे। ये कार्य 31.12.2023 तक पूर्ण हो जायेंगे क्योंकि अधिकांश कार्य फसल कटाई के बाद किये जायेंगे। विवरण अनुलग्नक 'सी' पर संलग्न है।

अनुलग्नक 'ए'

Status Report of Safidon Constituency Vidhayak Adarsh Nagar Gram Yojana (VANGY) as on 20.08.2023

Sr No	District	Constituency	Block	Village	Name of Work	Admin Approval			Mode of Execution Tender/ Deptt	Target date of completion	Status	Remarks
						No	Date	Amount (In lakh)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jind	Safidon	Safidon	Aftabgarh	Const. of ILPB Street from H/o Joginder S/o Amar Singh to J.D. School	CEO DRDA JIND Lt. No. 233-35	04.05.2023	9.46	Tender	02.02.2024	In Progress	Work order issued vide Lt. No. HEWP/AL-28484 Dt. 17.07.2023
2	Jind	Safidon	Safidon	Rampura	Const. of Saini Choupal	CEO DRDA JIND Lt. No. 233-35	04.05.2023	9.71	Tender	02.02.2024	In Progress	Work order issued vide Lt. No. HEWP/AL-29011 Dt. 17.07.2023
3	Jind	Safidon	Pillukhera	Kalwa	Comp. of Saini Choupal	CEO DRDA JIND Lt. No. 233-35	04.05.2023	5.53	Tender	29.02.2024	Not Start	Tender opened on Dt. 19.08.2023 & LOA will be issued.
4	Jind	Safidon	Pillukhera	Kalwa	Comp. of Panchal Choupal	CEO DRDA JIND Lt. No. 233-35	04.05.2023	5.37	Tender	29.02.2024	Not Start	Tender re-floated & will be received on Dt. 30.08.2023.
5	Jind	Safidon	Pillukhera	Malshari Khera	Comp. of Brahman Choupal	CEO DRDA JIND Lt. No. 233-35	04.05.2023	8.42	Tender	31.03.2024	Not Start	Tender opened on Dt. 19.08.2023 & LOA will be issued.

6	Jind	Safidon	Pillukhera	Gangoli	Comp. of Hall in Dhanak Choupal	CEO DRDA JIND Lt. No. 233-35	04.05.2023	9.18	Tender	31.03.2024	Not Start	Tender opened on Dt. 19.08.2023 & LOA will be issued.
7	Jind	Safidon	Pillukhera	Beri Khera	Const. of Hall in Guru Vishavkarma Choupal	CEO DRDA JIND Lt. No. 233-35	04.05.2023	9.92	Tender	31.03.2024	Not Start	Tender re-floated & will be received on Dt. 30.08.2023.
8	Jind	Safidon	Pillukhera	Amarawali Khera	Const. of Kumhar Choupal	CEO DRDA JIND Lt. No. 233-35	04.05.2023	8.90	Tender	31.03.2024	Not Start	Tender re-floated & will be received on Dt. 30.08.2023.
9	Jind	Safidon	Pillukhera	Dhatrath	Const. of Pandit Choupal in Main Bazar	CEO DRDA JIND Lt. No. 233-35	04.05.2023	8.99	Tender	31.03.2024	Not Start	Tender opened on Dt. 19.08.2023 & LOA will be issued.
10	Jind	Safidon	Pillukhera	Bhurain	Comp. Payment of Street with ILPB from Bhurain Jamini Road to Nursery	CEO DRDA JIND Lt. No. 233-35	04.05.2023	3.42	Tender	31.01.2024	Not Start	Tender opened on Dt. 19.08.2023 & LOA will be issued.
11	Jind	Safidon	Safidon	Anchra Kalan	Comp. of Balmiki Choupal	CEO DRDA JIND Lt. No. 233-35	04.05.2023	6.90	Tender	10.01.2024	Not Start	Work order issued vide Lt. No. HEWP/AL-30326 Dt. 12.08.2023
12	Jind	Safidon	Safidon	Anta	Comp. of Balmiki Choupal	CEO DRDA JIND Lt. No. 233-35	04.05.2023	5.00	Tender	10.01.2024	Not Start	Work order issued vide Lt. No. HEWP/AL-30323 Dt. 12.08.2023
13	Jind	Safidon	Safidon	Anta	Comp. of Muslim Choupal	CEO DRDA JIND Lt. No. 233-35	04.05.2023	5.00	Tender	10.01.2024	Not Start	Work order issued vide Lt. No. HEWP/AL-30325 Dt. 12.08.2023
14	Jind	Safidon	Safidon	Hatt	Comp. of Malik Choupal	CEO DRDA JIND Lt. No. 233-35	04.05.2023	7.00	Tender	31.03.2024	Not Start	Estimate prepared on HEWP. Tender to be floated shortly.

15	Jind	Safidon	Safidon	Hatt	Comp. of Khayali Choupal	CEO DRDA JIND Lt. No. 233-35	04.05.2023	7.00	Tender	10.01.2024	Not Start	Work order issued vide Lt. No. HEWP/AL-30322 Dt. 12.08.2023
16	Jind	Safidon	Safidon	Kharkhana	Const. of Hall in First Floor of Dhanak Choupal	CEO DRDA JIND Lt. No. 233-35	04.05.2023	6.28	Tender	31.03.2024	Not Start	Estimate prepared on HEWP. Tender to be floated shortly.
17	Jind	Safidon	Safidon	Kharkhana	Const. of Neem Wali Choupal	CEO DRDA JIND Lt. No. 233-35	04.05.2023	11.13	Tender	31.03.2024	Not Start	Estimate prepared on HEWP. Tender to be floated shortly.
18	Jind	Safidon	Safidon	Harigarh	Comp. of Dhanak Choupal	CEO DRDA JIND Lt. No. 233-35	04.05.2023	3.69	Tender	31.01.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 30.08.2023.
19	Jind	Safidon	Safidon	Hatt	Re Const. of Street with ILPB and side drain of PWD Safidon road to Banquet Hall	CEO DRDA JIND Lt. No. 233-35	04.05.2023	1.55	Tender	31.12.2023	Not Start	Estimate prepared on HEWP. Tender to be floated shortly.
20	Jind	Safidon	Safidon	Kharkhara	Const. of ILPB Street from H/o Joginder Dera to Ramdiya Dera	CEO DRDA JIND Lt. No. 233-35	04.05.2023	10.22	Tender	03.03.2024	Not Start	Work order issued vide Lt. No. HEWP/AL-20266 Dt. 15.08.2023
	Total							**142.67**				

अनुलग्नक 'बी'

CM Announcement Code 25284 - Safidon Constituency Village wise Report of Jind District

S. NO.	SCHEME	BLOCK	VILLAGE	NATURE OF WORK	SANCTIONED AMOUNT	RELEASED AMOUNT	Exp.	LETTER NO.	DATE	HAS FUNDS BEEN RECEIVED OR NOT (YES/ NO)	LIKELY DATE OF COMPLETION	Executing Agency (XEN/GP/ PS)	STATUS OF WORK
1	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	ANCHRA KHURD	Const. of General Choupal	914000	914000	0.00	890	06-Mar-21	Yes	31.10.2023	XEN	In progress
2	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	BUTANI	Const. of Hall Room in General Chaupal (Bichwali)	912000	912000	0.00	1114	18-Aug-20	Yes	31.10.2023	XEN	In progress
3	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	GANGOLI	Const. of Chilyan Pana Chopal	1166000	1166000	0.00	1114	18-Aug-20	Yes	31.10.2023	XEN	In progress
4	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	GANGOLI	Const. of street from Randheer master home to PWD road	468000	468000	0.00	1626	07-Apr-21	Yes	31.12.2023	XEN	Not Start not start due to demarcation issues
5	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	JAMNI	Const. of General Choupal (Brahman)	842000	842000	0.00	1114	18-Aug-20	Yes	31.10.2023	XEN	In progress

6	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	MANDI KHURD	Const. of General Choupal	835000	835000	0.00	890	06-Mar-21	yes	31.10.2023	XEN	In progress
7	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	MOHAMMAD KHERA	Complition of Urlaniya Chopal	1642000	1642000	0.00	1114	18-Aug-20	yes	31.12.2023	XEN	In progress
8	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	RATTA KHERA	Const. of Panchal Chaupal	500000	500000	0.00	1114	18-Aug-20	Yes	31.10.2023	XEN	In progress
9	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	RITOLI	Const. of General Choupal	835000	835000	0.00	890	06-Mar-21	Yes	31.10.2023	XEN	In progress
10	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	ROJHLA	Const. of Balmiki Choupal	448000	448000	0.00	888	06-Mar-21	Yes	31.10.2023	XEN	In progress
11	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	Rod	Comp. of Balmiki Choupal	385000	385000	0.00	-	-	YES	02.02.2024	XEN	In progress
12	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	Dhatrath	Comp. of Dr. Bhim Rao Ambedkar Bhawan	787000	787000	0.00	-	-	YES	31.10.2023	XEN	In progress
13	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	Nimnabad	Comp. of Ravidash Choupal	447000	447000	0.00	-	-	YES	31.12.2023	XEN	Tender Re-floated & will be received on Dt. 30.08.2023

14	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	Muana	Const. of Sirsali Choupal	1024000	1024000	0.00	-	-	YES	28.02.2024	XEN	Tender Re-floated & will be received on Dt. 30.08.2023
15	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	Singhana	Comp. of Kashyap Choupal	1754000	1754000	0.00	-	-	YES	31.03.2024	XEN	In progress
16	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	Kalwa	Comp. of Slaper Pana (Gen) Choupal	824000	824000	0.00	-	-	YES	31.12.2023	XEN	Tender Re-floated & will be received on Dt. 30.08.2023
				Total	**13783000**	**13783000**	**0**						
1	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	AHLANJOGI KHERA	Const of B/Wall of playground	350000	350000	350000	1114	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
2	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	BAGRU KALAN	Completion of General Chaupal (Bichwali)	666000	666000	666000	1114	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
3	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	BAGRU KHURD	Const. of waste water Nala Govt. School to Siwanamal Road	391000	391000	391000	1114	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
4	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	BAGRU KHURD	Const. of ILPB Street H/o Mukhtyara S/o Pyare Lal to Reghbir S/o Hari Ram	426000	426000	426000	2107	04-Dec-20	Yes	_	GP	Complete
5	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	BASINI	Const. Of ILPB Street in front of Ramphal & Reghubir House	598000	598000	598000	2107	04-Dec-20	Yes	_	GP	Complete

6	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	BHAMBHEWA	Const. of B/Wall of Ghangas Bhawan	794000	794000	794000	1114	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
7	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	BHIRTANA	Const. of street with ILPB from PWD Road to H/o shamsher S/o Ram Swaroop	235000	235000	235000	2107	04-Dec-20	Yes	_	GP	Complete
8	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	BHURAIN	Complition of Brahman Chopal	1330000	1330000	1330000	1114	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
9	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	BHUSLANA	Const. of Harijan Chaupal	589000	589000	589000	1115	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
10	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	BHUSLANA	Const. of Balmiki Chaupal	835000	835000	835000	1115	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
11	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	DHAROLI	Const. B.C Choupal	835000	835000	835000	1114	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
12	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	DHATHRATH	B/wall of Community Centre	581000	581000	581000	1114	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
13	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	DHATHRATH	Const of Hall in Ambedkar Bhawan near Mahila Mandal	865000	865000	865000	1115	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
14	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	GANGOLI	Const. of Paver Block Street from H/o Rammehar S/o Bhagwana to shop of Dharampal S/o Mansa	1481000	1481000	1481000	2107	04-Dec-20	Yes	_	GP	Complete

15	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	GANGOLI	Const. of Street From Rammehar S/o Bhagwana	807000	807000	807000	2107	04-Dec-20	Yes	_	GP	Complete
16	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	GANGOLI	Const. of street with ILPB from PWD Road to waste water Drain	989000	989000	989000	2107	04-Dec-20	Yes	_	GP	Complete
17	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	GANGOLI	Const. of street from Subhash Foji home to Sarif Doom home	850000	850000	850000	1626	07-Apr-21	Yes	_	GP	Complete
18	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	HADWA	Const of R/Wall with cow Ghat at on Bhag Khera Road	1510000	1510000	1510000	1114	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
19	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	HATT	Compl. Of Dr. Ambedkar Bhawan	826000	826000	826000	1115	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
20	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	HATT	Compl. of Gen. Chaupal (Malik Panna)	740000	740000	740000	1114	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
21	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	HATT	Const. of Hall Room General Chaupal (Khyali Panna)	965000	965000	965000	1114	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
22	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	HATT	Pavement of Rasta Ramnagar Road to Ram Kumar S/o Pirthi	178000	178000	178000	2107	04-Dec-20	Yes	_	GP	Complete
23	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	HOSHIARPURA	Compl. Of Balmiki Chaupal	286000	286000	286000	1115	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete

24	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	JAIPUR	Const. of ILPB Street from Patwarkhana to Pir Baba Shyad (Firni))	923000	923000	923000	2107	04-Dec-20	Yes	_	GP	Complete
25	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	KALWA	Const of Saleper Pana Choupal	835000	835000	835000	1114	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
26	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	KALWA	Complition of SC Choupal	358000	358000	358000	1115	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
27	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	KALWA	Const of Rasta With Brick on edge from PWD road to Satyawan Hechery	924000	924000	924000	1114	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
28	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	KHARAK GAGAR	Const of R/Wall with cow Ghat at ghagar wala pond	893000	893000	893000	1114	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
29	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	LUDANA	Complition of Manbhar Pana Choupal	644000	644000	644000	1114	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
30	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	MALIKPUR	Const. of ILPB Street PWD Road to Mohinder S/o Uttam Singh	963300	963300	963300	2107	04-Dec-20	Yes	_	GP	Complete
31	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	MORKHI	Complition of SC Choupal	835000	835000	835000	1115	18-Aug-20	yes	_	GP	Complete
32	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	PILLUKHERA	MORKHI	Const of Rasta With Brick on edge from PWD road to Mishan Hechery	1470000	1470000	1470000	1114	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete

33	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	MUANA	Completion of Odd Chaupal	494000	494000	494000	1114	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
34	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	MUANA	Completion of Gen. Chaupal (Moh Patti)	591000	591000	591000	1114	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
35	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	MUANA	Compl. Of General Chaupal Thoh Pana	578000	578000	578000	1114	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
36	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	MUANA	Completion of Gen. Chaupal (Rohat Patti)	517000	517000	517000	1114	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
37	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	MUANA	Const. of Ambdekar Bhawan	994000	994000	994000	1115	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
38	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	PAJU KALAN	Const. of ILPB Street from Satpal S/o Jaimal to Sr. Sec. School	847000	847000	847000	2107	04-Dec-20	Yes	_	GP	Complete
39	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	PAJU KHURD	const. of street from PWD road to Shamsher s/o Beliram home	248000	248000	248000	1626	07-Apr-21	Yes	_	GP	Complete
40	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	PAJU KHURD	Const. of street from Firni to Rajbir s/o Shri Karma home to Ram Kishan home	777000	777000	777000	1626	07-Apr-21	Yes	_	GP	Complete
41	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	RAMPURA	Const. of ILPB Street PWD Road to Rajeshwar	593700	593700	593700	2107	04-Dec-20	Yes	_	GP	Complete

42	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	RATTA KHERA	Const. of Ambdekar Bhawan	958000	958000	958000	1115	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
43	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	ROJHLA	Const. of ILPB Street from Karan Singh Nehra to Joginder Singh	287000	287000	287000	2107	04-Dec-20	Yes	_	GP	Complete
44	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	ROJHLA	Const. of ILPB Street PWD Road to Karan Singh Saini	142000	142000	142000	2107	04-Dec-20	Yes	_	GP	Complete
45	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	SARFABAD	Const. of R/wall of Pond	224000	224000	224000	1114	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
46	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	SARFABAD	Const. of Ambedkar Bhawan	957000	957000	957000	1115	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
47	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	SARFABAD	Pavement of Street with Dry Bricks on edge paying PWD Road Anchra alongwith drain to Shamshanghat	243000	243000	243000	2107	04-Dec-20	Yes	_	GP	Complete
48	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	SILLA KHERI	Const. of ILPB Street Ramphal to Lokesh S/o Shiv Kumar	719000	719000	719000	2107	04-Dec-20	Yes	_	GP	Complete
49	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	SINGHANA	Compl. of Brahman Chaupal	700000	700000	700000	1114	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
50	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	SINGHPURA	Const. of ILPB Street in BPL Colony near Godam	614600	614600	614600	2107	04-Dec-20	Yes	_	GP	Complete

51	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	SINGHPURA	Const. Of ILPB Street from Ramphal S/o Soran to Ishwar Singh Gulia	138500	138500	138500	2107	04-Dec-20	Yes	_	GP	Complete
52	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	SIWANAMAL URF NAYA GAON	Completion of Harijan Chaupal	481000	481000	481000	1115	18-Aug-20	Yes	_	GP	Complete
53	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	SIWANAMAL URF NAYA GAON	Const. Of ILPB Street to Rodo wala Dera	967000	967000	967000	2107	04-Dec-20	Yes	_	GP	Complete
54	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	SIWANAMAL URF NAYA GAON	Pavement of Street with Dry Bricks on edge PWD Road Bagru to Brahman wali Gali	251000	251000	251000	2107	04-Dec-20	Yes	_	GP	Complete
55	HARYANA GRAMIN VIKAS YOJANA	SAFIDON	SIWANAMAL URF NAYA GAON	Const. Of ILPB Street in Govt. School	514000	514000	514000	2107	04-Dec-20	Yes	_	GP	Complete
				Total	**37808100**	**37808100**	**37808100**						
				G. Total	**51591100**	**51591100**	**37808100**						

अनुलग्नक 'सी'

Status Report of Safidon Constituency MMKKKSY as on 20.08.2023

S. No.	Constituency	Block	Village	Name of Work	Admn. Approval			Mode of Execution Tender/ Dept.	Likely date of completion	Status	Remarks (full reason WIP or WNS)
					No.	Date	Amount (In lakh)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Safidon	Pillukhera	Gangoli	Pav. Of Rasta with Dry bricks on edge from Bhirtana Minor F/o Ramehwar S/o Ram Kisan to F/o Bheera S/o Deiya	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	23.75	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 30.08.2023
2	Safidon	Pillukhera	Gangoli	Pav. Of Rasta with Dry Bricks on edge 12 from Kalwa road F/o Jora Singh S/o Maha Singh to F/o Karampal Shastri	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	2.38	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 30.08.2023
3	Safidon	Safidon	Paju Kalan	Const. of Rasta with Dry Brick on Edge from Khet of Jaspal master to Khet of Ballbir S/o Gyani Ram	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	11.81	Tender	31.12.2023	Not Start	Estimate under prepration on HEWP. Tender to be floated shortly. (Site Dispute)

4	Safidon	Safidon	Nimnabad	Const; of Rasta With Dry Brick from PWD road Malikpur (Khet of Azad Singh s/o Joga Singh to Khet of Gurumukh S/o Tal Singh	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	5.24	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 30.08.2023
5	Safidon	Safidon	Malikpur	Const. of Pav. Of Rasta from Depadi roda to Malak Singh S/o Harbhaj Singh Field	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	3.69	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender eceived on Dt. 18.08.2023 & technically under process.
6	Safidon	Safidon	Nimnabad	Rasta from Dera of Jarnal S/o Bakhta Singh to Dera of Balkar Singh S/o Kapoor Singh	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	11.71	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender eceived on Dt. 18.08.2023 & technically under process.
7	Safidon	Safidon	Anta	Rasta form PWD road Gohana to Khet of Rajinder Mann S/o Chattar Singh to Khet of Gurcharan S/o Jagir Signh	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	13.18	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender eceived on Dt. 18.08.2023 & technically under process.
8	Safidon	Safidon	Anta	Anta Rasta from PWD Panipat (Pull of India Drain Left Side Bank) to Dera of Pardeep Deswal S/o Surender Deswal	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	11.34	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender eceived on Dt. 18.08.2023 & technically under process.
9	Safidon	Safidon	Muana	Rasta from of Suresh S/o Jagdish (PWD Road Budha Khera to H/o Balwan S/o Badlu	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	4.30	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender eceived on Dt. 18.08.2023 & technically under process.

10	Safidon	Pillukhera	Hadwa	Pav. Of Rasta with dry bricks on edge from Dera Talab to Satnarayan S/o Ram Sanehi	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	7.36	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 19.08.2023.
11	Safidon	Pillukhera	Dhatrath	Pav. Of Rasta with dry bricks on edge from Dhatrath Alewa road to f/o Binder S/o Balbir	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	4.90	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 19.08.2023.
12	Safidon	Pillukhera	Kalwa	Pav. Of Rasta with Dry Bricks on edge from Dharoli road F/o Satnarayan s/o Deep Chand to F/o Prem Singh S/o Surjeet	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	17.42	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 19.08.2023.
13	Safidon	Pillukhera	Dhatrath	Pav. Of Rasta with Dry bricks on edge from Jamni rasta to F/o Hawa Singh S/o Phule Singh	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	2.68	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 19.08.2023.
14	Safidon	Pillukhera	Dharoli	Pav. Of Rasta with Dry Bricks on edge from Dharoli Kalwa road F/o Raja S/o Tek Ram to F/o Hawa Singh S/o Desraj	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	6.70	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 24.08.2023.
15	Safidon	Pillukhera	Dharoli	Pav. Of Rasta with dry bricks on edge from Dharoli Bhirtana road F/o Prithivi S/o Devak Ram to F/o Balbir S/o Pyare Lala	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	5.56	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 24.08.2023.

16	Safidon	Pillukhera	Kalwa	Pav. Of Rasta with Dry bricks on edge from Pillukhera road F/o Ramdhri S/o Saria to F/o Zile Singh S/o Rangi Ram	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	7.37	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 24.08.2023.
17	Safidon	Pillukhera	Dharoli	Pav. Of Rasta with Dry bricks on edge from kalwan road to Mandir	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	2.50	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 24.08.2023.
18	Safidon	Pillukhera	Kharak Gagar	Pav. Of Rasta with Dry bricks on edge from Kharak Gagar Hadwa road to F/o Bijender S/o Randhir	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	4.98	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 24.08.2023.
19	Safidon	Pillukhera	Dharoli	Pav. Of Rasta with Dry bricks on edge from Dharoli Bhirtana road F/o Surender S/o Bhikha Ram to Chabri Minor	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	9.85	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 24.08.2023.
20	Safidon	Pillukhera	Kalawati	Pav. Of Rasta with dry bricks on edge from Kalawati Hosiyarpura road F/o Kaptan S/o Ujala to F/o Om Parkash S/o Baba Mangal Dass	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	15.33	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 24.08.2023.
21	Safidon	Pillukhera	Bhag Khera	Pavment of Rasta of Dry Brick on Edge From PWD Bagru Road to F/o Girdhari S/o Lichman	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	4.01	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 24.08.2023.

22	Safidon	Safidon	Rodh	Const. of Pav. Of Rasta PWD road Asandh to Jagir S/o Bhana Singh Dera	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	2.65	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 30.08.2023
23	Safidon	Safidon	Malikpur	Const. of Pav. Of Rasta from Pardhan wali Sadak to Dera Sarabjit S/o Joginder Singh	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	1.56	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 30.08.2023
24	Safidon	Safidon	Muana	Const. of Pav. of Rasta with dry brick on edge from PWD road Bahri Khera to Arya Samaj Sanstha	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	9.77	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 30.08.2023
25	Safidon	Safidon	Bagru Khurd	Const. of Pav. Of Rasta with Dry Brick on Edge from PWD Road Sarfabad H/o Naresh to Dalbir	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	4.15	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 30.08.2023
26	Safidon	Safidon	Bagru Khurd	Const; of Pav. Of Rasta with Dry Brick on Edge from PWD road Sarfabad to F/o Ishwar S/o Kanshi Ram	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	3.16	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 30.08.2023
27	Safidon	Safidon	Bagru Khurd	Const. of Pav. Of rasta with Dry Brick on edge from Morkhi wala rasta via Pandit Ram Singh to F/o Manish S/o Sajan Singh	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	9.48	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 30.08.2023
28	Safidon	Safidon	Sarna Khera	Const. of Pav. Of Rasta with Dry Brick on Edge from Shamshan Ghat to Ramphal Ex. Sarpanch	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	14.33	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender floated & will be received on Dt. 30.08.2023

29	Safidon	Pillukhera	Baniya Khera	Pav. Of Rasta with Dry bricks on edge from Baniya Khera Kharak Gadiya roda to F/o Mahender S/o Ganga Ram	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	22.04	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender re-floated & will be received on Dt. 27.08.2023.
30	Safidon	Safidon	Ram Nagar	Rasta From Vet. Hospital to Up Ward Khet of Naresh S/o Ratan Singh	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	17.73	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender re-floated & will be received on Dt. 27.08.2023.
31	Safidon	Safidon	Ram Nagar	Rasta from Bitani road to Khet of Amit S/o Pal Singh	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	7.12	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender re-floated & will be received on Dt. 27.08.2023.
32	Safidon	Safidon	Siwanamal	Rasta from Bhag Khera Khet of Rajesh S/o Mangeram to Upward Siwanamal Minor	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	23.38	Tender	31.12.2023	Not Start	Tender re-floated & will be received on Dt. 27.08.2023.
33	Safidon	Safidon	Barod	Const. of Pavment of Rasta with dry brick on edge from Minor to Sahab Singh S/oRamdhari Malik	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	4.98	Tender	31.12.2023	Not Start	Work order issued vide Lt. HEWP/AL-30378 Dt. 15.08.2023.
34	Safidon	Safidon	Malikpur	Const. of Pav. Of rasta from Malakpur ashand roda to Korse Singh S/o Kulwant Singh Dera	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	7.59	Tender	31.12.2023	Not Start	Work order issued vide Lt. HEWP/AL-30783 Dt. 15.08.2023.
35	Safidon	Safidon	Malar	Const. of Pav. Of Rasta with Dry brick on edge from PWD Road Budha Khera Malar to Dera Bhaiya Ram	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	4.90	Tender	31.12.2023	Not Start	Work order issued vide Lt. HEWP/AL-30795 Dt. 15.08.2023.

36	Safidon	Safidon	Karsindhu	Const. of Pav. Of Rasta with Dry brick on edge from Kuldeep S/o Beera to Mahender S/o Harichand	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	2.21	Tender	31.12.2023	Not Start	Work order issued vide Lt. HEWP/AL-30862 Dt. 15.08.2023.
37	Safidon	Safidon	Muana	Pavment of Street with Dry Brick on Edge Jimari Khera Wala Rasta Subhash S/o Jogi Ram to Krishan S/o Roop Singh	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	20.33	Tender	31.12.2023	Not Start	Work order issued vide Lt. HEWP/AL-30868 Dt. 15.08.2023.
38	Safidon	Safidon	Muana	Const. of Pav. Of Rasta with Dry brick on Edge from PWd road Koul Khera to Ramphal S/o Hukam Singh	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	13.06	Tender	31.12.2023	Not Start	Work order issued vide Lt. HEWP/AL-30871 Dt. 15.08.2023.
39	Safidon	Pillukhera	Mandi Khurd	Pav. Of Rasta with Dry bricks on edge from main Firni to f/o Suresh s/o Bhale Ram	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	9.95	Tender	31.12.2023	Not Start	Work order issued vide Lt. No. HEWP/AL-30506 Dt. 08.08.2023
40	Safidon	Pillukhera	Mandi Khurd	Pav. Of Rasta with dry bricks on edge from Hasanpur road H/o Karambir S/o Molad to F/o Suresh S/o Bhale Ram	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	16.35	Tender	31.12.2023	Not Start	Work order issued vide Lt. No. HEWP/AL-30512 Dt. 08.08.2023
41	Safidon	Safidon	Rodh	Const. of Pav. Of Rasta from Ardhana to Road Jasbir S/o Gyan Singh Dera	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	4.73	Tender	31.12.2023	Not Start	Work order issued vide Lt. No. HEWP/AL-30733 Dt. 12.08.2023

42	Safidon	Safidon	Bahadurpur	Const. of Pav. Of rasta with dry brick on edge from Kalar Khera Sadak to Buljora and Lilu S/o Ramchander Field	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	3.98	Tender	31.12.2023	Not Start	Work order issued vide Lt. No. HEWP/AL-30746 Dt. 12.08.2023
43	Safidon	Safidon	Singhpura	Const. of Pav. Of Rasta with dry brick on edge from Dairy farm to Satnarayan farm & Dera of suresh Halwai	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	9.44	Tender	31.12.2023	Not Start	Work order issued vide Lt. No. HEWP/AL-30752 Dt. 12.08.2023
44	Safidon	Safidon	Ratta Khera	Const. of Pav. Of Rasta with dry brick on edge from Pandit Tika Ram Field to Sh. Azad Layer farm	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	10.06	Tender	31.12.2023	Not Start	Work order issued vide Lt. No. HEWP/AL-30759 Dt. 12.08.2023
45	Safidon	Safidon	Malikpur	Const. of Pav; of Rasta from Dharamgarh road to Via Satnam Singh S/o Darshan Dera to Nishan Singh Field	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	22.06	Tender	31.12.2023	Not Start	Work order issued vide Lt. No. HEWP/AL-30801 Dt. 12.08.2023
46	Safidon	Safidon	Bahadurgarh	Const. of Pav. Of Rasta with Dry Brick on Edge from PWD Rod Jind Safidon to F/o Hukam Singh	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	7.95	Tender	31.12.2023	Not Start	Work order issued vide Lt. No. HEWP/AL-30874 Dt. 12.08.2023
47	Safidon	Pillukhera	Dhatrath	Pav. Of Rasta with Dry bricks on edge from baniya Krasta to F/o Subha S/o Abhay Ram	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	9.83	Tender	31.12.2023	Not Start	Work order issued vide Lt. No. HEWP/AL-31769 Dt. 08.08.2023

48	Safidon	Pillukhera	Dhatrath	Pav. Of Rasta with dry bricks on edge from Dhatrath Alewa road to F/o Parveen S/o Randhir	Endst. No. 392-BAP-II-(9)-2023/1873	15.06.2023	8.60	Tender	31.12.2023	Not Start	Work order issued vide Lt. No. HEWP/AL-32042 Dt. 08.08.2023
							447.45				

.....

ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल की अनुमानित लागत

99. **श्री. आफताब अहमद** क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगे कि :–

(क) नूंह जिले के गांव छापेरा में एक प्रस्तावित ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या है;

(ख) अब तक जो कार्य हो चुके हैं उनका ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) उक्त परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

परिवहन मंत्री (श्री मूल चन्द शर्मा) श्री मान जी,

(क) वास्तुशिल्प सलाहकार के चयन के लिए आई डी टी आर सोसायटी द्वारा जारी ई–निविदा नोटिस में उल्लिखित परियोजना की अनुमानित लागत 18.51 करोड़ है।

(ख) अब तक किए गए कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है :–

(i) नूंह के गांव छपेडा में 87 कनाल 14 मरले जमीन पट्टे पर ली गई है।

(ii) परियोजना की प्रारंभिक लागत 13.96 करोड़ रूपये थी जो कि केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा समान अनुपात मे वहन की जानी थी। दोनो सरकारो का 50 प्रतिशत हिस्सा यानी 6.98 करोड़ (3.49 करोड प्रत्येक) प्राप्त हो गया है यह राशि ग्रामीण एवं विकास विभाग के पास है।

(iii) इस परियोजना में टाटा मोटर्स लिमिटेड (मूल उपकरण निर्माता) को सहभागी के तौर पर चयनित किया गया है।

(iv) लोक निर्माण विभाग (भवन व सडके), नूंह द्वारा दिनांक 08.08.2023 को वास्तुशिल्प सलाहकार हेतू ई–निविदा जारी की गई है।

(ग) इस स्तर पर परियोजना के पूर्ण होने का समय नही बताया जा सकता।

.....

कक्षाएं आरंभ न करने के कारण

100. **श्री. आफताब अहमद :** क्या स्कूल शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि :–

(क) क्या यह तथ्य है कि वर्ष 2020 में नूंह जिले के चिलावली तथा जयसिंहपुर पंचायत में मेवात मॉडल स्कूल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा इनमें अब तक कक्षाएं शुरू नहीं की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल):

(क) नही, श्रीमान जी। मेवात विकास बोर्ड की दिनांक 12.11.2020 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, मेवात मॉडल स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अधिग्रहित किया जाना था। यद्यपि, चिलावली तथा जयसिंहपुर पंचायत नूंह स्थित मेवात मॉडल स्कूल का भवन आज तक मेवात विकास एजेंसी द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को नहीं सौंपा गया है। एक बार भवन, पूरी तरह से पूर्ण होने पर तथा स्कूल शिक्षा विभाग को सौंप दिए जाने के बाद स्कूल को कार्यात्मक बना दिया जाएगा।

(ख) उपरोक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

निर्माण कार्य में देरी के लिए कारण

101. श्री. आफताब अहमद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) क्या यह तथ्य है कि नूंह शहर के गौशाला रोड पर प्रस्तावित गवर्नमेंट मिडल स्कूल की भूमि स्थानांतरित कर दी गई है; तथा

(ख) उपरोक्त विद्यालय के निर्माण कार्य में देरी के क्या कारण है;

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल):

(क) हाँ, श्रीमान् जी।

(ख) संरचना सलाहकार द्वारा उपयुक्त डिजाइन को अंतिम रूप देने के कारण काम में देरी हो रही है क्योंकि भूमिगत जल उच्च स्तर पर है और भूमि निचले क्षेत्र में होने के कारण जल जमाव है। टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद अक्टूबर 2023 में काम शुरू होने की संभावना है।

बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना

102. **श्री बलराज कुंडू:** क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि :

(क) राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान जिला रोजगार कार्यालयों में अपने नाम दर्ज कराने वालो युवाओं की कुल संख्या कितनी है तथा उनमें से कितने युवाओं को स्थायी रोजगार प्रदान किया गया है;

(ख) राज्य में बेरोजगारी की वर्तमान दर क्या है तथा स्नातक, स्नातकोत्तर तथा प्राफेशनल डिग्री धारक बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 2014 से अब तक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने वाले युवाओं की जिलेवार ब्योरा क्या हैं; तथा

(घ) राज्य में बेरोजगार युवाओं की संख्या का जिलेवार ब्योरा क्या हैं; तथा राज्य में बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार की नीति क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री. मनोहर लाल): श्रीमान जी, इस बारे कथन सदन के पटल पर रख दिया गया है |

कथन

श्रीमान जी,

क) पिछले 8 वर्षों 2015-2022 के दौरान, औसतन लगभग 1.69 लाख प्रति वर्ष युवाओं ने राज्य के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में अपनी योग्यता के अनुसार में पंजीकरण करवाया है (जिलावार विवरण अनुबंध-Iपर है)| रोजगार निदेशालय द्वारा केंद्रीय रूप से निजी क्षेत्र में स्थायी रोजगार से संबंधित डेटा का रखरखाव नहीं किया जाता है, बल्कि रोजगार विभाग रोजगार चाहने वालों और उनके संभावित नियोक्ताओं के बीच एक सुविधाजनक भूमिका निभाता है। हालाँकि, हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्राथमिक भर्ती एजेंसियां हैं जो उम्मीदवारों को स्थायी रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार को सिफारिश करते हैं। पिछले आठ वर्षों के दौरान ऐसे

स्थायी रोजगार के लिए सम्बन्धित आयोग द्वारा प्रदान किया गया डेटा अनुबंध- II पर प्रस्तुत है |

ख) भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के त्रैमासिक बुलेटिन (जनवरी-मार्च 2023) के आधार पर, हरियाणा की बेरोजगारी दर 8.8% है।

राज्य के रोजगार कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 31 जुलाई 2023 तक पंजीकृत आवेदकों का श्रेणीवार विवरण नीचे दिया गया है:-

स्नातक	1,03,265
स्नातकोत्तर	29,988
पेशेवर डिग्री धारक	25,033

ग) महानिदेशक, हरियाणा पुलिस के की रिपोर्ट के अनुसार कथित तौर पर बेरोजगारी की समस्या के कारण आत्महत्या के 12 मामले उनके संज्ञान में आए हैं। (जिलावार विवरण अनुबंध-III पर है)।

घ) रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत युवाओं की जिलेवार संख्या अनुबंध-IV में दी गई है।

राज्य में रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

* सरकार आर्थिक गतिविधियों को लाइसेंसमुक्त और अपराधमुक्त करके व्यवसाय करने में आसानी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलों को सक्रिय रूप से क्रियान्वित कर रही है:-
  - हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती
  - मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान मेलों का आयोजन
  - शिक्षित युवा भत्ता एवं मानदेय योजना- 2016 (सक्षम युवा योजना)
  - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
  - प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना
  - स्टैंडअप इंडिया योजना
  - स्टार्टअप इंडिया योजना

* आवेदकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने और कुशल वर्ग के लिए बाजार की मांग को पूरा करने के लिए, युवाओं को हरियाणा कौशल विकास मिशन (एचएसडीएम), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई), विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की उचित व्यवस्था की गई है।
* रोजगार चाहने वालों और संभावित नियोक्ताओं की सुविधा के लिए निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं के साथ रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है।
* सक्षम युवा योजना का दायरा बढ़ाया गया है जिसमें अब स्नातकोत्तर के साथ, स्नातक और 10+2 पास आवेदक शामिल हैं। इस योजना के तहत पात्र स्नातकोत्तर बेरोजगारों को ₹ 3000/-, पात्र स्नातक बेरोजगारों को ₹ 1500/-, तथा 10+2 पास बेरोजगारों को ₹ 900/-, प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता एवं 100 घंटे कार्य करने की एवज में ₹ 6000/-, प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जा रहा है |
* राज्य के दो प्रमुख भर्ती निकाय अर्थात् हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सरकारी नौकरियों के विभिन्न स्तरों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करते हैं। 1 अप्रैल, 2015 से अगस्त, 2023 की अवधि के दौरान हरियाणा लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार में ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' पदों के लिए 4595 उम्मीदवारों की सिफारिश की है। इसी तरह, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 2014-2023 के दौरान 97,751 उम्मीदवारों की सिफारिश की है।

अनुबंध - I

राज्य में पिछले 8 वर्षों के दौरान जिला रोजगार कार्यालयों में नामांकित युवाओं की कुल संख्या									
जिला	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023 (जुलाई तक)**
अंबाला	7341	6276	5586	8398	11593	7395	7386	5280	1642
पंचकूला	2333	2014	1252	2986	2689	2815	1553	2184	545
यमुनानगर	3173	5748	3935	22063	13624	9397	7549	8029	2706
कुरुक्षेत्र	4596	6564	17608	12625	12020	11446	7090	5657	1654
कैथल	12017	15365	11984	17828	20116	20585	11624	11484	4151
करनाल	6338	10417	3545	28159	16835	14825	12223	9091	2591
पानीपत	8213	9839	3483	9687	9176	6889	5128	4316	1596
रोहतक	6226	6136	3536	9151	10512	11562	11379	10515	3839
झज्जर	5304	5077	3219	16525	10763	8676	4212	4934	1731
सोनीपत	5891	6787	10015	26396	12013	7866	7092	7452	2440
जींद	6499	5697	4563	31453	14567	21075	12417	12186	4061
भिवानी	15556	13709	8348	34226	16389	17921	7104	7522	3272
चरखी दादरी						1965	3131	3145	1724
गुरुग्राम	3538	2811	1596	2632	1884	1248	1145	1070	408
फरीदाबाद	8149	5587	4484	13527	5543	3163	1095	1223	415
पलवल						2271	2443	3211	916
नूंह (मेवात)	1093	2145	1914	3996	2638	6223	1852	1508	567
नारनौल	5772	3938	1726	6575	11598	7075	5111	5573	1635
रेवाड़ी	5340	4154	3889	4184	4621	2424	2075	2177	868
हिसार	8173	6707	3458	36272	20878	18296	13557	10800	4878
फतेहाबाद	4484	6048	2624	11869	10680	8185	5363	5597	2168
सिरसा	3990	7577	4812	11820	10363	10180	5173	5050	2720
कुल	**124026**	**132596**	**101577**	**310372**	**218502**	**201482**	**135702**	**128004**	**46527**

नोट: 2019 से पहले जिला चरखी दादरी का डेटा जिला भिवानी में और जिला पलवल का डेटा जिला फरीदाबाद में शामिल है।

अनुबंध –II

हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रदान की गई नौकरियों की संख्या		
क्रमांक संख्या	**वर्ष**	**प्रदान की गई कुल नौकरियों की संख्या**
1	1st April 2015 to 31st March 2016	53
2	1st April 2016 to 31st March 2017	166
3	1st April 2017 to 31st March 2018	1,506
4	1st April 2018 to 31st March 2019	404
5	1st April 2019 to 31st March 2020	1,278
6	1st April 2020 to 31st March 2021	284
7	1st April 2021 to 31st March 2022	55
8	1st April 2022 to 31st March 2023	788
9	1st April 2023 to till date	61
कुल		**4,595**

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से प्रदान की गई नौकरियों की संख्या		
क्रमांक संख्या	**वर्ष**	**प्रदान की गई कुल नौकरियों की संख्या**
1	2014-2015	2,780
2	2016	2,229
3	2017	8,406
4	2018	20,141
5	2019	34,649
6	2020	8,694

7	2021	4,751
8	2022	15,463
कुल		**97,751**

अनुबंध -III

वर्ष	स्थान	मृतक का नाम
2014	गुरुग्राम	विकासआयु 21 वर्ष
2015	रेलवे	कृष्ण कुमारआयु 25 वर्ष
2017	गुरुग्राम	धनंज्य मिश्राआयु 24 वर्ष
2018	गुरुग्राम	रविआयु 24 वर्ष
2020	गुरुग्राम	मनीष कुमार गुप्ताआयु 20 वर्ष
2020	गुरुग्राम	अजयआयु 29 वर्ष
2022	गुरुग्राम	अमितआयु 24 वर्ष
2022	गुरुग्राम	पवन कुमारआयु 28 वर्ष
2022	गुरुग्राम	आकाशआयु 20 वर्ष
2022	रोहतक	सचिनआयु 23 वर्ष
2022	भिवानी	पवनकुमारआयु 21/22 वर्ष
2022	कैथल	विरेंद्रआयु 19 वर्ष

अनुबंध-IV

राज्य में जिलेवार पंजीकृत आवेदक (31-07-2023 तक)	
जिला	**पंजीकृत आवेदक**
अंबाला	22,577
पंचकूला	7,565
यमुनानगर	34,642
कुरुक्षेत्र	26,617

कैथल	47,593
करनाल	42,446
पानीपत	20,604
रोहतक	39,786
झज्जर	19,013
सोनीपत	28,154
जींद	52,089
भिवानी	34,101
चरखी दादरी	12,993
गुरुग्राम	4,548
फरीदाबाद	4,696
पलवल	12,518
नूंह (मेवात)	8,593
नारनौल	23,433
रेवाड़ी	10,362
हिसार	46,453
फतेहाबाद	22,365
सिरसा	22,726
कुल	**5,43,874**

बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों को नियमित करना

103. श्री बलराज कुंडू : क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या वर्ष 2006 से कार्यरत 1540 बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों को उनके अनुभवों के आधार पर नियमित करने की कोई नीति सरकार के विचाराधीन है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): नहीं, श्रीमान जी।

.....

बेरोजगारी दर कम करना

104. श्री बलराज कुंडू : क्या मुख्यमंत्री कृप्या बताएंगे कि–

(क) क्या यह तथ्य है कि राज्य के सभी विभागों में लगभग 2 लाख नियमित पद रिक्त पड़े है; तथा

(ख) यदि हां, तो उक्त पदों पर स्थायी भर्ती करके बेरोजगारी दर को कम करने के लिए सरकार की क्या योजना है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान जी।

(क) स्थायी पदों की रिक्ति की स्थिति एक गतिशील आंकड़ा है जो बदलती रहती है। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के अनुसार, वर्तमान में राज्य के विभिन्न विभागों में 2,02,576 स्थायी पद खाली हैं।

(ख) स्थायी पदों पर भर्ती करने के लिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग नियमित रूप से विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों द्वारा भेजी गई मांग के आधार पर पदों का विज्ञापन कर रहे हैं। फिलहाल दोनों आयोगों ने 55,000 से ज्यादा पदों पर विज्ञापन दिया है, जिन पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यहां यह भी ध्यान दिलाया जाता है कि सरकार राज्य में रोजगार के अवसरों का केवल एक छोटा सा प्रतिशत ही प्रदान करती है, जिसमें बड़े पैमाने पर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों, जैसे कृषि, विनिर्माण उद्योग, सेवा उद्यम, रियल एस्टेट क्षेत्र, स्टार्ट अप आदि का योगदान होता है। रोजगार के अवसर पैदा करने वाले इन आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

.....

पुनः स्थापित ग्राम शामलात भूमि का ब्यौरा

105. श्री वरूण चौधरी : क्या उपमुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि राज्य में पिछले दो वर्षों के दौरान भूमि राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापित हुई ग्राम शामलात भूमि का (एकड़ में) जिलेवार ब्यौरा क्या है?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): श्रीमान् जी, पिछले दो वर्षों के दौरान भूमि राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापित हुई ग्राम शामलात भूमि का (एकड़ में) जिलेवार ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

क्रम संख्या	जिला का नाम	पिछले 2 वर्षों के दौरान ग्राम पंचायत के नाम पर परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल			पिछले 2 वर्षों के दौरान अनाधिकृत कब्ज़ा हटाकर ग्राम पंचायत को सौंपी गई भूमि का क्षेत्रफल		
		एकड़	कनाल	मरला	एकड़	कनाल	मरला
1	अम्बाला	0	0	0	355	4	7
2	भिवानी	488	10	7	78	5	3
3	चरखी दादरी	394	6	19	142	6	11
4	फरीदाबाद	0	0	0	3	7	5
5	फतेहाबाद	0	0	0	2	5	19
6	गुरूग्राम	0	0	8	5	5	14
7	हिसार	0	0	0	0	0	0
8	झज्जर	0	0	0	23	4	18
9	जीन्द	245	2	16	0	0	0
10	कैथल	1487	5	1	44	7	0
11	कुरूक्षेत्र	307	7	3	19	1	3
12	करनाल	0	0	0	44	2	3
13	नूंह	8	0	14	95	4	11
14	नारनौल	0	0	0	23	1	15
15	पलवल	2	4	0	2	4	0
16	पंचकूला	908	0	10	0	0	0
17	पानीपत	2	1	14	6	6	6
18	रेवाड़ी	0	0	0	13	5	13
19	रोहतक	351	4	0	1	4	0
20	सोनीपत	0	0	0	2	4	0
21	सिरसा	0	0	0	0	0	0
22	यमुनानगर	8724	0	0	93	1	18
	कुल योग	**13982**	**2**	**10**	**936**	**2**	**3**

.....

राष्ट्रीय पेंशन योजना की समीक्षा करना

106. श्री वरुण चौधरी: क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है: यदि हां, तो इस विचारार्थ विषय का ब्योरा क्या है;

(ख) समिति द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या तथा कर्मचारी संगठन के साथ आयोजित बैठकों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम तथा दिनांक क्या हैं;

(ग) प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है; तथा

(घ) क्या राज्य के कर्मचारियों की मांग पर विचार करते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):

क) राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के क्रियान्वयन मे आ रही समस्या के अलावा पुरानी पेंशन योजना के अनुरुप पेंशन की मांग पर विचार करने के लिए दिनांक 20.02.2023 को मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

ख) समिति द्वारा दिनांक 03.03.2023 को पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा, कैथल के निम्नलिखित प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई थीः-

i. श्री विजेन्द्र धारीवाल, प्रधान
ii. श्री रमेश कुमार, अनुसंधान दल के प्रमुख
iii. श्री अनुप सिंह, वरिष्ठ उपाध्याक्ष
iv. श्री ऋषि पाल, महासचिव
v. श्री कमलदीप, उपाध्यक्ष

ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन के मुददे पर गौर करने के लिए पहले ही एक समिति का गठन किया है। राज्य समिति ने भारत सरकार की समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया है।

घ) नहीं, श्रीमान जी।

स्नातकोत्तर चिकित्सकों को लाभ देना

107. श्री घनश्याम दास : क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे किः–

(क) क्या यह तथ्य है कि एम.बी.बी.एस. चिकित्सकों की तुलना में विशेषज्ञ स्नातकोत्तर चिकित्सकों को वेतन में अधिक लाभ नहीं दिया जा रहा तथा

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के बाद भी अब तक सरकार द्वारा विशेषज्ञ कैडर नहीं बनाया गया;

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि सरकार द्वारा हाल ही में विशेष कैडर के लिए बनाए गए प्रारूप में बहुत सी खामियां हैं जिसके परिणामस्वरूप यह कार्यान्वयन के लिए अभी भी लंबित पड़ा हुआ है; तथा

(ग) यदि हां, तो खामियों को दूर करने के बाद उक्त प्रारूप/प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभवाना है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज):

(क) नही, श्रीमान जी। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने पर विशेषज्ञ डॉक्टरों को कार्यग्रहण के समय 6 अतिरिक्त वेतन वृद्धियां प्रदान की जाती है। एक अलग स्पेशलिस्ट काडर के गठन की प्रकिया जारी है।

(ख) नही, श्रीमान जी।

(ग) स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर स्पेशलिस्ट काडर का प्रारूप अपलोड किया गया है। स्पेशलिस्ट काडर के ड्राफ्ट पर आपत्तियां प्राप्त हुई है। वित्त विभाग की आवश्यक सहमति के उपरान्त अन्तिम संस्करण शीघ्र जारी कर दिया जाएगा।

.....

देसी गायों के पालन को बढ़ावा देना

108. श्री घनश्याम दास : क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) क्या यह तथ्य है कि राज्य में देसी गाय पालन के लिए सरकार द्वारा ₹ 25000 का अनुदान दिया जा रहा हैं; यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या है; तथा इसका लक्ष्य क्या है; तथा

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें ऐसा अनुदान दिया गया है तथा क्या देसी गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोई योजना है ताकि अधिक से अधिक लोगों को देसी गाय पालन के लिए आकर्षित किया जा सके तथा उसका ब्यौरा क्या हैं?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): महोदय

(क) हां, राज्य सरकार एक देसी गाय की खरीद पर ₹ 25,000 अनुदान उन पंजीकृत सत्यापित प्राकृतिक खेती किसानों को दे रही है, जो राज्य में 2 एकड़ या इससे अधिक क्षेत्रफल पर प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं । वर्ष 2023-24 के लिए प्राकृतिक खेती योजना के अन्तर्गत 4000 देसी गायों की खरीद का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) योजना के अन्तर्गत 2023-24 के दौरान ₹ 25,000 प्रति गाय की दर से अनुदान पहले ही यमुनानगर जिले के 4 किसानों को वितरित किया जा चुका है । 341 किसानों के देसी गाय खरीद आवेदनों की सत्यापन प्रक्रिया पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा की जा रही है। किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए देसी गाय खरीदने के बारे प्रशिक्षण के माध्यम से भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विद्यालय के नए भवन का निर्माण करना

109. श्री घनश्याम दासः क्या स्कूल शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि ;

(क) क्या यह तथ्य है कि मॉडल संस्कृति विद्यालय, कैंप, यमुनानगर की संबधता हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थानांतरित कर दी गई है जिसके परिणामस्वरुप छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि उक्त विद्यालय का भवन जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण गिराया गया है तथा कक्षाएं विद्यालय के पास किराए पर एक निजी भवन

के छह कमरों में लग रही हैं जोकि विद्यालय के छात्रों की संख्या के लिए अपर्याप्त है तथा विद्यालय भवन की कमी के कारण छात्रों व शिक्षकों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि नए भवन का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है; तथा

(ग) यदि हाँ, तो निविदाएं कब तक आमंत्रित किए जाने की संभावना है तथा गिराए जाने तथा निर्माण के लिए क्रमशः स्वीकृत अनुदान क्या है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल):

(क) हाँ, श्रीमान् जी। 2020–21 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली से संबधता के बाद छात्र संख्या 1798 से बढ़कर 2104 हो गई।

(ख) हाँ, श्रीमान् जी, 16 कक्षा–कक्ष जीर्ण–शीर्ण होने के कारण गिराने के बाद, कक्षा I से V और VIII से XII के छात्र विद्यालय के शेष 21 कक्षाओं में पढ़ रहे हैं और कक्षा VI और VII के छात्रों को किराए के भवन यमुना हाई स्कूल, वीणा नगर कैंप, यमुनानगर में पढाने का प्रबंध किया गया है।

(ग) विद्यालय में 16 कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु 335.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई हैं। 16 कक्षा कक्षों को तोड़ने के लिए कोई अनुदान जारी नहीं किया गया। इस स्तर पर निविदाएं आमंत्रित करने का सही समय सुनिश्चित नही किया जा सकता। जैसे ही निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू होगी, तदानुसार माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जाएगा।

.....

स्टेडियम का नवीनीकरण/उन्नयन करना

110. श्री अमित सिहाग : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या मंडी डबवाली में गुरू गोविंद सिंह स्टेडियम का नवीनीकरण/उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हॉ, तो उसकी विस्तृत योजना क्या है तथा उपरोक्त कार्य कब तक शुरू/पूरा किए जाने की संभावना है?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): हां श्रीमान। यह घोषणा सिरसा जिले के डबवाली में गुरू गोबिंद सिंह खेल परिसर के कैंपस में तरणताल के लिए की गई थी परन्तु

बाद में, इसे 20 आवासीय कमरों सहित बहुद्देशीय इनडोर हॉल (100मी.x70मी.x16मी.) के निर्माण में परिवर्तित कर दिया गया। इस मामले में मौका निरीक्षण के लिए गठित विभागीय कमेटी द्वारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। कमेटी की रिपोर्ट विचाराधीन है।

खेत खलिहान योजना शुरू करना

111. **श्री अमित सिहाग :** क्या विकास एवं पंचायत मंत्री यह बताएंगे कि राज्य में ढाणियों के रास्ते को पक्का करने के लिए खेत खलिहान योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है तथा इसे पुनः कब शुरू किए जाने की संभावना है?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): श्रीमान जी, इस बारे यह अवगत करवाया जाता है कि हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के तहत दिनांक 01.11.2018 से **'मुख्यमंत्री खेत–खलियान सड़क योजना'** (सी.एम. कोड़ 24219) शुरू की गई थी, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 25 किलोमीटर तक खेतों के कच्चे रास्तों का निर्माण ईंटों से या 15 किलोमीटर तक इन्टरलोकिंग पेवर ब्लॉक से तैयार किये गए हैं। इस योजना के तहत खेतों के रास्तों के निर्माण हेतु माननीय मंत्रीगण/विधायक महोदय द्वारा सिफारिश की जाती है। इसके पश्चात सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज द्वारा कार्यों के प्रांकलन तैयार करवाकर सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे जाते हैं जिनकी स्वीकृति माननीय मुख्य मंत्री महोदय से प्राप्त करके राशि सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज को जारी की जाती है।

.....

ई–पुस्तकालयों, जिमों तथा महिला प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण करना

112. श्री अमित सिहाग :क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि खंड डबवाली तथा खण्ड ओढ़ां के लिए हरियाणा सरकार की योजना के अंतर्गत मेरे द्वारा प्रस्तावित ई–पुस्तकालयों, जिमों तथा महिला प्रशिक्षण केन्द्रों को कब तक निर्मित तथा संचालित किए जाने की संभावना है तथा उपरोक्त प्रत्येक के लिए संबंधित विभाग द्वारा बनाए गए डिजाइन/रूपरेखा का ब्यौरा क्या है?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): हाँ श्रीमान् जी, माननीय विधायक ने कुल 25 अनुशंसाएँ की हैं, जिनमें से 14 खण्ड डबवाली (6 ई–पुस्तकालय, 5 जिम और 3 महिला सांस्कृतिक केंद्र) से सम्बंधित हैं और 11 खण्ड ओढ़ां (4 ई–पुस्तकालय, 5 जिम और 2 महिला सांस्कृतिक केद्र) से सम्बंधित हैं। विभाग द्वारा उपरोक्त अनुशंसाओं का परीक्षण किया जा रहा है। सरकार द्वारा निर्णय लिया है कि जो ग्राम पंचायतें मौजूदा भवनों में जगह उपलब्ध कराएंगी और सिविल कार्यों की लागत में 20% हिस्सेदारी देने का प्रस्ताव पारित करेंगी, उन्हें धनराशि आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। ई–पुस्तकालयों हेतु फर्नीचर तथा आई.टी. उपकरणों का रेट कान्ट्रेक्ट के माध्यम से खरीद के लिए निविदा महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान विभाग द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी है। जैसे ही इसे अन्तिम रूप दिया जाएगा, ई–पुस्तकालयों की वास्तविक स्थापना के लिए जिला परिषद द्वारा आगामी कार्यवाही की जाएगी। इन्डोर जिम तथा महिला सांस्कृतिक केन्द्रों में स्थापित किए जाने वाले उपकरणों/वस्तुओं के दर अनुबंध की व्यवस्था का इंडेंट सरकार के विचाराधीन है।

.....

आवासीय कॉलोनियों को विकसित करना

113. श्री सीता राम यादवः– क्या सर्वस्व आवास मंत्री कृप्या बताएगें कि अटेली और कनीना शहर में हाउसिंग बोर्ड की आवासीय कॉलोनियों को विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उक्त कॉलोनियों का विकास कब तक होने की संभावना है ?

हाउसिंग फॉर ऑल मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता): नहीं श्रीमान जी, वर्तमान में हाउसिंग बोर्ड हरियाणा द्वारा अटेली और कनीना शहर में आवासीय कॉलोनी विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही ळें

.....

नए पावर सब-स्टेशन स्थापित करना

114. श्री सीता राम यादव : क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताएंगे कि कनीना खंड के गांव बाघोत तथा अटेली नांगल खंड के गांव कटकई तथा नीरपुर राजपूत में प्रस्तावित नए पावर सब स्टेशनों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

ऊर्जा मंत्री (श्री रणजीत सिंह): हां श्रीमान जी, अटेली नांगल ब्लॉक के गांव कटकई और नीरपुर राजपूत तथा कनीना ब्लॉक के गांव बाघोत में 33 के.वी. सब-स्टेशनों की स्थापना का प्रस्ताव दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम / हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम द्वारा पहले ही स्वीकृत

कर दिया गया है। ये सभी सब-स्टेशन वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान चालू किए जाने की संभावना है।

पावर हाउस स्थानांतरित करना

115. श्री सीता राम यादव: क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) क्या यह तथ्य है कि कनीना में स्थापित 132 के.वी. पावर हाउस शहर के बीच में आ गया है तथा इसकी लाइनों को शहर से बाहर ले जाने का कोई रास्ता नहीं है; तथा

(ख) यदि हां, तो उक्त 132 के.वी. के पावर हाउस को मनका वाली बनी की खाली भूमि पर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इसे कब तक स्थानांतरित किए जाने की संभावना है?

ऊर्जा मंत्री (श्री रणजीत सिंह):

(क) हां, श्रीमान । कनीना में 132 के.वी. सब-स्टेशन नगरपालिका की सीमाओं के अन्दर है। इसमें 11 नम्बर 11 के.वी. आऊटगोईंग फीडर तथा 1 नम्बर 33 के.वी. आऊटगोईंग फीडर हैं जिनको आवश्यक कोरिडोर/राईट ऑफ वे मिला हुआ है ।

(ख) नहीं श्रीमान । उक्त 132 के.वी. सब-स्टेशन को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण करना

116. श्रीमती निर्मल रानीः क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या गन्नौर विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में सांसद ग्राम योजना के अंतर्गत गांव दतौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उपरोक्त भवन का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): हां, श्रीमान जी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दतौली के नए भवन के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अनुमोदित ड्राईगं वास्तुकला विभाग और विकास एवं पंचायत विभाग को भेजी

जा चुकी है। भवन का निर्माण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा 15वें वित्त आयोग के अतंर्गत मिलने वाले अनुदान से किया जाएगा। आवश्यक स्वीकृतियां मिलने के उपरान्त निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा और इसके लगभग 02 वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है।

'हर घर नल हर घर जल' योजना के अंतर्गत कार्य

117. **श्रीमती निर्मल रानी** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कृपया बताएंगे कि गन्नौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गन्नौर शहर 'हर घर नल हर घर जल' योजना के अंतर्गत अब तक कितने प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डॉ बनवारी लाल): श्रीमान जी, गन्नौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गन्नौर शहर में 'हर घर नल हर घर जल योजना' के अंतर्गत कोई कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि यह केंद्रीय योजना केवल ग्रामीण क्षेत्र के गांवों के लिए है।

.....

178 गुरुग्राम में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण।

118. ए.एम राजेश कौ लगावैं।

गुरुग्राम में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण	क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:- (क) विनियमन क्या है जिसके तहत जिला गुरुग्राम में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को भूमि अधिगृहित करने के अधिकार दिए गए हैं; (ख) वर्ष 2000 से भूमि के स्वामियों/धारकों को दिए गए मुआवजे की गणना का सूत्र क्या है; (ग) वर्ष 2000 से उन दृष्टांतों का ब्यौरा क्या है जहां भूमि अधिग्रहण करने के लिए मालिकों ने मुआवजा लेने से इन्कार कर दिया; (घ) उन दृष्टांतों का ब्यौरा क्या है जहां वर्ष 2000 से अधिगृहित भूमि के लिए लाभार्थियों द्वारा मुआवजा एकत्रित नहीं किया गया है; (ड) उन दृष्टांतों का ब्यौरा क्या है जहां वर्ष 2000 से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहित भूमि को विकास के लिए निजी बिल्डरों को स्थानांतरित कर दिया गया है; (च) उस भूमि का ब्यौरा क्या है जो खाली पड़ी है या उपयोग में नहीं है; तथा (छ) उन दृष्टांतों का ब्यौरा क्या है जहां वर्ष 2000 से गुरुग्राम में अधिगृहित भूमि उनके मूल धारक/ मालिक को वापस दे दी गई है?

दिनांक 25.08.2023

पुरस्थापित बिल	विचार तथा पारित होने वाले बिल
3	कोई बिल पारित नहीं हुआ

179

D.O. No. CMH-202 3/ 3934

मनोहर लाल
MANOHAR LAL

सत्यमेव जयते

मुख्य मन्त्री, हरियाणा,
चण्डीगढ़।
CHIEF MINISTER, HARYANA,
CHANDIGARH.

Dated 29/08/2023

Request accepted
29.8.2023

5812-5815
29-8-2023

Subject: **Grant of one month time for collection of data of 23 year as desired by Sh. Rakesh Daultabad MLA, Badshapur via un-starred question no. 118.**

Seen Reader 29/8/23

Respected Sh. Gyan Chand Gupta,

DS(LC)

As you are aware, via un-starred question no. 118 Sh. Rakesh Daultabad, MLA Badshahpur has sought information on under mention points:-

a) the regulation under which the HSVP has been authorized to acquire land in district Gurugram;

b) the mechanism of calculation of compensation awarded to owners/holders of land since year 2000;

c) the details of instances since year 2000 where the owners have refused to accept compensation for the land acquired;

d) the details of instances where the compensation for the land acquired has not been collected by the beneficiaries since year2000;

e) the details of instances where the land acquired by HSVP was transferred to private builders for development since 2000;

f) the details of acquired land which lies vacant or unused; and

g) the details of instances where the land acquired has been given back to its original holder/owner in Gurugram since year2000?

Considering the fact that the data sought is for last twenty three years, a meticulous compilation of the same would require more time. I would like to request that one month additional time may be provided for the same.

With Regards

Your sincerely,

(Manohar Lal)

Sh. Gyan Chand Gupta,
Hon'ble Speaker, Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh

Office : 4th Floor, Haryana Civil Secretariat, Chandigarh - 160001, Ph. 0172-2749396, 0172-2740995 (Fax)
Resi. : H. No. 1, Sector-3, Chandigarh - 160001, Ph. 0172-2749394, 0172-2740596 (Fax)
email : cmharyana@nic.in

ग्लोबल सिटी गुरूग्राम का ब्यौरा

119. **श्री राकेश दौलताबाद**: क्या उपमुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) समय सीमा के अनुसार ग्लोबल सिटी परियोजना से राजस्व तथा रोजगार कब तक सृजित किए जाने की सभावना है;

(ख) क्या व्यवसायों तथा निवेशकों को आकर्षित करने में विफल हुई जी.आई.एफ.टी. सिटी के कारणों को जानने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) इस पर खर्च राशि कितनी है तथा अब तक ग्लोबल सिटी प्रयोजना राजस्व सृजित हुआ है; तथा

(घ) उक्त परियोजना को पूरा करने की अंतिम सीमा का ब्यौरा क्या है?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चैटाला): श्रीमान जी,

(क) ग्लोबल सिटी प्राजेक्ट वस्तुसूची (इन्वेंट्री) को बाजार की स्थितियों/बाजार की आवश्कता के आधार पर चरणों में मुदकृत करने की योजना है। विभिन्न हितधारकों से फीडबैक पर विचार करने के बाद शुरूआत में तीन बड़े भूमि खंड और एक सामाजिक बुनियादी ढांचे की साइट रूपये 8,874.57 करोड़ के आरक्षित मूल्य के साथ नीलाम की जा रही है। ग्लोबल सिटी प्राजेक्ट की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के अनुसार, पूरी तरह विकसित होने पर इससे लगभग 5.20 लाख प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है।

(ख) नहीं श्रीमान जी।

(ग) ग्लोबल सिटी प्राजेक्ट पर मुख्य रूप से भूमि और संबंधित लागत पर अब तक 2,185.09 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं। परियोजना वर्तमान में विकास चरण में है और राजस्व सृजन अभी शुरू होना है।

(घ) परियोजना के चरण-I (अर्थात 587 एकड़) के विकास के लिए निविदांए आमन्त्रित की गई हैं और प्राप्त बोलियां वर्तमान में माननीय मुख्य मंत्री, हरियाणा की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त कार्य खरीद समिति (एचपीडब्ल्यूपीसी) के विचाराधीन है। कार्य शीघ्र ही आबंटित किया जाना संभावित है और तीन वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है।

जंगल सफारी का ब्यौरा

120. श्री राकेश दौलताबाद: क्या पर्यटन मंत्री, कृपया बताएंगे कि:-

(क) गुरूग्राम के अरावली मे जंगल सफारी के लिए सरकार द्वारा चिन्हित क्षेत्र का ब्यौरा क्या हैय

(ख) जंगल सफारी के लिए चिन्हित क्षेत्र का ब्यौरा क्या है जोकि वर्तमान मे अन्य प्रयोजनो के लिए उपयोग की जा रही है य

(ग) अरावली जंगल सफारी का संचालन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है य तथा

(घ) उक्त परियोजना को पूरा करने की अन्तिम तिथि का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री (श्री कंवर पाल): जी हाँ, श्रीमान जी।

(क) अरावली सफारी पार्क परियोजना का प्रस्ताव विचाराधीन है और परियोजना का मास्टर प्लान बनने के उपरान्त ही चिन्हित क्षेत्र का ब्यौरा दिया जा सकता है।

(ख) उपरोक्त 'क' के मध्यनजर, प्रश्न नही उठता।

(ग) उपरोक्त 'क' के मध्यनजर, प्रश्न नही उठता।

(घ) उपरोक्त 'क' के मध्यनजर, प्रश्न नही उठता।

.....

सत्र की अवधि बढ़ाने का मामला उठाना

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमें पता तो लगे कि हमारे प्रश्नों का क्या रहा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं बता रहा हूं। आप सुनिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप अन्य को तो बोलने दे रहे हो लेकिन हमारे को बोलने नहीं दे रहे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मैं किसको बोलने दे रहा हूं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, 3 दिन में लगभग-लगभग 30 सवाल लगे हैं। मेरा 11वां सवाल था। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मेरा 10वां सवाल था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, कल माननीय सदस्य श्री वरूण चौधरी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि या तो आप सैशन बढ़ा दो या आज जो रह गये उनको क्वैश्चन समेत 6-6 मिनट दे दो। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गौतम जी, उन प्रश्नों का सरकार की ओर से लिखित जवाब माननीय सदस्यगण को गया हुआ है। आप उसका अध्ययन कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, सैशन से सरकार मजबूत होती है। जितना बड़ा सैशन होगा यूं समझिये उससे उतनी ही सरकार मजबूत होगी। हम सरकार के हक में पॉजीटिव बात कहेंगे। हमने बड़ी ऐतिहासिक बात की है। हम सदन में प्रदेश की समस्याएं रखेंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गौतम जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाइये। देखिये, जो कहा कि प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। शायद हरियाणा विधान सभा पूरे देश की पहली विधान सभा है जिसमें हमने यह प्रावधान किया है कि कोई भी माननीय सदस्य कोई भी 3 प्रश्न 1 महीने के अंदर लिखित रूप में पूछ सकता है और डिपार्टमैंट की तरफ से उसका जवाब आयेगा। अत: यह कहना कि समय नहीं मिलता, ठीक नहीं है। आपके पास तो पूरे 12 महीने का समय है। आप जब मर्जी प्रश्न पूछ सकते हैं। (विघ्न)

प्रश्नों के जवाब न आने का मामला उठाना

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : गोगी जी, जवाब आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो हम इसे दिखा लेते हैं।

सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से संबंधित सूचना देना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हरियाणा विधान सभा की सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार समिति द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए श्री असीम गोयल, विधायक को प्रथम सर्वश्रेष्ठ विधायक, श्री जोगी राम सिहाग, विधायक को द्वितीय सर्वश्रेष्ठ विधायक एवं श्री अमित सिहाग, विधायक को तृतीय सर्वश्रेष्ठ विधायक को संसदीय कार्यवाही में सक्रिय, उपयोगी तथा रचनात्मक सहभागिता के लिए चुना गया है। मैं अपनी तथा सदन के सभी सदस्यों की तरफ से तीनों विधायकों को हार्दिक बधाई देता हूं। अब मैं समिति के माननीय सदस्यों श्री मनोहर लाल (मुख्यमंत्री), श्री दुष्यन्त चौटाला (उप-मुख्यमंत्री), श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (नेता प्रतिपक्ष), श्री कंवर पाल (संसदीय कार्य मंत्री) और श्री रणबीर गंगवा (उपाध्यक्ष) से अनुरोध करता हूं कि वे इन विधायकों सर्वश्री असीम गोयल, जोगी राम सिहाग एवं अमित सिहाग को बारी-बारी से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित करें।

(इस समय सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार समिति के सदस्यों द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए क्रमश: प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेष्ठ विधायक श्री असीम गोयल, श्री जोगी राम सिहाग एवं श्री अमित सिहाग को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, शॉल एवं एक लाख एक हजार, इक्कहतर हजार व इक्यावन हजार रूपये के कैश अवार्ड के चैक्स देकर सम्मानित किया गया।)

श्री असीम गोयल: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 का सर्वश्रेष्ठ प्रथम विधायक चुने जाने पर मैं सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार समिति का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री जोगी राम सिहाग : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 का सर्वश्रेष्ठ द्वितीय विधायक चुने जाने पर मैं सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार समिति का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री अमित सिहाग: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 का सर्वश्रेष्ठ तृतीय विधायक चुने जाने पर मैं सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार समिति का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, ये जो पुरस्कार आज हमारे माननीय सदस्यों को दिये हैं जिसमें प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार दिये गये हैं। मैं आप सबकी तरफ से इसका

अनुमोदन चाहूंगा। इसमें हमने यह तय किया है कि जो प्रथम पुरस्कार है वह इस 5 साल के कार्यकाल में किसी माननीय सदस्य को दोबारा नहीं मिलेगा लेकिन जो द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले माननीय सदस्य हैं वे प्रथम स्थान पर आ सकते हैं। इस प्रकार जो माननीय सदस्य इस 5 साल के कार्यकाल में प्रथम आ चुके हैं उन माननीय सदस्यों को दोबारा से यह पुरस्कार नहीं मिलेगा।

आवाजें: ठीक है, जी।

लेह में शहीद हुए जवानों का मामला उठाना

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक रिकवेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारे जवान ड्यूटी के दौरान लेह में गढ्ढे में गिरने के कारण शहीद हो गये हैं उनमें पंजाब राज्य के शहीद जवानों के लिए पंजाब सरकार ने 1-1 करोड़ रूपये दिये हैं। इनमें हमारे राज्य के 5 जवान शहीद हुए हैं तो हरियाणा सरकार उनको कितने पैसे देगी? पंजाब राज्य के 3 जवान शहीद हुए हैं और उनकी सरकार ने उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रूपये दिये हैं और उनके एक-एक बच्चे को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है। मेरा कहना यह है कि इसमें हरियाणा सरकार भी आगे बढ़े और उन शहीदों के परिजनों को 1-1 करोड़ रूपये के साथ-साथ एक-एक बच्चे को सरकारी नौकरी दे।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमारी पॉलिसी बनी हुई है।

हाई टी के लिए सदन के सदस्यों को आमंत्रित करना

श्री असीम गोयल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ जो सम्मानित माननीय सदस्य पुरस्कार समिति में थे जिन्होंने मुझे प्रथम पुरस्कार के लिए चुना है, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से विधान सभा के सभी माननीय साथियों, सभी ऑफिसर्ज और पत्रकार बंधुओं से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप आज लंच के बाद 40 मिनट का कोई स्लॉट दे दें तो अंबाला की प्रसिद्ध गोल-गप्पे व चाट /हाई टी के लिए लंच ब्रेक में या बाद में सभी सादर आमंत्रित हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, इसके लिए 3:30 बजे से लेकर 4:15 बजे तक (45 मिनट के लिए) सभी माननीय सदस्यगण, माननीय अधिकारीगण और हमारे पत्रकार साथी भी आमंत्रित हैं। ऐसा मैं माननीय सदस्य की तरफ से सभी से अनुरोध करता हूं।

श्री असीम गोयल: अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों के बारे में सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शून्य काल शुरू होता है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने जो काम रोको प्रस्ताव और भ्रष्टाचार को लेकर कॉलिंग अटैंशन मोशन लगाया है, उनका क्या फेट है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मैं आपको इनके फेट बता दूंगा लेकिन अभी आप प्लीज बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा जो काम रोको प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये गये हैं उनका क्या फेट है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं लेकिन हमारा इसमें यह कहना है कि यह प्रस्ताव तो हमारा मंजूर करो ताकि पता चल सके कि प्रदेश में भ्रष्टाचार कितना है और कितना नहीं है ?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इनका फेट लिखित में आना चाहिए कि आप किस कारण हमारे प्रस्तावों को रिजैक्ट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, इनके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज तक इनके बारे में लिखित में नहीं बताया गया है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ठीक है आप हाउस में ही इनका फेट बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है किरण जी, मैं आपको इनका फेट बता दूंगा लेकिन आप प्लीज बैठ जाये ।

शून्य काल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष : आज शून्य काल में जो माननीय सदस्य बोलेंगे मैं उनके नाम पढ़कर बता देता हूं जो इस प्रकार हैं श्री राम करण, राव दान सिंह, श्री अमित सिहाग, श्री घनश्याम दास अरोड़ा, श्रीमती रेनू बाला, श्री जयवीर सिंह, श्री महीपाल ढांडा, श्री सत्य प्रकाश, श्री विनोद भ्याना, श्रीमती नैना सिंह चौटाला, श्रीमती निर्मल रानी, श्री नरेन्द्र गुप्ता, श्री लक्ष्मण सिंह यादव, श्री दुड़ा राम, श्री दीपक मंगला, श्री बलबीर सिंह, श्री राम कुमार गौतम, श्रीमती सीमा त्रिखा, श्री सीता राम यादव, और श्री नयन पाल रावत जी आदि। (शोर एवं व्यवधान)

शून्य काल में नाम न होने का मामला उठाना

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें नाम नहीं आया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वरूण जी, माननीय सदस्यों के नाम ड्रा ऑफ लोट्स से निकाले जाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मैं माननीय सदस्यों के नाम की लॉटरी नहीं निकालता हूं। श्री आर.के. नांदल, सचिव, हरियाणा विधान सभा लॉटरी निकालते हैं। जिनके नाम लॉटरी में आयेंगे वहीं माननीय सदस्य जीरो ऑवर पर बोलेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें नाम नहीं आया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी सभी माननीय सदस्य प्लीज बैठ जायें। जो कॉलिंग अटैंशन मोशन और जो प्रस्ताव आये हैं, मैं उनका फेट बता रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी बैठ जायें।

श्री प्रवीण डागर : अध्यक्ष महोदय, आप जीरो ऑवर का समय दो घंटे तक बढ़ा दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डागर जी, जीरो ऑवर का मतलब एक घंटा ही होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शंकुतला खटक : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के की समस्याएं हैं और आप मुझे बोलने के लिए टाइम नहीं दे रहे हो इसलिए आप ही इनको सदन में पढ़ दो ताकि मुख्यमंत्री जी और सरकार तक यह संदेश पहुंच जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : खटक जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। अगर मैं पिछले विधान सभा सत्रों की कार्यवाही की संख्या बताऊंगा तो आपको सही बात का पता चल जायेगा। वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2023 तक अगर मैं इनकी संख्या बताऊं तो आप कहेंगे कि हमने जस्टीफाइड किया है। हमने पिछले वर्षों के मुकाबले डेढ़ गुणा ज्यादा विधान सभा सत्रों की बैठक की हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटक: अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के की कुछ समस्याएं है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शकुंतला जी, प्लीज आप बैठ जाएं। देखिए मुझे हाऊस का समय बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) यह जो निर्णय हुआ है।(शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप पहले सभी बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष जी, आप सैशन फ्राइडे को शुरू न करके मंडे को शुरू किया करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जो कार्यसूची तय हुई है वह बिजनेस एडवायजरी कमेटी की मीटिंग के अन्दर तय हुई थी और आज का कार्य भी उसी में तय हुआ है। हम उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष जी, आप सैशन फ्राइडे को शुरू न करके मंडे को शुरू किया करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप वत्स: अध्यक्ष महोदय, मेरा दो दिन से नम्बर नहीं आया इसलिए मुझे अपने हल्के की बात रखने के लिए केवल दो मिनट का समय दे दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। (विघ्न)

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों/गैर सरकारी संकल्पों/अल्पावधि चर्चा/ प्राईवेट मैम्बर बिल तथा नियम 84 के तहत प्रस्तावों के बारे में सूचना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुल 50 ध्यानाकर्षण सूचना (Calling Attention) मिली थीं। इनमें ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ 6, 12, 14, 17, 25, 27, 38, 39, 42 और 44 संलग्न हैं। जिस पर दिनांक 25.08.2023 को चर्चा हो चुकी है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 के साथ 26 और 45 संलग्न हैं। जिस पर दिनांक 28.08.2023 को चर्चा हो चुकी है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 9 दिनांक 29.08.2023 के लिए स्वीकृत है। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 23 दिनांक 29.08.2023 के लिए स्वीकृत है। हमने कुल 16 कॉलिंग अटैंशन मोशन स्वीकार किये हैं, 28 अस्वीकृत हुए हैं तथा 6 टिप्पणी के लिए सरकार के पास हैं। 4 स्थगन प्रस्ताव (adjournment motion) आए थे। जिनमें से स्थगन प्रस्ताव संख्या 2 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 25 में परिवर्तित कर, ध्यानाकषर्ण सूचना संख्या 20 के साथ संलग्न कर दिया था। जिस पर दिनांक 25.08.2023 को चर्चा हो चुकी है। स्थगन प्रस्ताव प्रस्ताव संख्या 4 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 27 में परिवर्तित कर, ध्यानाकषर्ण सूचना संख्या 20 के साथ संलग्न कर दिया था। जिस पर दिनांक 25.08.2023 को चर्चा हो चुकी है। एक adjournment motion अस्वीकार किया गया है तथा एक टिप्पणी के लिए सरकार के पास है। एक गैर सरकारी प्रस्ताव (non-official resolution) आया था जिसको हमने अस्वीकृत किया है। दो अल्प अवधि चर्चा (Short duration discussion) आई थीं। जिसमें अल्प अवधि चर्चा संख्या 1 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 में परिवर्तित कर दिया था। जिस पर दिनांक 25.08.2023 को चर्चा हो चुकी है। अल्प अवधि चर्चा संख्या 2 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 में परिवर्तित कर दिया था। जिस पर दिनांक 28.08.2023 को चर्चा हो चुकी है। एक प्राइवेट सदस्य विधेयक (Private member's bill) आया था। विधि एवं विधायी विभाग द्वारा विधेयक को सरकार के

पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया है। नियम 84 पर चर्चा के लिए एक प्रस्ताव आया था जिसे हमने अस्वीकृत किया है। माननीय सदस्यगण आपने जो प्रस्ताव दिये थे ये उन सबकी कार्यवाही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष जी, मैंने काम रोको प्रस्ताव बेरोजगारी पर दिया था। उसका क्या फेट है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब माननीय सदस्य श्री रामकरण जी बोलेंगे।

श्री राम करण: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में अपने हल्के की बात कहना चाहूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष जी, मैंने बेरोजगारी पर काम रोको प्रस्ताव दिया था। आप उसका फेट बता दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किरण जी, कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष जी, आप नाम लेकर के बताएं। हां ना में बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष: किरण जी, हां ना में नाम लेकर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष जी, मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया था। आपने नाम लेकर बता दीजिए कि आपने कौन-कौन से अस्वीकृत किए हैं। वह बता दीजिए। वह रिकॉर्ड पर आएगा। उसे रिकॉर्ड पर लेकर आए। हमने डिस्कस करने के लिए दिए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किरण जी, मैंने बता दिया है। मैं पूरी एक-एक डिटेल थोड़ी बताऊंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकरण: आप सभी बैठ जाएं। आप थोड़ी देर बैठ जाएं। आप अपनी बात थोड़ी देर बात में कर लेना। पहले मैं अपने हल्के की बात कह लूं। फिर आप बोल लेना।(शोर एवं व्यवधान)

शून्य काल में बोलने के लिए नाम न होने का मामला उठाना

श्री अध्यक्ष: आप सभी बैठ जाएं। आप सभी जीरो ऑवर के समय को कम कर रहे हैं। ऐसे जीरों ऑवर का समय कम हो जाएगा।(शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप वत्स: अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे एक रिक्वैस्ट है कि आप मुझे अपनी बात रखने के लिए केवल दो मिनट का समय दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वत्स जी, पहले आप अपनी सीट पर जाएं। आप यहां दूसरे की सीट पर नहीं बोल सकते। अपनी सीट के अलावा आप कहीं बोल ही नहीं सकते। आप यहां बोल ही नहीं सकते। आपको जो भी कुछ बोलना है आप अपनी सीट पर जाकर बोलिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप वत्स: अध्यक्ष महोदय, मेरा माइक ऑन नहीं है। मेरी आपसे एक रिक्वैस्ट है कि हमारे जिन साथियों को बोलने का अवसर नहीं मिला उनकी मांगे आप लिखित में टेबल करवा दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं वरना मुझे आपको नेम करना पड़ेगा।(शोर एवं व्यवधान)

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य सदन की वैल में आ गए।)

श्री कुलदीप वत्स: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सीट पर चला जाऊंगा, एक बार आप मेरा माइक ऑन करवा दीजिए। आप हमें अपनी बात कहने दीजिए।(शोर एवं व्यवधान

श्री मेवा सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप हमारी मांगें ले लीजिए। (विघ्न) आप हमारी ये मांगें ले लीजिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री बिशन लाल सैनी: अध्यक्ष जी, यदि आप हमें बोलने का समय नहीं देते हैं तो आप हमें नेम कर दीजिए, हम चले जाएंगे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या आपको नेम कर दें।

श्री बिशन लाल सैनी: अध्यक्ष जी, आप हमें नेम कर दीजिए, हम चले जाएंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं हाऊस की वैल में आये हुए सभी माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर चले जाएं वरना मैं आपको नेम करूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, हमें बोलने का मौका दिया जाये। अगर आप हमें बोलने का मौका नहीं देना चाहते तो हमें नेम कर दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप वत्स : स्पीकर सर, हमारी जो डिमाण्ड्ज हैं हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमें उन्हें टेबल्ड करने की अनुमति प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप टेबल कर दें।

श्री कुलदीप वत्स : धन्यवाद स्पीकर सर।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों/गैर सरकारी संकल्पों/अल्पावधि चर्चा/प्राईवेट मैम्बर बिल तथा नियम-84 के तहत प्रस्तावों के बारे में सूचना (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती किरण चौधरी, विधायक, सी.ई.टी. के तहत युवाओं द्वारा विभिन्न समस्याओं से जूझने बारे, श्री नीरज शर्मा, विधायक, हरियाणा में बाढ़ के कारण हुए नुक्सान बारे, श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक, भारी बारिश से फसलों को नुक्सान होने के कारण किसानों को मुआवजा देने बारे, श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक व श्री इंदू राज नरवाल, विधायक, कर्मचारियों की पुरानी पैंशन की मांग एवं सर्व कर्मचारी संघ क्लैरिकल स्टॉफ, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी यूनिवर्सिटी, कांट्रैक्चुअल टीचर, एच.यू.सी.टी.ए. आदि की मांगों के बारे में, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक, परिवार पहचान पत्र को व्रद्धावस्था पैंशन योजना के अंतर्गत तीन लाख रूपये प्रति वर्ष आय के साथ जोड़ने से बुजुर्गों की पैंशन कटने बारे, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक, खिलाड़ियों के साथ अपराधिक घटनाओं के कारण उनमें निराशा बारे, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक, प्रदेश के नूंह जिले में 31 जुलाई, 2023 को हुई हिंसक घटना बारे, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ की फसल के मुआवजे की मांग बारे, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक, प्रॉपर्टी आई.डी. में तकनीकी खामियों बारे, श्री बलराज कुण्डु, विधायक, हरियाणा में सी.ई.टी. में व्यापत विसंगतियों के सम्बन्ध बारे, श्री बलराज कुण्डु, विधायक, भारी बारिश से जल भराव की समस्या का उचित समाधान करने बारे, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बारे, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक, जुलाई से आई भारी बारिश और बाढ़ के कारण प्रदेश के किसानों की फसलों व आम नागरिकों की जान माल के भारी नुक्सान बारे, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक, प्रदेश में बेरोजगारी बारे, श्री भारत भूषण बतरा, विधायक, श्री आफताब अहमद, विधायक, श्री सुभाष गांगोली, विधायक, श्री बलबीर सिंह, विधायक हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की गलत कार्यप्रणाली एवं निर्णयों बारे, श्री मेवा सिंह, विधायक, श्री बिशल लाल सैनी, विधायक सरस्वती नदी की खुदाई करने बारे, श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक हरियणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की गलत

कार्यप्रणाली एवं निर्णयों बारे, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक सरकार की गलत नीतियों की वजह से लाखों शिक्षित युवा सी.ई.टी. की परीक्षा में उलझने बारे, श्री वरूण चौधरी, विधायक, श्री बिशन लाल सैनी, विधायक, श्री मेवा सिंह, विधायक हाल की भारी वर्षा के कारण अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फरीदाबाद और पलवल इत्यादि जिलों में जल भराव होने से जान माल के बहुत नुक्सान होने बारे, श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक 31 जुलाई, 2023 को नूंह में हुई हिंसक घटनाओं बारे, श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक हरियाणा में शिक्षा की बिगड़ती स्थिति बारे, श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक परिवार पहचान पत्र में सुधार के लिए आम जनता की हो रही समस्या के बारे, श्री वरूण चौधरी, विधायक, श्री जय वीर, विधायक, श्री बलबीर सिंह, विधायक श्री शीशपाल सिंह, विधायक प्रदेश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर बढ़ते अपराध बारे, श्री ईश्वर सिंह, विधायक, श्री जगदीश नायर, विधायक, श्री लक्ष्मण नापा, विधायक श्री शीशपाल सिंह, विधायक, श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक बाढ़ के कारण प्रदेश में उत्पन्न हालातों के बारे, श्रीमती किरण चौधरी, विधायक, हरियाणा में बाजरे की फसल में सुण्डी के आक्रमण से हुए नुकसान बारे। श्री इंदुराज, विधायक, श्री शीशपाल सिंह, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री जयवीर सिंह, श्री प्रदीप चौधरी, श्रीमती रेनु बाला, श्रीमती गीता भुक्कल, प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान बारे। श्री नीरज शर्मा, विधायक, हरियाणा के नूंह जिले में हुई हिंसा बारे। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक, खिलाड़ियों के साथ आपराधिक घटनाओं के कारण उनमें निराशा बारे। श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक, राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार बारे। श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक, प्रॉपर्टी आई.डी. की समस्या बारे। श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक व प्रदेश के अन्य जिलों में आयुष्मान योजना के नाम पर हुए घोटाले के सन्दर्भ बारे। श्री नीरज शर्मा, विधायक, सड़क को तोड़ने की जानकारी देने बारे। श्री नीरज शर्मा, विधायक, जिला स्तरीय अदालतों और हाई कोर्ट सहित सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे केसों की जानकारी बारे। श्री नीरज शर्मा, विधायक, नगर दर्शन पोर्टल की जानकारी देने बारे। श्री नीरज शर्मा, विधायक, सी.आई.ए. की कार्यप्रणाली से अवगत करवाने बारे। श्री नीरज शर्मा, विधायक, अधिग्रहण की जानकारी देने बारे। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक, हाल की आई बाढ़ के कारण किसानों व श्रमिकों को हुए नुकसान का मुआवजा व आर्थिक सहायता देने बारे। श्री नीरज शर्मा, हरियाणा में बाढ़ के कारण हुए नुकसान बारे। श्री अभय सिंह चौटाला, ओल्ड पैंशन योजना बहाल करने बारे। श्रीमती किरण चौधरी, नूंह क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती हालत के बारे। श्री भव्य बिश्नोई, विधायक, हरियाणा के 13 जिलों में बाढ़ के कारण हुए भारी नुकसान बारे। राव दान सिंह, विधायक, श्री आफताब अहमद, श्रीमती गीता भुक्कल, दक्षिण हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लगने से बाजरे की फसल को हुए बहुत नुकसान बारे। श्री हरविन्द्र कल्याण, विधायक, यमुना क्षेत्र के किसानों की फसलों तथा जान-माल के भारी नुकसान होने बारे। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक, बाजरे की फसल पर कुतरा नाम की सुण्डी की वजह से जिला सिरसा, फतेहाबाद तथा हिसार आदि में शतप्रतिशत फसल खत्म होने बारे, श्री मेवा सिंह, विधायक, श्री बिशन लाल सैनी, विधायक, श्री शमशेर

सिंह गोगी, विधायक, श्री सुभाष गांगोली, विधायक जीरी की फसल की सरकारी खरीद 15 सितम्बर से शुरू करने बारे। श्री चिरंजीव राव, विधायक नूंह जिले में हाल में हुई हिंसा बारे। श्री नीरज शर्मा, विधायक मेरी फसल, मेरा बीमा पोर्टल के सम्बन्ध बारे। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक भवन एवं सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए हजारों करोड़ रूपये के कथित घपले के बारे। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक हरियाणा में बाजरे की फसल में सुण्डी के आक्रमण से हुए नुक्सान बारे। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक, श्री प्रदीप चौधरी, विधायक, श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक, एडजर्नमैंट मोशन हरियाणा सरकार द्वारा सी.ई.टी. (Common Eligibility Test) और सामान्य भर्तियों दोषपूर्ण और अपारदर्शी प्रक्रियाओं के कारण हरियाणा के युवाओं में निराशा और मानसिक आघात बारे। श्री ईश्वर सिंह, विधायक, श्री जगदीश नायर, विधायक, श्री लक्ष्मण नापा विधायक, श्री शीशपाल सिंह, विधायक, श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक बाढ़ के कारण प्रदेश में उत्पन्न हालातों के बारे में। डॉ. रघुवीर सिंह कादियान, विधायक, श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक, श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक, श्री शीशपाल सिंह, विधायक, श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक, श्री भारत भूषण बतरा, विधायक, श्री आफताब अहमद, विधायक प्रदेश में हाल में हुई हिंसा और कानून व्यवस्था बारे। श्री इंदू राज, विधायक़, श्री शीशपाल सिंह, विधायक, श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक, श्री जयवीर सिंह, विधायक, श्री प्रदीप चौधरी, विधायक, श्रीमती रेनू बाला, विधायक, श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक प्रदेश में बाढ़ से हुए नुक्सान बारे। श्री भारत भूषण बतरा, विधायक, श्रीमती गीता भुककल, विधायक, श्री वरूण चौधरी, विधायक द्वारा नियम 84 के तहत हरियाणा परिवार पहचार पत्र की धारा-3 के तहत जो अधिसूचना जारी की है जो संविधान के मूल सिद्धांतों का उलंघन है उस पर विचार करने बारे प्रस्ताव दिया है, श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा प्रदेश सरकार किसानों को कर्ज मुक्त करने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश करने के लिए नियम-171 के तहत प्रस्ताव दिया है। नियम 122 को 128 के साथ प्राईवेट मैंबर बिल श्री नीरज शर्मा का दा कॉड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हरियाणा अमेंडमैंट बिल, 2023, श्री वरूण चौधरी, विधायक और श्री बिशन लाल सैनी, विधायक, श्री मेवा सिंह, विधायक द्वारा हाल की भारी वर्षा के कारण अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फरीदाबाद और पलवल आदि जिलों में जल भराव होने से जान-माल का बहुत नुकसान होने बारे नियम 73 ए के तहत अल्प अवधि चर्चा की सूचना दी है, राव दान सिंह जी, श्री आफताब अहमद जी, श्रीमती गीता भुक्कल जी, द्वारा दक्षिण हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लगने से बाजरे की फसल को बहुत भारी नुकसान होने बारे अल्प अवधि चर्चा संख्या-2 दी है। ये सभी अल्प अवधि प्रस्ताव हमारे पास आए थे। (विघ्न)

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने जिनकी टिप्पणियां मंगवाई हैं प्लीज वे तो शेयर कर दें।

श्री अध्यक्ष : वरूण जी, टिप्पणियां अभी आई नहीं हैं। जो भी जिसकी टिप्पणी आई थी वह हमने सभी को भेज दी हैं।

यूनिवर्सिटी सीनियर सैकेंडरी मॉडल स्कूल, कुरूक्षेत्र के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के दूसरे ग्रुप का अभिनंदन करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी सीनियर सैकेंडरी मॉडल स्कूल, कुरूक्षेत्र के विद्यार्थियों तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी और सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं।

आशा वर्कर्ज की विभिन्न समस्याओं का मामला उठाना

श्री मेवा सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है। आशा वर्कर्ज से संबंधित यह विषय है।

श्री अध्यक्ष : मेवा सिंह जी, मुद्दे तो सारे ही संवेदनशील हैं।

श्रीमती शकुन्तला खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये कागज पत्र देती हूं।

श्री अध्यक्ष : शकुन्तला खटक जी, प्लीज आप अपनी सीट पर वापिस जाइये। आप इस तरह से वैल में आकर मुझे कागज पत्र नहीं दे सकती। आप अपने कागज पत्र सैक्रेटरी साहब को दीजिए। ऐसे नहीं होता। सदन की कोई मर्यादा होती है, नियम कानून होते हैं। उनका पालन करना होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भी अपनी मर्जी से कुछ दे जाए।(विघ्न)

श्री मेवा सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। धरने पर बैठी आशा वर्कर्ज को पंचकूला में एक बस में बैठाकर सारा दिन उनको घुमाते रहे और रात को 7:30 बजे उनको बस से उतार दिया उनमें 43 महिलाएं पंचकूला की, 15 इंद्री की, 5 फरीदाबाद की और 2 सोनीपत की थी। हमने उनको उनके घरों तक छुड़वाने का इंतजाम करवाया और सरकार एक

तरफ तो 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा देती है और महिलाओं के साथ ऐसा काम करवाती है।

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना

श्री राम करण (शाहबाद, अ.जा.) : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्का शाहबाद में एक गांव सरीफगढ़ है जो 60-70 साल से कस्टोडियन की जमीन में बसा हुआ है। उसमें स्कूल्ज भी हैं, बिजली, पानी भी है। उस संबंध में मेरी डी.सी. साहब से भी बात हुई थी उसके बाद हमारे पूरे गांव का यह निर्णय हुआ कि जिस प्रकार से सभी जगह लाल डोरा के अन्दर की जमीन की रजिस्ट्री हो रही है उसी प्रकार हमारी जमीन की भी रजिस्ट्री करवाई जाए। मेरा यही एक सवाल है जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि उस गांव की लाल डोरे के अन्दर रजिस्ट्री करवाई जाए।अध्यक्ष महोदय, दूसरा मुद्दा आशा वर्कर्ज को लेकर है जोकि धरने पर बैठी हुई हैं। उनकी तनख्वाह बहुत थोड़ी है , एक तो उनकी तनख्वाह बढ़ाने का काम किया जाये इसके साथ ही उनकी कई और भी मांगे हैं जिनको मैं लिखकर दे दूंगा। एक उनका मुद्दा यह भी है वे जच्चा-बच्चा को संभालने का काम भी करती हैं लेकिन बावजूद इसके उनके आयुष्मान कार्ड भी नहीं बनाया गये हैं। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।) मेरा एक मुद्दा यह भी है कि जो हमारे यहां बुजुर्ग हैं, उनको पैंशन मिले हुए भी तीन महीने से भी ज्यादा हो गए हैं वे किसी कारण से अपनी पैंशन नहीं ले पाए थे , उनको पता नहीं था कि उनकी पैंशन वापिस चली जायेगी। मेरा सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन बुजुर्गों की पैंडिंग पैंशन को भी वापिस दिलवाने का काम किया जाये। इसके अतिरिक्त जो गांव में वाटर सप्लाई के ट्यूबवैल्ज हैं, वे सारे के सारे पंचायत के अंडर हैं, इन्हे

पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के अंडर लाया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट को अच्छी तरह से पता होता है कि पानी की लाइन कहां दबाई गई है और कहां उसमें दिक्कत आई है। जिस प्रकार पंचायत को यह काम दिया गया है तो ऐसी हालत में बी.डी.पी.ओ. को कैसे पता होगा कि कहां-कहां से पाइप लाइन दबाई गई है और कहां- कहां पर यह पाइप लाइन टूटी हुई हैं। अत: गांव में वाटर सप्लाई ट्यूबवैल्ज का काम पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट को दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां शाहबाद से लाडवा रोड-बराड़ा रोड को फोरलेन किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है। हमारे यहां शाहबाद में जो बिजली का पावर हाउस है वह बहुत निचाई में आ गया है। इस बार पानी आने की वजह से इसको दुरूस्त करने में पूरे 15 दिन का समय लगा था। अत: मेरा निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द उपर उठाने का काम किया जाये ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत न आने पाये। इसके अतिरिक्त हमने शाहबाद शहर के लिए एक छोटा पावर हाउस मंजूर करवा रखा है, इसको भी जल्द से जल्द शुरू करवाया जाये ताकि यहां पर लोगों को कोई दिक्कत न आये। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी अंडर पास बनाने का अनुरोध किया हुआ है और आज भी कर रहा हूँ कि हमारे यहां अंडर पास जल्द से जल्द बनाया जाये। इससे शाहबाद बस स्टैंड के बिल्कुल सामने शहर आ जायेगा और लोगों को फायदा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरी और भी बहुत सी मांगे हैं जिनको मैं बाद में लिखकर दे दूंगा।

राव दान सिंह (महेन्द्रगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का नारा है कि सबका साथ-सबका विकास लेकिन मैं समझता हूँ कि महेन्द्रगढ़ इस नारे से संपूर्ण तौर पर वंचित है। महेन्द्रगढ़ शहर से लेकर इसको जोड़ने वाली जो सभी सड़कें हैं, उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। मैं

सबसे पहले इन सड़कों का जिक्र करूंगा। महेन्द्रगढ़ से वाया कनीना अपटू दुहीना, महेन्द्रगढ़ से नारनौल, महेन्द्रगढ़ से अटेली, महेन्द्रगढ़ से दुलोट, महेन्द्रगढ़ से बवानिया, झगड़ौली से बवानिया लिंक रोड, आकोदा से खुड़ाना, कोथल से दोंगड़ा अहीर, महेन्द्रगढ़ से देवास, बासड़ी से श्यामपुरा और डिगरोता से सतनाली, यहां पर व्हीकल्ज की मूवमैंट के बाद सैकड़ों किल्लो वजन की धूल आसमान में रहती है, जिसकी वजह से कितने ही लोग टी.बी. के मरीज हो चुके हैं। अत: सरकार को इस तरफ ध्यान देने का काम करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे यहां महेन्द्रगढ़ शहर में कांग्रेस के समय तकरीबन करोड़ों रूपये खर्च करके एक स्विमिंग पुल बनाया गया था लेकिन सरकार ने आज तक उसमें एक बूंद पानी भी डालकर नहीं देखा है। वहां पर जो आडिटोरियम है, उसकी भी बहुत बुरी दुर्दशा हो गई है और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि कोर्ट परिसर के अंदर हमने अपने राष्ट्रीय झंडे को 100 फुट उंचे डंडे के उपर लगाने का काम किया था लेकिन आज तक सरकार ने उस पर झंडा तक बदलकर नहीं देखा है। ये लोग राष्ट्रवाद का नारा देते हैं लेकिन है झंडे से इनको किनारा। उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां महिला महाविद्यालय बने हुए 10 साल हो चुके हैं। कांग्रेस राज के अंदर यह बनाया गया था। इसमें साइंस फैकल्टी भी है। इस बात को मैं केवल इस बार ही नहीं बल्कि पिछली बार भी सदन में दोहरा चुका हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर आज तक भी कोई लैब का प्रावधान नहीं है। जब तक कैमिस्ट्री-बायो की लैब ही नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में साईंस संकाय के बच्चे क्या पढ़ेंगे और बिना लैब के क्या सीखेंगे ? अभी कल ही मेरा इस संदर्भ में एक प्रश्न लगा हुआ था जोकि डिस्कशन में नहीं आ पाया था लेकिन आज मैं सदन के माध्यम से इस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि यहां पर बहुत दुर्दशा हो चुकी है लेकिन किसी व्यक्ति ने इस बात की

तरफ ध्यान देने का काम नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां आई.एम.टी. घोषित किया गया था लेकिन इस सरकार द्वारा उसको भी खत्म कर दिया गया है। हमारे यहां जो नैशनल हाइवे घोषित किया गया था उसको भी स्टेट हाइवे बना दिया गया है। महेन्द्रगढ़ हल्के के अंदर किसान माडल स्कूल बनाया गया है और इसकी बिल्डिंग भी तैयार है लेकिन इसकी 10 एकड़ जमीन आज भी सरकार के पास है। उसके बाद भी न तो सरकार उसके अंदर कोई स्कूल चलाना चाहती है और न हीं दूसरी किसी संस्था को देना चाहती है। जहां तक होस्पिटल की बात है, हमारे यहां का होस्पिटल सिर्फ एक रैफरल होस्पिटल बना गया है। यहां कोई भी व्यक्ति किसी तरह से पीड़ित हो जाता है या एक्सिडेंट हो जाता है तो वहां पर डाक्टर सिर्फ रैफर करने का काम इस तरह से करते हैं कि रैफर टू जयपुर, रैफर टू रोहतक और रैफर टू दिल्ली। इसके अलावा वहां पर किसी तरह की कोई बात नहीं है। जब किसी डाक्टर के बारे में पूछा जाता है या किसी स्पेशलिस्ट के बारे में पूछा जाता है तो वहां पर कोई उपलबध नहीं हो पाता है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। जहां तक पीने के पानी का सवाल है या बिजली का सवाल है, हमारे खेतों में ढाणियों के अंदर10-10, 12-12 घंटे बिजली काट दी जाती है। पैट ट्रांसफार्मर के लिए कितनी ही बार रिक्वेस्ट की गई है लेकिन आज तक इनको पूर्ण नहीं किया गया है। इसके बारे में हमने 'दास साहब' से भी बात की थी उन्होंने तो कुछ भेजे थे लेकिन इससे आगे कुछ नहीं हुआ। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो कांट्रैक्चुअल टीचर्ज है, उनके कुछ पेपर्ज हैं, मैं उनको भी टेबल करता हूँ। मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि उन पर भी ध्यान देने का काम किया जाये।

श्री घनश्याम दास (यमुनानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज माननीय सदस्यों के सामने प्राकृतिक खेती के उपर कुछ बातें रखना चाहता हूँ। एक घंटे का विषय है, मैंने उसको तीन मिनट में ही समेटने का प्रयास करना है। प्रकृति अपना संतुलन बनाये रखने में सक्षम है परन्तु मानव हस्तक्षेप के कारण हमने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ी है। अत्यधिक रसायनिक खादों के प्रयोग से कीड़ेमार दवाइयों के प्रयोग से और अत्यधिक खरपतवारनाशक के प्रयोग से हमने जमीन के स्वास्थ्य को बिगाड़ दिया है। हमने वातावरण को प्रदूषित किया है और हमने सब-सॉयल वाटर जो जमीन के नीचे पानी है उसकी भी गुणवत्ता को बिगाड़ने का काम किया है। प्राकृतिक खेती के माध्यम से हम इन सब चीजों से पार पा सकते हैं और प्रकृति का संतुलन बनाये रखने में सहयोगी की भूमिका भी निभा सकते हैं। प्राकृतिक खेती में सबसे पहले हमें देशी गऊ की आवश्यकता होती है और एक देशी गऊ जो गो-मूत्र और गोबर देती है, उसके प्रयोग से हम छह से दस एकड़ में बिना रसायनिक खाद के, बिना कीड़ेमार दवाई के, बिना खरपतवार दवाई के, खेती करने में सक्षम हो सकते हैं। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हम रसायनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे तो जमीन की उर्वरा शक्ति जिसको हम काफी कम कर चुके हैं, उसको कैसे पूरा करेंगे तो देशी गऊ के गो-मूत्र से गोबर से सबसे पहले हम जीव अमृत बनाकर जिसमें गुड़ और बेसन का प्रयोग किया जाता है, हम फसलों पर उसका स्प्रे करके और उसको सिंचाई के समय पानी में डालकर, जो खाद की कमी है, उसको पूरा कर सकते हैं और इसके साथ ही हम घनजीव अमृत बनाकर जिसमें देशी गऊ के गोबर का और जीव अमृत का प्रयोग होता है, हम खाद की कमी को पूरा करने में सक्षम हैं। दूसरा प्रश्न जो सबके सामने आयेगा कि यदि कोई बीमारी आती है तो हम उससे कैसे छुटकारा पायेंगे, क्या कोई ऐसी विधि है कि हम

जो रसायनिक दवाइयां हैं, उनका प्रयोग किए बिना अपनी फसल को बचा सकें तो इस संदर्भ में मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि नीम के पत्तों का प्रयोग, नीम अस्त्र के रूप में करके हम छोटे कीड़े के उपर नियंत्रण पा सकते हैं। यदि उससे कोई बड़ा कीट आता है तो हम अग्नि अस्त्र का प्रयोग करके जिसमें चार से छह पत्तों का प्रयोग होता है, हम कीड़े पर नियंत्रण पा सकते हैं और यदि इससे भी उपर कोई कीड़ा आता है तो हम ब्रम्हअस्त्र का प्रयोग करके, उसके उपर पार पा सकते हैं। आज जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या अपने उत्पाद का ग्राहक ढूंढने में है। मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जो प्राकृतिक खेती करनके किसान पैदावार करता है, यदि सरकार या कोई भी संस्था उसको खरीदने की गांरटी दे तो लोग इसको ज्यादा से ज्यादा अपनायेंगे और प्राकृतिक खेती अपनाकर हम प्रदूषण को भी दूर कर सकते हैं। सोयल वाटर का जो लैवल बिगड़ रहा है, उसको ठीक कर सकते हैं तथा जमीन का जो स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उसको ठीक रखने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं । धन्यवाद । **(इस समय सदन में मेजें थपथपाई गई।)**

श्री अमित सिहाग (डबवाली): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करूंगा कि उन्होंने मेरे तीन साल के संघर्ष के बाद, मेरी मांग को मानते हुए डबवाली को पुलिस जिला घोषित करने का काम किया । इसको आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि सबसे बड़ी आवश्यकता जो इस पुलिस जिले में है वह यह है कि डबवाली में स्थाई रूप से एक एडिश्नल सैशन जज की नियुक्ति की जाए । जिला सिरसा में एनडीपीएस एक्ट के केसिज बढ़ते जा रहे हैं । इसमें भी तकरीबन 60 परसैंट केसिज डबवाली और कालावांली के हैं । अंतिम छोर का गांव चौटाला सिरसा से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर पड़ता है । हमारे पास कोर्ट, रैजीडैंस और ऑफिस की भी सुविधा है । अत: इसे सही मायने में पुलिस जिले के रूप में कारगर करने के लिए वहां पर एडीजे की स्थाई नियुक्ति होनी बहुत आवश्यक है । उपाध्यक्ष महोदय, इसके

साथ-साथ 'अमृता देवी बिश्नोई' के बलिदान से पूरा क्षेत्र और आने वाली पीढ़ियां वन्य संरक्षण को लेकर प्रेरणा ले सकें इसके लिए मैं मांग करना चाहूंगा कि हमारे वहां पर गोरीवाला का जो गवर्नमैंट कॉलेज है उसका नामांकन 'अमृता देवी बिश्नोई जी' के नाम पर किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मैं मानता हूं कि प्राइवेट कम्पनियां तो मालामाल होती जा रही हैं लेकिन किसानों को मुआवजे के लिए आये दिन धरने पर बैठना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं मांग करता हूं कि सरकार इन कम्पनियों से वर्ष 2020 से 2022 तक की अवधि का मुआवजा रिलीज करवाने का काम करे। ये कम्पनियां प्रीमियम के लिए किसानों को एक समय-सीमा तय कर देती हैं। मेरा कहना है कि सरकार भी उनको एक समय-सीमा में ही मुआवजा देने के लिए बाधित करे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में अधिकतम नहरों की टेल डबवाली हल्के में पड़ती है। दुर्भाग्यवश वर्ष 2014 से भेदभाव की नीति के चलते हमें जो 10 हिस्से पानी मिलना चाहिए था उसका हमें केवल 3 हिस्से पानी टेल पर मिल रहा है। मैं इसका स्पष्टीकरण भी सरकार से चाहूंगा। घग्गर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी। मैं काफी समय से कालूआना खरीफ चैनल को बनवाने के लिए और रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल की एक्सटैंशन के लिए मांग उठाता आ रहा हूं। अगर मेरी बात को माना गया होता तो हम इस आपदा को कंट्रोल कर सकते थे। इसके साथ-साथ किसानों को घग्गर नदी का पानी भी मिल सकता था। उपाध्यक्ष महोदय, क्लैरिकल एसोसियेशन की बेसिक पे में वृद्धि की मांग है। मैं मानता हूं कि उनको तर्कसंगत तरीके से न्याय देने की आवश्यकता है। बिजली विभाग में कच्चे कर्मचारी हैं। सही मायने में ऐसे 15 हजार कर्मचारी हैं जिनकी आय 21 हजार से ज्यादा है लेकिन उन्हें ईएसआई का लाभ नहीं मिलता। उनको मैडिकल बैनीफिट्स से जोड़ने की जरूरत है। वॉटर वर्क्स के जो पम्प ऑपरेटर्स हैं जिनको वर्ष 2012 में भर्ती किया गया था उनके बारे में कहा गया था कि उनको 25,500 आय मिलनी चाहिए। अत: सरकार इसको भी लागू करने का काम करे। धन्यवाद।

श्रीमती रेणु बाला (सढौरा) (अ.जा.) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के की बात करूंगी। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगी लेकिन वे इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। जिस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी उस समय माननीय मुख्यमंत्री

महोदय सढ़ौरा के स्वास्थ्य केन्द्र में गये थे और उसको अपग्रेड करने की घोषणा करके आये थे । मैं जब से (वर्ष 2019) से विधान सभा में आई हूं तब से हर सैशन में इस मुद्दे को उठाती रही हूं । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको अपग्रेड करने की बात कही थी लेकिन आज तक भी उसको अपग्रेड नहीं किया गया है । वहां पर जरूरी सुविधाएं चाहे मशीनों की है, चाहे डॉक्टर्स की हैं, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट की है उसे मैं हर सैशन में उठाती हूं। अत: इन मांगों को जल्दी-से-जल्दी पूरी किया जाए। यह सरकार 'सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास' का नारा देती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि फिर वे सढ़ौरा के साथ इतनी बेरूखी क्यों कर रहे हैं ? विधान सभा में हर विधायक को 5 करोड़ रूपये देने की बात कही गई और सढ़ौरा में तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय रहे भी हैं तथा वहां पर उनके और साथी भी हैं । अत: वे सढ़ौरा की इतनी अनदेखी क्यों कर रहे हैं ? विधान सभा में हर विधायक को 5 करोड़ रूपये देने की बात कही गई थी लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए मुझे अभी तक 5 करोड़ रूपये पूरे नहीं दिए गए हैं जिससे मैं अपने हल्के सढ़ौरा का विकास करवा सकूं । ये राशि मुझे अवश्य दी जाए ताकि मेरे हल्के सढ़ौरा का विकास हो सके। सरकार ने जो परिवार पहचान पत्र लागू किया है वह जनता के गले की फांस बन चुका है । इसको दुरूस्त किया जाए ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सकें और उनकी मूलभूत सुविधाएं खत्म न हों । सढ़ौरा में बहुत सारी बरसाती नदियां हैं । उनका पानी बारिश में लोगों के घरों में चला जाता है । इससे किसानों की ज्यादातर फसल खराब हो चुकी है। उन नदियों के किनारों को ऊंचा उठवाकर उनको पक्का करवाया जाए ताकि सढौरा का समान विकास हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि सढ़ौरा में कमेटी बनायी गयी है जोकि पहले पंचायत थी। वहां के लोगों की डिमांड है कि उस

कमेटी को तोड़कर पंचायत बनायी जाए ताकि सढ़ौरा का समान विकास हो सके। जब से वहां पर कमेटी बनी है तब से वहां पर न तो प्रोपर काम हो रहा है और जितने भी काम हो रखे हैं फिर उनमें चाहे सीवर का काम हो या चाहे नालियों का काम हो, वहां पर बहुत ही खस्ता हालत में काम किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसकी आप विजिलैंस इन्कवायरी भी करवा सकते हैं जिससे लोगों को संतुष्ट किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगी कि सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओं' का नारा दिया है। इस नारे को तो बन्द ही कर दें क्योंकि आज हमारी जो बेटियां आशा वर्कर्ज हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्ज हैं या टीचर्ज हैं। (इस समय घंटी बजायी गयी।) उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने अपनी बात शुरू की है। मेरे बोलने का समय पूरा नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: रेणु जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री जयवीर सिंह जी अपनी बात रखेंगे।

श्रीमती रेणु बाला: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि उनको प्रोपर नौकरी वेतन बढाकर दी जाए और उनको पक्का किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: रेणु जी, आपका बात रखने का समय पूरा हो गया है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। इसके अलावा आपकी कोई बात रह गयी है तो उसके बारे में आप लिखित में दे दें।

श्रीमती रेणु बाला: उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त गैस्ट टीचर्ज का मामला है, उनको भी पक्का किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: रेणु जी, प्लीज आप बैठ जाएं। अगर आपकी कोई बात रह गयी है तो उसके बारे में आप लिखित में दे दें। अब आपकी कोई बात नोट नहीं की जा रही है।

श्रीमती रेणु बाला: उपाध्यक्ष महोदय, ****

श्री उपाध्यक्ष: रेणु जी, प्लीज, अब आप बैठ जाएं। माननीय सदस्य अपनी बात रख रहे हैं।

श्रीमती रेणु बाला: उपाध्यक्ष महोदय, ****

श्री उपाध्यक्ष: जयवीर सिंह जी, आप अपनी बात रखें। आपके बोलने का समय शुरू हो चुका है। इनकी कोई बात रिकार्ड नहीं की जा रही है।

***चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।**

श्री जयवीर सिंह (खरखौदा, अ.जा.): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में अपनी बात रखने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार में वर्ष 2007 में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई थी। आज उनकी हालात ऐसी है कि न तो उनकी समय पर तनख्वाह मिलती है और उनको 8100 रूपये ही दिये जाते हैं। आज उनका भी कोई ठिकाना नहीं है और न ही उनके पास कोई दूसरा साधन है। अगर कोई सफाई कर्मचारी मर भी जाता है तो उसको सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं दी जाती है। आज उनके बहुत खराब हालात हैं। उनको यह काम करते हुए 17 साल का समय हो चुका है इसलिए सरकार द्वारा उनको रेगुलर करने की बात

करनी चाहिए और सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की बात करनी चाहिए। लेकिन उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। दूसरी हरियाणा पार्ट टाईम स्वीपर यूनियन की बात है और ये भी 15-16 सालों से काम कर रहे हैं। इन बेचारों को सिर्फ 6,000 रूपये भी तनख्वाह नहीं मिलती है। इसकी तरफ भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार को चाहिए कि भर्ती नहीं कर रही है तो इनको कम से कम रेगूलर ही कर दें ताकि इनके परिवारों का गुजारा हो सके। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि मेरे खरखौदा हल्के में एक सड़क है जोकि सोनीपत से वाया बिधलान -ककरोई होते हुए जाती है। इस सड़क का कार्य हमारी पार्टी की सरकार के समय में शुरू हुआ था। लेकिन 6 किलोमीटर का टूकड़ा 3 डिपार्टमैंट्स में उलझा हुआ है। इसके कारण वह आज तक नहीं बन पाया है। इस संबंध में हमने सोनीपत में संबंधित अधिकारियों की एक मीटिंग भी बुलायी थी और उसमें माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र पंवार जी भी आये थे। लेकिन उसमें कोई कमिशनर या एक्सियन हाजिर नहीं हुआ। ये इस बात को एक-दूसरे पर टालते रहते हैं। बल्कि इसके ऊपर सरकार को पूरा एक्शन लेना चाहिए कि यह काम क्यों पूरा नहीं हुआ है और इसमें क्या कमियां है? सरकार इसके लिए पैसे तो मंजूर कर देती है और ठेका भी दे देते हैं। लेकिन वह पैसा कहां जाता है क्योंकि उनसे एक 6 किलोमीटर का टुकड़ा नहीं बन पाता है। ऐसे हालात हैं। दूसरा खरखौदा से बहादुरगढ़ होते हुए आसौदा रोड की बात है। इसमें कम से कम 4-4 व 5-5 फुट के गढ्ढे हैं लेकिन उनकी रिपेयरिंग का कोई काम नहीं हुआ है। इसी तरह से 2 हाइवेज जुड़े हुए हैं जोकि पिपली -खरखौदा से औचंदी बॉर्डर तक है। वहां पर 3-3 व 4-4 फुट के गढ्ढे हैं जिनके कारण आए दिन जाम लगता है क्योंकि लोगों को वहां से के.एम.पी. पर भी जाना पड़ता

है और 334 बी पर भी जाना पड़ता है। उस पर आए दिन जाम लगता रहता है। (इस समय घंटी बजायी गयी।) इसके अलावा मेरे हल्के में पानी की निकासी की समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष:जयवीर जी, अगर इनके अलावा आपकी कोई बात रह गयी है तो उसके बारे में आप लिखित में दे दें।

श्री जयवीर सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी 3-4 डिमांड्स रखने से रह गयी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: जयवीर सिंह जी, आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है। अगर इनके अलावा आपकी कोई बात रह गयी है तो उसके बारे में आप लिखित में दे दें।

श्री महीपाल ढांडा (पानीपत ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में अपनी बात रखने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से 2 मुद्दों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी तक जानकारी पहुंचाना चाहूंगा। मेरा एक मुद्दा तो यह है कि हमारे यहां पर जितनी भी ग्रुप हाउस सोसायटीज की कम्पनीज हैं उन्होंने बहुत बड़ी ठगी की है। जैसे मेरे पानीपत हल्के में एक कंसल नाम की कम्पनी है और एक एल्डीको नाम की कम्पनी है। इन्होंने लोगों के साथ बहुत बड़ी ठगी की है। इन्होंने ई.डी.सी./आई.डी.सी. के नाम पर लोगों से पैसा ले लिया है लेकिन उनको जो बिजली उपलब्ध करवानी थी वह आज तक नहीं करवायी गयी है। उनको पता होना चाहिए कि आलरेडी कितना लोड है और कितना लोड नहीं है? इसके अतिरिक्त कितना बड़ा ट्रांसफार्मर हो या वहां पर कितने के.वी.ए. का सब-स्टेशन लगाना हो। उनको इसकी भी जानकारी नहीं है। उसका उन्होंने आज तक कभी कोई ख्याल नहीं किया, वहां पर लोग दुखी हो रहे हैं और जो लोग इन्डस्ट्रीज चलाते हैं वो लोग आज हमारे वहां पर धरने पर इसलिए बैठ हैं कि उन्हें 12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे या कुछ घंटे तो बिजली मिले। मगर इन कम्पनीज की वजह से हमारे वहां के लोग बहुत परेशान हो रखे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जितनी भी वहां पर अंसल कम्पनी की अनसोल्ड जमीन पड़ी हुई है, उस जमीन को बेचकर वहां पर सब-स्टेशन लगाया जाये वरना यह भी कागजों में बात निकलकर आई है कि एच.एस.वी.पी. के द्वारा इस सब-स्टेशन को लगाया जाना था लेकिन एच.एस.वी.पी. उससे

पल्ला झाड़ रहा है वह क्यों पल्ला झाड़ रहा है, यह बात मैं नहीं जानता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात भी कही जा रही है कि लोग 12 हजार या 14 हजार किलोवाट के हिसाब से पैसे दे दें और उनको बिजली कनैक्शन जोड़कर दे देंगे। मैं बताना चाहूंगा कि वहां के लोग पैसे क्यों दे दें जबकि उन्होंने तो ऑलरेडी पैसे जमा करवा रखे हैं। अगर पहले से उन लोगों ने पैसे जमा करवा दिये हैं तो इसमें कम्पनी या सरकार की तरफ से गड़बड़ है। वहां के लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि आज शाम तक या कल तक हमारी बिजली जोड़ी जाये और वहां पर बिजली की जो फ्लैक्चुएशन बनी हुई है उसको तुरन्त प्रभाव से दुरूस्त करवाया जाये। मेरी दूसरी बात यह है कि हरियाणा प्रदेश में कुछ लोग पोल्ट्री का उद्योग चला रहे हैं। उसके बारे में किसी को पता नहीं है कि पोल्ट्री फार्म क्या होता है ? उसमें किस तरह की अलग-अलग चीजें हैं। उसको एक ही डंडे से हांक रहे हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में किसी ने अलग से कानून बना दिया और वह यह बात कह रहा है कि भाई आपने पोल्ट्री फार्म चालू करना है तो उसकी तहसीलदार से कम्पलीशन रिपोर्ट लेकर आओ। इसमें सी.पी.सी.बी. (सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड) की गाईडलाइंज ले आओ, इसमें डायरेक्टर कौन हैं, इसमें पार्टनर कौन है ? इसमें कह दिया जाता है कि एक पैन कार्ड भी ले आ भाई, सिग्नेचर स्पाईस का भी ले आ, साईट प्लान भी ले आ, बिल्डिंग प्लान भी ले आ, मैन्यूफैक्चरिंग प्लान भी ले आ और इलैक्ट्रिसिटी कनैक्शन भी ले आ। उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं मालूम कि उन्होंने क्या-क्या उटपटांगें चीजें मांग ली है। इस तरह की 20-22 चीजें हैं। जो पोल्यूशन डिपार्टमैंट में यह गाईडलाइंज जारी करवा रहा है, उसको भी इस बात का पता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, एक फार्मर है, वह पोल्ट्री फार्म में 20 बाई 20 के हिसाब से चार कड़ी डालकर अपना काम चला रहा है। ऐसे में वह बेचारा कहां से साइट प्लान लेकर आयेगा। उसको यह भी कहा जा रहा है कि इसकी सी.एल.यू. लेकर आओ। मैं कहना चाहूंगा कि वह कहां से सी.एल.यू. लायेगा । क्या उसको पता है कि उसकी जमीन की कॉस्ट कितनी है। सरकार की तरफ से क्या कभी किसी पोल्ट्री फार्म को दो पैसे की मदद दी गई है, उसकी मदद होने की बजाए उल्टा उस इन्डस्ट्रीज को तबाह करने का काम किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि उस पर विशेष तौर पर ध्यान देने का काम किया जाये। ये दोनों बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं । इन दोनों

गंभीर मुद्दों पर सरकार जरूर चिंता करे। हमारे लोग बिजली न आने से दुखी है जो कम्पनीज हैं, उन पर डंडा चढ़ाओ और उस कम्पनीज ने जिन 9 लोगों का नुकसान पहुंचाया है उनको तुरन्त ठीक करवाने का काम किया जाये।

श्री सत्य प्रकाश जरावता (पटौदी, अ. जा.) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। वर्ष 1966 से हरियाणा प्रदेश बना है तब से एक लम्बी मांग अनुसूचित जाति के कर्मचारियों/अधिकारियों की थी कि क्लास-वन और क्लास-टू में प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाये। हरियाणा के गठन के बाद वर्ष 1979 में चौधरी देवीलाल जी ने पहली बार क्लास-थ्री और क्लास-फोर के कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया था। उनके बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने यह एक ऐतिहासिक काम करके हरियाणा प्रदेश के अनुसूचित जाति के लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों को न्याय देने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि पटौदी में दो तीन ऐसी सड़कें हैं, जिनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। उन पर कोई पैदल भी नहीं चल सकता है। पटौदी मंडी से फरूखनगर वाया महचाना मुसेदपुर और हमारी एक पंचगांव से लेकर फरूखनगर तक है इन दोनों सड़कों की हालत बहुत बुरी है इसलिए इन दोनों सड़कों को बनाने का काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, मोदी है तो मुमकिन है और मनोहर है तो मुमकिन है। कासन के किसानों को कभी न्याय नहीं मिल सकता था लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 91 लाख 30 हजार रूपये का मुआवजा दिया। जिसमें उन किसानों को न्याय देने का काम किया है। सरकार ने करीब पौने 2 करोड़ प्रति एकड़ प्रति किसान देने के लिए नो लिटीगेशन पॉलिसी भी बनाई है।

यह एक बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने तथा हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए भी मैं

13.00 बजे

विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा एक प्रश्न यह था कि मानेसर के 29 गांवों तथा पटौदी के 10 गांवों की लाल डोरे की आबादी को नागरिक सुख-सुविधाएं तथा अपूर्ण अवसंरचना वाले क्षेत्र

के रूप में अप्रूव करने के लिए सरकार ने हां में उत्तर दिया है। मेरी अभी माननीय मंत्री जी से बात हुई है। माननीय मंत्री जी ने कहा भी है कि इसके लिए अप्लाई कर दे और वे एक्सटेंडिड लाल डोरा के लिए अप्रूव कर देंगे। मेरा अनुरोध यह है कि केवल एक्सटेंडिड लाल डोरा को ही नहीं बल्कि पूरी प्रोपर्टी को ही नियमित माना जाए। बशर्ते कि वह जमीन किसी पंचायत की ना हो या किसी की निजी तौर पर ना हो। चूंकि मानेसर कारपोरेशन पहली बार बना है। इसमें आधी 30 हजार के लगभग आबादी की प्रोपर्टी लाल डोरे के अन्दर है और 30 हजार के लभगभ प्रोपर्टी एक्सटेंडिड लाल डोरे में है। मेरा कहना यह है कि इन सबको जिस दिन निगम का गठन हुआ उस डेट को constituted मानकर नियमित माना जाए, बशर्ते कि वह जमीन किसी पंचायत की ना हो या किसी की निजी तौर पर न हो। धन्यवाद।

श्री विनोद भ्याणा(हांसी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बेसहारा पशुओं की ओर दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने गौशाला के लिए, गौमाता के लिए बजट को 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये करने का काम किया है। लेकिन इसके बावजूद भी हजारों की तादाद में आवारा पशु सड़कों तथा बाजारों में घूम रहे हैं। जिनकी वजह से रोजाना एक्सीडेंट देखने व सुनने को मिलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन आवारा पशुओं से मेरे शहर में भी विशेष तौर पर काफी एक्सीडेंट्स हुए हैं और इन आवारा पशुओं ने बुरा हाल कर रखा है। इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे पास बजट तो है। इसलिए इस बजट से हर शहर में या देहात में जहां भी इस किस्म के पशु हैं वहां गौ सेवा आयोग के द्वारा गौशालाएं खुलवाई जाएं तथा इन गौशालाओं की मदद लेकर ये जितने भी बेसहारा पशु हैं, उनको गौशालाओं में भेजा जाए ताकि रोजाना के होने वाले एक्सीडेंट्स से बचाव हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, जब ये बेसहारा पशु गौशालाओं में चले जाएंगे तो शहर में सफाई व्यवस्था का ढंग भी सही हो जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अक्सर आपने भी कई बार देखा होगा कि शहर के बीच चौक-चौराहे में जहां कोई खाली प्लॉट पड़ा होता है। वहां पर हरे चारे की दुकान वाला टोका/गंडासा लेकर बैठ जाता है। वहां गौमाता के श्रद्धालु आते हैं और उसी जगह से चारा लेकर वहीं पर डाल देते हैं। जिससे पशुओं के झुंड के झुंड आपको बाजारों में भी देखने को मिलते हैं। इसके कारण भी वहां

एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए मेरा यह भी सुझाव है कि बाजार में जो हरे चारे की दुकानें हैं। इनको बंद करवाया जाए ताकि एक्सीडेंट्स से छुटकारा मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, एक विशेष बात जो सदन में पिछले दो दिन से माननीय गौतम जी तथा विपक्ष के साथियों ने भी कही। पोर्टल का बड़ा शोर हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा पोर्टल को लेकर बार-बार कहा जा रहा है कि सरकार पोर्टल को बंद कर दे। मैं इनको कहना चाहता हूं आपने पोर्टल की कमियां तो देख लीं मगर आपका ध्यान पोर्टल की अच्छाइयों की तरफ नहीं गया। हर चीज की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी होती है। इसलिए उसके गुण-दोष देखने के बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आज बुढ़ापा पेंशन घर बैठे बन रही है। किसान की जमीन की फर्द घर बैठे मिल रही है। मेरी फसल-मेरा ब्यौरा के तहत किसान की फसल के दाम भी घर बैठे उनके अकाउंट में आ रहे हैं। किसान का सम्मान भत्ता उसके खाते में घर बैठे जा रहा है। किसान की फसल के नुकसान का मुआवजा उसके खाते में घर बैठे आ रहा है। शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट और बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट जैसे अनेकों नेक काम पोर्टल के माध्यम से हो रहे हैं। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कुछ जगह कमियां भी हैं। सरकार प्रयास कर रही है कि उन कमियों को दूर किया जाए। मगर किसी भी चीज का विरोध करते दफा हमें यह देखना चाहिए कि इसकी पॉजिटिविटी क्या है। केवल विरोध के लिए आरोपों की मत तोहमत रखो, किसी में विरोध तो किसी में खुद को सहमत रखो। धन्यवाद।

श्रीमति नैना सिंह चौटाला (बाढ़डा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनहित के कुछ विषय सरकार के सामने रखना चाहती हूं और आशा करती हूं कि सरकार के स्तर पर इन विषयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में प्रत्येक मण्डी में किसान की फसल के उत्पादन पर दो प्रतिशत एच.आर.डी.एफ. फीस के रूप में पैसा इक्ट्ठा किया जाता है। मेरी जानकारी के अनुसार इस वर्ष कम से कम 366 करोड़ रूपये एच.आर.डी.एफ. और 366 करोड़ रूपये मार्किटिंग बोर्ड की फीस किसानों से इक्ट्ठी की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं हि इसका 33 प्रतिशत हिस्सा ग्राम पंचायतों को देना चाहिए और शहरों में देना चाहिए ताकि जो विकास के कार्य हैं वे निर्बाध रूप से सम्पन्न हो सकें। जब हम इतना पैसा किसानों से लेते हैं उसका 33 परसैंट हिस्सा ग्राम पंचायतों को देना चाहिए ताकि ग्राम

पंचायतों में विकास हो सके। हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के लिए शादी में 51 हजार रूपये की राशि आर्थिक मदद के तौर पर दिये जाते हैं। आज बहुत ही ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। ऐसे में अनुसूचित जाति के परिवारों को बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रूपये की राशि को बढ़ाकर दो लाख रूपये किया जाये। यह मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है। ऐसी ही जो भीम राव अम्बेडकर आवास नवीकरण योजना है उसके अंतर्गत आने वाली 80 हजार रूपये की राशि को भी बढ़ाकर कम से कम सवा लाख रूपये किया जाना चाहिए। हरियाणा में जो विशेषकर हमारे नये वकील आते हैं उनके इंट्रस्ट प्रोटैक्ट होने चाहिएं। आज के समय में वकीलों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो नये वकील बनकर आते हैं उनके लिए चैम्बर्ज नहीं हैं। मैं सरकार से मांग करती हूं कि ऐसे वकीलों को बैठने के लिए चैम्बर्ज की सुविधा प्रदान की जाये। जिनके परिवार की आय एक लाख 80 हजार रूपये वार्षिक से कम है उनको तीन वर्ष तक पांच हजार रूपये महीने की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। वकीलों के पारिवारिक सदस्य सामान्य प्रीमियम पर ग्रुप हैल्थ स्कीम के अंतर्गत कवर होने चाहिएं। इनके परिवारों को पांच लाख रूपये तक की स्वास्थ्य सेवायें दी जानी चाहिएं। एडवोकेट्स के बच्चों को लॉ यूनिवर्सिटी और कॉलेजिज में 10 प्रतिशत सीट्स का आरक्षण मिलना चाहिए। मेरे हल्का बाढ़डा में पिछले डेढ़ महीने से किसान धरने पर बैठे हैं। उनकी पांच मांगों में से सरकार ने चार मांगें पूरी कर दी हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़डा में जो किसान बैठे हैं वे पिछले दो महीने से एक मांग कर रहे हैं कि ये जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है अनेकों विधायकों ने इस बात को उठाया है मैं भी आपके माध्यम से कहती हूं कि तीन दिन के लिए 72 घंटे के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है। गांव के लोग इस क्षतिपूर्ति पोर्टल से बिल्कुल अनजान हैं। एस.डी.एम. की तरफ से जो भी गिरदावरी रिपोर्ट सरकार को भेजी गई है उसके अनुसार उनको सरसों की फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। मैं एक मांग और रखूंगी जोकि बहुत ज्यादा जरूरी है। दादरी शहर में संस्कृति मॉडल स्कूल है जिसमें आज भी तीन फुट तक पानी भरा हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगी कि इसके लिए जो सरकार ने 12.8 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की है उस राशि को वहां पर जल्द से जल्द भिजवाने का काम करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती निर्मल रानी (गन्नौर) : माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, जब हम इस हाऊस में आते हैं तो हम इस चेयर को नतमस्तक होते हैं। नमस्ते करते हैं। इसी प्रकार से मेरा यह भी कहना है कि जब हम ईश्वर के आगे झुककर नमस्कार करते हैं तो हमारी सारी की सारी चिंतायें भगवान के चरणों में अर्पित हो जाती हैं और हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही मैं अपनी सारी की सारी चिंताओं को चेयर के सामने सौंपकर मैं चिंता मुक्त हो रही हूं। माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, केन्द्र सरकार की 60 किलोमीटर में एक टोल टैक्स प्लाजा होने की स्कीम के तहत मेरे गन्नौर में भिगान से टोल टैक्स प्लाजा हटाने के लिए या शिफ्ट करने के लिए कोई नोटिफिकेशन आई हो तो कृपया करके उसको जल्दी से जल्दी इम्पलीमैंट करवाया जाये। पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के परिवार को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने वाली महत्वकांक्षी योजना के तहत फैमिली आई.डी. यानि ट्रिपल पी की त्रुटियों को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाये ताकि आम जनमानस को उसका पूरे का पूरा फायदा पहुंच सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारे गन्नौर में बस स्टैंड के नवीनीकरण के लिए पैसा मंजूर हो चुका है इसलिए जिस भी विभाग को यह बस स्टैंड का काम करना है उसको जल्दी बनाने के आदेश दिये जायें। हमारे गन्नौर की 34 कॉलोनियां रेगुलराइजेशन के लिए आई थी जिनमें से 9 रेगुलर हो गई हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि उनमें से जो भी कॉलोनियां रेगुलराइज होने लायक हैं उनको जल्दी से जल्दी रेगुलर किया जाये। अनअथॉराइज्ड कॉलोनियों की रजिस्ट्रयां तहसीलदार कर देते हैं जिससे हमें रेवेन्यू लॉस होता है। अगर सरकार इन कॉलोनियों को रेगुलराइज कर देती है तो हमें उनसे राजस्व प्राप्त होगा। अभी कुछ दिन पहले गन्नौर में नायब तहसीलदार पकड़ा गया था जिसके पास 91 टोकन लगे थे और 77 सेल डीड हुई जिनमें से 63 बिना एन.ओ.सी. के कर दी गई थी। अगर इन कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दिया जायेगा तो इस तरह की समस्याओं से बचा जा सकेगा। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)** अध्यक्ष महोदय, गन्नौर में 128 एकड़ जमीन बी.एस.टी. की है जिसकी ऑनरर्शिप सरकार की है वह इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट से एच.एस.वी.पी. को ट्रांसफर कर दी जाये तथा वहां पर एक सुन्दर सा रिहायशी सैक्टर बनाया जाये। यह वहां की जनता की मांग है। गन्नौर में एक सी.एच.सी. थी जो अब सब-डिविजनल हॉस्पिटल मंजूर हो गया है इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी

उसकी बिल्डिंग बनाई जाये। मैं जब विधायक बन कर आई थी उस समय मैं गन्नौर में गवर्नमैंट कॉलेज की मांग करती थी वह मंजूर हो गया है इसके लिए मैं शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी का धन्यवाद करती हूं। अब उच्चतर शिक्षा विभाग इनके पास नहीं रहा है और वहां पर क्लासिज भी शरू हो गई हैं इसलिए उस कॉलेज की बिल्डिंग भी जल्दी से जल्दी बनवाई जाये। वह नगरपालिका की जमीन है और नगरपालिका जमीन देने के लिए तैयार है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जी.टी. रोड़ से सनपेड़ा-रामनगर तक की सड़क का बहुत बुरा हाल है क्योंकि फ्री जोन होने की वजह से वहां पर फैक्ट्रियां आ गई हैं। उसकी टूटी सड़कों का खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ता है। इसके अतिरिक्त लड़सोली से धतूरी, रामनगर से धतूरी और रामनगर से घसोली रोड़ की भी हालत बहुत खराब है इसलिए इनको भी यथाशीघ्र बनवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि जीवन में कुछ भी किया जाये वह पूर्ण भागीदारी के साथ किया जाये इसलिए मेरे ये काम भी अवश्य होने चाहिएं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय द्वारा शून्य काल में बोलने के लिए सभी सदस्यों के लिए समय निर्धारित करने बारे सूचना देना।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, बहुत सारे माननीय सदस्यों का अनुरोध है कि उन्हें कम से कम 3 मिनट बोलने का समय अवश्य मिलना चाहिए। उसको ध्यान में रख कर यदि आपकी सहमति हो तो आज जो भोजनावकाश का समय है उस समय में आप सभी धीरे-धीरे करके भोजन करके आ जायें। आज भाजनावकाश नहीं होगा। जो भी माननीय सदस्य भोजन करना चाहे वह बीच-बीच में जा कर भोजन कर सकता है इससे सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिल जायेगा।

आवाजें: ठीक है, जी।

परिवार पहचान पत्र से संबंधित नोटिफिकेशन सदन में ले डाउन करने बारे मामला उठाना।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस के सामने एश्योर किया था कि परिवार पहचान पत्र की नोटिफिकेशन को सदन खत्म होने से पहले हाउस में पेश करेंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, शून्यकाल के बाद आप अपनी बात रख लेना।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, उस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आज ही पी.पी.पी. पर कालिंग अटैन्शन मोशन लगा हुआ है उसमें आपके जो सुझाव हैं, आपके जो अमैंडमैंट्स हैं वे आप प्रोपोज कर सकते हैं। सरकार यदि चाहेगी तो उनको स्वीकार कर सकती है। आपका अमैंडमैंट देने का प्रस्ताव है वह भी यही है कि आप उसमें कुछ और अमैंडमैंट्स चाहते हैं। जब इस कालिंग अटैन्शन मोशन पर चर्चा होगी उस समय आप अपनी बात रख सकते हैं।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, हम उसमें सिग्नेट्री नहीं हैं। हम आपसे सिर्फ इतनी एग्जम्पशन चाहते हैं कि वह नोटिफिकेशन आज ही टेबल हो रही है और उसके लिए नोटिस देने के लिए तीन दिन का समय चाहिए होता है।

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, रूल्ज में इतनी एम्बीग्यूटी है कि उसको पढ़ कर आप स्वयं ही कह देंगे कि तीन दिन पहले तो इसका नोटिस आना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसमें और कोई प्रावधान ही नहीं है।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, जब इंस्ट्रक्शन्ज ही आज पेश होंगी तो तीन दिन पहले नोटिस कैसे दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष : इसमें होना तो यह चाहिए कि अगर नोटिफिकेशन सेम डे आई है तो उसके लिए एक दिन का समय होना चाहिए लेकिन वह रूल्ज परमिट नहीं करते । मेरा यह निवेदन है कि आप सरकार को उस बारे रिटन में भी दे सकते हैं । (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, रिटन में देने से बात नहीं बनती है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अगर नोटिफिकेशन आज टेबल हुई है तो आप उसको कंडोन कर दीजिए।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, अगर कालिंग अटैंशन आज नहीं आता तो कंडोन कर देते। आज कॉलिंग अटैंशन आया है तो उस पर आप जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं।(विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जब नोटिफिकेशन आज आयी है।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आपने तो अमेंडमैंट परफॉर्म करनी है, आगे सरकार की मर्जी है कि उसको एक्सैप्ट करे या न करे। (विघ्न)

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, आपने जो एक घंटे का समय दिया है उसमें सारे मैंबर्स बोल लेंगे उसके बाद इन्होंने जो कुछ करना है ये कर लेंगे।(विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, सरकार इसका जवाब देना नहीं चाहती है।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, अगर सरकार जवाब नहीं देना चाहती तो कालिंग अटैंशन मोशन को एक्सैप्ट ही नहीं करती।(विघ्न)

शून्य काल में विभिन्न मामले/मांगे उठाना (पुनरारम्भ)

श्री नरेन्द्र गुप्ता (फरीदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो ऐसी सोच के साथ परिवार पहचार पत्र की परिकल्पना की उस संबंध में मेरा अपना मानना है जिसको मैं विधान सभा के पटल पर बोल रहा हूं कि इस परिकल्पना को पूरे देश के लोग लागू करेंगे। हर राज्य लागू करेगा। पं दीन दयाल उपाध्याय जी ने यह सपना वर्ष 1952 में देखा था। बहुत सी सरकारों ने 'गरीबी हटाओ' के नारे के साथ इस देश पर राज किया पर मेरा मानना है कि वास्तविक रूप से परिवार पहचान पत्र के द्वारा जो हरियाणा के गरीब व्यक्ति थे उनको चिन्हित करके उनको सभी सुविधाएं उनके घर तक पहुंचाने का काम परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किया जा रहा है। उसके लिए मैं पुन: आपके माध्यम

से पूरी सरकार का धन्यवाद करता हूं। जो काम परिवार पहचान पत्र ने किया है उसमें जो गरीब व्यक्ति 1.80 लाख रूपये से कम आय वाले हैं उन सभी का डाटा इक्ट्ठा करके उनको बी.पी.एल. कार्ड और उनके स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रूपये तक के चिरायु कार्ड उनके घर तक पहुंचाए हैं। ऐसा आज तक के हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ है। हमने सुना है कि वर्ष 2014 से पहले एक-एक बी.पी.एल. कार्ड बनवाने के लिए पांच-पांच हजार रूपये खर्च करते थे और धक्के खाते थे। अब बिना किसी पैसे दिये उनके घर तक बी.पी.एल. कार्ड पहुंच रहे हैं। मैं पुन: धन्यवाद करने के साथ-साथ आपके माध्यम से एक डिमांड करता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र जी.एस.टी. तो पेमेंट करती ही करती है लेकिन इंकम टैक्स में भी ऐसा सर्वे आया था कि जो सबसे ज्यादा डायरैक्ट टैक्स देने वाले लोग हैं वे हमारे एरिया में ज्यादा रहते हैं। उसके साथ-साथ उसमें कुछ सलम के क्षेत्र हैं जिनका मैं नाम बताउंगा कि चाहे इंद्रा नगर हो, कृष्णा नगर हो, मलार कॉलोनी हो और मेन रूप से संत नगर में स्मार्ट सिटी के द्वारा बहुत बड़ा काम किया गया। मुझे लगता है कि यहां यू.एल.बी. के ए.सी.एस. बैठे हुए हैं लेकिन मुझे दु:ख है कि उसमें कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उसके जो काम अधूरे रह गये हैं उनका टैंडर करके उस संत नगर का काम पूरा करवाया जाए क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा लग चुका है। मेरे संत नगर के वासी नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, सारी सरकार चाहती है। मैं आपके माध्यम से सभी अधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरे स्लम के क्षेत्र की जो जरूरी मूलभूत सुविधाएं हैं चाहे वह सरकार की जमीन है, चाहे कैसी जमीन है और जहां 50-50 साल से लोग रह रहे हैं। जहां सीवरेज है, पानी है, बिजली है ये उन सभी की छोटी-छोटी समस्याएं हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करवाकर उस समस्या से मुक्ति दिलवाएं। शिक्षा मंत्री जी इस समय सदन में बैठे नहीं है मेरे उस क्षेत्र में एक भी स्कूल नहीं है। पीछे भी मैंने मांग की थी बड़ोदरा हाई-वे बनने के बाद 4-4 किलोमीटर क्रोस करके हमारे बच्चे नहीं आ सकते इसलिए वहां एक स्कूल बनाने की मेरी डिमांड है। ऐसे ही हमारे वहां पर डिसपैंसरी नहीं है। वहां पर एक डिसपैंसरी बनाई जाए। मेरी आपसे उम्मीद है कि इन सभी कामों को जल्दी से जल्दी कराने का आदेश दें। धन्यवाद।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव (कोसली): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। कल एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे सदन में आया था जिसमें मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जाति के लिए सर्विस में प्रमोशन में 20 प्रतिशत का आरक्षण देने का काम किय है। दूसरा बी.सी.-'ए' के लिए 8 प्रतिशत का आरक्षण जन प्रतिनिधि के रूप में पहले पंचायतों में दिया अब नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में भी ये प्रोविजन किया है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। ठीक उसी कड़ी में वर्तमान में पिछड़ा वर्ग ब्लॉक- 'ए' और 'बी' को प्रथम व द्वितीय श्रेणी में सरकारी नौकरियों में 15 परसेंट आरक्षण दिया जा रहा है। जबकि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण 27 परसेंट दिया जा रहा है। इस प्रकार से प्रथम व द्वितीय श्रेणी में 12 परसेंट का आरक्षण और बढ़ाया जाये। तभी पिछड़ा वर्ग के साथ ठीक से न्याय हो पायेगा। अध्यक्ष महोदय, यह बताना भी अति आवश्यक है कि पूरे भारत वर्ष में मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी नौकरियों में प्रथम से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु एक समान आरक्षण है। हरियाणा में इन्दिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया केस में केन्द्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है जिसके पिछड़े वर्ग में गहरा अक्रोश और असंतोष है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस सिस्टम को भी ठीक करने का काम करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त तथ्यों के अनुसार सहानुभूति पूर्वक ध्यान में रखते हुए आपसे विनम्र निवेदन है कि पिछड़े वर्ग के बच्चों को प्रथम व द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में भी 27 परसेंट आरक्षण देने काम सरकार करे। इसके लिये पिछड़ा वर्ग सरकार का सदैव आभारी रहेगा। मेरा यह भी निवेदन है कि केन्द्र सरकार ने 8 लाख रूपये की क्रीमी लेयर सीमा घोषित की हुई है उसमें एग्रीकल्चर और सर्विस इंकम को जोड़ा नहीं गया है परंतु हमारी प्रदेश सरकार ने क्रीमी लेयर की स्लैब को 6 लाख रूपये किया हुआ और उसमें एग्रीकल्चर और सर्विस की इंकम भी जोड़ी गई है। मैं चाहता हूं कि हरियाणा सरकार भी केन्द्र सरकार की तर्ज पर आरक्षण लागू करे, यह मेरा सरकार से आग्रह है। अध्यक्ष महोदय, मेरे कोसली गांव में 7-ए धारा लगाई गई है जबकि कंट्रोल्ड एरिया घोषित किया गया है। मेरा इस संबंध में यह कहना है कि बाकली-2 में 40 घरों का एक सैक्टर कटा हुआ है, इसलिए 6 गांवों को उसमें जोड़ दिया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वहां से भी 7-ए धारा हटाएं ताकि क्योंकि आम आदमी

यदि अपना घर बनाना चाहे तो वह बना सके। आज आम आदमी यदि वहां पर बिजली का कनैक्शन लेना चाहे तो वह ले नहीं सकता, इसलिए इस 7-ए धारा को वहां से हटाने का काम सरकार को करना चाहिये। धन्यवाद।

श्री दुड़ा राम (फतेहाबाद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा क्योंकि पहले फतेहाबाद जिले के मुख्यालय पर कोई कॉलेज नहीं था लेकिन अभी हमें एक कॉलेज की सौगात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी है। फतेहाबाद हल्के में बाढ़ के कारण किसानों का बहुत भारी नुकसान हुआ है। फतेहाबाद हल्के में दो तरह से नुकसान हुआ है, एक तो बाढ़ का पानी से और दूसरा सेम की समस्या से। मेरे हल्के में 20-22 ऐसे गांव हैं जहां पर बाढ़ का पानी खड़ा होने के कारण सेम की समस्या बढ़ गई है। उन एरियाज में अभी तक बिजाई नहीं हुई है। जहां पर बिजाई नहीं हो रही, वहां किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाये। जिन एरियाज में बिजाई हुई है वहां किसानों ने दोबारा से फसल की बिजाई की है, इसलिए उनको भी मुआवजा दिया जाये क्योंकि किसानों को दोबारा से खर्चा करना पड़ा है। जहां पर पानी की निकासी अभी तक नहीं हुई है वहां से पानी की निकासी की जाये ताकि किसान अपनी अगली फसल की बिजाई कर सके। फतेहाबाद हल्के के कुछ गांवों में पानी के कारण किसानों के घरों को नुकसान हुआ है और उनकी मलकियत भी उनके नाम नहीं है तो भी उनको सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाये क्योंकि वे सालों से वहां रह रहे हैं। इससे गरीब आदमियों को कुछ सहारा मिल जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ भूना में मेरी एक मांग सदैव रही है कि वहां नई अनाज मंडी बने और भूना कस्बे के अंदर एक बाईपास बने। पिछली बार भी मैंने हाउस में इस संबंध में मांग रखी थी कि भूना के अंदर सेक्टर – 3 जो एच.एस.वी.पी. का है वहां नहरी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और लोगों को बाहर से पानी खरीद कर लाना पड़ता है, इसलिए मेरी मांग है कि वहां पर वॉटर वर्क्स इत्यादि लगाकर नहरी पानी का इंतजाम किया जाये। भट्ठू कलां एक छोटा सा गांव है और उसको डी.टी.पी. में ले रखा है। यदि कोई मकान बनाता है तो उसकी मंजूरी वहां से लेनी पड़ती है, इसलिए वहां से हटाई जाये। बाढ़ की वजह से कई गउशालाओं को भी नुकसान हुआ है। जो वॉटर वर्क्स बने हुए थे उनकी डिग्गियां भी टूट चुकी

हैं, इसलिए मेरी मांग है कि बाढ़ की वजह से और सेम की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी जल्दी से जल्दी भरपाई की जाये। इसके साथ-साथ भट्ठू कलां के अंदर तकनीकी संस्थान की जो बहुत सालों से डिमाण्ड है उसको भी पूरा किया जाये। फतेहाबाद जिले में लोग ढाणियों में रहते हैं और उनके ट्यूबवैल फीडर के कनैक्शन हैं, मेरी सरकार से मांग है कि उनको गांव के साथ जोड़ा जाये। जिससे उनको पूरी लाइट मिल सके। जहां खेतों में लाइट की व्यवस्था नहीं है वहां पर भी जल्दी से जल्दी लाईट की व्यवस्था की जाये क्योंकि फतेहाबाद जिले में ज्यादातर लोग खेतों में रहते हैं। धन्यवाद।

श्री दीपक मंगला (पलवल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पलवल को बल्लभगढ़ से लेकर पलवल तक मैट्रो की बहुत बड़ी सौगात दी है, इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। वर्ष 2011 में पलवल में सेक्टर 12 और 21 में जमीन एक्वायर हुई थी। इन सेक्टरों में जो जमीन एक्वायर हुई उसमें बहुत बड़ा एरिया हमारा पुराना शहर जैसे बांस मोहल्ला और प्रकाश विहार वाला क्षेत्र पड़ता है। पिछली सरकारों में राजनैतिक द्वेष के कारण की वजह से उन जगहों को एक्वायर किया गया है जहां घनी आबादी वाला क्षेत्र भी है और हमारे बहुत से किसानों के मकान भी बने हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस जमीन का और इन सेक्टरों का दोबारा से सर्वे करवाया जाये। अभी ये क्षेत्र विकसित भी नहीं हुए हैं, इसलिए वे उस प्लान से अलग भी हट सकते हैं और ना ही बाकी सैक्टरों पर कोई असर पड़ेगा लेकिन इससे आमजन मानस को बहुत ज्यादा सहयोग मिल जायेगा। इस प्रकार इसका दोबारा से सर्वे करवा कर इनको एक्वायरमैंट से निकाला जाये। अध्यक्ष महोदय, पलवल में जो नेशनल हाइवे है वहां हर रोज बहुत ज्यादा एक्सीडैंट होते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक डी.सी. रजिडैंस के यहां और पपन प्लाजा के यहां दो हमारे फुट ओवर ब्रिज बन जाये ताकि आम जनमानस को रोड क्रॉस करने में कोई दिक्कत ना आये और कोई एक्सीडैंट भी नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां हसनपुर रजवाहा है उसमें पानी नहीं आ रहा है। पानी की बहुत किल्लत हो रही है। हमारे एरिया के किसानों को जमीन से पानी नहीं मिल रहा है। इस समय हमें पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बाढ़ की वजह से हमारे क्षेत्र

के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं यदि गांवों की बात करूं तो हमारे यहां खादर क्षेत्र के बागपरु, सोलड़ा, भोलड़ा, सुनहरी नंगला, झुप्पा-नगलिया, भूड-खेडली, मालासिंह फार्म, पहरूका, राजुपुर, शेखपुर, हंसापुर, थंथरी, इन्द्रा नगर, चान्ट, गुरवाड़ी, अलवा, बिल्लोचपुर, मुस्तफाबाद, काशीपुर, फाटनगर आदि गांवों को बहुत ज्यादा जलभराव के कारण सारी की सारी फसल खराब हो गई है। मेरे कहने का मतलब है कि बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, मकान भी गिर गये और वहां आवागमन की सड़कें भी टूट गई हैं। हमारे यहां हसनपुर रजवाह है उसमें पानी नहीं आ रहा है। उसका बहुत बड़ा खामियाजा हमारे किसानों को भुगतना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वहां पर पानी लाया जाये और आवागमन की जो सड़कें टूट गई हैं उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाये। धन्यवाद।

श्री बलबीर सिंह (इसराना, अ.जा.): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। हमें हरियाणा प्रदेश नम्बरदार एसोसिएशन ने एक ज्ञापन दिया है। जिसमें उनकी काफी मांगें हैं जो गठबंधन सरकार ने पूरी करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि नम्बरदार एक सम्मानित और जिम्मेवारी का पद होता है। नम्बदार, जनता और सरकार के बीच की कड़ी होता है। नम्बरदार की सनाकत से बड़े-बड़े काम होते हैं लेकिन भाजपा और जजपा की संयुक्त सरकार नम्बरदार के पद को धीरे-धीरे खत्म करती जा रही है जो बहुत ही गलत बात है। हमें एक ज्ञापन हरियाणा ग्रामीण चौंकीदार सभा ने भी दिया है। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो ग्रामीण चौंकीदारों का वेतन लागू किया गया था और उनके मान-सम्मान में और भी बहुत सी स्कीमें लागू करने का काम किया था। वर्तमान सरकार भी ग्रामीण चौंकीदारों की लिखी हुई मांगों को मानने का काम करे क्योंकि सरकार आधी रात को भी यदि कोई सूचना गांवों में देना चाहती है तो चौंकीदारों के माध्यम से ही देती है। जब गांव पर कोई संकट की घड़ी आती है तो ग्रामीण चौकीदार ही अपने घर से बाहर जाकर अपनी जान को जोखिम में डालकर रात को पहरा देता है। हरियाणा ग्राम सफाई कर्मचारी सभा ने भी एक ज्ञापन दिया है। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने मुख्यमंत्री होते हुए गांव की सफाई के लिए एक कलम से 11 हजार सफाई कर्मचारी लगाने का काम किया था। अब उनको लगे हुए 14-15 साल हो चुके हैं। सरकार उन गरीबों को पक्का करने का काम करे। गांव में

सरपंचों पर सरकार ने ई-टैण्डरिंग स्कीम लागू की है। इससे समस्त हरियाणा का विकास रूका पड़ा है। मैं खुद सरपंच रहा हूं। यह स्कीम गांव के विकास कार्यों में एक बड़ी बाधा है। मेरी गठबंधन सरकार से विनती है कि इस स्कीम को खत्म कर दिया जाये। हरियाणा के अधिकारी/कर्मचारी ओ.पी.एस. की मांग कर रहे हैं। भाजपा/जजपा ने रैलियों में चुनाव के समय हरियाणा में ओ.पी.एस. लागू करने की बात कही थी। अब सरकार इसे लागू क्यों नहीं करती ? मैं मांग करता हूं कि सरकार प्रदेश में ओ.पी.एस. लागू करने का काम करे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि मेरे हल्के के नौल्था गांव में एक एस्टीमेट बनकर आया हुआ है। माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय ने विश्वास दिलाया था कि सरकार उसके पैसे जमा करवायेगी। अत: माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय उसके लिए पैसे जमा करवाने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष में बैठे हुए सदस्य कई बार यह कहते हैं और आप भी यह कहते हो कि यह आपके समय में हुआ था। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हरियाणा में 10 साल से गरीब तबके के लोग चाहे स्कूलों में थे, चाहे हॉस्पिटल्स में थे, चाहे कहीं भी लगे हुए थे, वे 2-2 हजार रूपये में नौकरी करते थे हमारे समय में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने उन 10 साल पुराने कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया था। अगर इस सरकार में दम है तो यह कार्य करके दिखाये। अगर सरकार हमारी रीस करती है तो जो कार्य चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने किया था वह काम वर्तमान सरकार भी करके दिखाये।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बोलने के लिए पूरा समय देंगे। सरकार ने बड़े ऐतिहासिक काम किये हैं। मैं सरकार के कामों के बारे में ज्यादा तो नहीं बता सकता क्योंकि इतना समय नहीं है लेकिन सरकार ने कई काम बहुत अच्छे किये हैं। जैसे मैरिट पर नौकरी दी गई है इससे अनेक गरीब बच्चों को नौकरी मिली है। इल्लिगल कॉलोनीज के लिए जो कानून बना है वह बड़ा ऐतिहासिक कानून है। इससे उनको रेगुलर किया गया है। इससे पहले हरियाणा में कभी ऐसा कानून नहीं बना। मुझे उम्मीद है कि सरकार बाकी कॉलोनीज को भी रेगुलर करेगी। एमएलएज के बेचारे ड्राइवर्ज धक्के खाते फिरते थे उनको 20 हजार रूपये प्रतिमाह सरकार ने दिए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह एम.एल.एज. के पीए का मानदेय भी 15 हजार

रूपये से बढ़ाकर 20 हजार रूपये किया गया है उसके लिए भी धन्यवाद। सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर जो पार्क बनाया गया है यह बहुत बड़ी बात है, यह कोई छोटी बात नहीं है। वहां पर सांप घूमते थे। इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा बीसी 'ए' को जो कल ही 8 परसैंट रिजर्वेशन दिया गया है यह भी एक ऐतिहासिक फैसला है। इससे गरीब लोगों को बड़ा भारी फायदा होगा। हमारे नारनौंद हल्के में एक मसूदपुर माइनर बनाई गई है। मेरी केवल एक ही मांग मानी गई है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा जिला परिषद वालों की एक मांग है। वे मेरे पास आये थे। मेरा कहना है कि सरकार उनकी सैलरी कम-से-कम 25 हजार रूपये करे। इसके अलावा सरपंच का मानदेय 1 हजार रूपये है, इसे 5 हजार रूपये किया जाए। ये काफी बड़ी पॉपुलेशन के रिप्रेजैंटेटिव हैं। अत: सरकार सरपंच का मानदेय अवश्य बढ़ाये। मैं एक बार विभा कौशिक नाम की एक लड़की के घर चला गया। वह 15 साल से पीएचडी किये हुए है और एक निजी स्कूल में केवल 16000 रूपये प्रतिमाह सैलरी पर नौकरी कर रही है। अत: सरकार उसका विशेष ध्यान करे। सैलरी सबको पूरी मिलनी चाहिए। सरकार को गैस्ट टीचर्स की डिमांड भी पूरी करनी चाहिए। घग्गर नदी की लैंड के कंपनसेशन के विषय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ऑन दि फ्लॉर ऑफ दि हाउस वायदा किया था और इस बारे में लिखकर भी दिया गया था। इस विषय में श्री अजीत बालाजी जोशी से भी मैंने बात की थी। श्री अजीत बालाजी जोशी प्राधिकरण की मीटिंग होने की बात कहते हैं। भगवान जाने क्या बनेगा लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपना वचन निभाना चाहिए। इसके अलावा किसी जमाने में हांसी हमारा जिला होता था। उसको अब तुरंत प्रभाव से जिला बनाना चाहिए। हिसार में सैक्टर-13 में सिर्फ एक एकड़ जमीन है। वहां पर 3 क्लीनिक और 5 नर्सिंग होम बनने लग रहे हैं। ये लोग सैक्टर को छोड़ ही जाएंगे लेकिन उनका कुछ नहीं होगा।

नारनौंद हल्के की सड़कें बहुत दयनीय स्थिति में है और वहां पर एक भी सड़क सही नहीं है। आप वहां नारनौंद कभी जाएं तो पता चलेगा कि उनकी कैसी स्थिति है? **(इस समय घंटी बजायी गयी।)** अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: गौतम जी,आपके बात रखने का समय पूरा हो चुका है। प्लीज,अब आप बैठ जाएं।

श्री राम कुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, मेरे नारनौंद हल्के में डॉक्टर्ज की 73 वैकेन्सीज हैं लेकिन उनमें से सिर्फ 29 डॉक्टर्ज ही हैं। इनमें कोई स्पैशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। नारनौंद सिविल हॉस्पीटल में कोई एक्स-रे मशीन भी नहीं है और न ही रेडियोग्राफर है।

श्री अध्यक्ष: गौतम जी,आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है। प्लीज,आप बैठ जाएं।

श्री राम कुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, सिसाय गांव मेरे हल्के का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन उस गांव में पीने का पानी भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: गौतम जी,आपका बोलने का समय पूरा हो चुका है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री राम कुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, इन सैंशज का न तो सरकार को लाभ है और न ही जनता को लाभ है। इसके लिए मेरा आपसे आग्रह है और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा साहब से भी आग्रह है क्योंकि ये उस कमेटी के मैम्बर हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि सैशन पूरा करेंगे तो सरकार को भी लाभ होगा और लोगों को भी लाभ होगा। एक माननीय सदस्य को तीन मिनट बोलने के लिए समय दिया जाता है तो इसमें वही कहावत वाली बात है कि नंगा नहाएगा क्या और निचौड़ेगा क्या?

श्रीमती सीमा त्रिखा (बड़खल): अध्यक्ष महोदय,आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया,इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने हल्के में एफ.ओ.बी. लकड़पूर, फ्लाई ओवर ब्रिज गुरूकुल, सूरजकुंड में बनने वाला सब स्टेशन, सैक्टर-21 डी में बनने वाला बिजली का सब स्टेशन, जे.सी. बोस यूनिवर्सिटी की नयी बिल्डिंग बनाने के लिए, 160 करोड़ रूपये का सीवरेज का नया प्रावधान करने के लिए, 6 स्कूल्ज के लिए नयी

बिल्डिंग्ज की धनराशि देने के लिए , एस.डी.एम. ऑफिस सैक्टर-48, मेवला महाराजपुर के कम्यूनिटी सैंटर और पी.एच.सी. बनाने के लिए ह्दय की गहराइयों से धन्यवाद व आभार प्रकट करती हूं। इनमें 2-4 चीजों का शिलान्यास होने के साथ-साथ काम शुरू हो चुका है। मैं चाहती हूं कि इन प्रोजैक्ट्स का जल्द से जल्द शिलान्यास भी किया जाए और इस काम को भी गति दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष 2 ज्वलंत विषय रखना चाहती हूं। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आती है उसमें छोटे और बड़े व्यापारियों का मिश्रण है। हमारी विधान सभा में सी.एल.यू. एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें किसी बाहरी व्यक्ति ने कोर्ट में मामला ले जाकर स्टे करवाया हुआ है। लेकिन मैं चाहती हूं कि इसमें हमारी सरकार और कैबिनेट रूल्ज को चेंज करने के लिए प्रावधान बनाने के लिए, जनता की सुविधा को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि सी.एल.यू. के साथ-साथ आर.ओ.डब्ल्यू. के लिए भी प्रावधान करे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से 50 से 70 साल पुरानी दुकानों का लीज होल्डर्ज को उनका मालिकाना हक मिला है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जगह बच गयी हैं, जहां पर आर.डब्ल्यू.ए. आड़े आ रहा है। इस पर कैबिनेट को माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कोई निर्णय लेना चाहिए ताकि उससे आम जनता को सहूलियत पहुंच सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं भगवान की भी थैंकफुल हूं क्योंकि आपको एक ऐसी लीडरशिप मिली है जिनका नाम आदरणीय श्री मनोहर लाल जी है। ये हरियाणा एक,हरियाणवी एक के नारे को चरितार्थ करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि जब वे अपने ऑफिस/सी.एम. कार्यालय में पहली बार प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने श्री मनोहर लाल खट्टर के नाम की प्लेट हटवाकर सिर्फ श्री मनोहर लाल लिखवाने के लिए कहा।

जो केवल इस चीज को दर्शाता ही नहीं है कि वे हरियाणा एक,हरियाणवी एक के नारे पर काम करते हैं बल्कि उन्होंने अपने नाम को श्री मनोहर लाल लिखवाकर इस बात को साबित भी किया है। अध्यक्ष महोदय,आप जिस चेयर पर आसीन हैं, आपने भी यहां पर बैठकर बहुत नये-नये आयाम स्थापित किये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी कि इस सदन के अन्दर हम जितने भी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उन सबके धर्म का नाम कांस्टीच्यूशन है और कर्म का नाम हरियाणा एक,हरियाणवी एक है। जिसके तहत हम काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे आज बड़े दुख के साथ आपके संज्ञान में यह बात लानी पड़ रही है और वैसे आप जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से लगातार एक खास विषय के बारे में बार-बार कहते हैं कि वह सब ज्यूडिस है। मैं उस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि आप कहते हैं कि वह सब ज्यूडिश है। जो विषय सब ज्यूडिस है उसका बीज इसी सदन में पड़ा था जिसका काम पूरे हरियाणा प्रदेश में भाईचारा कायम करना है। (इस समय घंटी बजायी गयी।)

श्री अध्यक्ष: सीमा जी,आपके बात रखने का समय पूरा हो चुका है। प्लीज,अब आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्य श्री सीता राम यादव जी अपनी बात रखेंगे।

श्रीमती सीमा त्रिखा: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि अंतिम बात रखने का समय दे दें। मैं प्याज को फोड़ देंगे वाले ब्यान की कड़ी निंदा करती हूं।

श्री अध्यक्ष: सीमा जी,आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री सीता राम यादव (अटेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय लक्ष्मण यादव जी की बातों का समर्थन करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय

उपमुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अटेली तहसील बहुत पुरानी तहसील है और बहुत दिनों से लोगों की मांग है कि इस अटेली तहसील को उपमंडल का दर्जा दिया जाये क्योंकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या 1 लाख 29 हजार 19 है और हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित उपमंडल बनने के सभी मापदंड पूरे भी करता है। अत: अटेली तहसील को उपमंडल का दर्जा दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, अटेली विधान सभा क्षेत्र के लोगों की दूसरी मांग यह है कि दौंगड़ा अहीर गांव में बहुत सालों से उप तहसील नहीं है और इसके आसपास के लगभग 25-30 पंचायतों ने डी.सी. नारनौल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव भी भेजे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उपमुख्यमंत्री जी से और कमेटी से निवेदन है कि दौंगड़ा अहीर गांव में उप तहसील बनाई जाये। अध्यक्ष महोदय, दौंगड़ा अहीर गांव के वासियों ने जन संवाद कार्यक्रम के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष कुछ मांगे रखी थी तो मेरा सरकार से निवेदन यही है कि उन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। जिनमें उनके 4 रास्ते कच्चे हैं, वे पक्के किये जायें। एक नर्सिंग कॉलेज की मांग थी उसको पूरा किया जाये। एक नहर द्वारा पाईप लाइन जोड़कर जोहड़ों में पानी डालने की मांग की गई थी उसको भी पूरा करने का काम किया जाये और 6 एकड़ जमीन में एक स्टेडियम बना हुआ है वहां पर चार दीवारी भी बनाई हुई है। उसको खेल स्टेडियम का दर्जा दिया जाये। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि दौंगड़ा अहीर गांव वालों की मांगे पूरी की जायें। अध्यक्ष महोदय, अटेली विधान सभा क्षेत्र के 9 गांव ऐसे हैं, जिनकी जनसंख्या 7-8 हजार के करीब है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है कि जो 9 गांव हैं, उनमें सेलंग, बागोत, खेड़ी, धनुंधा, पाथेड़ा, भोजावास, काटी, मिर्जापुर और बाछौद आदि गांव आते हैं। इन गांवों में गंदे पानी की निकासी का प्रंबंध ठीक नहीं है। वहां पर 8-8, 10-10 एकड़ जमीन गंदे पानी से भरी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर इन 9 गांवों में एस.टी.पी. लगाकर सीवरेज सिस्टम की भी व्यवस्था की जाये।

उप मुख्यमंत्री द्वारा लाल डोरा स्वामित्व योजना के तहत डाटा देने के संबंध में सूचना देना

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कल सदन के अंदर क्वैश्चन ऑवर के दौरान ऐसा विषय आया था कि लाल डोरा स्वामित्व योजना के तहत जो जमीन की रजिस्ट्री की जा रही है उस प्रोपर्टी के अगेंस्ट लोन नहीं मिल रहे हैं। मैंने 16 जिलों का डाटा कलैक्ट करवाया है और हमने इस डाटा को कम्पलाइल भी किया है। इस लाल डोरे के अंदर ऐसी 1982 रजिस्ट्रीज हुई हैं, जिन पर गवर्नमैंट और प्राईवेट फाइनैंस कम्पनीज ने लोन दिया है। इस समय सदन में विपक्ष के नेता माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा उपस्थित नहीं है, जिन्होंने यह विषय सदन में रखा था। मैं चाहूंगा कि यह डाटा हम सदन के पटल पर रख दें और इसके उपरांत जो बचे हुए 6 जिलों का डाटा है और उन्होंने वह डाटा मांगा भी है। मैं उसकी भी कॉपी फ्लोर ऑफ दि हाउस रखना चाहूंगा। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने लाल डोरा मुक्त का सपना 26 जनवरी 2020 को देखा था। इस साल के अंत तक हम सभी 24 लाख 88 हजार के आसपास जो प्रोपर्टी कार्ड हैं, उनको सबको रजिस्टर्ड डीड में कन्वर्ट करने का काम करेंगे और इन सभी को हम बैनिफिट देने का काम करेंगे। धन्यवाद।

शून्य काल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना (पुनरारम्भ)

श्री नयनपाल रावत(पृथला): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सरकार के माध्यम से पिछले समय में अपने क्षेत्र के हमने जो काम दिये थे, उनमें काफी काम पूरे हुए हैं। इनमें से मेरे हल्के में लगभग 120 करोड़ रुपये की सड़कें मंजूर हुई हैं। इनमें से 100 करोड़ की सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर) डिपार्टमैंट की हैं तथा 20 करोड़ रुपये की जो नए कच्चे रास्ते थे मार्केटिंग बोर्ड की नई सड़कें बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। अध्यक्ष महोदय, पिछले समय में हमारी सरकार ने बहुत सारे स्कूल्ज को अपग्रेड करने का काम किया है तथा बहुत सारे स्कूल्ज के नाम शहीदों के नाम पर रखने का काम किया है। इनमें से मेरे विधान सभा क्षेत्र के पांच स्कूल अपग्रेड हुए हैं तथा 5 स्कूल्ज का नाम शहीदों के नाम पर रखने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, इनमें दो गांव जाजरू और सुनपेड भी शहीदों के नाम से रह जाते हैं। इनको भी इसमें

सम्मिलित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ शहीदों के स्टैच्यू इन स्कूलों में लगा दिये जाए तो आने वाली पीढ़ी को उनसे बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों प्रदेश में जो बाढ़ आई उसके कारण मेरे क्षेत्र के भी लगभग 10 गांव चपेट में आए। जिनमें पूरी तरह से नुकसान हुआ है। इसलिए इनके ट्यूबैवलों में जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा, इनके मकानों का मुआवजा तथा खेतों में जो नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी करवाकर समय पर मुआवाजा दिलवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार के माध्यम से मेरे क्षेत्र के लिए चार स्टेडियम प्रस्तावित हैं। जिनमें से बुखारपुर का स्टेडियम सी.एम. अनाउंसमैंट में है। उसका 38 लाख रुपया जमा भी हो गया है। जब पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर) ने इसे बनाने के लिए कहा तो इसके लगभग 3.5 करोड़ रुपये बनते थे। उन्होंने कहा कि जब पूरा पैसा आएगा यह स्टेडियम तभी बनेगा। इसकी जो 38 लाख रुपये की किस्त थी, वह भी वापस हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि गांव असावटी, बहबलपुर तथा बीजोपुर के प्रस्तावित स्टेडियमों को भी जल्द से जल्द बनाकर तैयार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम सरपंच साहिबानों को, पंचायतों को छोटी सरकार कहते हैं। इनके लिए 25 लाख रुपये की लिमिट फिक्स की गई है। जो नाकाफी है । 25 लाख रुपये के बाद इनके डोंगल बंद कर दिये गये हैं। मेरी पृथला विधानसभा में 104 गांव आते हैं। यह सारा एरिया लोकल है। जिसमें बगैर पंचायतों के काम करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, 76 वर्ष की आजादी के बाद आज भी हमारे लगभग 10-12 गांव जो जमुनापार जाते हैं। इनके बीच में 20 किलोमीटर का एरिया बीच में पड़ता है। यहां नाव का सहारा लेना पड़ता है। कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास गोताखोर और नाव की व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि यहां गोताखोरों और नाव की व्यवस्था करवाई जाए। अगर इसके साथ-साथ एक पुल की व्यवस्था हो जाए तो छायसा गांव में एक पुल जमुना पर बना दिया जाए। इसके लिए सरकार को जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहां पर पंचायत की जमीन है इसलिए हम वहां सरकार को जमीन दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, कुछ सरकारी कर्मचारी हैं जिनमें पुलिस के कर्मचारी, आरोही स्कूल के कर्मचारी तथा हारट्रोन के कर्मचारी हैं इनको भी कुछ सुविधा मुहैया करवाई जाए। धन्यवाद।

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक नयनपाल जी ने एक विषय रखा। इस 15 अगस्त को एक ऐतिहासिक निर्णायक फैसला हुआ कि हमारे प्रदेश के पोस्ट इंडिपेंडेस जितने भी शहीद हुए। उन सब शहीदों के नाम पर उनके गांव के स्कूल का नाम रखा गया। इस 15 अगस्त की आधी रात में कुल 510 गांवों के स्कूलों के नाम इलेक्ट्रॉनिक के अलावा वहां पर फिजिकली भी पेंट करवा कर कन्वर्ट करवा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन के सज्ञान में लाना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे शहीद हैं जिनका डाटा दो तरह के रेजोल्यूशंज के बाद डिप्टी कमिश्नर के पास जाता है। इसमें पहले वहां की वैरिफिकेशन सैनिक बोर्ड करे। दूसरा ग्राम पंचायत उसका रेजोल्यूशन करके डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में दे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बताया है कि इनके क्षेत्र के दो शहीदों के नाम वहां पर रह गए हैं। जिनके नाम पर अभी तक स्कूल का नाम कंवर्ट नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों से भी रिक्वैस्ट करूंगा कि हमारे 90 विधान सभा क्षेत्रों में कोई भी बहादुर, वीर योद्धा जो इस देश की सुरक्षा में अपनी शहादत देकर गया है। आप उसका तुरंत ग्राम पंचायत का रेजोल्यूशन डी.सी. ऑफिस भिजवाएं। यह सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं है। हमने शहरों के भी 109 स्कूल जो शहरी आबादी के अन्दर आते हैं उनके नाम को भी कन्वर्ट किया है। अगर शहर का भी ऐसा कोई मामला है तो संबंधित एम.सी. उसे लिखित में डिप्टी कमिश्नर को दे दें। 30 दिन के अन्दर उस स्कूल को इलेक्ट्रॉनिकली, गवर्नमैंट के मास्टर डाटा के अन्दर और वहां पर पेंट करवाकर उस शहीद को अमर रखने का हमारा प्रयास रहेगा।

श्री लक्ष्मण नापा (रतिया, अ.जा.) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल एक एतिहासिक घोषणा की कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को प्रमोशन में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। मैं सारे हरियाणा प्रान्त की ओर से जितने भी हमारे अनुसूचित जाति के ऑफिसर्ज हैं उन सभी की तरफ से दिल से आभार प्रकट करता हूं कि बहुत से वर्षों से ये समस्या चली आ रही थी और प्रमोशन के काफी केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग थे। मुख्यमंत्री जी ने कल जो एक एतिहासिक घोषणा की मैं उसके लिए उनका बार-बार दिल से आभार प्रकट करता हूं। इससे अनुसूचित जाति के ऑफिसर्ज को फायदा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जो क्षेत्र है वहां पिछले दिनों आई बाढ़ से मेरे रतिया विधान सभा क्षेत्र और

टोहाना व फतेहाबाद के सबसे ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। घग्गर नदी एक इंटर स्टेट रिवर है जो पंजाब हरियाणा से होती हुई राजस्थान की तरफ जाती है। इस मामले में केन्द्रीय जल आयोग ने काफी सारी डॉयरैक्शंज दी हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक मूनक गांव जो पंजाब में पड़ता है उसकी पंचायत ने एक केस डाला है कि पंजाब की तरफ के तटबंध को पक्का किया जाये। मैं माननीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार से यही आग्रह करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में यह केस चल रहा है उसमें हमारी सरकार इसकी पूरी तरह से पैरवी करे। नहीं तो जो अभी पीछे बाढ़ आई जो हमारा चांदपुरा हैड है वह तटबंध उस साईड टूट गया अगर नहीं टूटता तो हमारे इलाके में सिरसा तक तबाही मच जाती। मैं माननीय सरकार से यही रिक्वैस्ट करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में यह केस चल रहा है वहां पर जो हमारी सरकार के प्रतिनिधि हैं वे इसकी वहां पर अच्छी पैरवी करें ताकि हमारे रतिया, टोहाना, फतेहाबाद के ईलाके को आने वाले समय में बाढ़ की समस्या से बचाया जा सके। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)** इस मामले में काफी डॉयरैक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं। हमारे अभी जो बाढ़ आई उसमें मैं सभी ग्राम पंचायतों का दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और इसमें जो हमारी मनरेगा लेबर थी उसने भी बड़ा ही अच्छा कार्य किया। उन्होंने एक महीने तक लगातार दिन-रात एक करके काम किया। उन्होंने बीच में कोई आराम नहीं किया। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उनकी भी जो मजदूरी मिलती है उसे भी बढ़ाया जाये। एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन पंचायतों के पास सरकारी जमीनें नहीं है उनको दी जाने वाली सरकारी ग्रांट को भी बढ़ाया जाये।

श्री बलराज कुण्डु (महम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि आज प्रदेश का युवा कितना बदहाल और बेहाल हो गया है। कहीं सी.ई.टी. के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हर युवा को सी.ई.टी. में बैठने का मौका मिलना चाहिए। आज वो बहुत ही बुरी हालत में है। दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार कहती है कि प्रदेश में बेरोजगारी घटी है मैंने सदन में एक क्वैश्चन लगाया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने उसमें यह ब्यौरा दिया है कि वर्ष 2015 से लेकर 2023 तक लगभग 14 लाख युवाओं ने रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण करवाया है। एक तरफ सरकार द्वारा 5 लाख का आंकड़ा दिया गया है। सरकार द्वारा वर्ष 2015 से अब

तक 97 हजार उम्मीदवारों को एच.एस.एस.सी. के थ्रू नौकरी दी गई है। ये 13 लाख तो इनके डाटा के हिसाब से हैं। इन्होंने जो रिकार्ड दिया यह उसके हिसाब से है। सरकार को प्रदेश के युवाओं की ओर ध्यान देना चाहिए। आज प्रदेश का युवा नशे में बदहाल है और उनका बुरा हाल है। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। खाली ये बातें कहने से कि हमने प्रदेश से बेरोजगारी को कम किया है इससे काम चलने वाला नहीं है। यह उनका दिया हुआ आंकड़ा है जिसमें यह साफ साबित होता है कि आज बेरोजगारी चरमसीमा पर पहुंच गई है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि आज सरकार का हर कार्य इम्पलीमैंट करने में लिपिक वर्ग का सबसे बड़ा योगदान होता है। आज वह किस प्रकार से हताश और निराश बैठा है। सरकार को उसको उसका हक देना चाहिए। जो आऊटसोर्सिंग में और एच.के.आर.एन. में सरकार ने भर्तियां कर रखी हैं उनको एक-एक साल से वेतन नहीं मिल रहा है उनके ऊपर भी सरकार को दया करनी चाहिए और उनको वेतन देने का काम करना चाहिए। इसी प्रकार से आशा वर्कर आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही हैं इसलिए उनको उनका हक प्रदान करके उनका प्रदर्शन समाप्त करवाया जाये। इसके अतिरिक्त जो कच्चे कर्मचारी 10-15 साल से लगे हुए हैं जिनकी आज तक किसी ने सुध-बुध नहीं ली उनके लिए मेरा आपके माध्मय से सरकार से अनुरोध है कि कोई पॉलिसी बना कर उनको समायोजित करने का काम किया जाये। इसी प्रकार से आई.टी.आई. में पिछले 10-15 सालों से जो इंस्ट्रक्टर लगे हुए थे उनको तो सरकार ने हटाने का नोटिस दे दिया है और नई भर्ती वर्ष 2019 से लटकी हुई है। वे ओवरऐज भी हो गये हैं वे अब इस उम्र में कहां जायेंगे। इसलिए सरकार को उनके बारे में भी विचार करना चाहिए। सरकार ने गांवों में बने हुए स्टेडियमों में ग्राउंडमैन लगाये थे जिनको 5-5 हजार रुपये तनख्वाह मिलती थी लेकिन पिछले डेढ़ साल से वह भी नहीं मिल रही है इसलिए उनकी तनख्वाह भी अविलम्ब जारी की जाये ताकि वे अपने परिवार का गुजारा चला सकें। इसी तरह से ग्रुप-डी के खेल कोटे के चयनित कैंडिडेट्स पंचकुला के सैक्टर-5 में नियुक्तियों के इंतजार में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उनको भी रोजगार प्रदान करके उनकी भूख हड़ताल समाप्त करवाई जाये। अब मैं ओल्ड पैंशन स्कीम पर अपनी बात रखना चाहता हूं। जब दूसरे राज्य ओ.पी.एस.(ओल्ड पैंशन स्कीम) दे रहे हैं तो हरियाणा सरकार को भी

सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपने कर्मचारियों को ओ.पी.एस. का लाभ प्रदान करना चाहिए। आज प्रदेश में फसल बीमा कम्पनियों द्वारा किसानों के साथ लूट की जा रही है। कम्पनियों द्वारा किसानों का प्रीमियम काट लिया गया और डेढ़-डेढ़ साल से किसानों की बर्बाद फसलों का मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। अपने मुआवजे की मांग को लेकर किसान हिसार, सिरसा, जीन्द, रोहतक इत्यादि जिलों में सड़कों पर बैठे हुए हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन कम्पनियों का इतना बुरा हाल है कि किसान का प्रीमियम तो 22 हजार काट लिया और उसके खाते में मुआवजे के तौर पर 4 हजार रुपये डाल दिये। इसलिए इन कम्पनियों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन ले तथा किसानों को उनकी खराब फसलों का मुआवजा यथाशीघ्र जारी करवाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत जरूरी बात और बताना चाहता हूं कि रेवेन्यू विभाग के जो नहरी पटवारी हैं उनकी पोस्ट 1400 थी जिनमें से केवल 450 भरी हुई हैं जिससे उन पटवारियों पर कार्य का भार बढ़ गया है। इस प्रकार कैसे काम चलेगा? कई-कई गांवों पर एक पटवारी है और वह काम पूरा नहीं कर पा रहा है इसलिए इनकी भर्ती की जाये।

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को करैक्ट करना चाहूंगा। इन्होंने रेवेन्यू विभाग के नहरी पटवारी बोला है जबकि नहरी पटवारी तो सिंचाई विभाग के होते हैं।

श्री बिशन लाल सैनी(रादौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इस बार यमुना नदी में जो बाढ़ आई है उससे विशेष रूप से कबूलपुर और उन्हेड़ी गांवों की फसल के साथ-साथ उनकी जमीन भी यमुना नदी में चली गई। उसके लिए सिंचाई विभाग ने एक प्रोपोजल बना कर मंत्री जी के पास भेजा है कि वहां पर 3 किलोमीटर लम्बी पटरी तथा 7 ठोकरें तुरन्त लगाई जानी चाहिएं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस प्रोपोजल को एप्रूव किया जाये ताकि वह काम हो सके। इसी तरह से हरियाणा प्रदेश में कम्पीटैंट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है जिसको बिजली के मीटरों की रीडिंग और बिल डिस्बर्स करने का ठेका दिया हुआ है। इस कार्य के लिए जो मुलाजिम रखे हुए हैं कम्पनी उनका बहुत अधिक शोषण कर रही है। उनको 4 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से पे किया जाता है जो कि बहुत कम है।

इससे महीने में उनके 4-5 हजार रुपये बनते हैं इससे उनका गुजारा किस प्रकार से चलेगा। इसको बढ़ा कर कम से कम 10 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से दिया जाना चाहिए ताकि उनका गुजारा अच्छी तरह से चल सके। इसी प्रकार से मेरे हल्के में एक उनियाना गांव पड़ता है। उसके आसपास के गांव तो मुस्तफाबाद तहसील के साथ लगा रखे हैं जबकि उस अकेले गांव को रादौर सब-तहसील के साथ लगा रखा है। मेरा आपके

माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उसको रादौर सब-तहसील से बदलवा कर मुस्तफाबाद

14.00 बजे

तहसील के साथ जोड़ा जाये। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो नगर दर्शन और एक राम दर्शन नाम से दो पार्टल तैयार कर रखे हैं । यह भी कहा गया था कि इनके ऊपर अपने काम और सुझाव लिखकर भेजें । उन पर तुरंत कार्यवाही होगी । मैंने 370 काम ग्राम दर्शन पर और 20 काम नगर दर्शन पर दिये थे और उनकी फिजिबल रिपोर्ट भी आ चुकी है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से एक ही अनुरोध है कि मुझे बताया जाए कि वे काम कब शुरू होंगे । जब यह सरकार चली जाएगी उनको अगली सरकार करेगी या यही सरकार कर देगी । इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के अन्दर एक योजना चलाई है कि पांच हजार से ऊपर की आबादी वाले जितने भी गांव हैं उनको समुदाय केन्द्र के अन्दर जोड़ा जाएगा ।

श्री उपाध्यक्ष : सैनी साहब, आपका समय हो गया है । प्लीज, आप बैठें ।

श्री राम निवास (नरवाना, अ.जा.): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम आप सभी विधान सभा के माननीय सदस्यों को चंद्रायन-3 की सफलता पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह हम सभी भारतवासियों के लिए बेहद गर्व का विषय है । साथ ही मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने आज मुझे इस सदन में अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया । जिला स्तर पर पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को टोल टैक्स में छूट देने के लिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जैसे- सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य, जिला पार्षद, चेयरमैन इन सभी का कम से कम जिला स्तर पर टोल टैक्स फ्री होना चाहिए क्योंकि रोजाना आम जनता की परेशानियों के समाधान के लिए जिला स्तरीय कार्यालयों

पर आना-जाना पड़ता है। ऐसे में बहुत से ऐसे भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिनके रास्ते पर टोल मार्ग आते हैं। हरियाणा पुलिस में एस.पी.ओ. व होमगार्ड पद पर तैनात कर्मचारियों का वेतन बढ़ाए जाने के संदर्भ में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हरियाणा पुलिस में एस.पी.ओ. पद पर तैनात कर्मचारियों का वेतन मात्र 18 हजार रूपये हैं व होमगार्ड का वेतन मात्र 23 हजार रूपये प्रतिमाह है, जबकि इनके ऊपर कार्य का बोझ अधिक है। मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इनको 23 हजार रूपये प्रतिमाह की बजाए 35 हजार रूपये प्रतिमाह किया जाए और टी.ए.डी.ए. और मैडिकल व अन्य जो भी सुविधाएं हैं वे भी उनको उपलब्ध करवाई जाएं। इसी तरह से सफाई कर्मचारियों को हरियाणा कौशल निगम में सम्मिलित किए जाने के संदर्भ में उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो सफाई कर्मचारी ठेका प्रथा के तहत लगाए गए हैं उनका शोषण किया जा रहा है। एक तो उनकी तनख्वाह मात्र 5 हजार रूपये प्रतिमाह है और उन्हें काम से संबंधित किसी भी प्रकार का जरूरी उपकरण भी नहीं दिया जाता जिसे उन्हें स्वयं अपने निजी कोष से खरीदना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उनको हरियाणा कौशल निगम में एडजैस्ट किया जाए। इसके साथ ही पिछले विधान सभा सत्र में भी मैंने यह प्रश्न उठाया था कि नरवाना हल्के के किसानों को गुलाबी सुंडी से खराब हुई फसल का मुआवजा ना मिलने के बारे में मेरे हल्के में किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत आई है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वर्ष 2021-22 में कपास की फसल में गुलाबी सुंडी कीड़े के लग जाने से हजारों एकड़ फसल नष्ट हो गई थी, परन्तु उसका मुआवजा आज तक नरवाना हल्के के किसानों को नहीं दिया गया। मेरा अनुरोध है कि उनका मुआवजा दिया जाए। इसी प्रकार नरवाना नगर परिषद की सीमा बढ़ाए जाने के संदर्भ में उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वर्ष 1975 के बाद से नरवाना नगर परिषद की सीमा का विस्तार नहीं हुआ है। जबकि उस समय से आज की आबादी में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। इसी तरह से नरवाना में नया बस स्टैंड बनाए जाने के संदर्भ में उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि नरवाना शहर में स्थित बस स्टैंड की हालत अत्यंत जर्जर है और बस स्टैंड भी शहर

के बीचों बीच है जिस कारण यात्रियों को काफी असुविधाएं होती हैं। मेरा अनुरोध है कि उस बस स्टैंड को शहर के बाहर शिफ्ट किया जाए व आधुनिक सुविधाओं से लैश ईमारत का निर्माण किया जाए। धन्यवाद।

श्रीमती शैली (नारायणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ से बहुत बुरा हाल हुआ है और हमारे इलाके के पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला में तो बाढ़ के पानी ने बहुत तबाही मचाई है। किसानों की फसलें खराब हो गई, सड़कें टूट गई, लोगों के घरों में पानी भर गया। घरों तथा दुकानों में रखा सारा सामान खराब हो गया। घरों के अंदर तरेडें आई और घरों की छतें गिर गई। सड़कों का तो वैसे ही बुरा हाल है। अम्बाला के साथ लगते हमारे नारायणगढ़ के इलाके की कालोनियों में बहुत बुरा हाल था। यहां पर तीन दिन तक लाइट नहीं थी, पानी नहीं था और यहां तक की लोगों को खाने का सामान तक नहीं मिला था। इसी प्रकार नारायणगढ़ के अंदर भेडो गांव है जहां सिंचाई का बांध टूट गया, उससे भी बहुत नुकसान हुआ है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिन लोगों को यह नुकसान हुआ है उन्हें सरकार मुआवजा दे। ये पोर्टल-वोर्टल से कुछ होने वाला नहीं है। लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा तबाही आई है। लोग बहुत दुखी है। मैरा सरकार से बार बार निवेदन है कि इन लोगों की मदद की जाये। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम बात करें कर्मचारियों की तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि सभी कर्मचारियों की जो जायज मांगें हैं, उन्हें पूरा किया जाये। जैसे कि पुरानी पैंशन योजना लागू की जाये और जो कच्चे कर्मचारी 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं, उन सभी को जैसे कोआपरेटिव बैंक कर्मचारी, ट्यूबवैल आपरेटर, बिजली विभाग के मीटर रीडर और भी विभाग में जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, उन सभी को पक्का करने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत बहुत खराब

हैं। लोगों को घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है तो मेरा कहना है कि इन सभी कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार इस सदन के अंदर नारायणगढ़ को जिला बनाने की मांग उठाती हूँ। मेरा सरकार से अनुरोध है कि नारायणगढ़ को जिला बनाया जाये। यह हमारी पुरानी मांग है और आप देखेंगे कि आबादी भी बहुत बढ़ गई है। पुरानी सब डिवीजन भी है तो जब तक सरकार मेरी इस मांग को मान नहीं लेती है, मैं बार बार सदन में यह मांग उठाती रहूंगी। अध्यक्ष जी, मैं बात करूं नारायणगढ़ के होस्पिटल की तो मैंने पहले भी सदन में कई बार कहा है कि हमारे यहां होस्पिटल के अंदर डाक्टर्ज की बहुत कमी है। वहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन है लेकिन चलाने के लिए टैक्निशियन नहीं है। आप देखेंगे कि आज इस बारिश के कारण हमारे यहां पर महामारी फैली हुई है। होस्पिटल में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। हमारे यहां 43 डाक्टर्ज की रिक्वॉयरमैंट है लेकिन होस्पिटल के अंदर केवल 7 डाक्टर्ज मौजूद हैं। कितनी अजीब बात है कि यहां से 23 डाक्टर्ज को सेलरी मिल रही है लेकिन वे काम कहीं बाहर कर रहे हैं। इस तरह कैसे काम चलेगा ? इसके साथ ही यहां पर जो होस्पिटल की बिल्डिंग का काम चल रहा है, वह भी बहुत धीमी गति से चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, नारायणगढ़ में मार्किटिंग बोर्ड की सड़कों की भी बहुत बुरी हालत है, इनको तुरंत प्रभाव से बनाने का काम किया जाये। इसके साथ ही मैं सामुदायिक केन्द्र की बात करना चाहूंगी। गांव के अंदर सामुदायिक केन्द्र नहीं है। मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि जिन गांवों में सामुदायिक केन्द्र नहीं है, वहां पर सामुदायिक केन्द्र बनाये जायें। धन्यवाद

श्री आफताब अहमद (नूंह): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान हरियाणा में एक बहुत

ही दु:खद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना जोकि 31 जुलाई को नूंह में हिंसा के रूप में हुई और जिसकी वजह से बहुत जान माल का नुकसान हुआ, की तरफ दिलाना चाहूंगा। इस हिंसा में हिंदू-मुस्लिम सभी समुदायों का आगजनी की वजह से बहुत नुकसान हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि जब 31 जुलाई से पहले इस तरह की घटना की सरकार के पास सूचना थी और हमने स्वयं भी सरकार को आगाह किया था कि हालात बहुत तनावपूर्ण हैं, सोशल मीडिया पर चैलेंजबाजी हो रही है, अत: ऐसे हालातों से निपटने के लिए पर्याप्त कार्रवाई कीजिए लेकिन बावजूद इसके सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न करना, एक तरह से सरकार की नाकामी को ही प्रदर्शित करता है। यही कारण है कि कल हमने सदन में कहा था कि इस मामले पर ज्यूडिशियल इंक्वायरी करवाई जाये। आज हमारे यहां नाजायज तरीके से लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। निर्दोष लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस हिंसा में बहुत बड़ी संख्या में गरीब-मजदूर आदमियों के आसियाने उजाड़े गए हैं। अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए आखिरकार सरकार क्यों ऐसे कदम उठा रही है और क्यों ऐसे कदम नहीं उठा रही है कि जिससे हिंसा से प्रभावित लोगों को कुछ फायदा हो सके। सरकार, सब ज्यूडिस का बहाना बनाकर इस विषय पर सदन में चर्चा नहीं करना चाहती और बाहर जाकर बयान दिए जा रहे हैं कि कांग्रेस चर्चा से बच रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हम चर्चा से कहां बच रहे हैं ? हम तो चर्चा करने के लिए तैयार हैं लेकिन सत्ता पक्ष इस चीज के लिए तैयार नहीं है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करना ठीक नहीं है। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में जिस तरीके से नफरत की आग को भड़काया जा रहा है इससे न किसी समुदाय का और न ही किसी व्यक्तिगत का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। हरियाणा एक शांतिपूर्ण प्रदेश है जिसमें सब लोग अमन चैन से रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से नफरत की आग को भड़काया जा रहा है, इससे किसी भी समुदाय को कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमारे हरियाणा प्रदेश में सभी लोग अमन चैन से रहते हैं। नफरत के खेल से सभी समुदायों को नुकसान होता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं एक बात और यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे इलाके के श्री तेजपाल सिंह संघेल सड़क हादसे में शहीद हुए हैं। उस सड़क हादसे में हरियाणा के पांच जवान शहीद हुए हैं। आज

सदन में नेता प्रतिपक्ष ने भी उनके लिये मांग की है कि उनके परिवार को एक-एक करोड़ रूपये और सरकारी नौकरी दी जाये। मैं भी अपनी तरफ से उनके लिये यही मांग करता हूं और एक मांग यह भी करता हूं कि शहीद तेजपाल सिंह के के नाम पर उजीना गांव में कॉलेज खुलना चाहिये। अंत में मैं यह कहता हूं कि यह भाजपा सरकार सदन में कुछ कहती है और बाहर मीडिया के सामने कुछ कहती है।

श्री सुभाष सुधा (थानेसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस गरिमय सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान तेजी से बढ़ती हुई भयंकर कैंसर की बीमारी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। दिन-प्रतिदिन कैंसर या महिलाओं में ब्रैस्ट कैंसर बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। मेरे कुरुक्षेत्र में 100 बैडिड का सिविल अस्पताल है और एक नया 100 बैडिड का भवन का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। सिविल अस्पताल में नए कैंसर मरीजों की OPD संख्या प्रति वर्ष लगभग 500 तक पंहुच चुकी है, या यह कहे कि महीने में लगभग 40 मरीजों की OPD नए कैंसर मरीजों की है, जिसमें से 15 नए कैंसर मरीज महिलाएं हैं, जिनको ब्रैस्ट या बच्चेदानी में कैंसर है। सिविल अस्पताल में इन सभी प्रकार के नए कैंसर मरीजों के टैस्ट के लिए सुविधा है, जैसे FNAC (Fine Needle Aspiration Cytology) टैस्ट किसी भी प्रकार का कैंसर बीमारी के लिए किया जाता है। Mammography टैस्ट महिलाओं के ब्रैस्ट कैंसर के लिए किया जाता है। PAP Test महिलाओं की बच्चादानी में कैंसर के लिए किया जाता है। इसके साथ ही कैंसर मरीजों के ईलाज के लिए सिर्फ Chemotherapy की सुविधा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य बात यह भी कहना चाहता हूँ कि इन सुविधाओं के साथ-साथ कैंसर मरीजों के ईलाज के लिए कुछ सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नही करवाई गई है, जैसे सिविल अस्पताल में Radiation Therapy नहीं है, इसके लिए मरीजों को अन्य अस्पतालों में भेजा जाता है। ब्रैस्ट कैंसर की सर्जरी के लिए Surgeon Doctor उपलब्ध नही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में वो सभी महिलाएं जो कैंसर टैस्ट करवाने में असमर्थ है क्योंकि या तो उनके पास शहर में जाकर टैस्ट करवाने के लिए उचित साधन या धन नही है या फिर वो किसी कारणवश परिवारिक या समाजिक डर से अपने घर से बाहर जाकर टैस्ट नहीं

करवाना चाहती या नहीं जा सकती। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समस्या के समाधान के लिए एक स्पैशल वैन जिसमें कैंसर, ब्रैस्ट कैंसर या बच्चा-दानी में कैंसर टैस्ट के लिए आधुनिक सुविधाएं हों, इस तरह की वैन को गाँव-गाँव में कैम्प अभियान चलाकर महिलाओं का फ्री में टैस्ट करवाया जाए ताकि उनको टैस्ट करवाने के लिए शहर ना जाना पड़े। इसके साथ-साथ सिविल अस्पताल में ब्रैस्ट व बच्चादानी कैंसर की सर्जरी के लिए सर्जन डॉक्टर की सुविधा प्रदान की जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बात आपकी अनुमति से सदन में रखना चाहता हूँ कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो में बुजुर्गों के घुटनों व नसों में दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है। जिसके लिए डॉक्टरी सलाह पर Physiotherapy से इसका इलाज करवाया जाता है परन्तु बहुत से बुजुर्ग इसको करने में असमर्थ हैं और ना ही गाँव से शहर आकर Physiotherapy करवा सकते हैं। जिला कुरुक्षेत्र में कुल 7 CHC (Civil Health Centre) है (Barna, | Mathana, Jhansa, Ladwa, Babain, Shahabad and Pehowa) परन्तु सिर्फ सिविल अस्पताल कुरुक्षेत्र व पिहोवा में Physiotherapy की सुविधा उपलब्ध है। निवेदन यह है कि मेरी विधानसभा थानेसर में सभी CHC, Polyclinic में स्थाई तौर पर Physiotherapy सुविधा उपलब्ध करवाई जाए व सभी PHCs व Health Sub Centres में alternate days पर Physiotherapy सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जुलाई 2023 में आई बाढ़ की तरफ भी दिलाना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इस भयंकर बाढ़ के कारण हरियाणा में बहुत से जिलों को नुकसान पहुंचा है। मैं जिला कुरुक्षेत्र, विधानसभा थानेसर के स्थाई निवासियों के घरों, सामान और किसानों की फसल के नुकसान की बात करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जी०टी० रोड कुरुक्षेत्र से गाँव ज्योतिसर के पास नरवाना ब्रांच व SYL नहर तक लगभग 18 किलोमीटर लम्बी सरस्वती नदी है, जिसकी चौड़ाई लगभग 20 से 35 फीट है और गहराई सिर्फ 5 फीट है, इस नदी के पानी की क्षमता भी सिर्फ 200 क्यूसिक है, यह नदी शुरू से अन्त तक रिहायशी इलाकों के बीच में से निकलती है। इसका रख-रखाव व समय पर मरम्मत न होने की वजह से थानेसर में गाँव अमरगढ़ मजारा, खेड़ी मारकण्डा, सरस्वती कॉलोनी, कामरेड कॉलोनी, गांधी नगर, झांसा रोड, विशनगढ़, शान्ति नगर, दीदार नगर, जोगना खेड़ा आदि बहुत से रिहायशी एरिया में इस

नदी का पानी ओवरफ्लो होकर लोगो के घरों में चला गया, जिसकी वजह से लोगों के मकान गिरे, सामान खराब हुआ, व्यापार बन्द हुआ और यहाँ के स्थाई निवासियों को अपना घर छोडकर धर्मशालाओ में भी रहना पड़ा है। सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष इस नदी की सफाई की स्वीकृति विभाग को मई महीने में प्रदान करती है, इसके पश्चात् एजेंसी को काम अलाट करते-करते जून महीना खत्म हो जाता है, जुलाई महीने में खेतों में फसले भी लग जाती है और बारिशें भी आरम्भ हो जाती है, जिसकी वजह से नदी की सफाई के लिए न तो मशीन / पोकलेन या जे०सी०बी० पंहुच सकती और न ही बारिशों की वजह से सफाई कर्मचारी इसमें सफाई कर सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि सरकार द्वारा सरस्वती नदी की सफाई व मरम्मत के लिए स्वीकृति विभाग को मार्च महीने तक प्रदान कर दी जाए क्योंकि अप्रैल-मई माह में फसले कटने की वजह से खेत खाली हो जाते हैं और मशीनों द्वारा इस नदी की सफाई करना आसान हो जाता है। इसके साथ ही इस नदी को 10 फीट गहरा किया जाए इसकी चौड़ाई राजस्व रिकार्ड के अनुसार बढ़ाई जाए और इसके साथ 6 फीट का रास्ता बनाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बाढ़ के पानी को रोकना आसान नहीं होता, यह Natural flow है परन्तु थानेसर में जो flooded Area है, जैसे गॉव अमरगढ़ माजरा, खेड़ी मारकण्डा, सरस्वती कॉलोनी, कामरेड कॉलोनी, गांधी नगर, झांसा रोड, बिशनगढ़, शान्ति नगर, दीदार नगर, नरकातारी, जोगना खेड़ा आदि जो भी रिहायशी एरियाज हैं, वहाँ पर पानी की निकासी का समाधान किया जाये ताकि बाढ़ की स्थिति में बाढ़ का पानी लोगो के घरों तक न पहुंचे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा थानेसर में नरवाना ब्रांच व SYL नहर निकलती है, यह नरवाना ब्रांच नहर का निर्माण 1955 में पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य को पानी का हिस्सा देने के लिए करवाया गया था, जिसकी क्षमता 3914 क्यूसिक और SYL नहर का निर्माण 1976 में हुआ, जिसकी क्षमता 7275 क्यूसिक है, ये नहरें लगभग 50 साल पुरानी हैं, जिसकी सफाई और मरम्मत न होने की वजह से ये अपनी क्षमता से भी कम पानी से बहती हैं, इसलिए इन दोनों नहरों को तुरन्त प्रभाव से रिपेयर / मरम्मत व पक्का किया जाए ताकि ये अपनी क्षमता से बढ़कर बहे और भविष्य में इनके टूटने की कोई सम्भावना भी न रहे। धन्यवाद।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी सी.ई.टी. के बारे में कह रहे थे कि हाउस में चर्चा नहीं होगी। सी.ई.टी. बेरोजगार युवाओं के साथ बहुत बड़ा मजाक है। सोशल इकनॉमी के नाम पर फ्रॉड हो रहा है क्योंकि कभी नम्बर जुड़ जाते हैं और कभी नम्बर घट जाते हैं। कभी पेपर रिपीट हो जाते हैं, इस प्रकार से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग की वर्किंग ठीक नहीं है। मेरा दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ग्रुप सी के पार्ट-2 के 7 हजार के करीब कर्मचारियों का है। इन कर्मचारियों की सर्विस 3 साल से लेकर 10 साल तक हो गई है और इन आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती रेगुलर प्रोसैस से हुई है। इस भर्ती का विज्ञापन निकला है, टैस्ट हुआ है, मैरिट बनी है और फाईनल सिलेक्शन हुई है। आज सरकार द्वारा ग्रुप-सी के 32 हजार कैंडीडेट्स को सिलैक्ट करके नौकरी देने की बात कही जा रही है। मेरा कहना है कि जो लोग 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं पहले उनको ऐडजस्ट किया जाना चाहिए। उसके बाद उन पोस्ट्स को भरना चाहिए। इसके बारे में हाई कोर्ट में मैटर गया था। वहां पर बलदेव राज महाजन जी ने स्टेटमैंट दी कि हम इस बारे में पोलिसी बनाएंगे। अत: इसके लिए पोलिसी बनाई जाए। सर, क्लर्क्स स्ट्राइक पर बैठे हैं। क्लर्क्स सरकार चलाते हैं। उनके बिना काम नहीं चल सकता। सरकार बताये कि 19,900 बेसिक पे के स्केल से कोई महिला अपना घर कैसे चलाएगी ? कैसे उसका परिवार चलेगा क्योंकि उनकी तनख्वाह बहुत कम होती है। सरकार को उनकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। उनकी डिमांड जायज है। स्ट्राइक थी जो अब वापिस हो गई है। अब उनको स्ट्राइक के दौरान की सैलरी मिलनी चाहिए। वे कह रहे हैं कि सरकार हमें धोखा दे रही है। एक बार कमेटी बन गई थी लेकिन वे कह रहे हैं कि बाद में सरकार हमें धोखा दे रही है। अत: सिम्पथैटिकली उनकी तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिए। आज के दिन इतनी महंगाई में किसी घर का 19,900 बेसिक पे से गुजारा नहीं चल सकता। स्पीकर सर, यह वर्ष 2014 के बाद की बात है जब ग्रुप-डी की एक अप्वॉयंटमैंट हुई थी। उसमें काफी लोग ओवरक्वालिफाइड बी.ए., एम.ए., पी.एच.डी., एम.टैक., एम.फिल. आये थे। वे सब चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। सरकार ने प्रमोशन के ऐवेन्यु केवल 20 परसैंट रखे हुए हैं। अत: यह बहुत ही जैनुअन डिमांड है कि एक कॉमन कैटेगरी बनाकर उनको प्रमोशन में 50 परसैंट तक कोटा दिया जाए। थैंक यू।

श्री वरूण चौधरी (मुलाना) (अ.जा.) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश का युवा नौकरी की तलाश में भटक रहा है। जब उसको आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही तो वह युवा देश छोड़कर जा रहा है। जिस प्रदेश का युवा ही देश छोड़कर चला जाएगा उस प्रदेश का भविष्य क्या होगा ? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अभी बार-बार युवाओं ने सीईटी पर मांग उठाई है। उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, एस.सी. कैटेगरी का जो बैकलॉग है उसे भी सरकार जल्द-से-जल्द भरने का कार्य करे। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज सवाल लगाया था। किसानों से 13982 एकड़ भूमि लेकर राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम पंचायत में स्थापित कर दी गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन के पटल पर कहा था कि हम कोई-न-कोई नीति बनाएंगे जिससे किसानों के हितों की रक्षा की जा सके लेकिन अभी तक इस पर कोई बात सामने नहीं आई है। किसानों के हितों को देखते हुए इस पर जल्द-से-जल्द नीति बनाई जाए और किसानों को जमीनें वापिस दिलाई जायें। मेरे मुलाना विधान सभा क्षेत्र में बहुत-से गांव जल भराव/ बाढ़ से प्रभावित हुए। बराड़ा म्युनिसिपल कमेटी के इलाके के अंदर भी बहुत-सा जल-भराव हुआ। इसके लिए कोई स्थाई समाधान बहुत ही आवश्यक है। इससे प्रभावित गांव जैसे हेमा माजरा, शेरगढ़, हरडी, हरडा, तंदवाल, तंदवाली, उगाला, सबका, खानपुरा, मोहड़ा, दुराना, औजलां, फजैलपुर, गोला, ब्राह्मण माजरा, पपलौथा, अलापुर, हमिदपुर खेड़ा आदि हैं। इनके स्थाई समाधान की आवश्यकता है नहीं तो बार-बार जल-भराव होने से लोगों का बहुत नुक्सान होता है। सड़कों का पहले ही बुरा हाल था। अब इस बाढ़ के आने से सड़कों को और ज्यादा नुक्सान हुआ है। बहुत-सी ऑर्गेनाइजेशंज और युनियंस के प्रस्ताव दिए गए चाहे वह डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन हरियाणा है। जो जे.ई. हैं उनकी मांग है कि वेतन में जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर किया जाए। जो पदोन्नति की नीति है उसमें वह जेई ही लगता है और जेई ही रिटायर हो जाता है। अत: उनके कोटे को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर जल्द-से-जल्द 75 प्रतिशत किया जाए। इसी प्रकार से हारट्रोन प्रोफैशनल ऐसोसियेशन है, ट्यूबवैल्ज ऑपरेटर्स हैं, मीटर रीडर्स हैं, सर्व कर्मचारी संघ है इनके अलग-अलग विभागों में जो कर्मचारी हैं उनकी मांगों पर सरकार द्वारा अवश्य विचार किया जाए जिससे समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद।

दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, करनाल के अध्यापक तथा विद्यार्थियों का अभिनंदन करना

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, करनाल के अध्यापकगण तथा विद्यार्थी दर्शक दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सदन की तरफ से इनका हार्दिक अभिनन्दन तथा स्वागत करता हूं।

शून्य काल में विभिन्न मामलों/मांगें उठाना (पुनरारम्भ)

श्री जगदीश नायर (होडल, अ.जा.): उपाध्यक्ष महोदय,आपने मुझे जीरो ऑवर में अपनी बात रखने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ बहुत ही जरूरी मुद्दे यहां पर उठाना चाहता हूं। आज हरियाणा में बहुत बड़ा परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की अगुवाई में हुआ है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं चलायी हैं। जैसे हमें यमुना नदी पर पुल बनाने की योजना दी है। हमें मैट्रो को पलवल से जोड़ने की योजना दी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यावाद करूंगा। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में होडल शहर के साथ-साथ बाईपास बनाने की सख्त जरूरत है। हसनपुर शहर का बाईपास बनाने की जरूरत है। होडल शहर में गौडोता चौक जी.टी. रोड के साथ-साथ वेयर हाउस पर बस अड्डा बनाने की आवश्यकता है। ग्राम भैंडोली में कॉलेज बनाने की घोषणा हुए बहुत दिन हो चुके हैं और सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में कॉलेज चालू भी है। इस कॉलेज के लिए अभी तक भवन नहीं बना है इसलिए वहां पर भवन बनाने की शुरूआत की जाए। ग्राम खाम्वी में गर्ल्ज कॉलेज बनाने की जरूरत है। होडल में सिटी अग्रसेन पार्क बनाने की जरूरत है। होडल

शहर में बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की जरूरत है। होडल शहर में इन डोर ऑडिटोरियम बनाने की जरूरत है। हसनपुर शहर में बड़ा सिटी पार्क बनाने की जरूरत है। महाग्रामों के रास्ते बहुत ज्यादा खराब हो गये हैं जिनकी वजह से सौन्दह, बन्चारी, औरंगाबाद, दिघौट, खाम्वी, हसनपुर, भिडूकी आदि गांवों के अन्दर सारे रास्ते टूटे हुए हैं। इनके लिए उचित ग्रान्ट देकर बनवाने की जरूरत है। होडल रजवाह को पक्का किया जाए और सारे रजवाहे पक्के हो गये हैं। इसके लिए मैं इरीगेशन विभाग को आग्रह करूंगा कि इस होडल रजवाहा/चैनल को भी पक्का करवाने की बहुत सख्त जरूरत है। यमुना नदी के किनारे के साथ लगने वाले गांवों में जब बार-बार बाढ आ जाती है तो हर साल यमुना नदी के पानी का स्तर बढ़ता है जिसके कारण संबंधित गांवों के लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि सतूआगढी, लहरपुर, हसनपुर, नगला झण्डवास, नगला माहौली, नगला चण्डीगढ आदि गांवों में ओट लगा दी जाएं और इनके किनारों को पक्का कर दिया जाए तो ये गांव बाढ़ से बच सकते हैं। इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में बारात घरों की जरूरत है जिसमें वॉसवा, भिडूकी, बेढा, गढी, सीया, मित्तरौल, पिगोड, गुलावत, जटौली, हसनपुर, बन्चारी, मर्रोली, क्यौराली, लिखी, बच्छीपुरा, डकोरा, कामरका, पैंगलतू और भूपगढ़ शामिल हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कच्चे रास्ते पड़े हैं जिनको बनाने के लिए मैंने पिछली बार भी मांग रखी थी जिसमें रामगढ़ से भैडोंली, हसनपुर से भिडूकी, औरंगाबाद से फुलवाडी, सौन्दह गांव की फिरनी, पी.डब्ल्यू.डी. गढी रोड से लक्ष्मण प्याऊ तक, ग्राम गढी वाली सड़क, हेता फॉर्म से पी.डब्ल्यू.डी. रोड की सड़क, पी.डब्ल्यू.डी. रोड से काचि खेड़ा तक की सड़क और बोराका से गढ़ी रोड तक की सड़क शामिल हैं। इसके अलावा पीने के पानी के लिए कुछ गांवों से मांग

आयी है जिसमें लुहेना, सेवली, सौन्दह, बन्चारी, सराय, डाडका, वोराफा और नगला अहसानपुर गांव शामिल हैं।

श्री उपाध्यक्ष: जगदीश जी, आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है। अगर इनके अलावा कोई और डिमांड है तो उसको टेबल कर दें। अब माननीय सदस्या श्रीमती शकुंतला खटक जी अपनी बात रखेंगी।

श्री जगदीश नायर: उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पिछली बार रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की बात रखी थी जिसमें गौडोता रेलवे फाटक पर पुल बनाना, डकोरा टू होडल मण्डी, मर्रोली टू जी.टी.रोड, डकोरा टू बन्चारी, मिन्तरौल टू दिघोट रोड और कमरन टू जी.टी.रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने पर सरकार का धन्यवाद करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: जगदीश नायर जी, प्लीज, अब आप बैठ जाएं। अगर आपकी कोई बात रह गयी है तो उसको टेबल कर दें।

श्रीमती शकुंतला खटक(कलानौर, अ.जा.): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में अपनी बात रखने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का भी धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत करवाने के बाद हमें विधान सभा में बोलने के लिए समय दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, सी.एम. साहब ने कलानौर को सब डिवीजन बनाने की घोषणा की थी और उस समय लोगों ने लड्डू बांटे और खुशियां मनायी थी। सी.एम. साहब का वहां पर धन्यवाद भी हुआ था। लेकिन सी.एम. साहब से कलानौर की जनता और मैं यह पूछना चाहते हैं कि वह घोषणा कहां पर गुम हो गयी? वह कहां पर खो गयी है? इस संबंध में आज तक वहां पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमें इसके बारे में पता नहीं है कि उसकी चोरी हुई है या क्या हुआ है? सी.एम. साहब उसको अवश्य ढूंढकर लाएं और कलानौर

को सब डिविजन बनाने का काम करें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के की मार्केटिंग बोर्ड की रोडज की हालत बहुत खराब है। ये 5-6 रोडज हैं जिनमें नानौंद से खेड़ी साध, पटवारपुर से मारौडी रांगड़ा, ककराना से बालम, संघेड़ा से सीवना तथा गढ़ी से गढ़ी निगाना हैं। इनको बनाने का काम किया जाए। मैंने इस संबंध में अनस्टार्ड क्वैश्चन लगाया था और माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दिया कि इनकी मरम्मत करेंगे। लेकिन उनमें से कुछ रोडज तो ऐसे हैं जो बिल्कुल नये बनने के काबिल हैं। दूसरी बात यह है कि फल्ड की समस्या वैसे तो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है। मेरे इलाके के अंदर भी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट करती हूं कि इसका कोई स्थाई बंदोबस्त किया जाये और इस बाढ़ से जिन किसानों की फसल खराब हुई है उनको मुआवजा दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के 1 से 6 वार्ड कलानौर निगम में आते हैं। वहां अति गरीब लोग रहते हैं। वहां पर सीवर, रोड, पानी और बिजली की समस्या है। मैं यह कहना चाहती हूं कि उनका रहना दूभर हो गया है। मैं हर बार सदन में यह आवाज उठाती आ रही हूं लेकिन वहां पर आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है। रोहतक निगम में अमृत योजना के तहत 350 करोड़ रूपये आये थे लेकिन मेरे इलाके के अंदर एक रूपया भी नहीं लगा है। मैं मुख्यमंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगी कि 350 करोड़ रूपये कहां गायब हो गये, यह पैसा कहां पर खो गया और उनको किसने खाया है, इसकी इन्क्वायरी करवाई जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि हमारे इलाके में हमारे हिस्से का पैसा लगाने का काम किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा था कि वर्ष 2022 में किसानों की आमदनी डबल करेंगे लेकिन उनकी आमदनी डबल तो नहीं हुई लेकिन जो किसान आज खेती पर पैसा खर्च करते हैं, वह खर्चा भी वसूल नहीं हो पाता है। जहां तक फसल बीमा योजना की बात है तो इसमें बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है। हमारे मायना गांव के लोगों ने इसका विद प्रूफ दिया है इसलिए इसका भी समाधान करने का काम किया जाये। यह भी मैं टेबल करूंगी।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान (बेरी) :उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है। इस नारे में खोखलापन दिखाई देता है क्योंकि मैं पिछले 9 सालों से जितने भी विधान सभा सत्र हुए हैं, मैंने हर विधान सभा सत्र में अपने बेरी हल्के की मांगें उठाई हैं लेकिन

आज तक इन मांगों में से एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि विपक्ष के जो सदस्य हैं, उनके साथ सरकार भेदभाव की नीति से काम कर रही है। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बोलकर आये थे कि बेरी में कॉलेज बनाया जायेगा। वहां पर कॉलेज नाम की कोई चीज नहीं बनाई गई है। डीघल गांव के आसपास के 15-20 गांवों के लोग तीन दिन पहले हुड्डा साहब से मिले थे कि डीघल गांव में कॉलेज खोला जाये। मेरे पास इस तरह की कई मांगे हैं जो मैं टेबल करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती है। आज किसान किसानी के लिए लड़ रहा है। जब वह अपने हकों के लिए आंदोलन करता है तो उस पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, जब सरपंच आंदोलन करते हैं तो आप उनकी कड़ उघाड़ कर देख लेना, आपको लाठीचार्ज से उनकी कड़ लीली हुई मिलेगी। अगर इम्पलॉईज ओ.पी.एस. के लिए आंदोलन करते हैं तो सरकार द्वारा उन पर भी लाठीचार्ज करने का काम किया जाता है। इसी तरह से व्यापारी वर्ग भी काफी मायूस है। हमारे से डेपूटेशन एसोसिएशन वाले मिले थे और हमारे से सरपंच एसोसिएशन भी मिली थी। हमारे से नम्बरदार, चौकीदार और जमादारों की एसोएिएशन के लोग भी मिले थे। आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर एसोसिएशन भी मिली थी। इस प्रकार से हमारे पास 7-8 मेमोरेंडम आये हुए हैं, मैं उनको टेबल भी कर दूंगा। हमारे पास सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से भी मेमोरेंडम आया है। मेरा कहना यह है कि उनको परमानेंट किया जाये और उनकी ओ.पी.एस. भी लागू की जाये। हमें डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के सदस्य भी मिले थे। इनकी पे स्ट्रक्चर और प्रमोशन की मांग है। फिर इसके बाद क्लर्कों ने भी एक मेमोरेंडम दिया है इनकी बहुत पुरानी मांग है और इनको 35400 का बेसिक वेतन दिया जाये। ये पिछले दिनों प्रदेश में 42 दिन तक हड़ताल पर थे लेकिन इनको धोखे के सिवाए कुछ नहीं मिला। हमें इसके बाद आउट सोर्स पार्ट-2 इम्पलाईज सोसायटी ने भी मेमोरेंडम दिया है। इन कर्मचारियों को भी मिनीमम वेजिज दिया जाये। इसके साथ ही साथ वित्तीय संस्था ठेका कर्मचारी संघ हरियाणा ने भी मेमोरेंडम दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आयुष्मान मित्र को भी 5 हजार रूपये मिलते हैं, इसलिए इनको भी मिनीमम वेजिज दिया जाये। यह मैं आपको टेबल भी करूंगा। धन्यवाद।

श्री जोगीराम सिहाग(बरवाला): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार का ध्यान एक ऐसे मुद्दे पर आकर्षित करवाना चाहता हूं जो बहुत अहम और जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा पंचायत के पास भूमि होते हुए भी भूमि की कमी का है। बहुत से ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी के आसपास बहुत सारी जमीनें पड़ी हैं लेकिन वह जमीन जब किसी विकास के काम के लिए पता की जाती है तो वह तालाब की निकल आती है या गौचरण की निकल आती है। अगर यदि कहीं पर भी पी.एच.सी. बनानी है या स्कूल बनाना है तो वह भूमि तालाब के नाम से बोलती है जिसके कारण वहां पर डिवैल्पमैंट का काम नहीं हो सकता क्योंकि वह भूमि तालाब के नाम है। उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा तलवंडी गांव है। जिसके अन्दर दो एकड़ में तालाब है जबकि उस तालाब के नाम 25 एकड़ भूमि है। वह सारी की सारी भूमि वैसे ही पड़ी है। पंचायत के पास गांव से लगती कोई अन्य भूमि नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यदि वहां पर कम्युनिटी सैंटर बनाना है या स्कूल बनाना है तो वह किस भूमि पर बनाएं ? ईवन यहां पर धांसू गांव में जो पी.एच.सी. बनी हुई है। वह भी तालाब की जमीन पर है । लेकिन पूरे गांव की फिरनी है वह तालाब के नाम है। वहां पर जो पी.एच.सी. है वह तालाब की भूमि के ऊपर बनी हुई है जिसकी बिल्डिंग कंडम हो गई। अब इस पी.एच.सी. को उठाकर कहां पर ले जाएं ? क्योंकि वहां पर और कोई जमीन नहीं है और जो जमीन है वह एग्रीकल्चर लैण्ड है। जो गांव से बहुत दूर है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस विषय पर ध्यान करके कि जो भूमि खाली तालाब के नाम है। मौके पर तालाब नहीं है उस भूमि को पंचायत के नाम कन्वर्ट करने का काम किया जाए, कोई पॉलिसी बनाई जाए ताकि वहां पर किसी भी प्रकार के डिवैल्पमैंट की जरूरत पड़े तो उसके लिए भूमि उपलब्ध हो सके। क्योंकि अगर भूमि पंचायत के नाम नहीं होगी तो जो भूमि तालाब और गौचरण की है। उसका सरकार कुछ नहीं कर सकती। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरा जो तलवंडी गावं है वह हिसार से 7 किलोमीटर से 17 किलोमीटर हुआ हुआ है। आज 207 दिन हो गए गांव के लोग काम छोड़कर धरने पर बैठे हैं। हमारे इलाके के आसपास के लोग भी धरने पर बैठे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 207 दिन किसे कहते हैं। इनमें

जमींदार हैं, किसान हैं, मजूदर हैं और व्यापारी हैं, वे कब तक बैठे रहेंगे ? इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उस विषय पर भी तुरंत संज्ञान लिया जाए। वह फाइल जहां पर भी अटकी हुई है उसका निस्तारण करके उस रास्ते को तुरंत चालू करवाया जाए। धन्यवाद।

श्री अमरजीत ढांडा(जुलाना): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले जुलाना सब-डिविजन की घोषणा हुई थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी घोषणा तो हो चुकी है लेकिन यहां पर जल्द से जल्द एस.डी.एम. और डी.एस.पी. अधिकारी बैठाए जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, जो मुख्य समस्या है वह यह है कि हमारे जुलाना से तीन सड़कें 352, 152-डी और 352-ए निकली हैं। सरकार ने बहुत सड़कें बनाई उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, ये तीनों सड़कें हमारे 70 प्रतिशत हल्के से निकलकर गई हैं लेकिन इन सड़कों की वजह से हमारे यहां बहुत सी सड़कें टूट गईं। अगर मैं एक-एक करके इनका नाम बताऊंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं इनका नाम मौटे तौर पर ही बताना चाहूंगा। इनमें एक सड़क डिगाना से नंदगढ़ की है। सिवाह से पिल्लुखेड़ा की सड़क का एस्टिमेट बन चुका है पर पता नहीं इस सड़क को बनाने में दिक्कत कहां पर आ रही है। बवाना से धर्मखेड़ी की सड़क पर कोई आदमी पैदल भी नहीं चल सकता है। गुगाहेड़ी से देवड़ रोड़ पर कोई भी आदमी पैदल नहीं चल सकता, ट्रैफिक तो कहां से चलेगा। फिर भी मैं तो यही आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि ये जो हमारी सड़कें एन.एच.ए.आई. के द्वारा तीन रोड बनाने के कारण टूटी हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी बनाया जाये। दूसरी बात मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। जुलाना को पिछड़ा हुआ हल्का माना जाता था। यह कहा जाता था कि वहां पर फ्लड इफैक्टिड एरिया था। मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे इलाके को फ्लड से 80 से 85 प्रतिशत मुक्त कर दिया है। आज जुलाना में तकरीबन फ्लड की समस्या का समाधान हो गया है। मैं इसके लिए सरकार का बार-बार धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे हल्के के देवड़ा गांव में पाईप लाईन डलवाई जानी है। मेरा सरकार से आग्रह है कि वहां पर पाईप लाईन को जल्दी से जल्दी डलवाया जाये। इसी प्रकार से कथुआला गांव है वहां पर भी पाईप लाईन डाली जानी है उसको भी जल्दी से जल्दी डलवाया जाये। इस बार के बजट में इसको लिया जाये।

सरपंचों को ग्रांट नहीं दी जा रही है। मंत्री जी खुद यह बता दें कि इस साल में पूरे प्रदेश में उन्होंने कितना काम किया है। वहां कोई टैण्डर प्रक्रिया नहीं, कोई जे.ई. नहीं, कोई सैक्रेटरी नहीं, कोई डोमिन नहीं खुल रहा। कहीं कोई सुनवाई नहीं। आज के दिन सबसे बड़ी समस्या यही है, सरकार को इस तरफ विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए।

श्री राजेश नागर (तिगांव) : उपाध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कुछ अपनी सड़कों के बारे में बताना चाहता हूं। जिनमें से मुख्य है दून भारती स्कूल, चेतन मार्किट की, पल्ला से बसंतपुर, सेतपुर से तिलपत, पल्ला से तिलपत ये सड़कें टूटी हुई हैं। इनको जल्दी से जल्दी बनवाया जाये। इन पर हर रोज हजारों लोग चलते हैं। उनको बहुत दिक्कत आ रही है। हमारी कई कालोनियों में अमरूत योजना के तहत सीवर की लाईन डाली गई है पर उनका रिस्टोरेशन का काम पूरा नहीं हुआ है। जिससे वे गलियां टूटी हुई हैं। उन सभी गलियों को भी जल्दी से जल्दी बनवाया जाये। उनमें पानी की लाईन भी डाली जानी थी पर अभी तक पानी की लाईन नहीं डाली गई है। कांट्रैक्टर पानी की लाईन नहीं डाल रहा है। इसमें हमारी कई कालोनियां बसंतपुर, इस्माईलपुर, अगवानपुर, सेतपुर में आती हैं इनमें कोई बड़ा पार्क नहीं है इसलिए इनमें बड़ा पार्क बनवाया जाये। वहां पर एक 100 बैड का हॉस्पिटल भी बनवाया जाये। हमारे गांव भतौला में कंवैंशन हॉल की घोषणा बहुत पहले हो गई थी पर उसका काम अभी तक चालू नहीं हुआ। उसको भी जल्दी से जल्दी बनवाया जाये। हमारा ग्रेटर फरीदाबाद जो एक नया शहर बसने जा रहा है उसमें एक इंटरनेशनल स्टेडियम, एक टाऊन पार्क बनवाया जाये। मेरी विधान सभा में कई पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें हैं। उनका काम भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। बाई पास का मामला मैंने पहले भी कई बार विधान सभा में उठाया है। एक मंझावली पुल जो हमारे हरियाणा को नोयडा (यू.पी.) से जोड़ेगा उसके सैक्टर-08 से मिर्जापुर, नीमका, तिगांव, भैंसरावली, लैंडोला रायपुर से करोड़ा को जोड़ा जाये। हमारे कई गांव नगर निगम में गए हैं उन गांवों में कुछ परिवार 70 साल से लाल डोरा के बाहर रह रहे हैं उन्होंने अपने खेतों में घर बनवाया है। पर अब नगर निगम में आने के बाद उनसे डिवैल्पमैंट चार्ज लिया जा रहा है। मेरी यह मांग है कि उनसे डिवैल्पमैंट चार्ज न लिया जाये। उन गांवों की आबादी को गांव की आबादी ही समझा जाये। मेरा खेड़ी गांव ग्रेटर फरीदाबाद में आता है। वहां

पर एक बड़ा 200 बैडिड हॉस्पिटल बनाया जाये। हमारा ग्रेटर फरीदाबाद एक बड़ा शहर बन गया है इसलिए वहां पर एक एस.डी.एम. का ऑफिस बनाया जाये। बाढ़ के पानी से हमारी काफी कालोनियों में नुक्सान हुआ है। हमारे गई गांवों की फसलों का भी बाढ़ से बड़ा भारी नुक्सान हुआ है। उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाये। हमारी विधान सभा में कई हाई राईज बिल्डिंग, अपार्टमैंट बने हुए हैं और बिल्डर फ्लोर बने हुए हैं। इनमें हजारों लोग रह रहे हैं। उनमें आये दिन आर.डब्ल्यू.ए. के कोई न कोई इश्यूज होते रहते हैं। उसके लिए उनको डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास समाधान के लिए जाना पड़ता है। फरीदाबाद में परमानैंट रजिस्ट्रार न होने की वजह से और उनका जल्दी जल्दी ट्रांसफर होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। मेरी रिक्वैस्ट है कि हमें जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रार दिया जाये। धन्यवाद।

श्री प्रवीण डागर(हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे क्षेत्र की बल्लभगढ़ से पलवल तक मैट्रो की मांग पूरी की है उसके लिए मैं हथीन की जनता की ओर से सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी और उप-मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमारी के.एम.पी. की कनैक्टिविटी की मांग पूरी की है। इसके साथ ही साथ मैं सरकार से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले प्रदेश के जो 5 सैनिक शहीद हुए हैं उनमें मेरी विधान सभा क्षेत्र का भी एक सैनिक बहिन गांव का श्री मनमोहन शर्मा शहीद हुआ है। उनके लिए सरकार एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद करे और उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकार सरकारी नौकरी देने का काम करे। यह पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ-साथ हमारे हथीन क्षेत्र की जनता की भी मांग है। इसके साथ ही साथ मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांग रखना चाहूंगा। हमारे हथीन से नूंह तक एक सड़क है वह हमारे हथीन क्षेत्र में बिल्कुल टूटी हुई है जिस पर चलना भी दूभर हो गया है। वहां पर आने-जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसलिए हथीन से नूंह तक की सड़क का निर्माण जल्दी से जल्दी स्पेशल ग्रांट देकर करवाया जाये। मैं अपनी इन मांगों को पिछले सैशन में भी रख चुका हूं लेकिन उन पर कोई काम नहीं हुआ है। पलवल जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा डेढ़ साल पहले हुई थी इसलिए उसके लिए स्थान का चयन करके उस

मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जल्दी शुरू करवाया जाये। हथीन विधान सभा क्षेत्र में गांव मानपुर और बहिन गांव के बीच में एक महिला महाविद्यालय बनवाया जाये जिसकी जनसंवाद कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी इसलिए इसका भी जल्दी काम शुरू करवाया जाये। इसी तरह से मैं आपके माध्यम से माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि पलवल से नूंह स्टेट हाईवे नम्बर 13 को फोरलेन बनाया जाये तथा इसका निर्माण कार्य यथाशीघ्र शुरू करवाया जाये। पिछले विधान सभा सत्र के दौरान भी मैंने हथीन में सब्जी मंडी बनाने की मांग की थी जिसको बनवाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम में की थी इसलिए इसका निर्माण कार्य भी यथाशीघ्र करवाया जाये। इसी तरह से पुलिस कर्मचारियों की सैलरीज और भत्ते भी बढ़ाए जायें क्योंकि पुलिस कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम पर भी शहीदों की तरह स्कूल और कॉलेजों के नाम रखे जायें। माननीय उप-मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा था कि शहीदों के नाम पर स्कूलों के नाम रखे जा रहे हैं तो मेरा अनुरोध है कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर भी स्कूल और कॉलेजों के नाम रखे जायें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में सेम की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। उसका कारण यह है कि गुरूग्राम कैनाल मेरे हथीन विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरती है। वह काफी पुरानी बनी हुई है जिसके कारण उसमें रिसाव हो रहा है इसलिए उसको पक्का करवाया जाये। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र पंवार(सोनीपत): उपाध्यक्ष महोदय, सोनीपत को पिछले सैशन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैट्रोपोलिटन सिटी घोषित किया था। आज सोनीपत में हालत यह है कि सोनीपत की सभी सड़कें चाहे वे पी.डब्ल्यू.डी. की हों या म्यूनिसिपल कारपोरेशन की हों टूटी हुई हैं। पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों के निर्माण के लिए 3 महीने पहले उप-मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक को दिखाने के लिए, गुमराह करने के लिए उद्घाटन किया था जबकि उस समय तक टैंडर भी नहीं हुए थे। अब टैंडर होने के बावजूद भी काम शुरू नहीं हुआ है। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)** अध्यक्ष महोदय, आज पूरा सोनीपत शहर इस तकलीफ से जूझ रहा है। जहां तक अवैध कालोनियों को रेगुलराइज करने की बात है तो यहां पर मंत्री जी बैठे हुए हैं और पिछले साल इन्होंने कहा था कि हम तीन महीने में इनको रेगुलराइज कर देंगे लेकिन आज मैंने इस बारे में प्रश्न लगाया था उसमें

भी यही जवाब दिया गया है कि हम इनको देख रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उनको रेगुलर किया जाये। इसी प्रकार से सोनीपत में सोनीपत से राठधणा रोड है उसका आज तक यही फैसला नहीं हुआ है कि उसको पी.डब्ल्यू.डी. बनायेगी, कारपोरेशन बनायेगी या एच.एस.आई.आई.डी.सी. बनायेगी इसलिए इसका भी फैसला होना चाहिए। जहां तक इंतकाल का मुद्दा है वह सिर्फ सोनीपत का ही नहीं पूरे हरियाणा के लोग इंतकाल की समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन उसका अभी तक सरकार ने कोई समाधन नहीं निकाला है जबकि उसका समाधान करना चाहिए था। सोनीपत विधान सभा में हमारे वहां एक सुभाष चौक है जिस पर 17 दुकानें हैं जबकि सरकार ने यह पॉलिसी बना दी है कि जो लोग कॉरपोरेशन की दुकानों या सरकारी दुकानों में 20 साल से बैठे हुए हैं उनको मालिकाना हक दिया जाएगा लेकिन उन दुकानों को तोड़ने की कार्यवाही चल रही थी जोकि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रूकी है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन लोगों को भी मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। जहां तक प्रोपर्टी आई.डी. और फैमिली आई.डी. का सवाल है अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं हो पाया है। आज पूरे हरियाणा के हर डिपार्टमैंट के लोग मैमोरैंडम लेकर सभी एम.एल.एज. से मिल रहे हें। जिसमें चाहे अतिथि अध्यापकों को नियमित करने की बात है उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। आशा वर्कर अपने वेतनमान के लिए हर रोज धरने पर बैठी हुई हैं बल्कि वे चण्डीगढ़ आना चाहती थी लेकिन उनको लाठियां मारकर थानों में बिठाया गया और वापसी भगाया गया। इसी तरह से लिपिकों का वेतनमान बढ़ाया जाए। वे इतने दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनकी जायज मांग है। इसके अलावा सोनीपत शुगर मिल को नई तकनीक से शुरू किया जाए। वहां उसकी राखी की वजह से दिक्कत आ रही है। हारट्रॉन के तहत लगे कर्मचारियों को नियमित किया जाए और राजकीय विश्व विद्यालयों में लगे करीब एक हजार अनुबंधित असिस्टैंट प्रोफेसर को भी नियमित किया जाए। जे.ई. के ग्रेड पे में भी बढ़ोतरी की जाए। वे लोग भी लगातार अपनी मांग को लेकर घूम रहे हैं। एस.पी.ओ. जो पुलिस कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह सिर्फ 18 हजार रूपये है उसको भी बढ़ाया जाए।

श्री लीला राम (कैथल) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपका अति पिछड़े एरिया में ध्यान तो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री

जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे हल्के में 10 नई सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं और उन 10 नई सड़कों के बनने से मेरे कैथल हल्के के गांवों में आज एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए एक सड़क भी कच्ची नहीं है। उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी एक मांग है कि कैथल शहर के अन्दर चौधरी देवी लाल के नाम पर एक बहुत बड़ा पार्क है जो अम्बाला रोड से लेकर वाया कुरूक्षेत्र रोड और करनाल रोड को मिलाता है। वहां 22-23 साल पहले उसकी दूसरी साईड में ग्रीन बैल्ट के नाम पर जमीन एक्वायर की गई थी परंतु उसका कोई यूज/इस्तेमाल नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, अब अमीर लोग तो होई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर ऑर्डर रिलीज करवा लाते हैं लेकिन वहां पर छोटे-छोटे गरीब आदमियों के प्लॉट भी हैं। मेरी सरकार से मांग है कि उन गरीब आदमियों के प्लॉटों को उनकी जमीन को रिलीज किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा गांव मेरे हल्के का सबसे छोटा गांव है और जो अम्बाला रोड पर पड़ता है, पता नहीं तो इस वजह से पिछले दिनों वहां शराब का ठेका खोल दिया गया कि हमारा गांव मेन रोड पर पड़ता है, जबकि वह मेरे गांव की मांग नहीं थी क्योंकि मुझे खुशी है कि मेरे गांव में कोई ज्यादा शराब नहीं पीता, न कोई शराब बेचता है और न ही वहां लोगों की मांग है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में दो-तीन बार हमारे कैथल के डी.सी. साहब श्री जगदीश शर्मा जी से भी मिला हूं और डी.ई.टी.सी. साहब से भी मिला हूं परंतु वे इस शराब के ठेके को बन्द करवाने में अपनी असमर्थता जताते हैं। वहां इसको लेकर गांव के लोगों में गुस्सा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जिस गांव में कोई शराब ही न पीता हो तो वहां शराब के ठेके का क्या काम। मेरी मांग है कि कल से ही इस ठेके को बन्द किया जाए क्योंकि लोगों में उसको लेकर गुस्सा है।

श्री अध्यक्ष : लीला राम जी, क्या आपने उस ठेके को बन्द करने के लिए पंचायत का प्रस्ताव दिया है ? अगर पंचायत का प्रस्ताव है तो वहां शराब का ठेका खुल ही नहीं सकता है।

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, वह ठेका अभी खुला है। वहां गांव के लोगों को तो अभी पता लगा है जबकि वहां लोगों की इस तरह की कोई डिमांड नहीं थी। उसको लेकर लोगों में गुस्सा है। वे तो कई बार आन्दोलन करने की बात कह रहे थे लेकिन उनको मैंने समझा बुझाकर

रोका हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि सरकार आप उस शराब के ठेके को बन्द करवाएं। इसके अलावा मेरे हल्के की एक सड़क अम्बाला से कुरूक्षेत्र, करनाल रोड को फॉरलेन किया जाए। मेरी यह मांग पिछले विधान सभा सैशन में भी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट का समय और लूंगा। पिछले दिनों मुझसे आशा वर्कर व जे.ई. का डेलीगेशन मिला था।

श्री अध्यक्ष : लीला राम जी, आपका समय हो गया है। प्लीज अब आप बैठ जाइये।

श्री राम कुमार कश्यप (इन्द्री): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल सदन में शहरी स्थानीय निकायों के बारे में जो बिल पास हुआ, जिसमें बी.सी.-ए को आरक्षण दिया गया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के बिल आने से तथा इस प्रकार से आरक्षण दिए जाने से इस वर्ग के लोग भी सामाजिक तौर पर व राजनैतिक तौर पर भी आगे बढ़ेंगे। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि इस वर्ग में काफी जातियां आती हैं। कुछ जातियां तो इतनी गरीब हैं कि इन गरीब जातियों के लोगों के लिए उंची जाति के लोग गलत शब्दों का प्रयोग करके इन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। इन गरीब लोगों के लिए एक शब्द का प्राय: प्रयोग किया जाता है 'कमीण'।'कमीण'का मतलब होता है 'कमेरा' लेकिन इन लोगों के लिए 'कमीण' शब्द का प्रयोग गलत तरीके से प्रयोग करके इन्हें अपमानित करने का काम किया जाता है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के शब्दों का हमेशा के लिए प्रयोग करने पर पाबंदी लगाइ जानी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो यह 'ओफैंस' की कैटेगरी में आना चाहिए। मैं इसका खुद भुक्तभोगी भी हूँ। मैं एम.ए., एल.एल.बी. हूँ। बी.सी.-बी कैटेगरी से आता हूँ। मैंने हरियाणा गर्वनमैंट की 26 साल नौकरी की है।

एच.पी.एस.सी. का मैम्बर रहा हूँ। राज्य सभा का सांसद रहा हूँ और अब आपके आशीर्वाद से यहां विधायक भी हूँ और मैं अपने समाज का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ। मुझे भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके अपमानित करने का काम किया जाता है। जब एक विधायक के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो प्रश्न उठता है कि इन लोगों को क्यों नहीं कहते होंगे ? इसलिए मैं दिल की गहराइयों से कहता हूँ कि यह पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने इस प्रकार का काम किया है। जो इस प्रकार से इस समाज के लोगों के लिए आरक्षण लेकर आये हैं तो मैं दिल की गहराइयों से सिर झुकाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रकार के आरक्षण आने से इन जातियों को बेनिफिट होगा और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसका बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। स्पीकर सर, अब मैं अपने हल्के में फ्लड के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे हल्के के कुछ गांव यमुना नदी के साथ लगते हैं। जब यमुना नदी में फ्लड आया तो मेरे हल्के के दो गांवों में गढपुर और मूसेपुर, यहां दो जगह बांध टूट गया जिसकी वजह से मेरे हल्के के लगभग 50 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। न केवल मेरा हल्का बाढ़ की चपेट में आया बल्कि मेरे हल्के से बाढ़ का पानी घरोंडा हल्के में चला गया जिसके कारण खेतों में खड़ी फसलों को बहुत नुकसान हुआ। धान का नुकसान हुआ। गन्ने का नुकसान हुआ। चारे का नुकसान हुआ। घरों में पानी भरने की वजह से बहुत से मकान धराशाही हो गए। घरों की दीवारों में तरेड़ें आ गई। सड़कें टूट गई। खेतों में सिल्ट भर गई। अत: सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने का काम किया जाये। स्पीकर सर, नुकसान का जायजा लेने का काम जल्द से जल्द किया जाये क्योंकि किसानों को नई फसल बोनी है और यदि नुकसान का जायजा लेने में देर की गई तो फिर

नुकसान का आकलन नहीं किया जा सकेगा। पटवारी से या किसी अधिकारी से सर्वे कराना है तो सर्वे कराकर मुआवजा देने का काम करें। स्पीकर सर, जो आशा वर्क्ज और ग्रामीण चौकीदारों ने सरकार से डिमांड की है, मेरा निवेदन है कि उनकी मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का काम किया जाये।

श्री हरविन्द्र कल्याण (घरोंडा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र के कुछ विषयों को सरकार के संज्ञान में लाना चाहूंगा। हमारे यहां करनाल मेरठ रोड जोकि राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां शुगर मिल के समीप एक शेखपुरा जागीर गांव है और एक कालोनी है लेकिन इनके लिए कोई रास्ते का प्रावधान नहीं किया गया है। जब यहां पर यह चारमार्गीय रोड बना था तो वहां पर, 'राइट ऑफ वे' कम होने के कारण, जो पूल है वो पूरी चौड़ाई में बन गया और इसकी वजह से कालोनी और किसानों के लिए वहां पर कोई रास्ता नहीं रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर नैशनल हाइवे के साथ इस विषय को टेकअप करके, वहां पर सर्विस लेन बनवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में यमुना बैल्ट के 'डाकवाला गुजरान गांव' में एक पी.एच.सी. तथा युवाओं के लिए गांव 'नली खुर्द' में एक नई आई.टी.आई. का निर्माण करवाया जाये। दोनों ही कार्यों के लिए पंचायती जमीन उपलब्ध है। इसी के साथ मेरी विधान सभा में 'कोहंड' गांव में एक आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य चला हुआ है। मैं सरकार से और खासतौर से पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एंड आर.) डिपार्टमैंट से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस इशू को रेलवे मंत्रालय के साथ टेकअप करने का काम करें क्योंकि रेलवे पोर्शन का काम रूका हुआ है। रेलवे का काम रूकने की वजह से लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग का जो मेजर काम है वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पौंड गांव और आस-पास के सभी गांवों को आर.ओ.बी. का काम बीच में रूकने के कारण से बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विषय को भी पिछले सत्र में उठाया था कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गांव

हैं जहां फ्री जोन के कारण बहुत फैक्ट्रियां हैं। उन फैक्ट्रियों में से जो कैमिकल युक्त पानी निकलता है वह अनट्रीटिड जमीन में जाता है। जिसके कारण से उस एरिया में कैंसर और स्किन की बीमारियां बढ़ रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि Common Effluent Treatment Plant (CETP) लगवाया जाये। पॉल्यूशन विभाग उस क्षेत्र में सख्ती भरते। इसके लिये कम से कम स्थानीय एस.डी.एम. लैवल पर जवाबदेही सुनिश्चित हो कि वह कैमिकल युक्त पानी जमीन के अंदर ना जाये। अध्यक्ष महोदय, जो फ्री जोन और माइनिंग जोन की सड़कें हैं उसकी स्पेसिफिकेशन भी बेहतर की जाये और डी.एल.पी. में रिलैक्सेशन देकर सड़कों को भी जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाये क्योंकि ऐसे क्षेत्र में सड़कें बहुत जल्दी टूटती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूंगा क्योंकि करनाल का रिंग रोड का कार्य शुरू हो चुका है और जी.टी. रोड पर पक्के पुल पर फ्लाई ओवर की पुरानी मांग थी उस पर भी कार्य शुरू हो चुका है। कंबोपुरा के अंदर अंडर पास भी मंजूर हो चुका है इसके लिये भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।

मौ0 इलियास (पुन्हाना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सदन में ज्यादा ना बोलते हुए केवल चुनी हुई बातों का उजागर करूंगा। अध्यक्ष महोदय, जैसे श्री आफताब अहमद ने मेवात के विषय के बारे में कहा था।

श्री अध्यक्ष: मौ0 इलियास जी, इस विषय के ऊपर कल भी कहा था कि यह मामला माननीय न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए यह मैटर हाउस में डिस्कस नहीं हो सकता। (शोर एवं व्यवधान)

मौ0 इलियास: अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मेरी उम्र लगभग 70 साल के करीब हो गई है और देश को आजाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गये हैं लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मेवात में हिन्दू व मुस्लमान की इस प्रकार की लड़ाई, यह बात मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं कि मैंने ऐसे दंगे फसाद कभी नहीं सुने थे और देखे थे। अफसोस की बात यह है कि यह कैसे हुआ और क्यों हुआ यह शायद सदन भी

जानता होगा, प्रदेश भी जानता होगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी जानते होंगे। अध्यक्ष महोदय, मेवात में जो घटना हो गई मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और आपके माध्यम से सरकार से यह गुजारिश करता हूं कि जो अब तक हो गया उसको आगे चलकर सरकार संवारने का काम करे क्योंकि हमारी जो एक हजार साल की पुरानी विरासत बुजुर्गों से चलती आ रही है उसमें सारी दुनिया में मेवात का नाम आता था। हमारे हिन्दुस्तान को भी मेवात पर गर्व होता था। सभी लोग यही कहा करते थे कि सबसे शांति प्रिय इलाका है तो वह मेवात का इलाका है। अध्यक्ष महोदय, यह चीज हमें दोबारा मिलनी चाहिये। घटनाएं भी घट जाती है और हादसे भी हो जाते हैं लेकिन सबसे बड़ा दुख हमें इस बात का है कि हमारा भाईचारा ना बिगड़े। अध्यक्ष महोदय, नूंह की घटना में जो कुछ हुआ है उसकी इंक्वॉयरी करवाई जाये जो इसमें दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हो और जो दोषी नहीं है उनकी गिरफ्तारी ना हो और जो निर्दोष पकड़े गये हैं सरकार को उनकी जांच करके छोड़ने का काम करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी मानना है कि जो इस समय एस.पी. और डी.सी. मौजूद हैं अगर यही एस.पी. नूंह में होता अर्थात् इनकी ट्रांसफर नहीं होती तो मेरे ख्याल से इस प्रकार की घटना संभव नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन से इन्होंने हमारे क्षेत्र का दोबारा चार्ज संभाला है हमारे 36 बिरादरी के लोग यही कह रहे हैं कि किसी तरह से हमारे एरिया की शांति बहाल हो जाये। जिसमें प्रशासन भी पूरा सहयोग करे। धन्यवाद।

15.00 बजे

श्री संजय सिंह (सोहना) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सोहना में बहुत-सी समस्याएं जिन्हें सरकार को जल्द-से-जल्द दूर करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रैली में हमारे लिए बहुत-सी घोषणाएं की थी जिन पर अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि उन कामों को जल्दी-से-जल्दी करवाया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों की एक बहुत पुरानी मांग है कि बहन-बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए सोहना में एक कन्या महाविद्यालय बनाया जाए। इसकी बहुत आवश्यकता है क्योंकि 40 किलोमीटर के अंतराल में वहां पर कोई भी कन्या महाविद्यालय नहीं है। इस कारण हमारी बहन-बेटियां पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं। इसके अलावा सोहना के आसपास कोई भी

खेल अकैडमी नहीं है। स्पीकर सर, हमारे क्षेत्र के बहुत-से खिलाड़ी बहुत-से खेलों में गोल्ड मैडल, सिल्वर मैडल और ब्रोंज मैडल लाकर हमेशा प्रदेश का नाम ऊंचा करते रहे हैं। वहां पर अकैडमी न होने के कारण उनको अभ्यास करने के लिए प्रदेश के अन्य जिलों में जाना पड़ता है। अत: हमारे सोहना में एक खेल अकैडमी बनाई जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों की एक बहुत पुरानी मांग है कि बहन-बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए सोहना में एक कन्या महाविद्यालय बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के स्तर पर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने और सरकार ने बहुत-से ऐसे काम किये हैं जिससे उन्होंने पूरे देश में एक मिसाल बनाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश में बहुत-सी योजनाएं लागू की हैं जिनका आज पूरा देश अनुसरण कर रहा है। मेरे से पहले माननीय सदस्य मोहम्मद इलियास जी ने जिस विषय पर कहा मैं भी उसी विषय की चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि मेरा जन्म-स्थान मेवात क्षेत्र है। अध्यक्ष महोदय, 31 तारीख को वहां पर जो दु:खद घटना हुई उसकी मैं निंदा करता हूं। यह बात ठीक है कि यह मैटर सब-ज्यूडिश है लेकिन मैं उसकी बात करना चाहूंगा जब वर्ष 2013 में नूंह में बहुत-सी गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : संजय सिंह जी, आप इस विषय पर चर्चा न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप अपनी मांगों पर बोलिये।

श्री संजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेवात में जो यात्रा होनी थी उसको प्रशासन के माध्यम से पूरी करवाने का काम किया है। मेवात में जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यकों को फायदे मिलते हैं। मेरा मानना है और आप भी जानते हैं कि वहां पर सच में जो अल्पसंख्यक हैं वह हिन्दू समाज है। उनको इसका पूरा फायदा मिलना चाहिए। जिस किसी भी साथी ने हाउस में भड़काऊ भाषण/वक्तव्य दिए हैं मैं कहता हूं कि उसकी हाउस से सदस्यता भंग की जानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। मेरे हल्के की और भी बहुत-सी समस्याएं हैं जिनका समाधान किये जाने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शून्य काल समाप्त होता है।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं -

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक 'नियम सभा की बैठकों' के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक 'नियम सभा की बैठकों' के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक 'नियम सभा की बैठकों' के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं-

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

बैठक का स्थगन

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जैसा कि आज श्री असीम गोयल जी, विधायक द्वारा

(तत्पश्चात् सभा सायं 4:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)

15.06 बजे आप सभी को हाई -टी पर सादर आमंत्रित किया गया है, इसलिए अब सदन की बैठक हाई-टी अवकाश के लिए सांय 4:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(जब सदन समवेत हुआ तो अध्यक्ष महोदय ने सदन की अध्यक्षता की।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ की फसल के मुआवजे की मांग से संबंधित

16.00 बजे

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ की फसल के मुआवजे की मांग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना 9 प्राप्त हुई है। मैंने इसको आज के लिए स्वीकृत किया है। अब श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक अपनी सूचना पढ़े।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इसी विषय से संबंधित कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया था।

श्री अध्यक्ष : नीरज जी, आपने इसका क्वैश्चन लगाया है।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने दिनांक 25 अगस्त, 2023 को इस बारे में कॉलिंग अटैंशन मोशन भी दिया है।

श्री अध्यक्ष : नीरज जी, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि आपने क्या लिखा है। आप कॉलिंग अटैंशन मोशन और क्वैश्चन के बारे में थोड़ा सा डिफरैंशियट करें।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विषय से संबंधित कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया है।

श्री अध्यक्ष : नीरज जी, आपके द्वारा कॉलिंग अटैंशन मोशन लगाया गया है वह हमारे रूल के मुताबिक नहीं है इसलिए उसको रिजैक्ट कर दिया गया था क्योंकि इसमें आपने जानकारी मांगी है कि कितने किसानों को कितनी राशि जारी की गई है और ऐसे कितने मामले हैं कि जिन्होंने झूठा ब्यौरा दिया है ?

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो आपको लिखकर दिया है वही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है और मैंने 250 शब्दों से कम का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिखकर दिया है।

श्री अध्यक्ष : नीरज जी, इसमें शब्दों के लिमिटेशन की बात नहीं है।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि मैंने आपको क्या लिखकर भेजा है। मैं विषयांकित मामले में आपका ध्यान अति लोकहित के विषय की तरफ दिलाना चाहूंगा कि सरकार इस महान सदन को बताए कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर विगत 3 वर्षों पर फसलों के संबंध मे कितना क्षेत्र पंजीकृत हुआ तथा किसानों को कितनी राशि जारी की गई इसका ब्यौरा जिलेवार सदन को बताया जाए। ऐसे कितने मामले हैं कि जिन्होंने झूठा ब्यौरा दिया था तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई। यह मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है इसलिए मुझे भी इस पर प्रश्न पूछने के लिए अलाउ कर दो।

श्री अध्यक्ष : नीरज जी, ठीक है आप इस पर प्रश्न पूछ सकते हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सचूना के बारे में मामला उठाना

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्यों ने सबसे ज्यादा सी.ई.टी. (Common Entrance Test) पर कॉलिंग अटैंशन मोशन और एडर्जनमैंट मोशन दिये हैं। आज सुबह ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था और इससे संबंधित प्रश्न भी लगा था कि इस पर चर्चा करवाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : गीता जी, जो कुछ कह रही हैं, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाए। गीता जी, आप सब कुछ जानती हैं और जानते हुए भी आप ****** (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, अगर आपको लगता है कि ****** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, सी.ई.टी. (Common Entrance Test) का मामला कोर्ट के अंदर है ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय,अगर आपको लगता है कि मैं इस मामले में ******क्योंकि हमारे प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य का यह सवाल है। सी.ई.टी. की परीक्षा में 41 सवाल रिपीट किये गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

***चेयर के आदेशानुसार शब्द सदन की कार्यवाही से निकाले गए।**

श्री अध्यक्ष : गीता जी, आप मेरी एक बात सुन लीजिए। यह मामला हाई कोर्ट के अंदर है। मैंने इस बारे में कल भी बताया था और आप सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जो मामला सब-ज्युडिस है, वह हाउस में डिस्कस नहीं हो सकता है।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न काल में भी यह विषय डिस्कस हुआ है। ****** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, यह देखिये हरियाणा स्टाफ सलैक्शन कमीशन, पंचकुला वर्सिस राहुल एंड एनदर। यह केस हाई कोर्ट में पैंडिंग है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, हजारों लाखों युवा एजिटेशन कर रहे हैं और अपना ज्ञापन भी दे रहे हैं। यह मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है जिसके कारण हमारा प्रदेश बेरोजगारी में नम्बर वन पर हो गया है।(शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरी रिक्वैस्ट है कि आप इस विषय पर चर्चा करवाईये।

श्री अध्यक्ष : गीता जी, आप इस विधान सभा में चार-पांच बार विधायक चुनकर आई हैं। आपको सभी नियम और कानूनों के बारे में पता है। अगर आपको नियम और कानून का पता है और आप ही नियम और कानून नहीं मानेंगे तो ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सदन के नेता ने कहा है कि हम इस विषय से संबंधित चर्चा करना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि यह मामला सब-ज्यूडिस है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, सदन के नेता जो चाहेंगे वह करेंगे लेकिन मैं सदन के नेता को बाध्य नहीं कर सकता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, आप स्पीकर हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटक : अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी सीट पर बैठे हैं, आप कह रहे हो कि वो चाहेंगे तो होगा, फिर इसमें आपका क्या रोल है ?

***चेयर के आदेशानुसार शब्द सदन की कार्यवाही से निकाले गए।**

श्री अध्यक्ष: शकुंतला जी, मैं आपको मेरे रोल के बारे में बताना चाहूंगा कि मेरा क्या रोल है ? आप अपनी भाषा को थोड़ा ठीक रखिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, हमारी रिक्वैस्ट है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरे रोल के बारे में आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते हैं, कि मेरा क्या रोल है ?

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, हमारी रिक्वैस्ट है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद: अध्यक्ष जी, आप ***** की बात कह रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मुझे बताएंगे कि मेरा रोल क्या है। आप सभी बैठ जाएं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सब बैठ जाएं। मेरा सब से निवेदन है कि बैठ जाएं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद: अध्यक्ष जी, आप ***** की बात कह रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बिल्कुल, यह विषय कोर्ट के अन्दर पैंडिंग है। (विघ्न) इसके ऊपर कल भी चर्चा हुई है। इस पर कल भी चर्चा हुई है कि जो केस कोर्ट में है उस पर यहां चर्चा नहीं होगी।

श्री आफताब अहमद: अध्यक्ष जी, आप ***** की बात कह रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह और क्या है, और क्या करना चाहते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जब आपको पता है कि यह केस सब-ज्यूडिस है। इसके ऊपर यहां डिस्कशन नहीं हो सकती। आप पांच बार विधायक रह चुकी हैं। आपको पता तो है कि इस पर डिस्कशन नहीं हो सकती। फिर भी आप कॉल अटेंशन की बात कर रही हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है। आप कह रहे हैं, केस सब-ज्यूडिस है। अब आपत्ति इस बात की है कि आपने एक वरिष्ठ सदस्या को कह दिया कि आप तो ***** आई हो।(शोर एवं व्यवधान)

*** चेयर के आदेशानुसार शब्द सदन की कार्यवाही से निकाले गये।**

श्री अध्यक्ष: हुड्डा जी, बिल्कुल। मैं अब भी कह रहा हूं। मैं अब भी कह रहा हूं कि जब आपको पता है कि यह केस कोर्ट के अन्दर पैंडिंग तो यहां इस पर डिस्कशन नहीं हो सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष जी, आप यह कह सकते हैं कि यह केस सब-ज्यूडिस है। इस पर मैं डिस्कशन नहीं करने दूंगा लेकिन इनको ***** वाली बात कही है यह ठीक नहीं है। आप इस चेयर की और हमारी भी गरिमा रखो। सम्मान से ही काम चलता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हुड्डा जी, ये पांच बार की माननीय सदस्या हैं। इनको हरेक नियम कानून की जानकारी है और नियम कानून की जानकारी होते हुए भी इनका ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष जी, आप नियम कानून बता दीजिए। डिस्कशन मत करो। लेकिन आप यह कैसे कह सकते हो कि आप ***** हैं। आप यह रिकॉर्ड से निकलवा दीजिए कि ***** हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर मलिक: अध्यक्ष जी, आपने जो ***** बात कही है यह ठीक नहीं है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह जो कर रहे हैं और क्या है ?(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष जी, ऐसा आपके द्वारा कहना अच्छा नहीं है।(विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, हम हमारे युवाओं की आवाज को उठा रहे हैं। हमने सबने मिलकर सबसे ज्यादा सी.ई.टी. पर प्रश्न उठाए हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अब सिर्फ यही कह रहा हूं कि प्रोसिडिंग से ***** वाला शब्द निकलवा दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

*** चेयर के आदेशानुसार शब्द सदन की कार्यवाही से निकाले गये।**

श्री अध्यक्ष: हुड्डा जी, यह जो कर रहे हैं और है क्या? आप मुझे यह बताओ। इस इशू को रेज करने का क्या मतलब हुआ कि यह सब कुछ जानते हुए कि इस इशू पर कोर्ट के अन्दर केस है। यह हाऊस के अन्दर डिस्कस नहीं हो सकता। यह सब कुछ जानते हुए फिर भी इस प्रकार के विषय को उठाना और क्या है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष जी, मैं सारी बात मानता हूं लेकिन आप जिस कुर्सी पर बैठे हो उस पर यह शब्द कहना शोभा नहीं देता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष जी, सारी सलैक्शन कोर्ट में जाती हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, सारी सलैक्शन कोर्ट में जाती हैं जिसके कारण लाखों बच्चे सड़कों पर उतरे हुए हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह इसी केस से संबंधित विषय है जो कोर्ट में पैंडिंग है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष जी, सारे मामले सब-ज्यूडिस हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हुड्डा जी, आपकी बात ठीक है, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूं। जब कानून बना हुआ है, नियम बना हुआ है। यह मैंने नहीं बनाया है। आपने बनाया या आपसे पहले वाले लोगों ने बनाया होगा। मैंने कानून नहीं बनाए हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष जी, इसमें रिजल्ट रोका हुआ है। इसमें सब-ज्यूडिस क्या है? इसका रिजल्ट रोका हुआ है। यह सब-ज्यूडिस नहीं है। यह रिजल्ट रोका हुआ है। एक स्टे ऑर्डर है, उसमें सब-ज्यूडिस क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: हुड्डा जी, कोर्ट में जब केस चला गया, वह सब-ज्यूडिस है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष जी, ये उसकी बात ही नहीं कर रहे। यह रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहे। यह जो बात कर रहे हैं कि वह जो क्वैश्चन रिपीट होते हैं जो इतने युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, उनकी बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा जी, सी.ई.टी. का मतलब क्या है। सी.ई.टी. का मतलब Common Eligibility Test जो हुआ है और उसी के बारे में यह है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष जी, मेरी रिक्वैस्ट यही है कि जो इनको ***** वाला शब्द महसूस हो गया, आप उसको निकलवा दीजिए।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष जी, मैं तो आपसे यह रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि आपने यह जो कह दिया कि ***** हैं। आप इसको निकलवा दीजिए। भुक्कल जी हमारी वरिष्ठ सदस्या हैं। यह आपस की बात है।

श्री अध्यक्ष: अपने लीडर ऑफ दी अपोजिशन की जो बात है वह माननी पड़ती है। इसलिए मैं इसे निकलवा देता हूं। (शोर एवं व्यवधान) लेकिन जो नियम हैं उनके मुताबिक तो चलना ही पड़ेगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष: अब माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, सिरसा के गांव नारायणखेड़ा, तहसील ऐलनाबाद के 4 किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ सीजन की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर के लगातार कई दिनों से जलघर की टंकी पर चढ़े हुए थे। इस क्षेत्र के किसानों को खरीफ फसल 2022 का बीमा का मुआवजा नहीं मिलने के कारण किसान 5 मई से नाथूसरी चौपटा तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को लगभग 90 दिन से अधिक समय बीत चुका है परंतु सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए किसानों की कोई सुध नहीं ली गई है। जिसको लेकर पूरे जिले के किसानों में सरकार के प्रति गहरा रोष और आक्रोश है। अतः सरकार इस सदन में अपना वक्तव्य दे।

वक्तव्य -

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सम्बंधित

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सम्बंधित मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

*** चेयर के आदेशानुसार शब्द सदन की कार्यवाही से निकाले गये।**

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : अध्यक्ष महोदय, राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से लागू की जा रही है। खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का, कपास व मूंग और रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना, जौं व सूरजमुखी की फसलों का बीमा किया जा रहा है। राज्य को कुल तीन कलस्टर्स में विभक्त करके यह योजना लागू की जा रही है। पहले और दूसरे कलस्टर में सात जिले जबकि तीसरे कलस्टर में आठ जिले हैं। इस योजना के तहत किसानों का प्रीमियम का हिस्सा खरीफ के लिए बीमित राशि का दो प्रतिशत व रबी के लिए बीमित राशि का डेढ़ प्रतिशत तथा बागवानी व वाणिज्यिक फसलों के लिए पांच प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में आपको अवगत करवाया जाता है कि असल में यह मामला सिरसा जिले से सम्बन्धित है। वर्तमान में सिरसा जिला पहले कलस्टर में है तथा एग्रीकल्चर इंश्योरैंस कम्पनी जिले में कार्य कर रही है। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, जो रिप्लाई मंत्री जी पढ़ रहे हैं वह हमारे पास नेवा पोर्टल पर नहीं खुल रहा है। अगर इस रिप्लाई को हमारे पास पहले पहुंचा दिया जाता तो हम इसको पढ़ सकते थे। डॉ. रघुवीर कादियान जी ने नोटिफिकेशन दी उस पर सरकार ने क्या रिप्लाई दिया

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, जो कागज सदन के पटल पर रखा जाता है वो ही नेवा पोर्टल पर आता है उससे पहले कोई भी कागज नेवा पोर्टल पर नहीं आता है। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, डॉ. रघुवीर कादियान जी ने नोटिफिकेशन दी उस पर सरकार ने क्या रिप्लाई दिया हमारे पास उससे सम्बंधित कुछ भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, अब आ गया है।

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, अब आ गया तो अब पढ़ भी लेंगे, बहस भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। इतना माईण्ड तो क्विक नहीं है। यही सीधी सी बात है।

श्री अध्यक्ष : चलो कोई बात नहीं आगे ठीक कर लेंगे।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, खरीफ, 2022 के दौरान बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरैंस कम्पनी द्वारा फसल का बीमा किया गया।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, जो रिप्लाई मंत्री जी पढ़ रहे हैं वह मेरे पास अब तक भी नहीं खुला है। ये लड़की कोशिश कर रही है। अब तक भी नहीं है।

शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : स्पीकर सर, यह सिस्टम दो घंटे से खुला रह गया इसलिए नहीं चल रहा। इसको रिफ्रैश कर लिया जायेगा तो खुल जायेगा।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को हार्ड कॉपी दिलवा दी जाये। फोटो कॉपी दिलवा दी जाये।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, फोटो कॉपी को मैं कब पढ़ूंगा। इससे बड़ा फेलियर क्या होगा? यह भी तो एक फेलियर है या नहीं है? ये मेरे पड़ोस वालों के पास भी नहीं खुल रहा।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, टैक्नीकल चीजों में यह समस्या आ जाती है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : अध्यक्ष महोदय, . . . (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मंत्री जी अभी जवाब न दें। पहले इनके द्वारा दिये जाने वाले जवाब को सभी माननीय सदस्यों के पास नेवा पोर्टल में खुल जाने दें उसके बाद ये अपना जवाब पढ़ दें।

दक्षिणी हरियाणा के लिए 100 फुट गहरे ट्यूबवैल्ज के लिए बिजली के कनैक्शन देने के बारे में सूचित करना

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : स्पीकर सर, जब तक ये रिप्लाई पोर्टल पर खुलता है तब तक मैं हाऊस में एक सूचना दे देता हूं। पूरे दक्षिणी हरियाणा के ट्यूबवैल कनैक्शन की मांग करने वाले किसानों की जो समस्या विधायक बाढ़डा ने फ्राईडे को उठाई थी कि वहां 100 फुट से ज्यादा गहराई में ट्यूबवैल्ज लगे हुए हैं और सोलर सिस्टम से वे ट्यूबवैल्ज ऑपरेट नहीं होते। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है यह कहते हुए कि जहां पर 100 फुट से ज्यादा गहराई में ट्यूबवैल हैं और वहां पर सोलर सिस्टम विंटर सीजन के दौरान प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं कर पायेगा तो उनको लाईन इलैक्ट्रिसिटी कनैक्शन देने की परमिशन के लिए डॉयरैक्शन दे दी गई है। दक्षिणी हरियाणा के जो भी प्रभावित फॉर्मर हैं वे अपने-अपने सुपरिंटैंडिंग इंजीनियर के ऑफिस में इसके लिए एप्लाई कर सकते हैं। दक्षिणी हरियाणा के लिए यह नोटिफिकेशन जारी हो गई है इसी प्रकार से उत्तरी हरियाणा के लिए भी यह नोटिफिकेशन जारी हो जायेगी क्योंकि इरीगेशन विभाग ने फीजो मीटर प्रदेश के प्रत्येक कोने में प्रत्येक गांव में लगा दिये हैं तो वॉटर डैप्थ जैसे-जैसे आ जायेगी जहां-जहां वॉटर लैवल 100 फुट से ज्यादा डैप्थ में है वहां यह एक्शन ईक्वीलैंसी के साथ लिया जायेगा चाहे वह दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र हो या उत्तरी हरियाणा का क्षेत्र हो।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। यह व्यवस्था का प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा है और उसके बीच में उप-मुख्यमंत्री ऐसे कोई भी बात नहीं रख सकते।

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, उप-मुख्यमंत्री जी ने सूचना दी है, उन्होंने कोई मजाक नहीं किया है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, आप सरकार का बचाव क्यों कर रहे हैं? यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, मंत्री अगर सदन को कोई सूचना देना चाहे तो क्या वह दे नहीं सकता?

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, क्या उप-मुख्यमंत्री जी आपसे पूछ कर सूचना देने के लिए खड़े हुए थे?

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, उप-मुख्यमंत्री जी मुझ से पूछ कर ही यह सूचना देने के लिए खड़े हुए थे।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, अगर वे आपसे पूछ कर खड़े हुए थे तो आप उसका रिकॉर्ड मुझे दिखा दीजिए। ऐसे तो आप किसी चीज को भी रेगुलराइज कर सकते हैं। You are the authority. You are the custodian of the House. क्या आप पार्लियामैंट्री कन्वैंशन से अलग चलेंगे?

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, अगर कोई जनहित की सूचना मंत्री जी सदन को देना चाहें तो दे सकते हैं। उसमें कोई हर्ज नहीं है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, अगर आप पार्लियामैंट्री कन्वैंशन से अलग चलोगे तो डैमोक्रेसी कहां बचेगी। आपकी चेयर बहुत बड़ी है लेकिन आप रूल्ज से बड़े नहीं हैं। आप कांस्टीच्यूशन से बड़े नहीं हैं, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव(पुनरारम्भ)

श्री जय प्रकाश दलाल: अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इसके बीच में व्यवधान न डालें। बीमा कम्पनी द्वारा खरीफ 2022 की जो क्रॉप कटिंग हुई थी उस पर आपत्ति दर्ज करवा दी थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा कम्पनी तथा विभाग के बीच कानूनी समझौता है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बिंदु संख्या 30 के अनुसार योजना की शिकायत तंत्र प्रणाली बनाई गई है जिसमें जिला स्तर पर जिला स्तरीय निगरानी समिति राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय निगरानी समिति, राज्य तकनीकी

सलाहकार समिति तथा राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी सलाहकार समिति आदि शिकायतों के निवारण हेतू गठित की गई है। सिरसा जिले के किसानों द्वारा उपायुक्त, सिरसा के समक्ष अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये जिसके उपरान्त राज्य स्तर पर विभाग ने किसानों के मुद्दों को तथ्यों सहित राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष रखा। राज्य तकनीकी सलाहकार समिति ने किसानों के पक्ष में फैसला किया और बीमा कम्पनी को मुआवजा जारी करने के निर्देश दिये। परन्तु कानूनी प्रावधानों के तहत बीमा कम्पनी ने राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के फैसले से असहमत होते हुए इसकी अपील भारत सरकार के पास तकनीकी सलाहकार समिति के पास की। जिसके उपरान्त मामला भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया। कृषि विभाग तथा तकनीकी सलाहकार समिति के समक्ष सभी तथ्यों सहित किसानों के पक्ष को हमने मजबूती से रखा। भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति ने 21.08.2023 को अपना निर्णय पारित किया है जिसमें किसानों की जीत हुई है। हरियाणा सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। तकनीकी सलाहकार समिति ने अपने निर्णय में पूर्व में पारित हुए राज्य तकनीकी सलाहकार समिति के फैसले को सही मानते हुए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी को 623 करोड़ रुपये का अनुमानित क्लेम मुआवजा तुरन्त जारी करने का आदेश दिया। जिसकी सूचना पा कर किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई और किसान टंकी से नीचे उतर गये तथा किसानों ने वहां से धरना भी समाप्त कर दिया। किसानों को बीमा कम्पनी द्वारा मुआवजा राशि शीघ्र ही जारी करने की आशा है तथा कृषि विभाग, हरियाणा तथा एग्रीकल्चर बीमा कम्पनी को भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा पारित फैसले के अनुरूप शीघ्र मुआवजा राशि जारी करने का निर्देश दिया गया है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, अभी भी मंत्री जी ने सदन को मिसगाइड किया है। मंत्री जी ने कहा है कि धरना समाप्त हो गया तो उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आज भी चौपटा तहसील में धरना लगा हुआ है। आज भी किसान उसी क्लेम को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। उपायुक्त के साथ जब फैसला हुआ था तब यह फैसला हुआ था कि जब तक सभी किसानों के खाते में एक-एक पैसा नहीं आ जायेगा तब तक हम टंकी से तो उतर रहे हैं लेकिन हमारा धरना जारी रहेगा। मंत्री जी ने जो धरना समाप्त होने वाली बात कही है यह भी

हाउस को मिसगाइड करने वाली बात है। मंत्री जी को इस बात की जानकारी लेनी चाहिए थी इनको उपायुक्त से जानकारी लेनी चाहिए थी कि धरना समाप्त हो गया है या चल रहा है।

श्री जय प्रकाश दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि वे सवाल पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि धरना समाप्त हो गया है या चल रहा है?

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सारी जानकारी है। माननीय सदस्य जो पूछना चाहते हैं पूछें। मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इससे बड़ा झूठ क्या बोलेंगे। वे कह रहे हैं कि किसानों का धरना समाप्त हो गया है जबकि किसान आज भी धरने पर बैठे हुए हैं। आप टेलिफोन पर पूछकर तसल्ली कर सकते हैं कि किसान धरने पर बैठे हुए हैं या नहीं। अगर आप नहीं पूछ सकते तो मैं यहां हाऊस में बैठे बैठे टेलिफोन पर पूछ कर बता दूंगा कि किसान धरने पर बैठे हुए हैं या नहीं।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, बस अब इनका सवाल पूरा हो गया।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आपने कुछ और पूछना है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से जवाब लेना तो अभी बाकी है।

श्री अध्यक्ष : आप अपना सप्लीमैंट्री पूछिये। आपने जो भी प्रश्न पूछना है वह पूछिये।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अब फिर वही बात आ गई कि आप सिर्फ प्रश्न पूछिये। मंत्री झूठ बोलता रहे और हम सुनते रहें।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, इनका जो भी प्रश्न है वह पूछें मैं उसका जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप अपना प्रश्न पूछिये मंत्री जी उसका जवाब देंगे। गलत सही जो भी है, वह आपने देखना है।

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री जी सदन में झूठ बोल रहे हैं तो उस पर भी कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री जी यहां झूठ बोल रहे हैं तो उस पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। वर्ष 2022 में फसल के बारे में बीमा कम्पनी जिसका नाम एग्रीकल्चर इंश्यारैंस कम्पनी है। फसल की कटाई की प्रतिक्रिया पर आपत्ति दर्ज करने की वजह से बीमा क्लेम की अदायगी में देरी हुई। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2022 के अन्दर खरीब की फसल के बीमा की अदायगी में देरी होने का कारण क्या था और किस कारण की वजह से किसानों को वर्ष 2023 तक बीमे के क्लेम के लिए प्रदर्शन करना पड़ा, धरना देना पड़ा, पानी की टंकी पर चढ़कर सरकार को चेताना पड़ा। इस प्रकार से 90 दिन तक किसान धरने पर बैठे रहे। उन 90 दिनों में एक बार भी डिप्टी कमिश्नर ने या एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के या इस बीमा कम्पनी से जुड़े हुए किसी अधिकारी ने जाकर उनकी बात नहीं सुनी तब मजबूर होकर के किसानों ने यह फैसला लिया कि अब हमें सरकार को चेताने के लिए अगला कोई और कठिन कदम उठाना पड़ेगा। उसके बाद चार किसान नारायण खेड़ा गांव की टंकी पर जाकर चढ़े और जब वे वहां पर 16 दिन तक उस टंकी पर चढ़े रहे तब जाकर के डिप्टी कमिश्नर ने उनके साथ बात चीत शुरू की। अब उन्होंने भी इस तरीके की बात नहीं की कि टंकी पर चढ़े हुए किसानों को नीचे उतारा जाए। जब टोल ब्लॉक किया गया और टोल पर जब हजारों किसान आकर बैठ गये तब जाकर सरकार ने मजबूरी में उनसे बात की। उसमें भी अब

तक किसानों को केवल आश्वासन दिया गया है कि तुम्हें पूरा पैसा दे दिया जाएगा। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आप यह कहते हैं कि हमारी अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। आपने इसके अन्दर सैंट्रल गवर्नमैंट के साथ जो मीटिंग की है उसमें यह बताया है कि आपको क्लेम का पैसा दे दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार एक साल से क्यों सोई हुई थी जोकि वर्ष 2022 का क्लेम का पैसा वर्ष 2023 में देने के लिए तैयार हुए हैं। वह भी तब जब किसान सरकार को मजबूर करता है तब जाकर सरकार उस किसान की बात के लिए कहीं दो कदम आगे बढ़ने का काम करती है। आज किसान की हालत ऐसी कर रखी है कि किसान को हर चीज के लिए मजबूर होकर रास्ते रोकने पड़ते हैं, मजबूर होकर धरने देने पड़ते हैं और मजबूर होकर प्रदर्शन करने पड़ते हैं, आन्दोलन करने पड़ते हैं। चाहे सूरजमुखी की खरीद की बात हो, चाहे सरसों की खरीद की बात हो, चाहे क्लेम की बात हो, चाहे बाजरे के नुकसान के मुआवजे की बात हो हर चीज में सरकार किसान को प्रताड़ित करने के सिवाय किसान के लिए और क्या कर रही है ? आप किसान को कहते हो कि हम किसान के बड़े हितेषी हैं। हितेषी का पता तो कल बाजरे की खरीद के संबंध में देख लिया था कि सरकार की क्या स्थिति थी ? आज क्लेम देने में सरकार की क्या स्थिति है वह आपके सामने है ? एक वर्ष हो गया सरकार ने अब तक किसानों के क्लेम का पैसा नहीं दिया है। किसान का एक वर्ष का 623 करोड़ रूपया क्लेम का सरकार के पास ड्यू है क्या सरकार किसानों को उस पैसे का ब्याज भी देगी ? किसान ने उस दौरान जो कर्जा उठाकर अगली फसल की बुआई की थी उस कर्जे के ऊपर उसने जो ब्याज दे रखा है क्या उस ब्याज की अदायगी भी सरकार करेगी? सरकार की बेकायदगी की वजह से

किसान को एक वर्ष तक इन सभी मुसीबतों को झेलना पड़ा है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हंस रहे थे। मंत्री जी हर चीज को मजाक में लेने का काम करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं तो जवाब दे रहा था लेकिन अभय जी का ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, आप प्लीज प्रश्न पूछिए। रूल के हिसाब से आप दो प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछते पूछते जब मंत्री जी की तरफ देखा तो मंत्री जी मेरी तरफ देखकर हंसने लगे, यह कोई बात हुई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभय जी, आप इस समय अपने दो प्रश्न पूछिए और किसी प्रकार की डिबेट मत करें। आप सीधे-सीधे अपने दो प्रश्न पूछिए।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न तो एक ही पूछा है लेकिन उस प्रश्न के क, ख, ग, घ, च, छ, ज में कई भाग हैं। क्या मैं अपने प्रश्न के भागों को नहीं पूछ सकता।

श्री अध्यक्ष: ऐसी अवस्था में आप अपने प्रश्न के दो भाग अर्थात 'क' और 'ख' को ही पूछ सकते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनो। जब कोई एक क्वैशचन लगाया जाता है तो उसके भाग होते हैं ए, बी, सी, डी, ई, या एफ और इस तरह के भाग जितने मर्जी पूछे जा सकते हैं। यह जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ ये मेरे प्रश्न के ए,बी,सी,डी, ई या एफ की नेचर के ही भाग हैं। क्या मैं इस तरह के प्रश्न पूछ सकता हूँ कि नहीं पूछ सकता ?

श्री अध्यक्ष: अभय जी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आप इस तरह के भाग भी 'दो' से ज्यादा नहीं पूछ सकते। (शोर एवं व्यवधान) 'दो' से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछ सकते।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, कमाल ही हो गया है। पता नहीं क्या-क्या सुनना पड़ेगा ?

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग तो पूछे ही जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, आप भी कैसी कमाल की बात कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आती जो आप भी ऐसी बात कर रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के कई भाग होते हैं। उस प्रश्न के क, ख, ग, घ, च, छ, ज में भी कई भाग होते हैं और बाकायदा तौर पर उसका जवाब भी आता है।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, दो प्रश्न से ज्यादा प्रश्न आप पूछ नहीं सकते हैं। आप इन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आपने एक प्रश्न पूछा है कि कब तक पैसा मिलेगा अब आप दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ठीक है मैं अपना प्रश्न पूछता हूँ कि अब तक कितना पैसा, कितने किसानों के खातों में जमा करवाया गया है और जो बाकी बची हुई राशि है, उसको कब तक किसानों के खातों में जमा करवाया जायेगा तथा क्या यह पैसा ब्याज समेत देने का काम किया जायेगा या नहीं। इसके साथ ही जैसा कि अभी कहा गया है कि किसानों का धरना खत्म हो गया, उसके बारे में भी मंत्री जी अपना स्पष्टीकरण दें।

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणा में टोटल 8922118 एकड़ धरती पर खेती होती है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: नीरज जी, आप प्रश्न पूछिए। आपका प्रश्न क्या है। ये जानकारी सबको है और जिनको यह जानकारी नहीं है, वे बाद में अपने हिसाब से इस जानकारी को ले लेंगे। आप केवल अपना प्रश्न पूछिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आदमी बीमा करवाता है तो किस लिए करवाता है। वह इसलिए करवाता है कि कल यदि कोई 19-21 बात हो जाये तो उसने जितने रूपये का बीमा करवाया है, उसको उतने रूपये का क्लेम मिलेगा। चाहे हमारा किसान भाई बीमा करवाये या चाहे कोई और भी बीमा क्यों न हो। अगर बीमा पोलिसी की स्थिति अच्छी होगी तो हर साल बीमा कंपनियों को ज्यादा लोग मिलेंगे। पहला प्रश्न तो यह है साहब कि हर साल जो यह बीमा है, यह कम क्यों हो रहा है। दूसरा प्रश्न यह है कि मंत्री जी ने जो क्लेम का फार्मूला बताया है, प्रारम्भिक पैदावार, 'माइनस' वास्तिवक पैदावार, 'जर्बे' पारंपरिक पैदावार, 'इंटू' बीमित राशि, साहब इस तरह से तो किसान को कभी क्लेम पूरा मिलेगा ही नहीं जैसे कि 100 रूपये की फसल पहले पैदा होती थी, बाढ़ आ गई, और अब की बार उसकी फसल रह गई 50 रूपये की तो ऐसी अवस्था में 50/100 मतलब 1/2 , उसने बीमा करवाया 1000 रूपये का तो इस प्रकार उसको तो 500 रूपये से ज्यादा बीमा मिल ही नहीं सकता। यही नहीं जो दूसरा डाटा है, वह भी सरकार का ही है। इसके अंदर बताया गया है कि हरियाणा में किसान के हिस्से में 1864.13 करोड़ रूपये बीमे का गया है और दोनों का अर्थात स्टेट गवर्नमैंट

का और किसानों का मिलाकर देखें तो यह 6447.59 करोड़ रूपये बनते हैं , इसके सामने 7090 करोड़ रूपये का क्लेम कैसे बन सकता है ? इस प्रकार तो यह लगता है कि या तो वह फार्मूला ठीक नहीं है या फिर यह वाला ठीक है। इस स्थिति को मंत्री जी स्पष्ट करने का काम करें। इसका मतलब इसमें बहुत गड़बड़ है। लोग दुखी हो चुके हैं और यही कारण है कि किसान बार-बार फसल का बीमा कम करवा रहा है।

श्री जय प्रकाश दलाल: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016 में जब से यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है, इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है लेकिन शुरू से लेकर आज तक इस बारे में कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है और तरह तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास जो डाटा है, वह बताता है कि जब से यह योजना आई है, तब से लेकर आज तक किसानों से 1943 करोड़ रूपया हमने प्रीमियम के तौर पर लिया है। किसानों को हमने 8338 करोड़ रूपये देने का भी काम किया है। यह जो डाटा मेरे पास है यह बताता है कि इससे किसानों को लाभ मिला है। लगभग 4-5 गुणा पैसा किसानों को मिला है, इसलिए किसान इस योजना का फायदा भी उठा रहे हैं। जैसे पहले मोहतरमा सदन में कह रही थी कि यह तो स्वैच्छिक नहीं है, कम्पलसरी है और इसके माध्यम से किसानों को लूट रहे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सदन को गुमराह किया है। जबकि यह योजना स्वैच्छिक है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोग किसान हितैषी होने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गमलों में पौधे उगाने वाले कहते हैं कि हमें खेती के बारे में सारी जानकारी है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सिरसा जिले की बात है, आज तक 364 करोड़ रूपये किसानों से बीमा के तौर पर जमा हुए हैं लेकिन किसानों को हम 1500-1600 करोड़ रूपये मुआवजे के तौर पर दे चुके हैं और 623 इसके अतिरिक्त करोड़ रूपये देने का भी फैसला हो चुका है। अभी की जो फसल है उसके लिये भी 121 करोड़ रूपये का क्लेम हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, सिरसा जिले के किसानों के लिये 364 करोड़ रूपये के बदले में लगभग 2358 करोड़ रूपये का प्रावधान कर रखा है। हमारे कुछ माननीय सदस्यगण कहते हैं कि यह किसान हितैषी

योजना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कुछ पार्टी के लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसानों के धरने प्रदर्शन पर गोली चलाई थी। वो आज सत्ता की कुर्सी का रास्ता किसानों के माध्यम से देखना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि कहीं ना कहीं किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिये धरना प्रदर्शन करते हैं लेकिन जब किसानों को इस बात की जानकारी मिली की सरकार ने 623 करोड़ रूपये मंजूर करवा दिये तो उसी समय किसान अपना धरना प्रदर्शन खत्म करने लग गये। यह भी हो सकता है कि कहीं पर किसी और मुद्दे के कारण धरना प्रदर्शन पर बैठे हो। अध्यक्ष महोदय, जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है हमने किसानों के हित में बहुत सारे फैसले लिये हैं। 'प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना' में 4 हजार करोड़ रूपये दिये हैं। 'भावान्तर भरपाई योजना' के माध्यम से पैसे दिये हैं। जमीन की सेम दूर करने के लिये सरकार ने योजना बनाई है। किसानों की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में बना रहे हैं। माइक्रो इरीगेशन के माध्यम से किसानों को 85 परसेंट सब्सिडी दे रहे हैं। डी.बी.टी. के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों को फायदा पहुंचाया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, सदन में जवाब दे रहे हैं, इसलिए आप लोग बैठे-बैठे कोई कमेंट्री ना करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, 700 के करीब किसान शहीद हो गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, यह सरकार किसान विरोधी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप लोग पहले मंत्री जी की बात तो सुनिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलाल: अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण किसानों का फायदा नहीं देखना चाहते, केवल सत्ता की कुर्सी के लिये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसान के बेटे हैं और खेती भी करते हैं, इसलिए हमें किसान की पीड़ा के बारे में पता है। कांग्रेस पार्टी के लोग कभी किसी कोने में और कभी किसी कोने में अपने चार-पांच कार्यकत्ताओं को बिठा कर नारेबाजी करवा कर किसान हितैषी का ढोंग करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: किसानों की पीड़ा क्या होती है, यह आप लोगों को क्या मालूम। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सदन में गलत स्टेटमैंट देते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला खटक: अध्यक्ष महोदय, जो किसान शहीद हो गये हैं, उनके बारे में भी सदन को बता दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलाल: अध्यक्ष महोदय, किसानों के हितों की जब भी बात आयेगी, हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, इस योजना से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप लोग बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान) माननीय मंत्री जी, स्टेटमैंट दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलाल: अध्यक्ष महोदय, 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' से किसानों को पूरा फायदा हुआ है। यह योजना स्वैच्छिक है और किसान अपने-आप इस योजना को अपना रहे हैं, खुश हैं और इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, 700 के करीब किसान शहीद हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मलिक साहब, प्लीज आप लोग बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलाल: अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के राज में किसानों को मारा जाता थ। (शोर एवं व्यवधान) हमने किसानों के ऊपर कभी गोली नहीं चलाई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सदन के नेता बोलने के लिये खड़े हुए हैं, इसलिए आप लोग बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं एक विषय स्पष्ट करना चाहता हूं। नीरज शर्मा जी ने एक फॉमूला बताया था, मुझे लगता है कि वह रास्ते में गुम हो गया है। माननीय सदस्य श्री नीरज शर्मा जी अपना फॉर्मूला मुझे दोबारा से पढ़ कर बता दें।

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि- को का भा गु जन (कोष्ठक का भाग गुणा जमा नफी) मान लो वर्ष 2016-17 में 1000 रूपये की फसल है और उसके बाद बाढ़ आ गई। मेरी पैदावार 500 रूपये की हुई तो फॉर्मूले के हिसाब से 1000 माईनस 500 डिवाईड 1000 से होगा। मेरी फसल 1000 रूपये की हो रही थी, तो बीमा 1000 रूपये का ही होगा। यह फीगर आ गई 1000-500 = 500, आगे डिवाईड 1000 से करेंगे तो फीगर आयेगी 500/1000 = ½ होगा।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, जब 1000 रूपये का बीमा करवाया और 500 रूपये की फसल हो गई तो बीमा जो फसल पैदा हो गई है उसके ऊपर कभी नहीं मिलता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने हजार रूपये का बीमा करवाया है तो मुझे उसके हिसाब से ही मुआवजा मिलना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, बीमा तो जितनी फसल हो जाती है, उसका नहीं मिलता है। जितनी फसल हो जाती है वह नहीं मिलता है जो लॉस होता है वह मिलता है। (विघ्न)

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, उसका मुआवजा तो मिल ही नहीं सकता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, पूरा बीमा कभी नहीं मिलता। मैं यही समझा रहा हूं कि जितना बीमा करवाया जाता है वह पूरी राशि होती है। अगर शत प्रतिशत खराब हो जाए तो पूरा मिलता है। आधी खराब हो तो आधा मिलता है। जितना परसैंट खराबा होगा, राशि उतनी ही मिलेगी। अत: माननीय सदस्य फॉर्मूला लगाकर भ्रम पैदा न करें।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सरकार प्रीमियम किस प्रकार ले रही है ? प्रीमियम बीमित राशि पर लिया जा रहा है। क्लेम कम दिया जा रहा है। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर फसल खराब न हो तो प्रीमियम सारा चला जाता है और उसका एक रूपया भी नहीं मिलता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या आपको मेरी बात नहीं सुनाई दे रही है ?

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, मुझे आपकी बात सुनाई दे रही है। आप जरा आराम से बात किया करो, आराम से बात किया करो।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप मेरा माइक खुलवाइये।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आपका माइक खोलेंगे। अब आपका प्रश्न हो चुका है। दो प्रश्न आपने पूछ लिये हैं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या आप सिवाय सरकार की मदद करने के कुछ जानते हो ? क्या यह कोई सरकार का जवाब है ? क्या आप इसे जवाब कहते हो ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, क्या उन्होंने अभी आपको जवाब नहीं दिया ?

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने क्या जवाब दिया है ?

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, उन्होंने जो भी जवाब दिया है वह आपके सामने दिया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या आपने यही जवाब मान लिया ?

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह ऑन रिकॉर्ड दिया है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या इसे आप जवाब मान लोगे ? यहां जो इतने मैम्बर्ज बैठे हैं ये जवाब सुनना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह ऑन रिकॉर्ड दिया है। उनके पास जो जवाब है, जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जवाब दे दिया है। इस पर आगे और चर्चा नहीं हो सकती। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है क्या आप उससे सटिसफाइड हैं ?

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, मैं सटिसफाइड हूं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप सटिसफाइड हो। इसका मतलब है कि आप किसान के विरोधी हैं।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, क्या कहा आपने ?

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब है कि आप किसान विरोधी हैं।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, हम किसान विरोधी क्यों हैं ? सरकार जवाब दे रही है, सदन के पटल पर दे रही है। अगर आपको गलत लगता है तो आप उसको चैलेंज कीजिए। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हाउस के अंदर जो झूठ बोला गया था, उसके बारे में क्या बताया ?

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, मैंने बताया है कि अगर कोई आदमी सदन को मिसगाइड करता है या सदन की अवमानना करता है तो एक्ट में उसके लिए प्रोविजन दिया हुआ है कि उस पर क्या एक्शन हो सकता है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एक आदमी हाउस के अंदर झूठ बोल रहा है, क्या आप उस पर कार्यवाही नहीं करोगे ?

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप उसके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन लेकर आ सकते हो। वह आप ले आइये। अगर कोई मंत्री या कोई विधायक सदन में झूठ बोलता है तो उसके निराकरण का उपाय है, नियम बने हुए हैं। आप उन नियमों के मुताबिक कार्यवाही कीजिए।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज मोशन तो इनके खिलाफ आ ही नहीं सकता क्योंकि इनके पास मेजोरिटी है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, 'झूठ' शब्द पार्लियामैंट्री डेमोक्रेसी का नहीं है। इसमें तथ्यों से परे की बात नहीं है। अत: 'झूठ' शब्द को कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, अगर कोई गलत जानकारी देता है या तथ्यों से परे बात करता है तो उसके अगेंस्ट कार्यवाही की जा सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या यह कोई जवाब है ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, सरकार का जवाब आ चुका है। सरकार का जवाब आने के बाद उस पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं लगता । अगर गलत जवाब दिया है तो कानूनी कार्यवाही करें । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि यह माननीय मंत्री जी का क्या जवाब था जिसमें इन्होंने यह कहा कि किसानों के लिए हमने इतना-इतना क्लेम दे दिया। इन्होंने क्लेम नहीं दिया बल्कि कम्पनियों ने दिया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आप इस चर्चा को अब यहीं पर खत्म कीजिए। कॉलिंग अटैंशन मोशन खत्म हो चुका है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह क्या मतलब हुआ कि कॉलिंग अटैंशन मोशन खत्म हो चुका है ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, नियम के मुताबिक कॉलिंग अटैंशन मोशन पर डिबेट नहीं हो सकती। आपको सारा कुछ पता है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कोई एक आदमी उसका जवाब तो दे।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप इस हाउस से पूछो कि इस जवाब से कितने लोग संतुष्ट हैं। यही बता देंगे कि ये जवाब से कितने संतुष्ट हैं ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया लेकिन उसमें यह नहीं बताया कि जो ब्याज लगेगा उसकी परसैंटेज कितनी होगी ? (शोर एवं व्यवधान) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नोटिफिकेशन 25 जुलाई को हुई है। यह जो डिले हुई है इसके लिए क्या जिम्मेवारी है? सरकार ने सैंटर गवर्नमैंट को लिखा है। उन्होंने एक्सटैंड कर दिया है या नहीं ?

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, वह नये बीमा के बारे में है। उसको हम कर रहे हैं लेकिन वह एक अलग मुद्दा है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में है।

श्री अध्यक्ष:हुड्डा साहब, माननीय सदस्य ने वर्ष 2022-23 के बारे में स्पेसिफिक सवाल पूछा है। यह सवाल अबकी बार के बारे में नहीं पूछा है।

श्री जय प्रकाश दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब हरियाणा सरकार और बीमा कम्पनी के बीच में कान्ट्रैक्ट होता है तो उसमें यह प्रॉविजन होता है कि एक-दूसरे को क्रॉप कटिंग, राशि को लेकर या किसी दूसरे मुद्दे को लेकर चैलेंज कर सकते हैं। यह सरकारी बीमा कम्पनी थी। इस कम्पनी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चैलेंज किया और वहां पर हमारे हक में फैसला हुआ। इसके बाद स्टेट लेवल पर चैलेंज किया और वहां पर भी हमारे हक में फैसला हुआ। इसने सैंट्रल लेवल पर चैलेंज किया तो वहां से भी हमने फैसला करवाया है। इसमें कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं और इस प्रक्रिया के अन्दर अगर जहां पर भी ब्याज देने का प्रावधान होगा तो उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे और किसानों को ब्याज भी दिलवाएंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, इसमें 12 प्रतिशत ब्याज देने का प्रावधान है।

प्रयास इन्टरनेशनल स्कूल, गन्नौर के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों और हरियाणा विधान सभा के पूर्व सदस्य का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज प्रयास इन्टरनेशनल स्कूल, गन्नौर के विद्यार्थी तथा अध्यापकगण दर्शक दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका हार्दिक अभिनन्दन तथा स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, आदरणीय श्री लहरी सिंह जी, हरियाणा विधान सभा के भूपपूर्व सदस्य, आज अध्यक्ष दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित हैं। मैं पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

परिवार पहचान पत्र में त्रुटि सुधार के लिए आम जनता के समक्ष आने वाली समस्या बारे

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक द्वारा परिवार पहचान पत्र में त्रुटि सुधार के लिए आम जनता के समक्ष आने वाली समस्या बारे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या- 23 प्राप्त हुई है। मैंने इसको आज के लिए स्वीकृत किया है। अब श्री जगबीर सिंह, विधायक अपनी सूचना पढ़ें।

Shri Jagbir Singh Malik: Hon'ble Speaker Sir, this calling attention motion is regarding problem being faced by General Public for Correction of Family I.D. I want to bring in the notice of this August House regarding the difficulties faced by the people due to wrong entries in family I.D. More than 5 lakh people have lost their old age and widow pension etc. About 10 lakh BPL cards have been deleted, handicap commission limit have been reduced to 1.80 lakh. Living pensioners shown as BC, General category have been shown dead, wife's name is wrong, father's name is wrong, etc.

That if phone number is given in P.P.P. is changed or becomes un-functional then no change can be done in family I.D. Even admission to students were denied, no option for change of occupation, monthly income, electricity bill change from Chandigarh. If there are three I.D.'s only one can be deleted. No option for addition of wife of other States. Date of birth & merger of family. Various other problems and portal remains closed.

That due wrong entries in P.P.P. difficulty in ration, pension, scholarship and Ayushman etc.

I therefore, request the Government to make a statement for withdrawing the P.P.P. Thankyou Sir.

वक्तव्य-

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित

श्री अध्यक्ष: अब माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक जी ने यह जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है मैं उसके जवाब में बताना चाहूंगा कि-

(1) परिवार पहचान पत्र (पी.पी.पी.) एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और अन्य सेवाओं को लाभार्थी के घर द्वार पर पहुंचाना है। यह आधार द्वारा निर्मित डिजिटल बुनियादी ढांचे और सिद्धांतों से लिया गया है। हालाँकि इसकी प्रदायगी में यह आधार से कई गुना अधिक जटिल है। आधार में मुख्य रूप से यूनीक पहचान की जानकारी होती है, जबकि पी.पी.पी. में आधार के रूप में विशिष्ट पहचान की जानकारी के अलावा सामाजिक-आर्थिक जानकारी भी होती है। आधार पहचान के अलावा किसी भी डेटा को सत्यापित नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर आधार में जन्मतिथि सत्यापित नहीं होती। दूसरी ओर, पी.पी.पी. में उपलब्ध प्रत्येक जानकारी फील्ड को विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। यह पी.पी.पी. को लाभार्थियों की सक्रिय रूप से पहचान करने में सक्षम बनाता है, जबकि आधार लाभार्थियों की पहचान करने में सक्षम नहीं है बल्कि दोहराव को ही समाप्त कर सकता है। आधार को बड़े पैमाने पर तैयार करने और योजनाओं के साथ एकीकरण करने में 6 साल से अधिक का समय लगा, जबकि पी.पी.पी. बीच में कोरोना वायरस महामारी

के बावजूद, 2 साल में तैयार कर लिया गया। आधार के समान, पी.पी.पी. को भी कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयाँ और मुद्दों को दूर करने के लिए सुधार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। इन परिस्थितियों में हरियाणा ने देश के हर राज्य को आधार लाभों को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया है।

(2) पीपीपी का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक सरकारी एजेंसी द्वारा अलग से निरीक्षण या सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने या प्रमाण के रूप में दस्तावेज जमा करने या किसी सरकारी कार्यालय जाए बिना लाभार्थी को उसके घर द्वार पर सक्रिय रूप लाभ प्रदान करना है। पिछले वर्ष में सक्रीय प्रदायगी के लिए कई योजनाओं और सेवाओं को पीपीपी से जोड़ा गया है।

(3) पीपीपी में एक परिवार के सभी व्यक्तियों के डेटा तत्वों का संकलन होता है जो योजनाओं और सेवाओं के लिए पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा अपेक्षित हैं। प्रत्येक डाटा फ़ील्ड को अनुकूलित और परिभाषित प्रक्रियाओं के माध्यम से सत्यापित किया जाता है। प्रत्येक परिवार का डाटा परिवार के एक वयस्क सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित स्व-घोषणा के आधार पर एकत्र किया जाता है और फिर अलग से सत्यापित किया जाता है। पीपीएन में पारिवारिक रिश्ते भी उल्लिखित होते हैं और प्रत्येक परिवार को 8 अंकों की पारिवारिक आईडी प्रदान की जाती है। पारिवारिक संरचना को भी हर समय अपडेटेड रखा और अदयतन किया जाता है जिसमें जन्म, मृत्यु या विवाह जैसी जीवन की घटनाओं के कारण होने वाले परिवर्तन, जहाँ तक संभव हो इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वचालित रूप से, एकत्रित और अद्यतन किए जाते हैं।

पीपीपी का लाभ सक्रीय सेवा

(4) परिवार पहचान संख्या से कई योजनाओं और सेवाओं के लिए शपथ पत्र या दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, आवेदक को पहले एक आवेदन के साथ एक हलफनामा जमा करना पड़ता था, जिसे नंबरदार, पटवारी, कानूनगो द्वारा सत्यापित किया जाता था और उसके बाद भौतिक पद्धति में तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता था, इसमें महीनों लगते थे । अप्रैल 2022 में पीपीपी के माध्यम से

अनुसुचित जाति प्रमाणपत्रों को सक्रीय रूप से जारी करने की शुरुआत के बाद, आवेदक को ऑनलाइन ढंग से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करनी होती है और उसके बाद एससी प्रमाणपत्र प्रिंट करना होता है। योजना शुरू होने के बाद 25 अगस्त, 2023 तक 6.96 लाख से अधिक प्रमाणपत्र जारी किये जा चुके हैं। इसी प्रकार जुलाई 2022 में सेवा के शुभारंभ के बाद से 4.69 लाख से अधिक बीसी (ए) और बीसी (बी) प्रमाणपत्र सक्रिय रूप से जारी किए गए हैं। राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के दौरान, आवेदक छात्र को केवल अपना पीपीएन प्रदान करना होगा जिसके बाद एससी, बीसी (ए) और बीसी (बी) स्थिति स्वचालित रूप से सत्यापित हो जाती है। सभी कॉलेजों में प्रवेश जुलाई 2022 में शुरू किया गया था और चालू शैक्षणिक वर्ष से सभी स्कूलों, विश्वविद्यालयों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए यह सुविधा प्रदान की गई है।

(5) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत सब्सिडी वाले राशन का लाभ, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना आदि जैसी जन कल्याण योजनाओं का विस्तार पीपीपी के कार्यान्वयन के कारण संभव हुआ है।

(6) नीचे दी गई तालिका में जनवरी 2010 से बीपीएल राशन कार्ड जारी करने के माध्यम से 4 पीडीएस में प्रदान किए गए लाभों का विवरण दिया गया है:

क्रम संख्या	**माह एवं वर्ष**	**राशन कार्डों की संख्या**
1.	जनवरी, 2010	11,95,698
2.	जनवरी, 2014	28,22,501
3.	जनवरी, 2019	26,62,160
4.	जनवरी, 2022	27,00,570
5.	जनवरी, 2023	30,38,599
6.	अगस्त, 2023	36,58,142

टिप्पणी: तालिका में दिसंबर 2022 तक अन्य प्राथमिकता वाले (ओपीएच) लाभार्थी परिवार शामिल है, जिसके बाद ओपीएच श्रेणी का बीपीएल श्रेणी में विलय कर दिया गया।

तालिका से पता चलता है कि जनवरी 2022 के बाद से कुल 9.67 लाख अधिक राशन कार्ड जोड़े गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में अयोग्य लाभार्थियों को बाहर कर देने से पात्र आबादी के एक बड़े हिस्से को लाभ हुआ है, जिन्हें पहले पीडीएस के लाभों से वंचित किया जा रहा था।

(7) इसकी तुलना परिवार पहचान पत्र की शुरुआत से पहले की स्थिति से की जा सकती है। 2004 में एक बीपीएल सर्वेक्षण करवाया गया था जिसे जनता के भारी विरोध के कारण रद्द करना पड़ा था। इसके बाद 2007 में हरियाणा पूर्व सैनिक लीग द्वारा एक नया सर्वेक्षण किया गया। जनता के आक्रोश और मुकदमेबाजी के कारण यह भी पूरा नहीं हो सका। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष 2010 की सीडब्ल्यूपी संख्या 1581 दायर की गई जिसमें अपात्र परिवारों को बीपीएल की सूची से हटाने की प्रार्थना की गई थी, जिसकी पहचान 2007 के सर्वेक्षण के आधार पर की गई थी। याचिका में ऐसे परिवारों के कई उदाहरण उद्धृत किये गये थे। सीडब्ल्यूपी में ऐसे परिवारों के उदाहरण दिए गए थे जिसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे, जिनके पास बड़ी भूमि जोत थी या उच्च आय थी और उन्हें राशन कार्ड जारी किए गए थे। एक ऐसे परिवार का भी उदाहरण दिया गया जो एक संयुक्त परिवार होते हुए भी एक से अधिक राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए कई भागों में विभाजित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर हरियाणा पूर्व सैनिक लीग के खिलाफ कार्रवाई के अलावा कई अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। परिवार पहचान पत्र को कई अन्य डेटाबेसों को जोड़ने से इन मुद्दों का समाधान करने का प्रयास किया गया है। जो आय या संपति की विशेषताओं को दर्शाते हैं और परिवारों के विभाजन की जांच करने के अलावा 'अपवर्जन' (Exclusion) की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, जिसका उद्देश्य उक्त सिविल रिट में उल्लिखित प्रकृति की धोखाधड़ी को रोकना है। याचिका परिवार पहचान पत्र में किसी भी विसंगति को दूर करने के लिए डेटा में गतिशील सुधार की प्रक्रियाएं भी हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जो पात्र हैं वे लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो और जो अपात्र है उनकी पहचान की जाती हैं और लाभ बंद कर दिए जाते हैं।

(8) वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लाभ को सक्रिय रूप से परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। सत्यापन प्रक्रिया में 59 से 70 आयु वर्ग के सभी लोगों की पहचान की जा रही है और उन लोगों

की भी पहचान की जा रही है जो पिछली प्रक्रिया में छूट गए थे और भता शुरू करने के लिए उनकी सहमति ली जा रही है। यह प्रक्रिया सितंबर 2023 तक पूरी होने की संभावना है। हालांकि जब भी किसी लाभार्थी की पहचान की जाती है तो लाभार्थी की सहमति और पेंशन शुरू करने के लिए डेटा को सामाजिक न्याय, अधिकारिता कल्याण और एससीए बीसी विभाग और अंत्योदय (सेवा) विभाग को भेज दिया जाता है। 2014 के बाद से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या नीचे दी गई तालिका में दी गई है:-

क्रम संख्या	माह एवं वर्ष	वृद्धावस्था सम्मान लाभार्थियों की संख्या
1	अप्रैल 2014	13,50,507
2	अप्रैल 2019	15,66,703
3	अप्रैल 2022	17,50,039
4	अप्रैल 2023	17,85,375
5	अगस्त 2023	1810,913

25 अगस्त , 2023 तक 1,03,828 लाभार्थियों को सक्रिय पद्यति से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त हुआ है और हाल ही में अन्य 90,000 लाभार्थियों का डेटा सहमति लेने के लिए परिवार पहचान पत्र द्वारा सेवा को यानी सेवा विभाग को भेज दिया गया है। सक्रीय स्कीम की शुरुआत के बाद से, गलत सत्यापन के कारण सहमति से इनकार करने वालों की संख्या 18,871 है, जो कुल का केवल 10.1% है। परिवारों द्वारा परिवार पहचान पत्र में स्व घोषित डेटा के कारण 63,353 लाभार्थियों का वृद्धावस्था सम्मान भता रोक दिया गया। लेकिन इनका सबका सत्यापन होगा और सत्यापन के बाद 44,050 लाभार्थियों को भत्ता बहाल कर दिया गया। इस प्रकार, केवल 19,303 लाभार्थियों का पीपीपी के कारण वृद्धावस्था सम्मान भत्ता रोका गया है, क्योंकि उन्होंने स्वयं घोषित किया है कि हमारी आय इतनी है या अन्य जो भी शर्ते हैं उससे। इसी प्रकार जिनमें से 17,661 मामले ऐसे हैं, जहां भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा ऑनलाइन बनाए गए मृत्यु के रजिस्टर के डेटा के आधार पर लाभार्थी को निर्णायक रूप से मृत साबित कर दिया गया है। पहचान में त्रुटियों को और कम करने और सक्रिय प्रदायगी प्रक्रिया के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के प्रयास लगातार जारी है।

(9) इसकी तुलना फिर से उस स्थिति से की जा सकती है जो पहले मौजूद थी। वृद्धावस्था सम्मान भता के मामले में भी 2017 की सीडब्ल्यूपी नं. 801 दायर की गई थी। जिसमें लाभार्थियों की पहचान गलत ढंग से करने का आरोप लगाया गया था और भता राशि की वसूली के अलावा 2010 से गलत तरीके से वृद्धावस्था सम्मान भता स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। पीपीपी योजना के कार्यान्वयन से कई और नियमित जांच करने का प्रयास किया जाता है ताकि यदि किसी लाभार्थी की गलत पहचान हो भी जाए तो भी सहमति प्राप्त करने के समय उसकी पहचान की जा सके।

(10) चालू शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में पीपीपी डेटा के आधार पर निजी और सरकारी स्कूलों में 3.52 लाख नए प्रवेश हुए हैं। इसी प्रकार उच्च शिक्षा विभाग के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से पीपीपी डेटा का उपयोग करके कॉलेजों में 1.28 लाख दाखिले किए गए हैं। औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश अभी भी चल रहा है और अब तक कौशल विकास और औदयोगिक प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर आईटीआई में प्रवेश के लिए पीपीपी का उपयोग करते हुए 1.01 लाख पंजीकरण हुए हैं, जिनमें से 61.405 का दाखिला हो चुका है। पिछले वर्ष पीपीपी आधार पर तकनीकी शिक्षण संस्थानों में 37,531 प्रवेश किये गए और इस वर्ष प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। गत वर्ष पीपीपी डाटा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित विश्वविदयालयों में 31,071 प्रवेश किये किये गए और इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। पी पी पी डाटा के कारण प्रवेश से वंचित करने का कोई भी मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(11) हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम सितंबर, 2021 में लागू हुआ है। एचपीपीए अधिनियम एक व्यापक कानून है जो गोपनीयता और डेटा विश्वसनीयता जैसे मौलिक मुद्दों के साथ-साथ डेटा रिपॉजिटरी डेटा फ़ील्ड जो कि पीपीपी में संग्रहीत किया जा सकता है, डेटा अपडेशन के लिए तंत्र आदि। जैसे परिचालन क्षेत्रों के लिए कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से बताता है। आधार के कार्यान्वयन के संदर्भ में निजता के अधिकार पर यह के. एस. पुटुस्वामी बनाम भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी संरचना के

अनुपालन में है। सिविल रिट याचिकाओं के माध्यम से पीपीपी के कार्यान्वयन की दो चुनौतियों को माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

पीपीपी के मुद्दे

(12) पीपीपी में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक मजबूत सुधार और शिकायत निवारण तंत्र है। पीपीएन के संबंध में नागरिकों द्वारा सामना किए जाने वाले सामान्य मुद्दे मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है:

* व्यक्तिगत डेटा फ़ील्ड जैसे कि माता-पिता या पति या पत्नी का नाम, मोबाइल नंबर, स्थिति आदि में सुधार।

*आय या जन्मतिथि जैसे फील्ड के लिए अपूर्ण या गलत डेटा सत्यापन।

• मुख्य रूप से वृद्धावस्था सम्मान पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन और राशन की सेवा के लाभ से वंचित करना।

* पीपीएन में शिकायतों का निपटान और प्रत्येक डेटा फ़ील्ड का सत्यापन एक विस्तृत और अनुकूलित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

(13) डेटा मुद्दों का समाधान करने के लिए विस्तृत तंत्र और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार की गई हैं। डेटा क्षेत्रों में डेटा अपडेशन और सुधार के लिए 'सुधार मॉड्यूल' और 'शिकायत मॉड्यूल के माध्यम से सेवा से इनकार के मामले में शिकायतें उठाने के लिए इन दोनों के लिए. नागरिक सीधे स्वयं या पोर्टल पर सहायता प्राप्त मोड पर अनुरोध कर सकता है। जुलाई 2021 से अब तक सुधार मॉड्यूल में 52,98,352 अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 46,75,211 का समाधान किया गया है। इसी प्रकार शिकायत मॉड्यूल में जून 2022 से अब तक 10.07 210 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 9.62419 का समाधान किया जा चुका है।

(14) माननीय सदस्य द्वारा अपने नोटिस में उल्लिखित मुद्दों के लिए संक्षिप्त प्रक्रियाओं (एसओपी) के साथ सुधार तंत्र अनुलग्नक 1 (Annexure-1) में दिए गए हैं। विशेष रूप से जुलाई 2021 से 26 अगस्त तक जाति श्रेणी के लिए 77.111 सुधार अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिनमें से 74,290 का समाधान कर दिया गया है और 2191 अनुरोध लंबित हैं। मार्क एस अलाइव से. जुलाई 2021 से 26 अगस्त तक 7.583 सुधार अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7.423 मामलों

का निपटारा किया जा चुका है और केवल 160 अनुरोध लंबित हैं। पति/पत्नी के नाम में सुधार के मामले में. इसी अवधि में 16.362 सुधार अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 16.290 मामलों का निपटारा कर दिया गया है और 272 मामले लंबित है। परिवार के मुखिया के आधार नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर के आधार पर मोबाइल नंबर का सुधार स्वचालित मोड पर किया जाता है। मोबाइल नंबर सुधार के 11.56.222 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सभी का समाधान कर दिया गया है। "सदस्य जोड़े" सुधार सुविधा में फील्ड ऑपरेटरों द्वारा कुछ हेरा फेरी की गई है और ऐसे ऑपरेटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। इस तरह की हेरा फेरी को रोकने के लिए "सदस्य जोड़े सुधार सुविधा के लिए परिभाषित प्रक्रिया में सुधार किए जा रहे हैं।

17.00 बजे

(15) प्रदायगी के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सत्यापन प्रक्रियाएं पूरी होने वाली हैं। अपनी स्व- घोषणा में किसी विशिष्ट जाति की स्थिति (36.42 लाख) का दावा करने वाले सभी परिवारों में से 89.5% का सत्यापन पूरा हो चुका है। सभी व्यक्तियों (2.78 करोड़ नागरिक) में से 90.7% की जन्म तिथि का सत्यापन पूरा हो चुका है। पी.पी.पी. में दर्ज सभी परिवारों (68.29 लाख) में से 97.2% की आय का सत्यापन पूरा हो चुका है। व्यवसाय सत्यापन अभी भी चल रहा है और अक्टूबर 2023 तक पूरा होने की सम्भावना है।

प्रशासन और बजट

(16) इसी प्रकार से इसमें जो खर्च आया है एक बात मैं विशेष तौर से इसमें बताना चाहता हूं कि यह सारी प्रक्रिया इन-हाउस गवर्नमैंट मशीनरी के द्वारा की जा रही है। पीपीपी को अपने संसाधनों के माध्यम से डिजाइन विकसित और कार्यान्वित किया गया है और इस उद्देश्य के लिए किसी वेंडर या कंपनी को नियुक्त नहीं किया गया है। पीपीपी के कार्यान्वयन पर व्यय न्यूनतम रहा है और बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों पर किया गया है, जिन्हें क्षेत्र में गठित 19,825 स्थानीय समितियों और 1082 सेक्टर समितियों में टीम लीड के रूप में शामिल किया गया है। टीम लीड और स्थानीय ऑपरेटरों के अलावा स्थानीय समितियों और सेक्टर समितियों के अन्य सदस्यों को कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया जाता है।

पीपीपी कार्यान्वयन पर वर्ष-वार व्यय नीचे दिया गया है:-

वर्ष	**व्यय (करोड़ रुपये में)**
वर्ष 2020-21	6.44
2021-22	28.89
2022-23	47.82
2023-24 (जुलाई 2023 तक)	21.24

बजट का बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न कम्प्यूटर ऑपरेटरों और विभिन्न सत्यापन जिम्मेदारियों वाले सरकारी अधिकारियों के भुगतान पर खर्च किया गया था। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2022-23 से 47.82 करोड़ रुपये के कुल खर्च में से 21.97 करोड़ रुपये सरकारी कर्मचारियों को सत्यापन के लिए, 3.16 करोड़ रुपये स्थानीय ऑपरेटरों को और 18.54 लाख रुपये आशा कार्यकर्ताओं को दिए गए। यह अतिरिक्त उपायुक्तों के कार्यालय में कर्मचारियों को वेतन भुगतान के अलावा, जिन्हें क्षेत्र में पी.पी.पी. के प्रशासन के लिए जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया।

निष्कर्ष

(17) राष्ट्रीय स्तर पर आधार और यूपीआई जैसी अन्य बड़े पैमाने की डिजिटल पहलों की तरह, राज्य के लोगों को अपेक्षित लाभ पहुंचाने के लिए पीपीपी तंत्र लगातार विकसित हो रहा है। निष्कर्ष में माननीय सदस्य और सदन को आश्वस्त करता हूँ की लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए इस उत्तर में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उन्हें निरंतर सुदृढ़ किया जाएगा और उनकी निगरानी की जाएगी ताकि नागरिकों के अनुभव में महत्वपूर्ण सुधार लाने और प्रदायगी लाभों को प्राप्त करने के पीपीपी के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, परिवार पहचान पत्र के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तारपूर्वक रूल्ज एण्ड रेगुलेशन को अपने रिप्लाई में पढ़ा है। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार पहचान पत्र के रूल्ज पेश करने के लिए कहा था और वे आज ही पेश हो रहे हैं।

उसके लिए हमने आर्टिकल 169 और 170 का आपको नोटिस दिया है। यहां पर इस विषय के बारे में इतनी चर्चा हो रही है तो उस इशु को लेकर भी साथ में चर्चा हो जाये।

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, आप कौन से इशु के बारे में बात कर रहे हैं?

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, परिवार पहचान पत्र के रूल्ज का जो नोटिफिकेशन है उसमें हमें संशोधन करने की अनुमति तो दी जाये कि उसमें क्या-क्या गलत है और क्या-क्या सही है तथा सरकार सबकुछ किस तरह से कर रही है? सरकार ने वर्ष 2022 में रूल्ज बना दिये और वर्ष 2022 में ही सरकार ने नोटिफिकेशन कर दी और उसके बाद उस पर हमें अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। हमें यह डिस्कशन करने का मौका मिलना चाहिए कि ये रूल्ज ठीक हैं या ठीक नहीं हैं। अभी तो वे रूल्ज सदन के पटल पर भी नहीं रखे गये हैं।

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, वे रूल्ज आज टेबल हो गये हैं।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, अगर वे रूल्ज टेबल हो गये हैं तो हमें उस पर अपने विचार रखने का मौका मिलना चाहिए। अगर आज हमें मौका नहीं मिला तो कब मौका मिलेगा?

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, रूल्ज के मुताबिक उसके लिए तीन दिन का समय होना चाहिए।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, आप सत्ता पक्ष को कुछ क्यों नहीं कहते कि ये रूल्ज आज ही पेश क्यों किये गये और हमारे लिए नोटिस देने के लिए 3 दिन की शर्त रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, रूल्ज मैंने तो नहीं बनाए, ये तो पहले से चले आ रहे हैं।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, अगर रूल्ज में तीन दिन की शर्त है तो उसको कंडोन किया जाये तथा हमें उस पर चर्चा करने के लिए समय दिया जाये। आज 29 तारीख को ही वे रूल्ज टेबल हो रहे हैं तो उस पर बोलने के लिए हमें मौका दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, उन पर तो उसके बाद भी डिस्कशन हो सकती है।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, आज के बाद क्या 6 महीने बाद उन पर डिस्कशन होगी?

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, अगर अगले सैशन में उन पर डिस्कशन के लिए आप मुझे लिख कर दे देंगे तो हम अगले सैशन में डिस्कशन करवा देंगे।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, यह लिख कर देने वाली बात नहीं है। यह इतना बड़ा मुद्दा है और मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजैक्ट है और हमें बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने 8 पेज का रिप्लाई तो पढ़ दिया है और आप हमें बोलने का मौका भी नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, मैं आपको इस पर बोलने के लिए मौका दे रहा हूं, आप बोलिए।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, ठीक है। इस विषय पर पहले तो श्री जगबीर सिंह मलिक जी बोलेंगे उसके बाद मैं, श्रीमती गीता भुक्कल जी और श्री वरूण चौधरी जी भी बोलेंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा लम्बा-चौड़ा वक्तव्य दिया है। जो मैं बात कहने जा रहा हूं वह मैं नहीं कह रहा हूं वह लोगों की तकलीफ थी जो मैंने सदन के सामने रखी है। आपके ट्रेजरी बैंचिज के जो एम.एल.एज. हैं इनमें से भी बहुत ने बार-बार यह जिक्र किया है कि ये परिवार पहचान पत्र गले की फांस बना हुआ है और ये साबित भी होगा। इसमें सबसे पहली गलती तो यह है कि आज तक आय की टोटल वैरिफिकेशन नहीं हुई है। करीब 67 लाख परिवार पहचान पत्र हैं लेकिन अभी तक उनकी वैरिफिकेशन पूरी नहीं हुई है। वर्ष 2023 में भी वैरिफिकेशन पूरी नहीं हुई है। परिवार पहचान पत्र से संबंधित बेनिफिट कब लागू किये इसके बारे में मुयख्मंत्री जी बताएंगे। सरकार ने बेनिफिट तो लागू कर दिये लेकिन अभी तक परिवारों की आय की वैरिफिकेशन नहीं हुई है। जिन लोगों की आमदनी वैरिफाई नहीं हुई है और उनके बेनिफिट कट गये हैं, उनका क्या इलाज है। सरकार यह कहती है कि इससे लोगों को बहुत लाभ मिलता है। जो ये पैंशन और कार्ड काटे गये हैं ऐसे ही एक नाम कल विधान सभा में आया था मनमोहन गोयल जो रोहतक के मेयर हैं और राम चन्द्र जांगड़ा जो राज्य सभा के मैंबर हैं। ये लोग बी.पी.एल. श्रेणी में हैं। इनकी आय एक लाख अस्सी हजार से कम दिखा

रखी है। यह वैरिफाई किसने की है। क्या ऐसी वैरिफिकेशन पर सरकार एतबार कर रही है। मेरे पास कई सरपंच आए थे जिन्होंने मुझे बताया था कि हमारा भी बी.पी.एल. कार्ड बन गया है। हमने कहा ठीक है तुम भी राशन ले आओ। जब दूसरे राशन ले रहे हैं तो राशन तुम्हें भी मिलेगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो ये बीमारी है आप इसको देखिये। इसी तरह से विकलांगों के साथ बड़ा मजाक हुआ है। विकलांग कमिश्नर का एक आदेश था कि जिसकी साढ़े तीन लाख रूपये वार्षिक आमदनी होगी उसको सरकार की तरफ से लाभ मिलेगा लेकिन अब उनकी आय को भी घटाकर एक लाख अस्सी हजार रूपये कर दिया गया है। जो असहाय लोग थे और जिनको पहले बेनिफिट मिल रहे थे अब उनकी आय को भी घटा दिया गया है। अब वे असहाय लोग कहां जाएंगे। ये सभी कार्ड बिना वैरिफिकेशन के बनाए गये हैं। अब जैसे जन्मतिथि के बारे में कहा गया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जन्मतिथि तो बहुत लोगों की वैरिफाई नहीं हो रही हैं तो फिर परिवार पहचान पत्र कैसे बन गया और कैसे वह एग्जिस्टैंस में आया। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं जो सामने आ रही हैं तथा इससे बहुत प्रॉब्लम आई हैं। प्रोपर्टी आई.डी. और फैमिली आई.डी. ये सारा एक स्कैंडल बन गया है। मैं यह ईमानदारी से कह रहा हूं कि इसमें ये हाल हो रहा है कि पैसे देकर कुछ भी करवा लो। परिवार पहचान पत्र में पैसे की जरूरत है। ये सैंटर वाले किसी की एक फैमिली बना देते हैं और किसी की फैमिली अलग-अलग कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हर जगह पैसे देकर कुछ भी करवा लो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसकी इंकवायरी करवा लें। आप सी.आई.डी. छोड़कर देख लें। वे सारी बता देंगे कि कहां क्या होता है। इसमें सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो आती है वह यह है कि एक सिंगल पर्सन का डैथ सर्टिफिकेट भी नहीं बनता है। अगर कोई सिंगल पर्सन है और

फैमिली आई.डी. में एक का ही कार्ड है तो उसकी डैथ के बाद उसका डैथ सर्टिफिकेट मांगेंगे तो उसका डैथ सर्टिफिकेट नहीं बनता है। यह भी एक इशू है। अब जैसे एक मजदूर की आय 9 करोड़ रूपये दिखाई हुई है। ये भी केवल इसकी नहीं है इसके अलावा एक करनाल की सोनम नाम की लड़की स्टुडैंट है जिसकी आमदनी भी 9 करोड़ रूपये दिखा रखी है जिसके कारण उसको एडमिशन भी नहीं मिला। ये कहते हैं कि फैमिली आई.डी. से एडमिशन होता है उस लड़की को फैमिली आई.डी. की वजह से एडमिशन नहीं मिला। ये फैमिली आई.डी. किसने बनाई है जिसके कारण एक स्टुडैंट को एडमिशन भी नहीं मिल पाया। इसी तरह से एक फैमिली आई.डी. में 74 आदमी दिखा रखे हैं जोकि दो जातियों के आदमी हैं। उसमें जाति भी दो हैं, एक नहीं है। इस तरह के परिवार पहचान पत्र है। अब यह परिवार पहचान पत्र तो बनवा दिया लेकिन इससे लाभ कैसे मिलेंगे ? ऐसे-ऐसे न जाने कितने उदहारण हैं। इसमें यह ऑप्सन नहीं है जैसा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि धारा 370 टूटने के बाद दूसरे प्रदेश कश्मीर से बहू लाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी का कॉमैंट था। जो दूसरी स्टेट्स से आएंगे उनकी फैमिली आई.डी. नहीं बनती है। यह जो डिफिक्लटीज लोगों ने बताई है, मैं सदन में केवल वही बयान कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, पी.पी.पी. में जो प्राब्लम आती है, मैं उनको एक-एक करके बताता हूँ। जो लोग बिहार से बहू लेकर आते हैं, उनकी फैमली आई.डी. नहीं बन सकती। सी.एच.सी. सैंटर में सैटिंग करके और बहू को लोकल दिखाकर यदि फैमली आई.डी. बनवा ली जाये तो यह अलग बात होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में अब एक और प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। हमारे यहां एक लड़का है जोकि अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहता है लेकिन उसकी सारी प्रापर्टी हरियाणा में है, पी.पी.पी. की कंडीशंज के हिसाब से उस लड़के की यहां पर फैमली आई.डी. नहीं बन सकती। इसी प्रकार

हरियाणा के आधे से ज्यादा लोग चंडीगढ़ में नौकरी करते हैं और यही पर पूरे परिवार के साथ रहते हैं लेकिन उनकी जमीन गांव में है। ऐसी अवस्था में कल को अगर वे फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहें तो आप बतायें कि वे फैमली आई.डी. कहां से लेकर आयेंगे और कैसे वे फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर्ड करवा सकेंगे। इसके बाद अब मैं एक अन्य प्राब्लम के बारे में बताता हूँ। पी.पी.पी. पर फोन नम्बर देना पड़ता है। मान लो परिवार के किसी आदमी का इस पर फोन नम्बर दे दिया गया और वह आदमी अर्जेंट काम की वजह से बाहर गया है तो बताओ ऐसी स्थिति में जो उस फोन पर ओ.टी.पी. आयेगा, उसको कैसे लिया जा सकेगा या फिर मान लो वह फोन गुम हो जाता है या डैड हो जाता है तो कैसे ओ.टी.पी. प्राप्त किया जा सकेगा। यह बहुत अर्जेंट नेचर की बात है इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इसी प्रकार पी.पी.पी. में आक्यूपेशन चेंज करने का आप्शन नहीं है। जहां तक बी.पी.एल. राशन कार्ड की बात है, यदि किसी आदमी का एक बार में 12 हजार रूपये बिजली का बिल आ जाता है तो उसका बी.पी.एल. राशन कार्ड कट जाता है। मान लो किसी ने एक बार तो इस राशन कार्ड का फायदा ले लिया लेकिन जब वह अगली बार जाता है और मान लो उसका 12 हजार रूपये का बिल आ गया है तो यह राशन कार्ड उसका कट जायेगा तो बताओ वह आदमी कहां जायेगा। इस तरह की अनेक प्रकार की कमियां पी.पी.पी. में देखने को मिलेंगी। अब एक बात और बताता हूँ। मान लो किसी की तीन आई.डी. बन गई हो या फिर ऐसा कह दो कि बना दी गई हो और यदि वे कटवानी पड़ेंगी तो इनमें से केवल एक ही आई.डी. कटेगी और दो आई.डी. रह जायेगी। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार इसमें चेंज ऑफ इंकम का भी कोई प्रोवीजन उपलब्ध नहीं है। मान लो कोई स्टूडेंट है और वह नौकरी करता है और बाद में उसकी नौकरी छूट

जाये और वह बेरोजगार हो जाये तो फैमिली आई.डी. में उसकी नौकरी ही दिखती रहेगी और उसकी सेलरी जोकि पहले ले रहा था, वह इंकम में काउंट भी होती रहेगी। इस प्रोसैस में दुनिया भर की कमियां हैं। न विदेश वाला आदमी फैमली आई.डी.बनवा सकता है, न चंडीगढ़ में रहने वाला फैमिली आई.डी. बनवा सकता है और यह तो आम बात ही है कि जनरल कैटेगरी को एस.सी. कैटेगरी का दिखा दिया गया और एस.सी. कैटेगरी वाले को जनरल कैटेगरी का दिखा दिया गया, इसके बारे में तो मुख्यमंत्री जी भी बता चुके हैं। ऐसे तो न जाने कितने ही केसिज देखने को मिले हैं, अत: इस तरह की बातों का समाधान करना बहुत जरूरी है और एक चीज वेरिफिकेशन की और रह गई जिसके बारे में बताया गया है कि 57 लाख वेरिफिकेशन हुई हैं, यह संख्या भी अब बताई गई है जबकि पहले यह बहुत कम थी। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि पी.पी.पी. योजना कब लागू हुई, किस-किस तारीख को कौन-कौन सी फैसिलिटी इसके साथ एड करने का काम किया गया, क्या इंकम की वेरिफकेशन करने का काम किया गया या नहीं, जो डिफिकल्टीज मैंने बताई है, उनके लिए क्या प्रावधान अवेलेबल हैं, पोर्टल पर फैमिली मर्ज करने की तथा जन्म तिथि ठीक करने का आप्शन होना चाहिए। ज्वॉयंट पी.पी.पी. को अलग-अलग करने का आप्शन होना चाहिए। एक परिवार की तीन आई.डी. बन जाये और परिवार उसको कटवाना चाहे तो केवल एक ही आई.डी. कटेगी और बाकी दो रह जायेगी इसके लिए भी आप्शन होना चाहिए। दूसरे राज्य से लाई गई बहू का नाम भी पी.पी.पी. में जुड़ना चाहिए। इसी प्रकार की बहुत सारी प्राब्लम हैं तो बताया जाये कि सरकार के पास इनका क्या सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन नहीं है तो सरकार मना कर दे लेकिन प्राइवेट सैंटर वालों के पास इसका प्रोपर सोल्यूशन है और इस वजह से ये सी.एच.सी. सैंटर करप्शन का सैंटर बन गए हैं और

लोगों को परेशान कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आधे लोग तो इसलिए ही आगे नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि होने वाला तो कुछ नहीं है अत: सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को वापिस लेने का काम किया जाये।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस विषय पर बोलना है।

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, वैसे तो इस विषय पर कालिंग अटैंशन नोटिस सिर्फ जगबीर सिंह मलिक का ही है।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहे तो इस विषय पर अलग से आरग्युमेंट करवा दें। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ because this matter is being discussed तो ऐसी अवस्था में आप विषय की प्रायरिटी का ध्यान रखते हुए मुझे बोलने की परमिशन दें क्योंकि बिल भी अभी पेश हुआ है। अत: आपसे अनुरोध है कि आप इस पर मुझे बोलने की परमिशन दें।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आप अपनी बात रखें।

Shri Bharat Bhushan Batra: Thank you Speaker Sir. मैं सबसे पहले आपकी अनुमति से Haryana Parivar Pehchan Act की नोटिफिकेशन के सैक्शन 3 के सब-सैक्शन 1 के बारे में सदन में बोलना चाहूँगा। इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि-

> 'In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021 (20 of 2021), the Haryana Parivar Pehchan Authority with the approval of the State Government hereby notifies the data fields, specified in Part I and Part II of the Schedule appended hereto, as comprising the information to be provided for each family member and for the family, by any adult member of the family, for entitlement to obtain a Haryana Parivar Pehchan number.'

Speaker Sir, this notification has been issued from the Chief Executive Officer, Haryana Parivar Pehchan Authority. अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसमें जस्टिस पुटास्वामी की जजमैंट को कोट किया है। Speaker Sir, I think the officers have not properly briefed the Hon'ble Chief Minister regarding what Justice Puttaswamy has said in his judgement. I will firstly refer that the Right of Privacy has been influenced. This is a Constitutional Right. Speaker Sir, I will mainly refer to the journal issued by the Lok Sabha Secretariat. This is Right to Privacy. ये लोक सभा सचिवालय का डाक्यूमैंट है। इसमें कहा गया है कि the Court in a landmark judgement dated 24th August 2017 unanimously held that privacy is a Fundamental Right and Right to Privacy is protected as an intrinsic part of the Right to Life and personal liberty as a part of freedom guaranteed by Part 3 of the Constitution. Bench also ruled that Right to Privacy is not absolute but subject to reasonable restrictions as every Fundamental Right has. अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ी बात मेरी यह है कि जिस काम के लिये इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है उसको वहीं तक लिमिट कीजिए। उससे आगे लिमिट करने वाली बात जो है वह 9 जजिज की बैंच ने फैसला किया, उस फैसले के अंदर यह निकलकर आया कि राईट टू प्राईवेसी के साथ में जो आधार इशू किया हुआ है वह आधार कार्ड में राईट टू प्राईवेसी infringe नहीं होना चाहिये और आधार की कुछ धाराओं को भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने set aside किया है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा वाईटल प्वायंट जो आया, वह यह है कि the Aadhar is not mandatory. It is optional. This is the crux of the point. अध्यक्ष महोदय, इसको मनरेगा, जनधन आदि योजनाओं में सब्सिडी, स्टेट गवर्नमैंट को डायरेक्ट ट्रांसफर्ज या Consolidated Fund of the State में कोई पैसा किसी को देना है, उसके लिये लिमिटिड परपज के लिये इस्तेमाल करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ में यह भी कहूंगा कि there is one authority और स्कीम का नाम है Unique Identification Authority of India (UIDAI). क्या इस स्कीम को supersede करने वाला परिवार पहचान पत्र हो गया है? स्पीकर सर, सैंट्रल गवर्नमैंट की स्कीम में कहा गया है कि the UIDAI policy bars it from

collecting sensitive personal information such as religion, caste, community, class, ethnicity, income and health. The profiling of individuals is therefore not possible through the UID system. अध्यक्ष महोदय, जो यह नोटिफिकेशन आई है उसमें मेरा पहला ऑब्जैक्शन यह है कि इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये आधार की आवश्यकता है। यह आधार क्या है? माननीय उच्चतम न्यायालय कहता है कि Aadhar is not compulsory लेकिन सरकार ने इसमें पहले नम्बर पर यह कहा है कि Aadhar is mandatory. अध्यक्ष महोदय, इसमें आधार मैंडेट्री नहीं हो सकता। यह जस्टिम पुटास्वामी की जजमैंट के खिलाफ है। जजमैंट को सुपरसीड करके सरकार आधार मांग रही है। सरकार किस कैपेसिटी में किसी आदमी का आधार मांग रही है ? सरकार इस बात के लिए आधार नहीं मांग सकती। Speaker Sir, this is very important. In column No.18 Caste Category is mandatory. Why are you asking about the caste? On which basis you are asking about the caste? What is the need to ask the caste? 'UIDAI' prohibits caste and religion. जब आधार की पौलिसी में सरकार नहीं पूछ सकती तो यहां पर क्यों पूछा गया है ? उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपना जवाब देंगे तो वे कहेंगे कि हमने कुछ पौलिसी में बैनीफिट देना है, हमने कुछ करना है, ये बातें उनके जवाब में आएंगी। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कास्ट किसलिए पूछ रही है ? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ओल्ड एज पैंशन में कास्ट की कहां जरूरत है ? जाति क्यों पूछी जा रही है ? उसमें जाति की कोई बात नहीं है। इसके बाद विडो पैंशन में जाति की बात कहां है ? कोई बात कहीं पर नहीं है। इसके बाद 'लाडली' स्कीम में जाति की कोई बात नहीं है। उसमें सब बराबर हैं। सरकार कहती है कि हमने पीडीएस सिस्टम से 20 लाख लोगों को राशन दे दिया, 30 लाख लोगों को राशन दे दिया। वहां तो कास्ट नहीं है। क्या सरकार जाति के आधार पर पीडीएस से राशन देगी ? सरकार हरेक गरीब आदमी को पीडीएस से राशन दे रही है । उसके बाद डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट की बात है। डिसएबल कोई भी हो सकता है। यह जरूरी थोड़ा है कि कोई जाति के हिसाब से डिसएबल होगा और सरकार उसकी जाति पूछेगी। सरकार जो लाभ देती है उसके लिए जाति पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जाति वाले मामले में मैं सबसे बड़ा

प्वॉयंट रखना चाहता हूं कि आज सरकार इस बात का फैसला करे कि सैंटर गवर्नमैंट का वर्डिक्ट ठीक है, सैंटर गवर्नमैंट की बातें ठीक हैं या स्टेट गवर्नमैंट की बातें ठीक हैं ? कल ही एक मैटर में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा है। सैंटर गवर्नमैंट ने अपना एफिडेविट दिया और उसमें यह कहा कि सैंसिज को किसी भी हालत में बिहार के अंदर कास्ट का जो सर्वे हो रहा है, सुपरसिड नहीं कर सकता। जब वहां पर कहते हैं तो स्टेट फैसला कर ले कि हम सैंटर गवर्नमैंट से बड़े हैं। स्टेट फैसला कर ले कि क्या हम यूनियन ऑफ इंडिया से बड़े हैं। हम यहां पर पूछ रहे हैं और वहां वे अपना स्कैन कर रहे हैं। ये अपना स्टैण्ड क्लीयर कर लें जब इसके लिए अपना रिप्लाई दें। उच्चतम न्यायालय का आदेश कानून होता है। परिवार पहचान पत्र अनिवार्य नहीं किया जा सकता। परिवार पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य नहीं है। किसी व्यक्ति की जाति या वर्ग नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, स्टेट गवर्नमैंट यह नोटिफिकेशन इशू कर दे कि हम कास्ट के हिसाब से सैंसिज करवाना चाहते हैं। Then we do not have any objection लेकिन वह पब्लिक डोमेन में पब्लिक डॉक्यूमैंट होना चाहिए। सरकार उसके लिए कानून पास कर दे कि हम कास्ट का सर्वे चाहते हैं, हमारी पार्टी भी कास्ट के सर्वे के लिए कह रही है but not by way of PPP mode which is in the possession of Government. नेक्स्ट प्वॉयंट बड़ा ही इम्पोर्टैंट है। सरकार एक लाख फैमिलीज को आइडेंटीफाई करने के लिए साढ़े 55 लाख फैमिलीज से डाटा मांगती है। मैं हूं या कोई अन्य है जिसे सरकार से किसी बैनीफिट की जरूरत नहीं है तो मैं अपने डॉक्यूमैंट्स सरकार को क्यों डिसक्लॉज करूं ? किस कैपेसिटी में डिसक्लॉज करूं ? अगले कॉलम में PAN number is mandatory. मैं क्यों बताऊं कि मेरा पैन नंबर क्या है ? सरकार मुझसे मेरा पैन नंबर किस कैपेसिटी में पूछ रही है ? सरकार के पास क्या अथॉरिटी है कि वह मेरा पैन नंबर पूछे ? फिर कहते हैं कि पैन नंबर नहीं है तो अपनी इंकम बताओ। हम इसके लिए सरकार को रिफॉर्मेटिव सुझाव भी देंगे। फिर इसके बाद कहते हैं कि आपकी टोटल इन्कम क्या है? जिस आदमी को आपसे कोई रिलीफ नहीं लेनी है तो वह अपनी टोटल इन्कम क्यों बताए? इसमें साढे 55 लाख फैमिलीज ने कोई रिलीफ नहीं लेनी है तो सरकार के पास क्या हक है कि वे फैमिलिज अपनी टोटल इन्कम सरकार को बताएं? मैं अपनी टोटल

इन्कम क्यों बताऊं? इसमें चाहे ए,बी,सी और डी. के अलावा कोई भी हो। इसमें सरकार के बजाए इन्कम टैक्स डिपार्टमैंट तो इन्कम के बारे में पूछ सकता है। यह बात ठीक है कि उनका इन्कम पूछने का राइट है और मेरा रिटर्न भरने का राइट है। इसके बाद टोटल इन्कम की बात आती है। अध्यक्ष महोदय, इस प्वॉयंट पर मैं कहना चाहूंगा कि परिवार पहचान पत्र में टोटल इन्कम के साथ यह भी लिखें कि क्या आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं? यह ऑप्शनल है चाहे आप अपनी इन्कम बताएं या न बताएं? अगर मैंने इन्कम वाला कॉलम नहीं भरा तो इसका मतलब यह है कि मैं सरकार से कोई रिलिफ नहीं लेना चाहता हूं। यानी मैं पी.डी.एस. सिस्टम में नहीं जाना चाहता, स्कॉलरशिप नहीं लेना चाहता और न ही कोई दूसरी स्कीम्ज का बेनिफिट लेना चाहता। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक बड़ा इम्पोर्टैंट प्वांयट कॉलम नं0 25 में है। इसमें लिखा हुआ है कि "total immovable --property mandatory." अध्यक्ष महोदय, सदन में सभी सम्मानित विधायकगण बैठे हुए हैं, इसलिए इनको कहें कि ये अपनी सारी प्रौपर्टी डिक्लेयर करें क्योंकि यह परिवार पहचान पत्र के अन्दर मैनडेट्री है। यह कैसा मजाक है? इसमें कैसे प्रौपर्टी की डिटेल मांग सकते हैं? सरकार की एजेंसी ने परिवार पहचान पत्र एक यूनीक डॉक्यूमैंट बनाया है लेकिन उसमें हमारे से ऐसी इन्फॉर्मेशंज क्यों मांगी जा रही हैं? जो बेनिफिशरीज हैं उनसे ही इन्फॉर्मेशन मांग लीजिए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन क्यों मांगी जा रही है? अब पता नहीं कितने लाख परिवार पहचान पत्र बन चुके हैं। इसके अलावा एक कॉलम एजूकेशन के बारे में है कि आपकी कितनी एजूकेशन है? यह भी मैनडेट्री है। इसमें तो चलो ये एजूकेशन लेवल की बात है। इसके अलावा बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी गयी है। इससे तो लगता है कि पूरा इन्कम सिस्टम और ई.डी. सिस्टम आ गया कि आप सब कुछ डिक्लेयर करें। सरकार द्वारा किस कानून के तहत ये सारी इन्फॉर्मेशंज मांगी जा रही हैं? अध्यक्ष महोदय, आपको इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा। आपको इस बात के लिए करना पड़ेगा कि किस आधार पर यह सब कुछ किया जा रहा है?

डॉ. अभय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बता रहे हैं वह इतना लीगली कैपेबल नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बत्तरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इसमें यह कॉलम में दिया है और मैं इनकी सीट पर डाक्यूमैंट भिजवा देता हूं।

डॉ. अभय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पहले माननीय सदस्य मेरी बात तो पूरी हो जाने दें। Why do not you challenge in the Court of law?

श्री भारत भूषण बत्तरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि it is my right. मैं विधायक हूं और इस सदन ने कानून पास करना है तो मैं इस बात के लिए कोर्ट में क्यों जाऊं ? मैं तो यहीं पर अपनी लड़ाई लड़ूंगा और पब्लिक में जाकर लड़ाई लड़ूंगा कि सरकार यह काम कर रही है। मैं इसके लिए कोर्ट में जाकर क्यों चैलेंज करूं? अगर मैं कोर्ट में चैलेंज करूंगा तो एक्ट को जाकर चैलेंज करूंगा क्योंकि एक्ट पास हो चुका है। आज नोटिफिकेशन आ रही है तो इसके बारे में सदन के अन्दर बोल सकता हूं कि इस नोटिफिकेशन के अन्दर त्रुटियां हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से कहना है कि ये मैनडेट्री कॉलम डिलीट होने चाहिएं। इनमें सिर्फ जो बैनिफिशरीज हैं उनकी ही इन्कम पूछी जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इम्पोर्टैंट यह है कि सरकार ने 39 डिपार्टमैंट्स में 550 पोर्टल्ज खोले हुए हैं। इस पोर्टल पर ही ओल्ड ऐज पैंशन बनवानी है, पी.डी.एस. में सैलेक्ट करना है, विद्यवा पैंशन बनवानी है या दूसरी पैंशन बनवानी है तो उसके लिए पोर्टल पर ही एप्लाई करें। इसके बाद संबंधित लोगों से इन्कम की डिटेल मांग लें और उसके बाद उनको वैरिफाई करवा लें। क्या सरकार पोर्टल पर काम नहीं करती है? सरकार का सब कुछ पोर्टल के हिसाब से ही होता है और उसके लिए सरकार ने 550 पोर्टल्ज खोले हुए हैं। आप पैंशन पोर्टल के माध्यम से बनाएं, हमें इस बात के लिए कोई ऐतराज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने

हरेक चीज के लिए पी.पी.पी. मांग लिया है। माननीय सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक जी फोरैस्ट डिपार्टमैंट से प्लांट खरीदने के लिए गये थे तो वहां पर उन्होंने कहा कि अपना परिवार पहचान पत्र दे दें।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं लाडवा नर्सरी से प्लांट लेने के लिए गया था तो उन्होंने वहां पर पी.पी.पी. मांग लिया।

श्री भारत भूषण बत्तरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उन्होंने किस कैपेसिटी में पी.पी.पी. मांगा है? इसके लिए आधार कार्ड ले लें या आई.डी. ले लें और पैसे लेकर प्लांट्स दे देने चाहिएं लेकिन इनसे पी.पी.पी. मांग लिया।

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि क्या सी.एम. साहब ने पी.पी.पी. बनवा लिया है?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने फैमिली आई.डी. भी बनवाई है और मैंने पैन कार्ड भी बनवा रखा है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी की तो फैमिली आई.डी. बना दी लेकिन सिंग्ल पर्सन की फैमिली आई.डी. बनती नहीं है।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, सरकार की कुछ फंडामैंटल सर्विसिज होती हैं जो स्टेट द्वारा जनता को फंडामैंटल सविर्सिज प्रोवाईड करनी होती है जैसे नया पानी का कनैक्शन है। किसी व्यक्ति ने अपना मकान बनाना होता है। उसमें सीवर का कनैक्शन लेना होता है, ट्यूबवैल का कनैक्शन लेना होता है। जो सरकार को सर्विसिज प्रोवाईड करनी है। इसको यहां तक कर दिया कि आर.टी.आई. की एप्लीकेशन दो तो पहले पी.पी.पी. का नम्बर देना पड़ेगा। अगर तहसील में से रजिस्टरी की कॉपी लेनी हो तो पहले पी.पी.पी. का नम्बर देना पड़ेगा तभी आपको रजिस्टरी की कॉपी मिलेगी। अगर बिजली खराब हो जाती है तो उसकी भी कम्पलेंट करेंगे तो

पहले पी.पी.पी. का नम्बर देना पड़ेगा। अगर आपको सीवरेज की कम्पलेंट करनी हो तो पहले आपको पी.पी.पी. का नम्बर देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, यह essential services हैं इसलिए इन पर पी.पी.पी. एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए । मैंने यह इन्फॉर्मेशन इक्ट्ठी की कि सरकार के जितने पोर्टल हैं, उनको मैजोरिटी पर पी.पी.पी. एप्लीकेबल किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा कि इस परिवार पहचान पत्र का एक्ट पास हो गया इसका डाटा प्रोटैक्टिड है। सरकार ने कानून भी पास कर दिया। सेंटर गवर्नमैंट ने कानून पास कर दिया जिसमें करोड़ों रूपये का फंड रख लिया। सरकार परिवार पहचान पत्र में सभी चीजें मैंडेटरी कंडीशन लागू कर रही है, उनको डिलीट करके एक सिम्पल परिवार पहचान पत्र बनाओ। परिवार पहचान पत्र में से आधार कार्ड को खत्म करो, पैन कार्ड को खत्म करो और इसमें इन्कम कॉलम को भी खत्म करो immovable property को खत्म करो । अध्यक्ष महोदय, यह essential services के लिए परिवार पहचान पत्र मत मांगो। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार ने सारी की सारी कास्ट इन्फॉर्मेशन इक्ट्ठी कर ली। हमारे पास तो कुछ नहीं रहा। सरकार के पास सब कुछ है। सरकार के पास सारा डाटा है कि इस गांव के अंदर इतने बैकवर्ड वर्ग के लोग रहते हैं कितने एस.सी. वर्ग के लोग रहते हैं और इतने जनरल कैटेगरी के लोग रहते हैं। सरकार इनका इस्तेमाल कर रही है। सरकार ने इस बात के लिए सर्वे करवा लिया। इस बात के लिए श्री इन्दु राज जी मुझे बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने ब्यान दिया है कि जो परिवार पहचान पत्र के हिसाब से जिनका जन्मदिन होगा, हम उनको मुबारकबाद देंगे। (शोर एवं व्यवधान) How that data is being shared by you? उस डाटा को एक चीफ मिनिस्टर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस बारे में बतायें। इसका मतलब यह हुआ कि डाटा शेयर हो रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए ब्यान दे दिया कि जिस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ होगा, हम उसको मुबारकबाद देंगे तो डाटा शेयर हो ही गया। डाटा शेयर होने में कौन सी कसर रह गई।

श्री मनोहर लाल : बतरा जी, यह डिपार्टमैंट का काम है।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, एक अधिकारी एक ऊंगली दबाएगा उसके बाद मुख्यमंत्री जी के पास सारा डाटा आ जायेगा कि किस गांव में कितनी आबादी है। इस गांवों में क्या है और क्या नहीं है। सरकार इसके लिए चाहे तो अलग सर्वे करवा ले क्योंकि सरकार के

पास इसकी पावर है। चाहे कास्ट सर्वे करवा लो इसकी भी सरकार के पास पावर है लेकिन सरकार सेंसस को ओवर टेक नहीं कर सकती। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मैं धज्जियों वाला वर्ड रिपीट नहीं करूंगा। यह मामला कोर्ट में जायेगा तो सरकार को बड़ी प्रॉब्लम होगी। सरकार का सारा सिस्टम धड़ाम आकर गिरेगा और यह लाईकली-हूड है कि in view of the judgement of the Hon'ble Supreme Court, यह कॉस्टीट्यूशन बैंच स्टैंड नहीं कर सकता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अभय जी, क्या आप इसके लिए कोर्ट जा रहे हो।

डॉ. अभय सिंह यादव :अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब ने मेरा नाम लिया है। अगर माननीय सदस्य श्री बतरा जी को एतराज है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं।

श्री भारत भूषण बतरा : अभय जी, मैं हाई कोर्ट क्यों जाऊं। मैं विधायक हूं। मैं अपनी बात असैम्बली में रखूंगा। इसके लिए जनता हाई कोर्ट जायेगी या कोई और हाई कोर्ट जायेगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह कहा कि यह मामला कोर्ट में गया। There is no finding in your favour . यह मामला कोर्ट गया था और बाद में विदड्रा हो गया था।

श्री मनोहर लाल : बतरा जी, यह मामला दो बार कोर्ट में गया था एक बार विदड्रा हो गया और एक बार रिजैक्ट हो गया। अगर इसमें कोर्ट की बात आयेगी तो मैं बताऊंगा।

श्री भारत भूषण बतरा : ठीक है, आप उसकी कॉपी दिखा दीजिए। That rejection must not be on merit. यह मैं आज कह रहा हूं। That rejection is never on merit. According to the judgement of the Supreme Court, if any petition is rejected, और लिमनी में उड़ती है तो वह फैसला कभी मैरिट में नहीं होता। आप मैरिट के हिसाब से एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। जब तक रिट पैटीशन के टोटल contents, averment सब कुछ मैरिट पर डिस्कशन न हो, फाइंडिंग न हो तो आप सिर्फ कोर्ट में गये और कोर्ट में वह रिजैक्ट हो गया, चाहे वकील आया या नहीं आया। वकील अच्छा था या नहीं था लेकिन आपने वर्डिक्ट मान लिया कि अदालत का फैसला आपके हक में आया है। I request the Hon'ble Chief Minister through the Hon'ble Speaker कि इसको रिव्यू करके इस पार्लियामैंट सिस्टम के अंदर सदन की एक कमेटी बनाई जाये और ऑफिसर्ज की एक कमेटी

बनाई जाये। इसको रिव्यू किया जाये। मेरा कहना यह है कि संविधान की उल्लंघना किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। यह आर्टिकल 21 की उल्लंघना है। धन्यवाद।

श्री राम कुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, एक बहुत इम्पोर्टेंट मैंटर है इसलिए मैं बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि यह परिवार पहचान पत्र बनवाते ही क्यों हो? What is the purpose? इसका कोई लाभ नहीं है। बिना बात की उलझन कर रखी है। परिवार पहचान पत्र की क्या जरूरत है। मैंने न तो इसे बनवाया और न ही बनवाऊं। (विघ्न)

श्री वरुण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बी.बी. बतरा जी ने जो कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, साथ ही ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाऊस माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि परिवार पहचान पत्र अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। जबकि हर जगह इसको मांगा जा रहा है तो सर यही गलत हो गया। अध्यक्ष महोदय, इन्कम वैरिफिकेशन के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगा रखी है। शिक्षक मुझे मिले। वे कहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वह अंग्रेजी में कमजोर है या मजबूत है अथवा हिंदी में कमजोर है। उसके बारे में तो वह बता सकते हैं। उनके माता-पिता की आय क्या है ? उसका कोई पैमाना कैसे जांचेंगे, वह हमारे पास नहीं है। यह कौन सा तरीका हुआ। मेरे को कह दो कि बताओ इनकी कितनी इन्कम है ? मैं यह कैसे जान लूंगा और उसके बेसिस पर आप कहते हैं कि आपने डेटा तैयार कर दिया। उसके बेसिस पर आप कहते हैं कि कौशल रोजगार निगम में जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उसमें पहले उन्हीं को बुलाया जाएगा, जिनकी सबसे कम इन्कम है। ऐसे में सभी अपनी इन्कम 50,000 से कम दिखाएंगे। वह वैरिफाई हो गई। यह कैसी वैरिफिकेशन है ? उस वैरिफिकेशन का आधार क्या है ? किसी की आय कितनी है, यह जानने का तरीका क्या है ? तो सर जो बेसिस है, वही गलत हो गया। सर, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि लाखों में कम्पलेंट्स आयी थीं जिनमें अब सुधार किया गया। सर, उन्होंने तो अपना गलत नहीं बताया। किसी ने यह तो नहीं बताया था कि मैं मृत हूं और फिर वह जिंदा हो गया। क्या उसका कहीं डेथ सर्टिफिकेट आया था, सर, नहीं आया था। तो क्या किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? किसी की छह-छह महीने पेंशन कट गई और वे भटकते रह गये। उनकी क्या गलती थी ? अगर किसी के खिलाफ कार्यवाही हुई है तो वह बताएं ? सर, आज भी लोग नहीं जानते। सी.एस.सी. सैंटर में मजबूर होना पड़ता है वहां जाना

पड़ता है। सर, सी.एस.सी. सैंटर में कंप्यूटर ऑपरेटर की क्वॉलिफिकेशन पता है आपको कितनी है, वे दसवीं पास हैं । हमारे प्रदेश में दसवीं पास व्यक्ति सी.एस.सी. सैंटर चला रहा है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर । उसको कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री कुछ नहीं चाहिए । गलती वह कर देता है। आय वह गलत लिख देगा, आयु वह गलत लिख देगा। पता वह गलत लिख देगा, नाम वह गलत लिख देगा। भुगतता कौन है, प्रदेश की जनता। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो जापानीज भी सीख ली और हो सकता है हरियाणा में जापानीज पढ़ाने वाले शिक्षक भी होंगे। लेकिन अब आप कह दें जी नहीं, सी.एस.सी. सैंटर में या पी.पी.पी. में लैंग्वेज भी जापानीज चलेगी। तो जनता तो परेशान होगी। जनता को तो नहीं आता। सर, जनता को नहीं आता इसीलिए जनता परेशान है। सर, सी.एस.सी. सैंटर में आज तक बार-बार कहने के बाद भी अभी तक फीस की लिस्ट नहीं लगी। वहां जनता को लूटा जा रहा है। जिस चीज के 50 रुपये लेने हैं, वहां 500 रुपये लगते हैं। सर, अभी आप चैक करवा लें। अभी आप टीम बनाकर भिजवा कर चैक करवा लें कि किस-किस सी.एस.सी. सैंटर के अन्दर लिस्ट लगी हुई है कि कितने पैसे लेने हैं। सर, यह भी सामने आया कि अगर किसी ने अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनाना है। जिस व्यक्ति की शादी हरियाणा से बाहर मान लीजिए पंजाब में हो गई। महिला पंजाब से आई है। उसका भी कहते हैं कि उसका एस.सी. सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। पंजाब में उसका एस.सी. सर्टीफिकेट है लेकिन कहते हैं कि हरियाणा में नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? यह जनता को परेशान करना नहीं है तो और क्या है? जनता को इस प्रकार से क्यों परेशान किया जा रहा है? जो बात माननीय बतरा जी ने कही मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके अलावा जो मेरे इश्यूज थे उनको भी मैंने आपके सामने रख दिया है। धन्यवाद।

श्री नीरज शर्मा : स्पीकर सर, सारे आदमी की जिंदगी डाल दी मशीन में और मशीन में दिल नहीं होता, न ही कोई भावना होती है। सर, मैं आपको एक ऐसा केस के बारे में बताऊंगा जिसको सुनकर इस सदन में बैठे सब लोगों के आंसू आ जायेंगे। इससे पहले किसी ने भी ऐसे किसी केस के बारे में सुना नहीं होगा। यह घटना मेरे पड़ोस में घटित हुई इसलिए मुझे पता है। पवन शर्मा नाम का एक जवान उम्र का बच्चा था। वह मेरे पड़ोस में रहता था। उसकी दोनों किडनी फेल हो गई थी। मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाया। । जिसकी दोनों किडनी फेल हो जाती हैं वह

नौकरी तो नहीं कर सकता। वह अपने माता-पिता का इकलौता लड़का था। जून के अंदर उसकी फैमिली आई.डी. में इन्कम अढ़ाई लाख रूपये दिखा दी गई। हम तुरंत उच्चाधिकारियों के पास पहुंचे। उसके बाद उसके यहां अधिकारियों की एक टीम पहुंची। उस बच्चे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। उसको यह कहा गया कि तू जिस फैक्टरी में काम करता था वहां से लिखवा कर ला तू काम नहीं करता। डेढ़ साल से वह डॉयलाईसिस पर था और उसका ईलाज चल रहा था । जिसने फैक्टरी की नौकरी छोड़ दी हो उसको फैक्टरी वाला कैसे कुछ लिखकर दे सकता है? अधिकारियों ने उसकी सभी चीजें जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि तो गिरवी रख ली। पहले उसकी तनख्वाह अच्छी थी वह अपने मां-बाप से अलग रहता था और उसके मां-बाप अपनी अलग जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। जब बीमार पड़ गया तो मां-बाप के पास ही आयेगा। मां-बाप रखेंगे। उसका बी.पी.एल.कार्ड सिर्फ इस वजह से रिजैक्ट कर दिया कि उसके मकान में बिजली के तीन मीटर लगे हुए हैं। हमने धक्के खा-खा करके उसका बी.पी.एल. कार्ड बनवाया। जो मैंने पहली बार कहा था पैरवी बनाम पैसा। अब उसी बच्चे का बी.पी.एल. कार्ड बन गया। 'न कूब खन्नम पर्यूक्ते प्रदीप्ते ग्रेवाई' पर वो बच्चा तो लुट गया। उसकी किडनी ट्रांसप्लांट करने में पांच लाख रूपये लग गये । अगर यह पी.पी.पी. नहीं होता तो हम डी.सी. साहब के यहां दरख्वास्त लगाकर हम उस गरीब का बी.पी.एल. कार्ड के थ्रू ईलाज करवा लेते। पता नहीं अब उसको मुख्यमंत्री राहत कोष से भी मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी? जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में उसका एक और पोर्टल बन गया। इस सदन के माध्यम से भी मैं उस बच्चे की अर्जी दूंगा। मैं यह चाहता हूं कि यह केस स्टडी भी हो ताकि ऐसी गम्भीर बिमारियों में हरियाणा में कोई दूसरा बच्चा पवन शर्मा न बने। अंतिम लाईन मैं यह कहना चाहूंगा कि कल बहुत चर्चा हुई और कल ही भारत सरकार में तुषार मेहता जी ने एफिडेविट दिया बतरा साहब ने जो बात कही उसकी सिर्फ दो लाईन पढ़ूंगा। सैंसस नहीं भारत सरकार में गृह मंत्रालय ने तुषार मेहता जी के थ्रू जो एफिडेविट दिया है "No other body under the Constitution or otherwise is entitled to conduct the exercise of either census or any action akin to census." तो हमारी तो भाई यही गुजारिश है कि होम मिनिस्ट्री को श्री अमित शाह जी देख रहे हैं। यहां भी भाजपा सरकार है, ऊपर भी भाजपा सरकार है। हम तो मान-सम्मान कर रहे हैं। कम से कम राज्य सरकार

को तो केन्द्र सरकार की भावनाओं का मान-सम्मान करना चाहिए। यह बात ठीक नहीं है कि बिहार के लिए अलग कानून हरियाणा के लिए अलग कानून। बस यही हमारी आपसे अर्ज है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : गीता जी, जो बाकियों ने बोल दिया वह मत बोलना उससे हटकर अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं वही बोलना।

श्रीमती गीता भुक्कल : धन्यवाद, अध्यक्ष जी। परिवार पहचान पत्र को लेकर चर्चा हो रही है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के जबाव में बतरा जी और सभी साथियों की चर्चा सुनने के बाद यह लग रहा है कि परिवार पहचान पत्र वाकई परमानैंट परेशानी पत्र बनकर खड़ा हो गया है। बर्थ से लेकर डैथ तक बहुत सारी जगहों पर यह जरूरी कर दिया गया है। जब बच्चा स्कूल में दाखिला ले रहा है तो बार-बार कहा जा रहा है कि एम.आई.एस. पोर्टल पर उसका परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। एक छोटे से बच्चे का at the time of admission MIS में उसके पोर्टल लगाया जा रहा है शिक्षा के अधिकार के तहत मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, 2009 कानून में आप फीस नहीं ले सकते। एक लाख अस्सी हजार से ज्यादा की अगर आय होगी तो सरकारी स्कूलों में जहां पर मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए वहां पर बच्चों से 500/- रूपये फीस ली जा रही है। कश्मीरी माईग्रेंट्स का केस निकलकर आया कि परिवार पहचान पत्र में उनके कोटे का जो एडमिशन होना चाहिए जब उन्होंने करने का प्रयास किया तो पोर्टल पर उनको कोई जगह ही नहीं मिली। उनको एडमिश्न मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक बात को रिपीट किया जाना इसलिए बेहद जरूरी है कि देश के Constitutional Bench के द्वारा जब कहा गया है कि Right to Life and Liberty में या privacy में व्यक्ति interfere नहीं कर सकता तो Why the Government is doing and collecting all the data? उनको क्यों चाहिए बहुत सारी मैनडेटरी इनफर्मेशन जो हम लोग नहीं देना चाहते। तो why the Government is doing this and collecting all the data. सरकार को क्यों चाहिएं बहुत सारी मैंडेट्री इन्फोर्मेशन जो हम देना ही नहीं चाहते या हम किसी चीज का लाभ भी नहीं लेना चाहते। बहुत सारे कर्मचारियों को कह दिया गया कि आप परिवार पहचान पत्र बनवाइये

अन्यथा आपकी इन्क्रीमैंट रोक दी जायेगी। हम लोग गांवों में जाते हैं तो बहुत सारी महिलाएं हमें कहती हैं कि हमने परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाये इसलिए हमारी विधवा पैंशन काट दी गई या हमारे बी.पी.एल. के कार्ड काट दिये गये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि जिन पैंशन्ज के लिए मैंडेट्री हैं, बुढ़ापा पैन्शन है या दूसरी चीजें हैं जिनके लाभ लेने के लिए मैंडेट्री है वहां तो आप परिवार पहचान पत्र को जरूरी कर दें बाकी सभी जगह जरूरी क्यों किया गया है? जब आधार कार्ड भी जरूरी नहीं बताया गया है तो इसको कम्पलसरी क्यों किया जा रहा है? Unique Identification Authority of India ने भी यह कहा है कि किसी भी व्यक्तिगत की जानकारी के बारे में नहीं पूछा जा सकता है। धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग, आमदनी व सम्पत्ति, पैन कार्ड व पूंजी आदि के बारे में नहीं पूछा जा सकता है तो परिवार पहचान पत्र के लिए यह क्यों जरूरी है कि इस तरह की इन्फोर्मेशन हम बार-बार लेने का काम कर रहे हैं। अब हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी के द्वारा शिड्यूल जारी किया गया है। अभी सत्ता पक्ष के विधायक डॉ. अभय सिंह यादव जी कह रहे थे कि आपको दिक्कत है तो आप कोर्ट चले जायें। सबसे पहले तो आप यह सूची पढ़ लीजिए कि इसमें क्या-क्या चीजें मैंडेट्री कर दी जो कि भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट या जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं हैं कि वह सूचना हम बतायें। पैन कार्ड आप कह रहे हैं, टोटल इम्मूवेबल प्रॉपर्टी है बैंक अकाउंट है। मुख्यमंत्री जी ने सत्र से पहले घोषणा की थी कि जो विधुर हैं या अविवाहित हैं उनके लिए भी हम पैन्शन शुरू करेंगे। सबसे पहले तो उनको परिवार पहचान पत्र बनवाना पड़ेगा क्योंकि आप परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर रहे हैं।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि हमने सभी के परिवार पहचान पत्र बनवा दिये हैं इसलिए अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आयेगी।

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बारे में अनुरोध है कि हमें इस चीज को मानना चाहिए कि इस तरह की जो ऐजेन्सीज हैं जो बनाई जाती हैं उस डाटा की सिक्योरिटी का सरकार ने क्या इंतजाम किया है? कितने बड़े-बड़े डाटा लीक हो गये हैं। बहुत तरह के मामले हुए हैं जिनमें बहुत सारी इन्फोर्मेशन लीक हो गई है। मान लीजिए मैं कोई इन्फोर्मेशन देती हूं तो it is the duty and responsibility of the Government to make it sure कि वह किसी के पास लीक

न हो। मुख्यमंत्री जी ने अभी सदन में कहा कि हां मैं सभी को जन्मदिन पर बधाइयां भेजूंगा। इसका मतलब यह है कि यह जो डाटा है इसका एक्सैस बहुत सारे लोगों के पास है। अभी कल का जो जिक्र आया है सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया है कि Centre tells the Court only it can conduct the census. The Centre on Monday told the Supreme Court that the Census Act, 1948 empowers only the Central Government to conduct the census. In short, Affidavit filed in the Bihar case survey matters the Centre says, the census is the statutory process and is governed by the Census Act, 1948. It is submitted that the subject of the census is covered in the Union list. तो इसमें जो हमारी जरूरत ही नहीं है तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आवश्यकता आ पड़ी कि हमने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को इसी काम में लगा रखा है, सर्वे में लगा रखा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यही कहना है कि जिस चीज की आवश्यकता ही नहीं है वह ना किया जाये। अब तक लगभग 500 से 550 पोर्टल हो चुके हैं। उनमें से जिस तरह से क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं चलता उसी तरह से दूसरे पोर्टल भी नहीं चलते होंगे। जब पोर्टल ही नहीं चलते हैं तो सही लोगों को सही लाभ नहीं मिल पायेगा। दूसरी बात सही है कि हमारे कुल एक डेढ़ लाख परिवार ऐसे हैं जो हमारी इन सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं वे जरूर परिवार पहचान पत्र बनवा लें और अपने लाभ प्राप्त करें। जिनको इनका लाभ चाहिए ही नहीं तो वे अपनी इन्फोर्मेशन क्यों शेयर करें? इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी सूचना प्रोवाइड करवा सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि परिवार पहचान पत्र की दिक्कतें माननीय विधायक श्री जगबीर सिंह मलिक जी ने भी तथा और सदस्यों ने भी बहुत विस्तार से बताई हैं। इसमें लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। यह नहीं कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजैक्ट है और जिद पकड़ कर सभी लोग हां भरते रहें। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। कृपा उनके समाधान के लिए सरकार इसका संज्ञान ले और परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने का काम करे। धन्यवाद।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकों से पूछ लिया जाये कि परिवार पहचान पत्र के बारे में विधायक क्या चाहते हैं।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मै जनता में गया हूं और मैंने 70 गांवों में जा कर पूछा है। 98 प्रतिशत लोगों ने अपना परिवार पहचान पत्र बनवाए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, विषय कई प्रकार के आ गये हैं। उसमें दोनों प्रकार की बातें हैं जिसमें एक तो यह विषय आया है कि परिवार पहचान पत्र को बनाने की आवश्यकता क्यों है। यह विषय भी आया कि इसको बनाने के पीछे का आईडिया या सोच क्या है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं। दूसरा इसको बनाने में जो कमियां बताई गई लीगल, संवैधानिक या बाकी और चीजों को साथ जोड़कर के उसका विषय भी आया इसलिए विषय लम्बा है तो मैं पहले ऐसे विषय पर बात करूंगा जैसे हुड्डा साहब भी कई बार कहते हैं कि हम अपना विरोध तो जता सकते हैं फिर भी आप करोगे क्योंकि आपकी मैजोरिटी है। अब मैजोरिटी से कानून पास हो जाते हैं, मैजोरिटी से पॉलिसिज बन जाती हैं, मैजोरिटी से रूल्ज पास हो जाते हैं। अब उसके बाद विपक्ष के पास कुछ बचता है या नहीं बचता है इस पर विचार करना है। इसमें विपक्ष का बचता क्या है उसको चेलेंज करने के लिए लीगल फॉर्म्स बहुत हैं और लीगल फॉर्म्स पर पहले भी उदहारण दिये गये कि आधार भी सुप्रीम कोर्ट में गया और अब ये एक्ट भी गया, एक्ट के प्रोविजन भी गये। आखिर अल्टीमेटली जब विवाद होता है तो एक वाक्य कहा जाता है कि let us agree to disagree जहां डिस्एग्री होंगे तो उसका समाधान अल्टीमेटली एक लीगल फॉर्म होता है, वहां जाकर हो सकता है। यहां शायद बहस से कुछ नहीं निकल पाता है। मैं उससे भी एक शानदार बात बताता हूं कि सब पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक ने देखना है कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना है ?

'कबीरा तेरी झोंपड़ी, गल कटियन के पास। जो करेंगे, सो भरेंगे, तूं क्यों भयो उदास।'

(विघ्न) हम गलत कर रहे हैं तो हम भरेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, अगर विपक्ष नहीं होगा तो सरकार अपनी गल्तियों को कैसे सुधारेगी ? (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : आप तो कह रहे है लेकिन हम जो कर रहे हैं अगर उससे जनता का नुकसान होगा तो हमने जनता के पास भी जाना है। आप इसके विरोध स्वरूप जनता के बीच जाएंगे लेकिन हम जनता के बीच इसका समर्थन करने जाएंगे। (विघ्न) आप इसका विरोध करेंगे और हम इसके पक्ष में बोलेंगे।(विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उनकी बात नहीं सुनते। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि- ' **इस दौर का फसाना यही है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है।'** यह काम सत्ता पक्ष का है।

श्री मनोहर लाल : 'खुद में खामियां हैं, और दूसरों से जलते हैं। चेहरा धो नहीं सकते, आईनें बदलते हैं।'

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, आप तो आईनें बदलते रहेते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जब यहां पक्ष-विपक्ष का वाद-विवाद होता है तो उसका और क्या रास्ता है। आप कह रहे हैं कि यह मामला ज्यूडिशियल है। हरियाणा में जो मामला हुआ है उसकी माननीय हाई कोर्ट के जज से ज्यूडिशियल इंकवायरी करवा लो। आप वह भी नहीं करवाते। बाहर आकर गृहमंत्री जी कुछ ब्यान दे देते हैं, आप कुछ ब्यान दे देते हैं और आप यहां कुछ ब्यान दे देते हो।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जब कोई आवश्यकता महसूस करेंगे तब हम करेंगे। आप आवश्यकता समझते हैं तो आपके लिए भी फॉर्म है आप भी उसमें चले जाओ उसमें दिक्कत क्या है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, यह तो आपने कराना है।

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, यह आप भी करा सकते हैं। (विघ्न) मैं बता रहा हूं। विषय तो अब शुरू हुआ है। अभी तक तो मैं भूमिका बता रहा था। अध्यक्ष महोदय, जो भी कमियां बताई जाएंगी उसमें हमें बहुत आपत्ति इसलिए नहीं है कि विपक्ष ने अपने चश्में से उनको बताना है और हमने उसको अपने हिसाब से देखना है कि कौन सी चीज ठीक है और कौन सी गलत है। यह तो एक परम्परा है जिसमें सुधार लाना है। हम पिछले सालों में जितने व्यवस्थात्मक

सुधार लाए हैं मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस सरकार ने कभी उस व्यवस्थात्मक के बारे में सोचा भी हो। हम बहुत सी नीतियां, नये एक्ट और बहुत सी नई चीजें लेकर आए हैं और उनके लाने के पीछे मैं एक संवैधानिक तर्क देता हूं। हम संविधान की बात करते हैं। संविधान में डायरैक्टिव प्रिंसिपल्ज की बात है और डायरैक्टिव प्रिंसिपल्ज के दो पार्ट हैं। उसका पहला पार्ट यह कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय जीवन की सभी संस्थाओं को अनु प्रमाणित करे। वह सब प्रभावी रूप से स्थापना संगठन, संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृत्ति का प्रयास करें। आखिर लोक कल्याण की जो जिम्मेवारी होती है वह स्टेट की होती है और डायरैक्टिव प्रिंसिपल्ज संविधान के भाग-4 में लिखा हुआ है। और उसका पार्ट-2 क्या कहता है, पार्ट-2 कहता है कि राज्य, विशेषतया: आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधायें और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। यह जो शब्द मैं बता रहा हूँ, यह संविधान के अंदर लिखे हुए हैं। जब ये शब्द संविधान में लिखे हुए हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए हर सरकार कुछ न कुछ अपनी योजनायें बनाती है। योजना प्रदेश सरकार भी बनाती है और केन्द्र सरकार भी बनाती है। जनता के सामने उनको पब्लिश भी किया जाता और बताया भी जाता है। अभी तक स्थिति क्या थी, जनता को कहा जाता था कि यह स्कीम है, जिसको लेनी है आओ और उस स्कीम को लेने के लिए जनता खिड़की पर लगी रहती थी। खिड़की पर जाकर के, अब मैं शब्दों का प्रयोग थोड़ा सोच समझकर कर रहा हूँ, जो दबंग व्यक्ति होते हैं, वे तो वहां हर चीज का लाभ लेने पहुंच जाते हैं चाहे पात्र हो या अपात्र हो। अपात्र लोग भी गलत सूचनायें देकर, सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आ जाते हैं और जो पात्र लोग होते हैं, कमजोर लोग होते है या गरीब लोग होते हैं, पहले तो उनको कोई लाइन में लगने नहीं देता है, लग जाये तो धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। किसी तरीके से यदि वह पहुंच भी जाता है तो वहां एक क्लर्क कहता है कि यह कोमा गलत है या फुल स्टॉप गलत है या फिर आपके फार्म में यह चीज गलत है और कह दिया जाता है कि फिर आना। अध्यक्ष महोदय, महीने बाद वह गरीब आदमी, उन चीजों को ठीक करके ले जाता है और महीने बाद फिर उसको उसी तरह का जवाब

मिलता है। वह तीन-चार बार जाने के बाद आखिर में कहता है कि भाड़ में जाये तुम्हारी योजना मैं तो रूखी-सूखी खा लूंगा। इसका कारण यह होता है कि वह गरीब आदमी स्वाभिमानी होता है। यह गरीबी हटाओ का जो नारा है, मैं 1970 में जब कालेज में पढ़ता था तब से यह नारा सुनने लग रहा हूँ कि गरीबी हटाओ-गरीबी हटाओ-गरीबी हटाओ लेकिन किसी ने गरीबी हटाने का प्रयास नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमने एक-एक व्यक्ति तक पहुंचने का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान) मैं जो बता रहा हूँ, उसको, इन लोगों को सुन लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को सुनने का दम रखना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) मैं फिर इन विपक्ष के साथियों का कहना चाहता हूँ कि इन्हें सुनने का दम रखना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे विपक्ष के साथी शोर मचा रहे हैं, इस मौके पर मैं शेर के अंदाज में एक बात कहना चाहूंगा कि :-

ये जब्र भी देखा है-तारीखों की नज़रों ने,
लम्हों ने खता की थी-सदियो ने सजा पाई।।

यह जो गरीब लोग सजा पा रहे है, यह इसलिए है क्योंकि इन लोगों के समय में इनकी अवहेलना की गई थी। गरीब को गरीब रखा गया और गरीब को वोट बैंक के नाते से उपयोग करने का काम किया गया लेकिन हम इस धारणा के प्रतिकूल, गरीब आदमी का जीवन स्तर उठाने की तरफ आगे बढ़े हैं। अध्यक्ष महोदय, पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने कहा था कि अगर आप समाज के सुख की कल्पना करना चाहते हो तो समाज में जो अंतिम व्यक्ति लाइन में खड़ा है, सबसे पहले उसकी चिंता अंत्योदय भाव से करो। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन विपक्ष के लोगों ने बहुत कुछ बोला है, अब मुझे मेरी बात तो पूरी बोलने दें ताकि मैं अपने विषय को पूरा कर सकूं। मैं सदन में पहले तो गरीब आदमी की जरूरत बता रहा हूँ। इसके बाद प्रावधानों के बारे में एक एक करके बताउंगा।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, 6 बज गए हैं, अब मुख्यमंत्री जी क्या बतायेंगे ?

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, 6 बज गए तो क्या हुआ चाहे रात के 11 बज जाये, मैं सारी बात बताउंगा। (शोर एवं व्यवधान) आज मुझे पता है कि ये लोग भी मुझे बीच में बोलने से टोकेंगे नहीं और हर बात का जवाब देना मेरा काम है और मैं हर बात का जवाब भी दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मलिक साहब, वैसे तो आप कहते रहते हो कि टाइम नहीं लेकिन आप सुनते भी तो नहीं हैं। किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो आप चर्चा से भागते हो। (शोर एवं व्यवधान) अब आप फिर बीच में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी की बात तो सुनते नहीं हो। (शोर एवं व्यवधान) मलिक साहब, मुख्यमंत्री जी, जवाब दे रहे हैं। आप लोगों ने अपनी बात कह ली लेकिन अब मुख्यमंत्री जी की बात को भी तो आप लोगों को सुनना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मलिक साहब ने परिवार पहचान पत्र को खत्म करने की बात कही और मैंने उस गरीब आदमी के लिए दरख्वास्त देने वाली परंपरा को खत्म करने वाली बात कही। मैंने गरीब आदमी का दफ्तरों में जाकर चक्कर काटने बंद कराये। मैंने उसको दस्तावेज देने के काम को बंद कराने का काम किया और मैंने बीच के एजेंटों को बेरोजगार करने का काम किया। **(इस समय सदन में मेजें थपथपाई गई।)** इसलिए इस परिवार पहचान पत्र के नाम से हमने जनवरी, 2023 तक साढ़े बारह लाख नए राशन कार्ड, लोगों को घर बैठे देने का काम किया है। यह बहुत दिन की बात नहीं है। लोगों ने राशन कार्ड बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाये क्योंकि लोगों को पता है कि अगर दफ्तरों में जायेंगे तो क्या पता उनके राशन कार्ड बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्या पता कोई उनको दफ्तरों के अंदर जाने देगा या नहीं तो इस वजह से लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए जाते ही नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का खेल इन

विपक्ष के लोगों के टाइम से ही चल रहा था। हम भी बहुत प्रयत्न करके काफी देर से इस सिस्टम को यहां तक ला पाये हैं। हमें इस काम में वर्षों का समय लगा है। हमने पहचान की है कि कौन गरीब है और एक साथ साढ़े बारह लाख लोगों को राशन कार्ड पहुंचाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोगों ने कहा कि लोगों से इंफारमेशन क्यों लेते हो, यह इंफारमेशन इसलिए ली गई क्योंकि 275000 परिवार हमें ऐसे मिले जिन्होंने इंकम होने की वजह से, इंकम टैक्स रिटर्न भरी हुई थी और फिर भी वे बी.पी.एल. राशन कार्ड का फायदा ले रहे थे। 80000 परिवार ऐसे मिले जिनके घर से कोई न कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी लग चुका था। यह सारा डाटा हमारे पास आ गया है। आखिरकार जब इस तरह के अपात्र लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं और पात्र लोग सरकारी योजनाओं से दूर रहते हैं और उसको समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, इस तरह की चीजों की पीड़ा हम अच्छी तरह से समझते हैं। इ पीड़ा को खत्म करने के लिए हमने परिवार पहचान पत्र बनाये। वैसे गलत के भी और ठीक के उदाहरण तो बहुत मिल जायेंगे कल सदन में विपक्षी पार्टी ने इस संबंध में रोहतक के मेयर और राज्यसभा सांसद के उदाहरण दिये थे। मैं इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के समय की डेट तो नहीं बता सकता लेकिन नाम जरूर बता सकता हूं। रोहतक में डिप्टी कमिश्नर श्री आर.एस. दून होते थे, उस समय के नाम मेरे पास है जिनमें से एक-दो व्यक्ति तो भगवान को प्यारे हो गये हैं। उनमें से एक डॉक्टर अरूण नरूला, जो रोहतक में Narula Diagnostic Centre चलाते थे। इतने बड़े डॉक्टर होने के बावजूद भी उनका नाम उस समय बी.पी.एल. लिस्ट में था। यह बात अलग है कि बाद में उन्होंने अपना नाम कटवा दिया। श्री जोगिन्द्र सिंह टाईगर, आई.पी.एस. उसका नाम भी उस समय बी.पी.एल. लिस्ट में था। (विघ्न)

18.00 बजे

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैन्यूअल सिस्टम था, अब तो पोर्टल हो गया है। अब सरकार से क्यों गलती हो रही है।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष यदि यह अपेक्षा करते हैं कि मैन्यूअल सिस्टम में गलती हो जाया करती थी और पोर्टल में नहीं होनी चाहिये। मैं दावे के साथ यह कहता हूं कि पोर्टल टैक्नॉलोजी पर आधारित है, इसलिए गलतियां जितनी जल्दी होती हैं उतनी जल्दी पकड़ी

भी जाती हैं और ठीक भी की जाती हैं। आने वाले दो-तीन महीने में इस सिस्टम में बहुत ज्यादा सुधार हो जायेगा।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता को बेवजह किसी का नाम नहीं लेना चाहिये था। सदन के नेता ने कहा है कि श्री जोगिन्द्र सिंह टाईगर, आई.पी.एस. है और उसका नाम पर बी.पी.एल. लिस्ट में था। इस तरह से नाम नहीं लेना चाहिये।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, कार्ड बनाने वाला अधिकारी/कर्मचारी अपने हस्ताक्षर करता है तभी बी.पी.एल. कार्ड बनता है।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, हमने जो इस संबंध में रोहतक के डॉक्यूमैंट्स पेश किये हैं वे सरकार के समय के हैं। सदन के नेता को इस तरह से किसी का नाम नहीं लेना चाहिये।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, डॉक्यूमेंट में जो उनकी इंकम दिखाई गई है, उसकी वैरीफिकेशन ठीक है। उनका बुढ़ापा पेंशन का जो विषय था, वह तकनीकी गलती के कारण हुआ है और उसे हमने देख लिया है और ठीक भी करवा दिया है।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता भी कह रहे हैं कि गलती के कारण हुआ है तो उस समय भी गलती से हुआ होगा। मैं सदन से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उस समय बी.पी.एल. का लाभ ले लिया था? इस प्रकार से सदन के नेता को किसी का भी नाम नहीं लेना चाहिये।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, गलतियां आज भी हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि 'परिवार पहचान पत्र' गलत है। जो गलतियां हैं उनको ठीक करेंगे और हमारा काम भी गलतियों को ठीक करने का है। बहुत सारी गलतियों को ठीक भी कर दिया गया है। अभी मेरी एक बहन ने कहा था कि पहले इस सिस्टम में बहुत सारी गलतियां दिखती थी लेकिन अब उतनी नहीं दिखती है। मुझे भी इस बात का पता है और हमने इसका प्रावधान करना भी शुरू कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आज भी यह कहता हूं कि किसी को भी कोई कमियां दिखाई देती है तो उनको अगर

वे प्रफू के साथ डॉक्यूमेंट्स देंगे तो उनको तुरंत ठीक करवायेंगे। हमें कोई भी शिकायत कहीं से भी मिलती है तो जितना संभव हो सके उतनी जल्दी ठीक करवायेंगे।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता सिर्फ सदन को यह बता दें कि क्या इस संबंध में पैन कार्ड मैंडेट्री मांग सकते हैं? क्या कार्ड सर्वे मैंडेट्री कर सकते हैं? क्या आधार कार्ड मैंडेट्री ले सकते हैं? क्या किसी भी प्रॉपर्टी की डिटेल्ड रिपोर्ट ले सकते हैं? इससे सदन का समय भी बच जायेगा और क्लीयर जवाब भी मिल जायेगा।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि पैन कार्ड ले सकते हैं या नहीं। हमने उसमें पैन कार्ड पूछा है और यह पूछा है कि आप देना चाहे तो दें, नहीं देना चाहते हैं तो ना दें। इस फॉर्म के कोष्ठक में 'यस' और 'नो' लिखा हुआ है। हम कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ सकते हैं। हमें या तो 'यस' लिखना पड़ेगा या फिर 'नो' लिखना पड़ेगा।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, इसमें 'यस' लिखा है तो दो, यह फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि यदि आधार कार्ड नहीं है तो फिर इंकम लिखो।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, इंकम सारी स्कीम्ज के ऊपर आधारित होती है। इंकम के ऊपर आधारित होने के नाते से अगर इस सर्विस का किसी ने लाभ लेना है तो वह अपना पैन कार्ड बतायेगा।

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी कहना है कि हम पैन कार्ड किस कैपेसिटी में पूछ सकते हैं।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, हमें जो सेवाएं जनता को देनी है, उसकी इंकम क्या है, इसकी जानकारी लेने के बाद ही योजना का लाभ उसे दे सकते हैं अन्यथा नहीं। हर स्कीम में यह होता है कि अगर इतनी इंकम होगी तो यह लाभ मिलेगा अगर इतनी इंकम हो गई है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आखिर हमें इस चीज का पता तब लगेगा जब वह अपना मोस्ट ऑथेंटिक डाटा इंकम टैक्स में भरता है। केवल कर्मचारी तो सच्ची स्टेटमैंट भर सकता है क्योंकि उसकी सैलरी स्लिप होती है। हमें बैकवर्ड क्लासिज के लोगों से बहुत-सी शिकायतें

मिलती हैं कि आप क्रीमीलेयर को कम करो, ज्यादा करो। हमने कहा कि क्या फर्क पड़ता है ? कहने लगे कि नहीं, नहीं जो व्यापारी है और जो अपना व्यक्तिगत काम करता है वह तो अपनी स्टेटमैंट सही नहीं दिखाता है, वह तो कम दिखाता है। जो कर्मचारी है उसकी पूरी स्टेटमैंट दिखाई जाती है। इसमें सत्यता हो सकती है लेकिन अल्टीमेटली इन सब स्कीमों का इंकम एक आधार है। कल को हमें कोई पैंशन देनी है, उसका भी आधार है। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में कितने लोग पैंशन ले रहे हैं ? दुकानदार हैं, उद्योगपति हैं और लोग हैं उनका पैन सरकार किस कैपेसिटी में मांग रही है ? इसमें उन्होंने तो सरकार से कुछ लेना ही नहीं है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं इंकम नहीं लिखी है। हम केवल यस ओर नो में मांग रहे हैं। अगर वह यस लिखता है तो हम उसकी इंकम की जानकारी नहीं मांग रहे।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, it is written in column No.24 'total annual income' Optional if PAN number provided. Mandatory if PAN number not provided. आप पैन नंबर लेकर इंक्वॉयरीज करवाओगे क्या ? (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमें तो यह है कि अगर उनके पास इंकम टैक्स का पैन नंबर है तो इसके होने के बाद वह कम-से-कम हमारी स्कीम्ज से बाहर हो जाएगा। अगर वह नो लिखता है तो हम जानकारी लेकर उसको स्कीम में ले सकते हैं। हमें तो इंकम से रिलेटिड चीजें पूछनी हैं। बाकी बेसिक क्वालीफिकेशंज हैं उसमें उनका क्या नाम है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है ये मेंडेट्री चीजें हैं। इनके बिना हम क्या करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि इसमें आपने बहुत सारी ऐसी इंफर्मेशंज मांगी हैं जो सरकार नहीं मांग सकती और न ही मांगनी चाहिए। अत: इसका एक ही समाधान है कि आप असैम्बली की एक सिलैक्ट कमेटी बनाओ। वह कमेटी देखेगी कि इसमें कौन-सी चीज जरूरी है और कौन-सी नहीं। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हम बहुत-सी चीजें लागू कर चुके हैं। आज इस लैवल पर इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने का कोई कारण नहीं बनता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इसे मैंने छोड़ने की बात तो कही ही नहीं। (शोर एवं व्यवधान) रूल्ज की बात हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हम आज की डेट में इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर नेता प्रतिपक्ष को इसमें कोई चेंज करवाना है तो अगले सैशन में ..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार को इसमें चेंज नहीं करना है तो फिर यहां एम.एल.एज. किसलिए बैठे हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कह रहा हूं ? एम.एल.एज. बैठे हैं, ऐतराज कर रहे हैं लेकिन हम नहीं मान रहे। क्या करेंगे ? (शोर एवं व्यवधान) हम नहीं मान रहे।

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, अब आप बैठिये, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। अत: अब इस विषय को छोड़िये।

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष से एक सवाल है। वे कह रहे हैं कि सिलैक्ट कमेटी बनाओ। आप इस चेयर पर बैठे हो और वे 2 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कॉलिंग अटैंशन मोशन पर सिलैक्ट कमेटी कब से बनने लग गई ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, Rules have been placed on the floor of the House और रूल्ज रख दिए गए हैं तो रूल्ज फाइनल हैं। फाइनल होने के बाद अगर विपक्ष को इसमें कोई परिवर्तन करवाना है तो अगले सैशन में आकर अमैंडमैंट दे सकते हैं अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

वॉक आउट

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार पीपीपी में खामियों को दूर करने के लिए इस विषय को सिलैक्ट कमेटी में नहीं भेजती है तो हम इसके विरोध में सदन से वॉक आउट करते हैं।

(इस समय इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य परिवार पहचान पत्र में त्रुटि सुधार के लिए आम जनता के समक्ष आने वाली समस्याओं बारे मुख्यमंत्री द्वारा पीपीपी में खामियों को दूर करने के लिए इस विषय को सिलैक्ट

कमेटी में भेजने के उनके सुझाव को न मानने के कारण इसके विरोध में सदन से वॉक आउट कर गये ।)

नेवा पोर्टल के माध्यम से हरियाणा विधान सभा की लोक लेखा समिति की 88 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री वरूण चौधरी, विधायक, चेयरपर्सन, लोक लेखा समिति वर्ष 2023-24 के लिए लोक लेखा समिति की 88वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे ।

चेयरपर्सन, लोक लेखा समिति (श्री वरूण चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए हरियाणा सरकार के विनियोग खातों/वित्त खातों पर तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा पर वर्ष 2022 की रिपोर्ट संख्या 4 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ऊर्जा और बिजली, उद्योग और वाणिज्य और शहरी विकास समूहों के अनुपालन लेखापरीक्षा की रिपोर्ट पर वर्ष 2023-24 के लिए लोक लेखा समिति की 88वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं ।

नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन के पटल पर कागज पत्र रखेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं नेवा पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित कागज पत्र सदन के पटल पर रखता हूं-

हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारियों (सेवा की भर्ती एवं शर्तें) अधिनियम, 2018 की धारा 26 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार मानव संसाधन विभाग अधिसूचना संख्या 01/07/2023-2 सी.सी-आई, दिनांकित 18 मई, 2023 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 की धारा 45 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नागरिक संसाधन सूचना विभाग अधिसूचना संख्या 02/06/2022-1 सी.आर.आई.डी, दिनांकित 8 अगस्त, 2022 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 की धारा 46 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नागरिक संसाधन सूचना विभाग अधिसूचना संख्या एच.पी.पी.ए./रजि०-01, दिनांकित 28 अगस्त, 2023 मेज पर रखेंगे।

हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 की धारा 46 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नागरिक संसाधन सूचना विभाग अधिसूचना संख्या एच.पी.पी.ए./रजि०-02, दिनांकित 28 अगस्त, 2023 मेज पर रखेंगे।

विधायी कार्य-

(क) विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक

1. हरियाणा माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा

माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाए।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं-

> कि हरियाणा माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

> कि हरियाणा माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

> कि हरियाणा माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉजिज 2 से 27

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉजिज 2 से 27 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब क्लॉज 1ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं-

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
(विधेयक पारित हुआ।)

2. हरियाणा वाद्य (शोर नियन्त्रण) निरसन विधेयक, 2023

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय गृह मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा वाद्य (शोर -नियन्त्रण) निरसन विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाए।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय: मैं प्रस्ताव करता हूं-

कि हरियाणा वाद्य (शोर- नियन्त्रण) निरसन विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि हरियाणा वाद्य (शोर- नियन्त्रण) निरसन विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि हरियाणा वाद्य (शोर- नियन्त्रण) निरसन विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 3

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय गृह मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं-

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
(विधेयक पारित हुआ।)

3. हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक, 2023

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय गृह मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं-

कि हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक 2023 पर तुरन्त विचार किया जाये

।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक 2023 पर तुरन्त विचार किया जाये

।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक 2023 पर तुरन्त विचार किया जाये

।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन विधेयक पर क्लॉज-बाई-क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज-2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि क्लॉज-1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,अब माननीय गृह मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं-

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि विधेयक पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
(विधेयक पारित हुआ।)

---

4. सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाए।

मुख्यमंत्री(श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं-

कि सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री वरुण चौधरी(मुलाना,अ.जा.): अध्यक्ष महोदय, दो साल पहले पंचकुला में भी इसी प्रकार का प्राधिकरण बना था। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका औचित्य क्या है? एक तरफ तो हम कहते हैं कि स्थानीय निकाय कि ये तीसरी स्तर की सरकार है। इसको हमें अधिक से अधिक स्वतंत्र बनाना है। इसको अधिक से अधिक मजबूत बनाना है। चुने हुए प्रतिनिधियों की वह सरकार होती है। उसके ऊपर प्राधिकरण बना दिया जाएगा तो जो काम वे कर सकते हैं, वह भी नहीं हो पाता है। सर, इस प्राधिकारण के बारे में क्या कोई अध्ययन हुआ है ? सर, पुलिस कमिश्नरेट बना, क्या इसके बनने के बाद क्राइम घटता है ? इसका क्या लाभ हुआ यह जानकारी होनी चाहिए ? सर, ऐसे ही ये जो प्राधिकरण हैं ये अच्छाई के लिए बने हैं, लेकिन कुछ पता तो चले कि जहां पहले बने उनसे क्या फायदा हुआ, इस बारे अध्ययन होना चाहिए। अध्ययन करने के बाद मैं कहता हूं सभी शहरों में प्राधिकरण बना दिया जाए, पर अध्ययन तो होना चाहिए कि इसके बनने से क्या लाभ हुए हैं ? हमारी जानकारी के मुताबिक इसके बनने से काम रूके हैं और जो चुने हुए प्रतिनिधि निगम के अन्दर काम करना चाहते हैं, वे भी काम नहीं हो पाते हैं बल्कि काम रूकते हैं। कारपोरेशन और प्राधिकरण आपस में लड़ते रहते हैं। इसके बनने से क्या लाभ हो रहा है ? मेरा यही कहना है कि प्राधिकरण बनाकर सरकार क्यों लड़ाई करा रही है। सर, इस बिल पर मेरा यही कहना है।

श्री नीरज शर्मा(फरीदाबाद,एन.आई.टी): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हमारे फरीदाबाद में भी प्राधिकरण बना और सरकार सबका साथ-सबका विकास की बात करती है। इन प्राधिकरणों में सब चीजें एक एंगल से देखना है। अब हमारे यहां क्लॉज लगा दिया कि इतने फुट से कम की सड़क प्राधिकरण में नहीं आएगी। प्राधिकरण उसमें कोई काम नहीं करेगा। प्राधिकरण के पास रेवेन्यू तो आधा जा रहा है और जिम्मेदारी हमारी नगर निगम फरीदाबाद की है। हमारी एन.आई.टी. 86 विधानसभा में यहां नगर निगम पिछले डेढ़-दो साल से दो तरह की फाइलें पास कर रहा है। इस संबंध में मैं कई बार मैं प्रश्न भी लगाता हूं। एक फाइल तो सीवरेज के टैंडर की और एक सफाई की बाकी डिवैल्पमैंट के नाम पर नगर निगम कुछ नहीं कर रहा है। मैं तो इस भरे हाऊस में हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। फरीदाबाद में दस-दस एजेंसी काम कर रही हैं। स्मार्ट सिटी, डी-प्लान, एफ.एम.डी.ए., नगर निगम फरीदाबाद, एच.एस.वी.पी. और पंचायती राज।

हमारी विधानसभा की जनता से जितना ऑवरऑल टैक्स कलैक्ट किया जा रहा है उसका एक प्रसंटेज बांधकर के वहां के लोगों को जल से निकासी और पीने का पानी दो ही चीज दे दीजिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब सदन विधेयक पर क्लॉज-बाई-क्लॉज विचार करेगा।

सब क्लॉज-2 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि सब क्लॉज-2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉजिज 02 से 60

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉजिज 02 से 60 विधेयक का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब क्लॉज-1 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि सब क्लॉज-1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे-

कि विधेयक पारित किया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं-

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि विधेयक पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
(विधेयक पारित हुआ।)

चन्द्रयान-3 की चांद के दक्षिणी छोर पर सफल लैंडिंग के संबंध में लाए जाने वाले सरकारी प्रस्ताव में कुछ नाम जोड़ने का मामला उठाना

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष जी, मुझे अभी-अभी आज सदन में पेश होने वाले सरकारी प्रस्ताव जो चन्द्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बारे में है, उसकी कॉपी मिली है। दिनांक 25 तारीख को हमने इस बारे में वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कुछ नाम ऐड करने के बारे में आपसे कहा था और आपने कहा था कि वे नाम आप उसमें ऐड करवा देंगे लेकिन आज जो सरकारी प्रस्ताव की कॉपी हमें मिली है उसमें वह नाम ऐड नहीं किए गए हैं, ये शामिल किए जाएं।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा जी, अभी वह नाम ऐड करवा देंगे।

रिपीलिंग किए गए बिलों का मामला उठाना

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष जी, मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी। अभी विज साहब ने दो बिल रिपील किये हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके सेक्रेटरी ने आपसे पास करवाये हैं उसमें कई क्लॉजिज इंट्रोडेक्शन वाले भी थे। मैं चाहूंगा पहले शायद ये गलतियां हमेशा होती रही हैं। एक बार इसको पार्लियामैंट्री प्रोसीजर्ज में रिपीलिंग के लिए कैसे किया जाता है। वह हम अपनी प्रोसिडिंग्ज के बजाय जहां और बेहतर तरीके से रिपीलिंग को फोलो किया जाता है क्योंकि रिपील करना मतलब उस पूरे एक्ट को निरस्त करना है और जो आपसे बुलवाया गया उसमें यह कहलवाया गया कि क्लॉज उसका पार्ट बनते हैं। जब एक्ट ही निरस्त हो रहा है तो क्लॉज को पार्ट बनाने का औचित्य क्या था ? तो मैं चाहूंगा कि एटलिस्ट जो अधिकारी इसके अन्दर इन्वॉल्वड हैं। जो इस चीज को ड्राफ्ट करके आपकी टेबल तक लाते हैं उनके खिलाफ जरूर इस पर एक्शन लिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दुष्यंत जी, अभी आपने जो ध्यान में लाया। इसके बारे में चैक करवाएंगे कि हमारे रूल एंड प्रोसीजर में क्या है। कहीं लोकसभा के रूल एंड प्रोसीजर में कहीं और चीज हो। हमारे रुल्ज में क्या है, यह विषय देखने वाला है। देखकर के इस पर जरूर संज्ञान लेंगे।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष जी, यह नेवा का ही फायदा है। अभी मैं नेवा पर रिपील शब्द को ढूंढ रहा था। इस पूरी किताब में चार बार लिखा गया है और उसके अन्दर कहीं मैंशंड नहीं है कि रिपीलिंग का प्रोसैस क्या होता है। इसलिए मैंने खड़ा होकर आपको कॉल करने का काम किया है।

रूल्ज कमेटी की मीटिंग बुलाने का मामला उठाना

श्री अध्यक्ष : उप मुख्यमंत्री जी, वही बात मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे नियम और कानून हैं जिनमें परिवर्तन करने की जरूरत है। मैंने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है। वह कमेटी हमारे जितने भी रूल्ज बने हुए हैं उनके ऊपर विचार कर रही है। उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद जो भी कोई कानून परिवर्तित करने होंगे या नये बनाने होंगे उनके बारे में हम रूल्ज कमेटी के अंदर विचार-विमर्श करने के बाद उनको सदन के अंदर लेकर आयेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, रूल्ज कमेटी की तो मीटिंग ही नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : गीता जी, मैं यह बता रहा हूं कि रूल्ज में अमैंडमैंट के लिए हमने तीन अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया है। वह कमेटी सारे रूल्ज के ऊपर वन-बाई-वन विचार कर रही है उसकी रिपोर्ट आने के बाद हम रूल्ज कमेटी की मीटिंग बुला करके आगे की कार्यवाही करेंगे।

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब सदन विधेयक पर क्लॉज-बाई-क्लॉज विचार करेगा।

सब क्लॉज-2 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि सब क्लॉज-2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉजिज 02 से 60

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉजिज 02 -60 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सब क्लॉज-1 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि सब क्लॉज-1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे-

कि विधेयक पारित किया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं-

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि विधेयक पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
(विधेयक पारित हुआ।)

हरियाणा विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2023

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं -

कि हरियाणा विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि हरियाणा विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है -

कि हरियाणा विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया

जाये।

श्री भारत भूषण बतरा(रोहतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से डिमांड नं. 20 पर बोलना चाहता हूं। इस बारे में पिछले दिनों रोहतक के बारे में सी.ए.जी. की रिपोर्ट आई है और उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि पीने के योग्य पानी नहीं है, सप्लाई के पानी के बारे में लिखा है कि जलघरों में मेंढक, सैवाल और बैक्टिरिया पाया जाता है। Public Toilets in Rohtak City stench of corruption. इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी प्रोब्लम्स हैं जिनके बारे में इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि बरसात के पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं किया गया है। 36 घंटे में नहीं निकला 77 एम.एम. पानी। दूसरे दिन 33 एम.एम. बारिश ने पब्लिक हैल्थ के कार्यालय और घरों को डुबोया। इसके लिए मेरी जनरल मांग है कि प्रांत में सड़कों की, सैनिटेशन की और सीवरेज की व्यवस्था को अगर सरकार सुधार दे तो सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी। मैं पिछले 3 साल से एक बात को कह रहा हूं कि बाबा मस्तनाथ के साथ से एच.एस.वी.पी. की सड़क जाती है उसको बना कर कोई खुश ही नहीं है। उस सड़क का बहुत बुरा हाल है। अधिकतर सड़कों की हालत खराब है। इसी तरह से पंडित दादा लखमीचन्द यूनिवर्सिटी के सामने जो सड़क जाती है उसका बहुत बुरा हाल है। इसी तरह से आगे चल कर फ्लाईओवर के नीचे से व्हीकल्स किसी तरह से नहीं निकल पाते हैं। ये एच.एस.वी.पी. की सड़कें हैं। सरकार को इसके लिए प्रॉपर फंडिंग करनी चाहिए। सरकार इवेंट मनेजमैंट पर कम खर्च करे और विकास कार्यों पर अधिक खर्च करे। इसके अतिरिक्त आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी का अपने गांव बनियानी से विशेष लगाव है इसलिए बनियानी गांव की हालत सम्भाल लें कि वहां की कैसी हालत है। मुख्यमंत्री जी एक बार वहां का दौरा कर आयें और लोगों से पूछ लें कि उनको क्या-क्या समस्याएं हैं। इसी तरह से निंदाना मुख्यमंत्री जी का जन्म स्थान है और लोग वहां पर हर रोज एजिटेशन कर रहे हैं। जहां पर कोई व्यक्ति रहा है, जहां पर बचपन बीता है या जहां पर जीवन बीता है कम से कम उनकी व्यवस्था तो ठीक होनी चाहिए। बनियानी के लोगों ने अपनी समस्याएं रखी हुई हैं लेकिन आज तक उनका कोई समाधान नहीं हुआ। इसी तरह से रोहतक में हुडा सिटी के पास पार्क में एच.एस.वी.पी. का एक कम्युनिटी सैंटर है जिसका 4 साल

पहले मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था जिसको आगे नहीं चलाया जा रहा है। अगर उसको नहीं चलाया गया तो वह खण्डर हो जायेगा। इस बारे में मेरा एक सुझाव भी है कि कम्युनिटी सैन्टर्स RWAs(Residents Welfare Associations) को देना चाहिए। सरकार की क्या पॉलिसी है मुझे नहीं पता लेकिन मेरा सुझाव है कि एम.सी. को देने की बजाय इन कम्युनिटी सैन्टर्स को आर.डब्ल्यू.एज. को देना चाहिए। आज सरकार कम्युनिटी सैन्टर्स को भी ऑक्शन करने पर लगी हुई है जो गलत बात है। कम्युनिटी सैन्टर्स पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए बनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का संज्ञान लें कि हुडा सिटी के पार्क के पास जो कम्युनिटी सैन्टर बना हुआ है वह क्यों नहीं चल रहा है? रोहतक के बारे में मेरी एक डिमांड है। यह एक शिड्यूल्ड रोड है। जिस तरह से पहले दिल्ली से हिसार सड़क जाती थी, रोहतक से झज्जर और रोहतक से गोहाना रोड़ पर आ कर मिलती थी। ये सड़कें पहले पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें होती थी। अब आपने इन पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों को एम.सी. में दे दिया है। पी.डब्ल्यू.डी. के पास अच्छा पैसा होता है तथा वे समय पर इनकी रिपेयर करते रहते हैं लेकिन एम.सी. में ऐसा नहीं होता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि एन.एच. का जो हिस्सा शहरों के अन्दर से गुजरता है जो पहले पी.डब्ल्यू.डी. के पास था अब वह एम.सी. के पास है उनको वापिस पी.डब्ल्यू.डी. को ट्रांसफर किया जाये ताकि उनकी व्यवस्था ठीक हो सके क्योंकि कारपोरेशन की व्यवस्था ठीक नहीं रहती है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि म्यूनिसिपल बॉडीज को उचित राशि देकर उनको स्ट्रैंथन किया जाये जबकि मुख्यमंत्री जी कहते रहते हैं कि म्यूनिसिपल बॉडीज अपने खर्चे स्वयं निकालें। अध्यक्ष महोदय, यह तो आपको भी पता होगा कि क्या पंचकुला अपने खर्चे पर चल सकता है या नहीं चल सकता? मेरा तो यही अनुरोध है कि जो शिड्यूल्ड रोड्ज हैं उनको पी.डब्ल्यू.डी. को ट्रांसफर कर दिया जाये तो हमारी इन सड़कों की समस्या दूर हो जायेगी। अंत में यही कहूंगा कि आज सड़कों की हालत के कारण प्रदेश गड्ढ़ों का प्रदेश बन गया है उसको ठीक करवा दें। धन्यवाद।

श्री आफताब अहमद(नूंह): अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नं. 12 शिक्षा पर बोलना चाहता हूं। शिक्षा पर ही आज मेरा एक अतारांकित प्रश्न लगा हुआ था उसमें मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। मेवात मॉडल स्कूल सोसायटी थी जो हमारे मेवात जिले में शिक्षा देती थी। माननीय मुख्यमंत्री

जी ने मेवात विकास बोर्ड की एक बैठक में उसको हरियाणा शिक्षा विभाग को ट्रांफसर कर दिया। यह इसलिए अलग की गई थी कि मेवात मॉडल स्कूल के नाम से पिछले 30-35 सालों से स्पेशली तालीम का जो फोकस रहता है उस चीज पर काम चल रहा था। सर, मेवात मॉडल स्कूल की एक बिल्डिंग वर्ष 2020 में बनकर तैयार हुई थी। तीन वर्ष बाद भी आज तक उस बिल्डिंग में शिक्षा प्रदान करने का काम नहीं किया गया है। इस तरीके से शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली रहेगी तो फिर हम बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। इसी तरीके से नूंह शहर में वर्ष 2014 में स्कूल के नाम पर एक जमीन हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड से ट्रांसफर करा दी गई जिस पर एक मिडल स्कूल बनना था। आज 9 साल हो गये अब तक उस जमीन पर स्कूल बनने की बात नहीं हुई है। इसी तरीके से रनियाला फिरोजपुर झिरका में एक गवर्नमैंट मॉडल संस्कृति स्कूल है जिसमें 24 टीचर्स की पोस्ट सैंक्शंड हैं। मुझे इस बात को कहते हुए खेद होता है कि आज उस सीनियर सैकेंडरी स्कूल में एक भी टीचर नहीं है अर्थात उस स्कूल में जीरो टीचर्स हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था का यही हाल रहेगा तो फिर इस प्रदेश की शिक्षा की तरफ कौन ध्यान करेगा। इसी के साथ-साथ मैं स्वास्थ्य के ऊपर और बोलना चाहूंगा जिसकी डिमांड नं. 14 है। हरियाणा मैडिकल सर्विसिज कॉरपोरेशन लिमिटिड इसलिए बनाया गया है कि वह हरियाणा में इक्विपमैंट, मशीनरी, दवाईयां और मैडिकल से संबंधित बाकी चीजें खरीदे। मुझे इस बात को कहते हुए खेद होता है कि पिछले तीन वर्षों में हरियाणा मैडिकल सर्विसिज कॉरपोरेशन लिमिटिड ने एक भी मशीनरी हरियाणा प्रदेश में नहीं खरीदी है। आज मैडिकल कॉलेजिज का हाल बद से बदत्तर हो रहा है उसका कारण मैडिकल सर्विसिज कारपोरेशन ही है। मशीनरियों में न ए.एम.सी. है और न सी.एम.सी. है। इसी तरीके से दवाईयां भी नहीं मिल रही हैं। सर, पूरे प्रदेश में रैबीज का इंजैक्शन किसी भी सरकारी अस्पताल और मैडिकल कॉलेजिज में नहीं है। क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और इन चीजों के लिए सरकार द्वारा कोई एप्रोप्रियेशन बिल लाया जा रहा है ? क्या सरकार इन चीजों को चला रही है। इस तरीके से कैसे काम चलेगा ?

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर, अ.जा.) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं डिमांड नं. 12 और 20 पर बोलना चाहूंगी। अभी हाल ही में कल हमारे स्टेट्स के जिन टीचर्स को स्टेट अवार्ड दिये जाते हैं उनकी सूची आई है जिससे बड़ा खुशी का माहौल था कि दो साल की इक्ट्ठी लिस्ट आई

है। मैं उन सभी टीचर्स को जिनको अवार्ड मिले हैं उनको बहुत-बहुत बधाई और शुभ कामनाएं देना चाहती हूं लेकिन साथ ही साथ उनको जो सुविधा दी जाती थी उसमें उनको इंक्रीमैंट के साथ-साथ उनकी सर्विसिज में दो साल का एक्सटैंशन पीरियड दिया जाता था। उनका वह एक्सटैंशन पीरियड खत्म कर दिया गया है। सर, यह बड़ा अफसोस है कि जब किसी को स्टेट या नैशनल अवार्ड मिलता है उससे गुरूजन सम्मानित होते हैं। उनके सम्मान के साथ-साथ उनके लिए यह एक बड़ी खुशी की बात होती अगर उनकी दो साल सर्विसिज एक्सटैंड की जाती। एक तो मेरा अनुरोध है कि उसमें इसको कंसीडर किया जाए। दूसरा अध्यक्ष महोदय, हमारे जो मॉडल संस्कृति स्कूल्ज लगातार बनाए जा रहे हैं अच्छी बात है कि बनाए जा रहे हैं। उनमें नामकरण किया जा रहा है। सरकार द्वारा एग्जिस्टिंग सीनियर सैकेंडरी स्कूल्ज व एग्जिस्टिंग प्राईमरी स्कूल को ही मॉडल संस्कृति स्कूल्ज में कंवर्ट किया गया है जोकि हिन्दी माध्यम की बजाए अंग्रेजी माध्यम में हो गये हैं लेकिन अंग्रेजी माध्यम के कोई टीचर्स भर्ती नहीं किये गये हैं। सर, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं खासतौर से जो हमारा मोरनी हिल्ज वगैरह का एरिया है जहां पर मात्र एक स्कूल था उसको अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हिन्दी पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। हमारे क्षेत्र झज्जर में भी ऐसा ही हुआ। यह अच्छी बात है कि अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल्ज को आप सी.बी.एस.ई. से एफिलिएट कर रहे हैं क्योंकि हिन्दी माध्यम स्कूल्ज हमारे भिवानी बोर्ड से एफिलिएट हैं और अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल्ज को आप सी.बी.एस.ई. बोर्ड से एफिलिएट कर रहे हैं। उन स्कूल्ज में हमारे टीचर्स तो वहीं हैं जो हिन्दी माध्यम में पढ़ाते थे। उन्हीं टीचर्स को उठाकर आपने मॉडल संस्कृति स्कूल्ज में लगा दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गलत बात है इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। आरोही माडल स्कूल्ज के बारे में पिछले हफ्ते अखबार में पढ़ा और हम कई साल से यह बात पढ़ते आ रहे हैं कि आरोही माडल स्कूल्ज के टीचर्ज को पक्का किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, नैशनल लैवल पर 36 एजूकेशनली बैकवर्ड ब्लाक्स में टोप मोस्ट टीचर्ज की बड़े अच्छे ढंग से भर्ती की गई थी। वर्ष 2016-17 में उनके रूल्ज भी बन गए थे और ये लोग सैंट्रल स्कूल से भी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और आज के समय में ये स्कूल एक नम्बर के पायदान पर खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, आरोही मॉडल स्कूल्ज के टीचर्ज को पक्का किया जाना था लेकिन पक्का करने की

बजाय इनको कांट्रैक्ट पर कर रखा गया है और आज तक भी उनकी रेगुलर सेलरी वगैरह नहीं दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 2020 में यह कहा गया है कि इंटिग्रेटिड कोर्स चलाये जायेंगे अर्थात बी.ए., बी.काम. तथा बी.एस.सी 'प्लस' बी.एड.। इस न्यू एजूकेशन पॉलिसी के आने से पहले ही वर्ष 2013 में आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार में इस तरह का प्रारम्भिक इंस्टीट्यूट हमने झज्जर में खोल दिया था। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस संबंध में लगातार सात-आठ बार विधान सभा में भी मांग की है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बात की है और कंसर्ड मंत्री जी से भी बात की है, कि आप इसकी बिल्डिंग बना दें, होस्टल बना दें, इसके टीचर्ज के लिए सुविधायें देने का काम करें लेकिन अफसोस इस बात का है कि वर्ष 2013 से इसके लिए पैसे का प्रावधान होने के बावजूद भी आज तक इसकी बिल्डिंग नहीं बन पाई है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इसकी बिल्डिंग तक तो बनाई नहीं, एडमिशंज तक किए नहीं, रूल्ज तक नहीं बनाये , कोई भर्ती तक नहीं की लेकिन इसका नाम प्रारम्भ से बदल दिया लेकिन इनके लिए किया कुछ नहीं गया। नाम रख दिया गया स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन और इसके प्रारम्भ से नाम बदलकर रख दिया सियासत-ए- झज्जर लेकिन यहां के लिए कुछ नहीं किया गया और एक भी टीचर की भर्ती नहीं की गई है।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष: गीता जी, आप डिमांड पर बोलिए।

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड पर ही बोल रही हूँ। यह हायर एजुकेशन डिपार्टमैंट के पास ट्रांसफर हो गया है। मेरी डिमांड यही है कि पैसा होने के बावजूद भी इसकी बिल्डिंग का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। अत: इसकी बिल्डिंग अतिशीघ्र बनवाने का काम किया जाये। जहां तक डिमांड न. 20 की बात है, इस संदर्भ में मैं कहना चाहती हूँ कि आज पोंड्ज अर्थात तालाबों को लेकर प्रश्न लगे थे, जिसके बारे में पंचायत डिपार्टमैंट द्वारा जवाब दिए जाने थे। हमारे क्षेत्र के विभिन्न तालाबों की खुदाई का काम हुआ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: गीता जी, आपने कहा है कि आप डिमांड न. 12 और डिमांड न. 20 पर बोलना चाहेंगी लेकिन जो बातें आप बोल रही हैं ये इन डिमांड्ज में कहां पर हैं ।

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, मैं अब डिमांड न. 20 पर बात कर रही हूँ इससे पहले मैं डिमांड न. 12 पर बात कर रही थी जोकि एजूकेशन (सैकेंडरी/एलीमेंट्री)/ हायर एजूकेशन (हायर, टैक्निकल साइंस एंड टैक्नोलोजी)/ वूमैन एंड चाइल्ड डिपार्टमैंट, फूड स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग, कोआपरेशन, जनरल एजूकेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड वैलफेयर तथा न्यूट्रिशन से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष: गीता जी, इसमें तालाब कहां पर हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, जब मैंने तालाब की बात की तो मैं उस समय डिमांड न. 20 पर बोल रही थी। वैसे तो मैं डिमांड न. 12 पर बोल रही थी लेकिन जब आपने मुझे घूर कर देखा तो मैंने फटाफट डिमांड न. 20 पर बोलना शुरू कर दिया। (हंसी) आपने जैसे ही मेरी तरफ इस तरह देखा तो मैंने फटाफट डिमांड न. 12 का विषय खत्म करके, डिमांड नम्बर 20 पर बोलना शुरू कर दिया। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, अब आपने मुझे टोक दिया है तो मैं फिर से डिमांड न. 12 पर बोलना चाहूंगी क्योंकि उस डिमांड से संबंधित मेरा एक विषय बाकी रह गया था। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सभी 22 जिलों में 'डाइट' बनाने का काम किया है लेकिन आज के समय में सारे के सारे 'डाइट' इंस्टीट्यूट बंद पड़े हुए हैं। इनकी बिल्डिंग्ज बेकार हो गई हैं। इनमें स्टाफ भी नहीं रहा है। मेरा अनुरोध है कि एचटेट, जे.बी.टी. पास किए डेढ-दो लाख बच्चे हैं, उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कोई इंटीग्रेटिड कोर्स ही करवा दिया जाये ताकि इन

बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाये और वे बेरोजगार भी न रहें। अध्यक्ष महोदय, बी.ए., बी.काम. तथा बी.एस.सी 'प्लस' बी.एड. न्यू एजूकेशन पॉलिसी में मैंशन हैं। यह काम तो हमारी सरकार 2013 में कर चुकी है। अत: आज सदन के माध्यम से अनुरोध करती हूँ कि इसकी तरफ सरकार संज्ञान लेते हुए, तुरंत इस काम को करवाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड न. 20 पर पुन: बोलना चाहूंगी जिसमें टाउंन एंड कंट्री प्लानिंग/अर्बन इस्टेट्स/ अर्बन डिवेल्पमैंट/अर्बन लोकल बाडीज (लोकल गवर्नमैंट) डिवेल्पमैंट एंड पंचायत (रूरल डिवेल्पमैंट)/ तथा पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग के डिपार्टमैंट हैं। अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में मेरा अनुरोध है कि अमृत सरोवर योजना के तहत भारत सरकार ने पूरे देश भर में सरोवरों को बनाने का काम किया है जिसमें मेरी कांस्टीट्यैंसी का खातीवास गांव शामिल हुआ है। वहां पर इस काम के लिए करीबन 3 करोड़ रूपये की राशि लगाने का काम किया जा रहा है। हमें सूचना मिली है कि इस योजना के तहत एक साल में एक पोंड लिया जायेगा। मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इतना बड़ा जवाब आया है लेकिन यह जवाब आधे से ज्यादा समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि पूरी टेबुलेटिड फॉर्म में पोर्टल पर इसके बारे में इंफारमेशन दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सिंपल सा क्वैशचन यह था कि हमारे यहां शिव मंदिर के पास जो गांव गोरिया में पोंड है, अकेड़ी मदनपुर की इंदिरा कालोनी में जो पोंड है तथा गांव मुंढेड़ा में हाजरी वाला पोंड है, यहां पर बहुत ज्यादा गंदगी है और बहुत बुरी हालत है और यहां पर बच्चों की डैथ तक हो चुकी है। साथ ही एक गुई जोहड़ नजदीक बगला चौपाल, गांव तलाओ, यह तालाब भी बस्ती के अंदर है। जिसमें बड़े-बड़े झाड़ खड़े हैं और इसमें पशु भी गिरते हैं, बच्चे भी गिरते हैं और यहां पर बड़ा अनसेफ महसूस होता है। इसी प्रकार हमारे यहां पर एक डूमावाला पोंड है तथा एक रामेश्वर पोंड गांव खेड़ी खुमारी में

है जिसका पानी ओवलफ्लो होकर सारे गांव के अंदर चला जाता है। यहां पर मछली का ठेका भी दिया हुआ है। बहुत बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसकी कंप्लेंट की गई है। इसी प्रकार एक खारिया पोंड है जोकि गांव छुछकवास में है। इस पौंड की भी बहुत बुरी हालत है। हमारे यहां भूरावास गांव में ऐसा पोंड है जिसमें त्वचा रोग का इलाज होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह भी कहना है कि सरकार 'अमृत सरोवर योजना' के तहत तीन करोड़ रूपये एक सरोवर को दे रही है, अगर इस राशि में से 20-20 या 30-30 लाख रूपये गांवों में गउघाट की चार दीवारी और सफाई आदि के नाम से दे दें तो कम से कम 20-30 गांवों का समाधान हो जायेगा। मैं अंत में अपनी वाणी को यह कहते हुए विराम देती हूं कि श्मशान घाट की चार दीवारी, शैड, रास्ता इत्यादि इस तरह की डिमाण्ड जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे पास आती हैं और हम इस तरह के विषय को डिस्ट्रिक्ट प्लान की मीटिंग में रखते हैं तो उसमें रूल्ज का हवाला देकर हमारी कई इस तरह की मांगों को नहीं मानते हैं। मेरा अनुरोध है कि डिस्ट्रिक्ट प्लान में जो अधूरे पड़े काम हैं with the permission of the Chair टेकअप करके प्राथमिकता के तौर पर पहले किये जायें। धन्यवाद सर।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान (बेरी): अध्यक्ष महोदय, आपने रूलिंग दी थी कि जब एप्रोप्रिएशन बिल आयेगा उससे तीन दिन पहले बिल की बुकलेट सप्लाई की जायेगी। हमें बिल की बुकलेट से यह पता चल पायेगा कि कौन से हैड में कितना खर्चा होगा। किस काम के लिये खर्च होगा। हमें तो पता ही नहीं है कि किसके लिये पैसा मांग रखा है। किस हैड से खर्चा होगा। आपने तो यह कहा था कि तीन दिन पहले बिल की बुकलेट आ जायेगी लेकिन हमारे पास नहीं पहुंची है।

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, मैंने यह कहा था कि तीन दिन पहले बिल आपके पास आयेगा। 'नेवा' के ऊपर तीन दिन पहले बिल अपलोड हो चुका है, इस बिल की हार्ड कॉपी आज दी है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, जब हमारे पास बिल की कॉपी ही नहीं है तो हम क्या डिस्कशन करेंगे। हमारे पास हार्ड कॉपी तो अब आई है। अब यह पोर्टल खुला है। मेरा आपसे यह भी कहना है कि सरकार जो इस बिल की डिमाण्डज पर पैसा मांग रही है, बजट के समय इसका प्रोविज़न करना चाहिये था। यह किसकी जिम्मेवारी बनती है? जब बजट पेश किया था उस समय तो पैसा मांगा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, बजट के समय भी पैसा मांगा गया था।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, यह सरकार के सिस्टम की ओर से चूक है, इसलिए इसमें अधिकारियों की जिम्मेवारियां फिक्स होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, बजट के हर हैड के अंदर पैसा मांगा हुआ है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आप सरकार का समर्थन कर रहे हो। सरकार को यह मानना चाहिये कि बजट के समय भी इनका प्रोविज़न करना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय, आप सरकार की सारी मांगों पर हमारा अंगूठा लगवा लेते हो लेकिन सरकार हमारी एक भी मांग नहीं मानती है बल्कि अपनी मांगें हमसे मनवा लेती है।

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, ये आप सभी लोगों की मांगें हैं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता से लगभग 9 साल से बेरी हल्के के कामों की डिमाण्ड कर रहा हूं लेकिन वे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। डीघल में कॉलेज के लिये हुड्डा साहब ने भी मांग की थी।

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, मैं भी आपकी डिमाण्ड की सिफारिश माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कर रहा हूं।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, डॉ. कादियान ने मुझे फोन करके एक डिमाण्ड की थी और मैंने उसे तुरंत मान लिया था। इन्होंने कहा था कि बेरी वाली माता को सरकारी बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिये, उसी दिन डॉ. साहब की यह डिमाण्ड पास कर दी थी और इसके बारे में बता भी दिया था।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, बेरी हल्के के डीघल गांव में कॉलेज की डिमाण्ड थी। इस संबंध में 10-12 गांवों के आदमी हुड्डा साहब से भी मिले थे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल की डिमाण्ड नं0 14 पर बोलना चाहता हूं। सरकार ने गरीब आदमी के लिये 'आयुष्मान योजना' शुरू की, इस योजना की बहुत पब्लिसिटी भी हुई है। इस योजना में कैग ने हरियाणा में 354 मरीजों की शीघ्र मृत्यु दिखाई गई है। इसमें आदमी की डैथ हो चुकी है लेकिन उसके कार्ड से पैसा विदड्रा हो रहा है। पूरे देश में 3456 मरीज ऐसे हैं जिन्हें मृत घोषित करके समाप्त कर दिया गया है और उनका भी पैसा लिया गया है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है। ये सारे एस्टीमेट्स जो यहां पर लाये जाते हैं ये पहले एस्टीमेट कमेटी में भेजे जाते हैं। वहां से ये पास होते हैं। एस्टीमेट कमेटी में सभी पार्टियों के सदस्य होते हैं। अगर कोई एक-आध ऐसा विषय हो जो उस कमेटी के ध्यान में न आया हो उस पर तो चर्चा करना ठीक है। इस कमेटी की 14.08.2023 को मीटिंग हुई थी। इसके श्री मोहन लाल बड़ौली सभापति हैं और राव दान सिंह, श्री जयवीर सिंह, श्री गोपाल काण्डा, श्री सुभाष सुधा, श्री प्रमोद कुमार विज, श्री राजेश नागर, श्री मेवा सिंह, श्री बलराज कुण्डू समेत इस समिति में कुल 9 विधायक सदस्य हैं। अगर ये सारी चीजें यहां पर दोहरानी हैं तो फिर एस्टीमेट कमेटी में उन सबको पास करने का क्या अर्थ है ?

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें एक अन्य तथ्य सामने लाऊंगा। मुख्यमंत्री जी ने 1.80 लाख रूपये सालाना आय की लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रूपये किया है। जब लिमिट बढ़ गई तो इन्होंने बताया कि इससे 38 लाख परिवार कवर होंगे। यहां पर कॉलिंग अटैंशन मोशन का जो जवाब दिया गया है उसमें यह आंकड़ा 36.58 लाख परिवार का है। दोनों ही आंकड़े सरकार के हैं जोकि वैरी करते हैं। इसमें करीबन 2 लाख परिवारों का फर्क है। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि ये सारे एस्टीमेट्स हैं और एस्टीमेट्स जो लगाए जाते हैं वे एकदम बराबर नहीं होते हैं। इसमें भी 3 तरह के आंकड़ें हैं। एक आंकड़ा वह है जो सैंटर गवर्नमैंट का है, आयुष्मान का 50 हजार का है। उसके बाद हमने उसको 1.20 लाख किया, वह लगभग 29 लाख हो गया। हमने जो 1.80 लाख लागू किया है उसको हमने

पोर्टल पर डाला हुआ है कि 1500 रूपये देकर कौन-कौन उसके अंदर आएगा। अब उसमें 6 लाख भी आ सकते हैं, 8 लाख भी आ सकते हैं। (विघ्न) अत: यह बात हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए वे साढ़े 36 लाख हैं या 38 लाख हैं, ये एस्टीमेट्स हैं ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हमने सीएम साहब की बात मान ली लेकिन अगर हम 38 लाख के हिसाब से देखेंगे तो हरियाणा की तकरीबन 2.70 करोड़ पॉपुलेशन है। एक परिवार में एवरेज 5 मैम्बर हों तो तकरीबन 55 लाख परिवार बनते हैं। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने बताया कि आज की डेट में हमारे पास परिवार पहचान पत्र में 68 लाख 20 हजार परिवार हैं। अभी भी लगभग 1 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्होंने परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, प्रति परिवार 5 मैम्बर की एवरेज नहीं लगाई गई है। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, 5 की एवरेज नहीं है। आज परिवार की एवरेज साढ़े 3 से 4 मैम्बर की है। वह जमाना चला गया जब एक परिवार में 6-7 मैम्बर्ज होते थे। अब तो लोग हम दो हमारे दो से भी नीचे आ रहे हैं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय 68 लाख परिवार बताते हैं और बिलो पावर्टी लाइन 38 लाख कहते हैं। इसका मतलब है कि 50 परसैंट हरियाणा बिलो पावर्टी लाइन है। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, ये बिलो पावर्टी लाइन नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान) हमने एक नई योजना बनाई है जिसमें जो प्रीमियम बनता है उस प्रीमियम का 50 परसैंट लेकर उनको भी एक सुविधा दी गई है। यह सुविधा तो किसी को भी दी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि यह सुविधा बीपीएल को ही मिलेगी। ये कई श्रेणियां हैं। ये 38 लाख परिवार बीपीएल नहीं हैं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आपने लिमिट 3 लाख रूपये की है। 3 लाख रूपये का मतलब है कि 5 मैम्बर के परिवार में 60 हजार रूपये पर कैपिटा इंकम हुई और 38 लाख परिवार हैं तो फिर 60 हजार रूपये पर कैपिटा इंकम ही हुई। सरकार जब कह रही है कि इतनी पर कैपिटा इंकम है। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो 60 हजार रूपये से भी ऊपर बैठेगा।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब है कि सरकार प्रदेश को बीमारू स्टेट की ओर लेकर जा रही है। अब मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत 1 लाख 30 हजार 879 हाउसिज सैंक्शन हुए। इसमें सरकार से 405 करोड़ रूपये खर्च नहीं हुए। The Government is unable to spend Rs. 4.05 Crores. ये रूपये वापिस दे दिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, यह तो आप सीएजी की रिपोर्ट पढ़ रहे हो।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की एफिसियंशी बता रहा हूं कि स्टेट किस दिशा में जा रहा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आपकी डिमांड क्या है ? यह तो बता दो।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि सरकार एक ओर तो डिमांड के रूप में पैसे मांग रही है और दूसरी ओर पैसे वापिस भेज रही है। मैं तो उन डिमांड्ज पर बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आपने अपनी डिमांड रख दी। इसमें आगे सरकार की अपनी मंशा है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि 47116 हाउसिज बेनिफिशरीज लैड कंस्ट्रक्शन (बी.एल.सी.) के तहत बनाये जाने थे। लेकिन लगभग 4400 ही बनाये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, आप तो सी.ए.जी. की रिपोर्ट लेकर पढने लग गये हैं। आपको डिमांड के ऊपर अपनी बात रखनी हैं। आप ये बताएं कि कौन-सी डिमांड पर आप बोल रहे हैं?

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि केवल संबंधित डिमांड पर ही अपनी बात रखनी चाहिए।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की इनएफिशियंसी के बारे में बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष:कादियान जी, आप डिमांड के बारे में बताएं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, ये जिस डिमांड के तहत पैसे मांग रहे हैं, उसमें सरकार की लैप्सिज और इनएफिशियैंसी के बारे में भी बताउंगा।

श्री अध्यक्ष:कादियान जी, आप एप्रोपिएशन बिल की डिमांड पर बोल रहे हैं। आप अपनी डिमांड के बारे में बताएं कि आप कौन-सी डिमांड पर बोलना चाहते हैं? आप डिमांड पर तो कोई बात नहीं बता रहे हैं। आप सरकार की कमियां बता रहे हैं कि क्या कमियां हैं या नहीं हैं?

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय**,** मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 20 नम्बर डिमांड में जो पैसा मांग रहे हैं, उसमें मुझे यह पता नहीं है कि ये किस हैड में पैसा मांग रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: कादियान जी, अगर आपको हैड के बारे में ही पता नहीं है तो आप वैसे ही बोले जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि कौन-से हैड पर बोल रहे हैं?

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, मैं 20 नम्बर डिमांड पर बोल रहा हूं कि इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ दा हाउस, नगर निगमों, पंचायतों और गांवों का क्या सिस्टम है? Speaker Sir, you are protecting the Government.

Mr. Speaker: No, I am not protecting the Government. I am doing my business.

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सरकार किस दिशा में जा रही है, उसको आप संभालें।

श्री अध्यक्ष: कादियान जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपनी बात रखने के लिए मौका दिया जाए। इस संबंध में मैंने सबसे पहले लिखकर दिया हुआ है।

श्री राम कुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, मैं भी डिमांड्स पर अपनी बात रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: गौतम जी, पहले माननीय सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक जी अपनी बात रखेंगे।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय सदस्य अपनी डिमांड नम्बर के बारे में बता दें।

श्री अध्यक्ष: मुख्यमंत्री जी, माननीय सदस्य ने जिन डिमांड्स पर बोलना है उनके बारे में लिखकर दिया हुआ है।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पहले डिमांड नं0 5 पर अपनी बात रखना चाहूंगा। यह डिमांड होम डिपार्टमैंट से संबंधित है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से जरूरी आग्रह है क्योंकि इन्होंने तो लोगों के बारे में कह दिया है कि सरकार हर किसी की रक्षा नहीं कर सकती। मेरा कहना यह है कि जान है तो जहान है। अब हम जिंदा हैं तो यहां सदन में बैठे हुए हैं और जान ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? लेकिन सरकार कहती है कि हम सबकी सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं ले सकते। इससे बड़ी नाइंसाफी क्या होगी?

श्री अध्यक्ष: मलिक साहब, आप ये बताएं कि आपकी डिमांड क्या है?

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मेरी डिमांड यह है कि ये जो कांड हुए हैं जिनसे 2 बार हरियाणा प्रदेश जला है। यह किसकी कमी से जला है और पुलिस फोर्स क्या कर रही

थी? पुलिस डिपार्टमैंट क्या कर रहा था? इसमें क्या कार्रवाई हुई? यह युवाओं पर कुठाराघात है। यहां पर न तो कोई फैक्ट्री आएगी न ही कोई मल्टी नेशनल कम्पनी आएगी। इसके कारण बेरोजगारी बढेगी और उससे युवाओं का भविष्य खराब होगा। इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? इसमें हाई कोर्ट से तो ज्युडिशियल इन्कवायरी नहीं करवा रहे हैं लेकिन प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट तो सदन के पटल रख दें। इसमें मेरी एक तो यह डिमांड है।

श्री अध्यक्ष: मलिक साहब, इसमें यह बात कहां से आ गयी? आप ये बातएं कि आपकी डिमांड क्या है?

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, एक डिमांड तो मैंने बता दी है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त-दुरूस्त करवाएं और सरकार सबकी सुरक्षा की गारंटी ले।

श्री अध्यक्ष:मलिक साहब,अब आप अपनी अगली डिमांड के बारे में बात रखें।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि अगर थोड़ा सा सोच समझकर विचार करेंगे तो पता चल जाएगा कि जिस होम डिपार्टमैंट की डिमांड पर बोल रहे हैं, उसमें सिर्फ 2 लाख रूपये ही मांगा गया है।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से कहना है कि क्या आदमियों को मरने दें? ये तो नोमिनल भी मांग सकते हैं क्योंकि नोमिनल भी होता है। इसके अलावा दूसरी बात हैल्थ डिपार्टमैंट के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मलिक साहब, यह डिमांड नं0 14 है।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैंने इस संबंध में अपना क्वैश्चन भी लगाया था लेकिन वह नहीं लग पाया। मैं आपके माध्यम से बी.पी.एस. खानपुर मेडिकल कॉलेज के हालात के बारे में बताना चाहूंगा कि वहां पर ग्रुप ए की पोस्ट्स के 398 पद हैं और उनमें से केवल 152 पद ही भरे हुए हैं। यानी 246 पद खाली हैं। इसके अलावा ग्रुप बी की पोस्ट्स के 58 पद हैं और उनमें से 22 पद ही भरे हुए हैं और 36 पद खाली हैं। इसके अलावा सीनियर रैजिडैंट डॉक्टर्ज के 107 पदों में से 23 पद ही भरे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: मलिक साहब, इसमें आपकी यही डिमांड है कि और डॉक्टर्ज दिये जाएं।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें अभी डिमांड करूंगा। मैं आपके माध्यम से हैल्थ मिनिस्टर साहब को बताना चाहूंगा कि सीनियर रैजिडैंट डॉक्टर्ज के 107 पदों में से 23 पद भरे हुए हैं और 84 डॉक्टर्ज के पद खाली हैं। इसके अलावा जुनियर रैजिडैंट डॉक्टर्ज के 110 पदों में से 34 पद भरे हुए हैं और 76 पद खाली हैं।

श्री अध्यक्ष: मलिक साहब, आपने इस बारे में पिछली बार भी डिटेल बतायी थी।

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से वहां पर पैरा मेडिकल स्टॉफ की भी हालत देख लें कि 267 पदों में से 82 पद भरे हुए हैं और 185 पद खाली हैं। वहां पर कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है जबकि आजकल हार्ट की सबसे बड़ी बीमारी चली हुई है। वहां पर ओंकोलॉजिस्ट नहीं है जबकि आजकल कैंसर की बीमारी भी चली हुई है। वहां पर एक्सीडैंट वाले पैशेंट्स का ईलाज करने के लिए न्यूरोसर्जन नहीं है। ये मेडिकल कॉलेज क्यों खोल रखे हैं? यह रैफरल सैंटर बना रखा है क्योंकि सोनीपत वाले भेज देते हैं कि आप खानपुर मेडिकल कॉलेज

में जाएं और खानपुर मेडिकल कॉलेज वाले भेज देते हैं कि आप रोहतक जाएं। लेकिन इस बीच संबंधित पेशैंट की मौत हो जाती है। सरकार ने इतने मैडीकल कॉलेज खोल दिये हैं लेकिन मुझे यह बात कहते हुए सदन में 9 साल से ज्यादा का समय हो गया है कि वहां पर डॉक्टरों की कमी है इसलिए डॉक्टरों की कमी को पूरा करने का काम किया जाये। इसके अलावा मैं मांग संख्या 12 पर बोलना चाहूंगा जो कि एजुकेशन से संबंधित है। मेरे हल्के सोनीपत के एक सरकारी स्कूल का 10 वीं कक्षा कर रिजल्ट जीरो परसैंट आया है। उस क्लास में 58 बच्चे थे और 58 के 58 बच्चे फेल हो गये। हरियाणा प्रदेश में स्कूलों की हालात तो यह हो गई है कि टॉप 100 इंस्टिट्यूट में से एक भी इंस्टिट्यूट ऐसा नहीं है, जिनमें बच्चे पूरे पास हुए हों। गांव घिलोड़ में आई.आई.आई.टी. (इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी) की एक भी क्लास नहीं चल रही है और जबकि माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने कुरूक्षेत्र में आई.आई.आई.टी. की अनाउंस करके क्लासिज भी लगवा दी थी लेकिन वहां पर आई.आई.आई.टी. की आज तक नींव नहीं भरी गई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टिट्यूट है।

डॉ. अभय सिंह यादव : मलिक जी, इस इंस्टिट्यूट को भारत सरकार बनवा रही है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस एजुकेशन के रिजल्ट की बात है तो हमारे देश के इंस्टिट्यूट का 10वीं कक्षा का रिजल्ट 44 परसैंट आया है जबकि हमारे हरियाणा प्रदेश के स्कूलों के 10वीं कक्षा का रिजल्ट 21 परसैंट आया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के स्कूलों का आधे से भी कम रिजल्ट रहा है। अगर पोजीशन के हिसाब से बात की जाये तो इसमें हमारे प्रदेश के स्कूलों का 10वीं कक्षा का रिजल्ट की 12वीं पोजीशन है। हमारे देश के इंस्टिट्यूट का 12वीं कक्षा का रिजल्ट 43.89 परसैंट आया है जबकि हमारे हरियाणा प्रदेश के स्कूलों का 12वीं कक्षा का रिजल्ट 25 परसैंट आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इन स्कूलों में मास्टर नहीं हैं, इन स्कूलों में ढंग के कमरे तक नहीं हैं, इनमें बिजली

कनैक्शन की व्यवस्था नहीं है। जो इन बच्चों को सरकार की तरफ से टैब दिये गये थे, उनके सिम कार्ड काम नहीं कर रहे हैं। इन स्कूलों की मंदिरों में क्लासें लगती हैं। जब मंदिर की घंटी बजती है तो बच्चे स्कूलों से भाग जाते हैं। आज के दिन हरियाणा प्रदेश के सरकारी स्कूलों की यह पोजीशन है।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद) : अध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 5 पर बोलना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, नारनौंद एक सब डिवीजन है इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं और मैंने उनसे इस बारे में कई बार आग्रह भी किया है। वहां पर ज्यूडिशियल कोर्ट जरूर होनी चाहिए। अब मैं डिमांड नम्बर 14 पर बोलना चाहता हूं जो हैल्थ के बारे में है। हमारे यहां पी.एच.सी., सी.एच.सी. और सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की 73 वैकेंसीज हैं। हमारे सिविल अस्पताल में कोई स्पैशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। वहां पर 48 डॉक्टरों में से सिर्फ 12 डॉक्टर्ज ही काम कर रहे हैं। वहां पर एक्सरे की मशीन भी नहीं है और न ही इस मशीन को चलाने वाला ऑपरेटर है इसलिए इस सिविल अस्पताल पर विशेष ध्यान देने की बहुत जरूरत है। मुख्यमंत्री जी वहां पर डॉक्टरों की बहुत भारी कमी है इसलिए डॉक्टर्ज की भर्ती करनी चाहिए। वहां पर काफी डॉक्टर बेरोजगार घूम रहे हैं जिससे उनको रोजगार भी मिल जायेगा और वहां के मरीजों को सुविधा भी मिल जायेगी। अध्यक्ष महोदय, डिमांड संख्या 17 पब्लिक वर्क्स से संबंधित है। मैं ईमानदारी से कहता हूं चाहे तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में विजिट कर लिया जाए। वहां की टोटल सड़कें खत्म हैं और नारनौंद में घुसते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे कि शायद यह हरियाणा प्रदेश का हिस्सा ही न हो। वहां इतना बुरा हाल है, इस बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार डिमांड संख्या 20 जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, अर्बन एस्टेट, पचांयत विभाग और लोकल बॉडिज विभागों से संबंधित है। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि मेरे नारनौंद हल्के में सिर्फ एक ही म्युनिसिपल कमेटी है। उसकी हालत इतनी खतरनाक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 5 करोड़ रुपये का बजट दिया था उसमें से आज तक आधा भी काम नहीं हुआ है। दूसरी बात पंचायत विभाग की है इसमें कमीशन का ठिकाना ही नहीं है। इतना खतरनाक कमीशन है। कोई भी काम नहीं करता। कभी जे.ई. नहीं है, कभी एम.ई. नहीं और कभी सेक्रेटरी अवलैबल नहीं है। सेक्रेटरी को भी डबल चार्ज और जे.ई. को भी डबल चार्ज दिया हुआ है। एम.ई. तो अब आया है जो

कहता है कि मैं भी 5-7 दिन में चला जाऊगां, पहले वह भी नहीं था। पंचायतों की पोजीशन यह है कि इनका बिल्कुल बेड़ा गर्क है। मंत्री अच्छा है, मंत्री जी को मैं खराब नहीं कहता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां इन पंचायत विभाग के एक्सीयन के मार्फत जितना पैसा लगा है। मेरे गांव में परशुराम सेवा समिति है उसमें करोड़ों रुपयों की बिल्डिंग बनाने लग रहे हैं क्योंकि वह म्युनिसिपल एरिया से बाहर है इसलिए वह पंचायत डिपार्टमैंट की देखरेख में बनता है। ई-टैंडरिंग के मार्फत 7 लाख रुपये एम.पी. लेड के आए। 7 लाख रुपये में से 2.80 लाख रुपये देकर कहने लगा कि मैंने तो जे.ई. का, एस.डी.ओ. का और एक्सीयन का कमीशन दे दिया और कुछ जी.एस.टी दे दी और कुछ न कुछ मेरे लिए भी दाना पानी चाहिए। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि किसी भी धर्मशाला को ई-टैंडरिंग में ना दीजिए क्योंकि सारा पैसा वहीं खा जाते हैं। आप पैसा सीधा संस्थाओं को दीजिए। मेरा यही आग्रह है।(विघ्न)

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात रखने के लिए केवल एक मिनट का समय दे दिया जाए।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष: नहीं, शर्मा जी, प्लीज आप बैठ जाएं। समय बहुत हो गया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि हरियाणा विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब सदन विधेयक पर क्लॉज-बाई-क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज-2

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉज-2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-3

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉज-3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शिड्यूल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि शिड्यूल विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज-1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉज-1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं-

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि विधेयक पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
(विधेयक पारित हुआ।)

मुख्यमंत्री द्वारा अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने बारे घोषणा करना

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं अगला विधेयक शुरू करने से पहले पहले कुछ घोषणायें करना चाहता हूं और कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। सरकार ने अभी अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 449 कालोनियां अभी पिछले दिनों में नियमित की हैं और 1000 कालोनियों के नियमितिकरण की प्रोसैस अभी आगे चल रही है। इन कालोनियों को नियमित करने के बाद पर्याप्त बुनियादी ढांचे की जरूरत को देखते हुए और इन कालोनियों में धन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी सम विकास योजना यानि मुख्यमंत्री शहरी समान विकास योजना के नाम से एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। इस योजना में हरियाणा शहरी विकास निधि से 500 करोड़ रूपये का प्रारम्भिक कोष अलग रखा जायेगा। यह फण्ड रेगूलराईज हो चुकी कालोनियों के निवासियों पर लगाये जाने वाले विकास शुल्क के अतिरिक्ति होगा जो पूरी तरह से कालोनियों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निर्धारित और उपयोग किया जायेगा। मुझे उम्मीद है कि इस पहल के माध्यम से इन कालोनियों के निवासियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार आयेगा। वहां रहने वाले लोगों की आकांक्षायें पूरी होंगी।

हरियाणा की मारकण्डा, टांगरी और घग्गर नदियों की ड्रैजिंग के लिए एक कमेटी का गठन करने के सम्बन्ध में सूचना देना

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार एक प्रश्न आया कि इस बार जब बाढ़ आई है तो बाढ़ के समय ऐसी एक शिकायत सब जगह थी कि जो नदियां हैं खास करके छोटी नदियां उसमें मारकण्डा नदी है, उसमें टांगरी नदी है, उसमें घग्गर नदी है, उसमें जो भी छोटी नदियां हैं उनकी ड्रैजिंग नहीं होती है, उनके अंदर रेत का जो विषय वह बना रह जाता है। उसको न तो इरीगेशन डिपार्टमैंट अपनी ओर से करता है और न ही माईनिंग डिपार्टमैंट करता है। माईनिंग डिपार्टमैंट वाले एक अधिकार रखते हैं कि माईनिंग का मैटर उनका होता है। यह माईनिंग डिपार्टमैंट के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण इरीगेशन डिपार्टमैंट वाले वहां पर नहीं जाते हैं। वर्षों, वर्षों तक यह मामला ऐसे ही लटकता रहता है। अब इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी में ए.सी.एस. रेवेन्यू, एडवाईजर टू सी.एम., ए.सी.एस., एनवॉयरनमैंट, फॉरेस्ट एण्ड वाईल्ड लाईफ, ए.सी.एस. माईन्ज एण्ड जूलोजी, कमिश्नर एण्ड सैक्रेटरी, इरीगेशन एवं वॉटर रिसोर्सिज इन पांच लोगों की यह कमेटी रहेगी और यह कमेटी अलग-अलग समय पर जो भी सीजनल रिवर्ज हैं उनका अलग-अलग बैड लैवल फिक्स करने की दिशा में काम करेगी। खास करके जो इंटरस्टेट रिवर्ज हैं उनके बारे में भी परामर्श करते हुए यह सब तय किया जायेगा in consultation with the competent authority in the Government of India, and also to submit its recommendations for a policy for dredging of river beds to maintain the bed levels so as to prevent flooding in the nearby areas due to siltation in the river beds in accordance with the Mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 and rules made thereunder besides the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 of the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The Committee shall be provided secretarial assistance by the Irrigation & Water Resources Department. Committee is supposed to submit its recommendations in one month.

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान, विधायक द्वारा कैग की रिपोर्ट के बारे में फाईनैंशियल मिसमैंनेजमैंट से सम्बंधित उठाए गए विषयों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जवाब देना

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्टेट की डैब्ट लायबिलिटिज पर जवाब देना था, लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिया गया है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका जवाब अभी दे देता हूं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से एक विषय को कादियान साहब ने भी उठाया है उसकी भी जानकारी देना आवश्यक है। सबसे पहले तो जो विषय श्री रघुवीर सिंह कादियान जी ने 25.08.2023 को इस सदन में उठाया था वही विषय 08.08.2022 को हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने भी उठाया था। उसके जवाब में मैंने उनको स्वयं एक पत्र दिनांक 09.01.2023 को लिखकर उन सब बातों का जवाब दिया था। यह मान करके क्योंकि हुड्डा साहब और कादियान साहब दोनों ने एक ही विषय उठाया था तो मैं यह मान करके चल रहा था कि नेता प्रतिपक्ष इस उत्तर से संतुष्ट हो करके कादियान साहब को भी उससे अवगत करवा देंगे लेकिन इन्होंने फिर से 25.08.2023 को शून्य काल में यह विषय उठाया कि पिछले सत्र में यह विषय उठाये जाने के बाद 15 दिन में उनका उत्तर देना था। यह मानकर क्योंकि हुड्डा साहब को इसी विषय का उत्तर जा चुका था इसलिए वह उत्तर अलग से कादियान साहब को नहीं दिया गया। यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। फिर भी जो डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी ने जो यह विषय उठाया है इसमें इन्होंने कहा कि इंटरनल डैट 2.85 करोड़ रूपये है। हमारा कहना है कि यह 31.03.2024 को 2.85 करोड़ होगा जो वर्तमान बजट 2023-24 है। यह वर्ष 2023 का आंकड़ा नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स डिपॉजिट 44 हजार करोड़ रुपये है। इस बारे में मेरा कहना यह है कि यह आंकड़ा 44 हजार करोड़ रुपये नहीं है क्योंकि आज का हमारा आंकड़ा 40 हजार करोड़ रुपये का है। यह 40 हजार करोड़ रुपया भी कर्मचारियों के जी.पी.एफ. या अन्य रिटायरमैंट के जो बेनिफिट दिये जाते हैं वह है। जब वे सर्विस में होते हैं तो उनका बेसिक का 10 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन तथा सरकार का 10 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन, सारा सरकार के पास जमा

होता है और रिटायरमैंट के समय वह कर्मचारी को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उनकी पैंशन है वह रेगुलर सरकार के अकाउंट्स से जाती है। इसी प्रकार से ओल्ड ऐज पैंशन का सारा सिस्टम 2006 से पहले से ही चला आ रहा है। वर्ष 2006 से पहले के जो इम्पलाइज हैं उनका पैसा उसमें जा रहा है तथा 2006 के बाद के जो इम्पलाइज हैं उनका पैसा उसमें नहीं जा रहा है। वह पैसा भारत सरकार का एक ट्रस्ट है उसमें जमा होता है जो कि उनकी रिटायरमैंट के समय उनको मिलेगा। अगर देखा जाये तो इस समय सरकार के ऊपर डबल वजन है। एक तो जो वर्ष 2006 से पहले के इम्पलाइज हैं उनका शेयर जा रहा है और वर्ष 2006 के बाद के जो इम्पलाइज हैं वे जब से भर्ती हो रहे हैं उनका पैसा साथ-साथ जमा करवाया जा रहा है ताकि भविष्य में न देना पड़े। पहले यह शेयर 10 प्रतिशत होता था लेकिन अभी यह 14 प्रतिशत हो गया है वह भी हरियाणा सरकार की तरफ से साथ-साथ भेजा जा रहा है ताकि उनकी रिटायरमैंट के समय सरकार पर कोई बोझ न पड़े। इसीलिए पब्लिक अकाउंट्स का पैसा इंटरनल डैब्ट में नहीं जोड़ा जाता है। उसको न ही तो कांग्रेस के शासनकाल में जोड़ा जाता था और न ही अब जोड़ा जाता है। यह हमेशा से ही इसी तरह से चला आ रहा है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह लायबिलिटी ही तो है ।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, यह हमेशा ही लायबिलिटी होती थी। यह वर्ष 2005, 2011 तथा 2014 में भी लायबिलिटी थी लेकिन कभी भी इसको जोड़ा नहीं गया है। जो लायबिलिटी उस समय थी वही आज है। अगर उस समय में इसको जोड़ेंगे तो उस समय के आंकड़े भी अलग निकल कर आयेंगे। इसलिए अगर अलग आंकड़े निकालने होंगे तो ये आंकड़े निकाले जा सकते हैं। वर्ष 2014 में भी यह आंकड़ा साढ़े 17 हजार करोड़ रुपये था लेकिन उसको कभी भी जोड़ा नहीं गया। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो उस समय भी जुड़ेगा और उसकी रेशो फिर उस हिसाब से आयेगी। इसी प्रकार से कंटिनजैंट लायबिलिटी 26,600 करोड़ रुपये है। यह 26,600 करोड़ रुपया भी क्या होता है मान लीजिए अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन को, बोर्ड को, कारपोरेशन को या लोकल बॉडीज को कोई ऋण लेना होता है तो हम उसकी गारन्टी देते हैं। जब हम गारन्टी देते

हैं तो वह पैसा हम देते नहीं हैं। किसी सूरत में अगर उसकी पेमैंट नहीं होती है तभी वह गारन्टी इनवोक होती है। मान लीजिए डॉ. कादियान किसी रिश्तेदार की 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख की गारन्टी दे देंगे तो वह पैसा उनकी जेब से गया नहीं है, केवल सामने वाले की गुडविल को ध्यान में रखते हुए गारन्टी दी है। सामने वाला कभी फेल होगा तभी वह पैसा देना पड़ेगा। बोर्ड/कारपोरेशन्ज तो सरकार के ही हैं और लोकल बॉडीज भी सरकार की ही हैं तथा हम उनको समय-समय पर पैसा भी देते हैं। इस प्रकार से गारन्टी दी जाती हैं वह कभी भी लायबिलिटीज का पार्ट नहीं बनता है। अगर मैं इस लायबिलिटीज की कांग्रेस के समय की बात करूं तो वर्ष 2014-15 के बजट में यह 30,388/- करोड़ रुपये थी जो आज 24, 343/- करोड़ रुपये है जिसको डॉ. कादियान 26 हजार करोड़ रुपये बता रहे हैं। हमारी गारन्टीज कम हुई हैं, बढ़ी नहीं हैं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, आप मुझे इसके लिए एक महीने का समय दीजिए मैं इसको स्पष्ट कर दूंगा।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से डॉ. कादियान को कहना चाहता हूं कि यह आज जरूरी नहीं है ये बाद में भी दे सकते हैं। मैं कैग की रिपोर्ट के आंकड़े बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बहस का विषय नहीं है। मेरे आंकड़े गलत हों या कादियान साहब के आंकड़े गलत हों ये कम्पेयर करके ला सकते हैं। कादियान साहब ने एक विषय बड़ा मैजिकल सा रखा है। इन्होंने कहा है कि डिस्कॉम के सरकारी विभाग का 46,193/- करोड़ रुपया बकाया है। इस बारे में मेरा कहना है कि पॉवर डिपार्टमैंट की मेरे पास स्टेटमैंट आई है जिसमें जून, 2021 में डी.एच.बी.वी.एन. का एक दूसरे डिपार्टमैंट के साथ पैंडिंग है। यह आंकड़ा 46,193 तो ठीक है लेकिन यह 46,193 करोड़ रुपये नहीं बल्कि 46,193 लाख रुपये है। अगर कादियान साहब इस डैसिमल के ज्ञान को सीख जायें तो इतना बड़ा भ्रम नहीं होगा। वह आंकड़ा 46,193 लाख रुपये है, वह 46,193 करोड़ रुपये नहीं है। इस प्रकार से जितने विषय इन्होंने उठाये थे उन सभी का उत्तर मैंने दे दिया है। उसके बाद टोटल लायबिलिटी और जी.एस.डी.पी. के आंकड़ों के बारे में इनका कहना है कि यह 10 लाख करोड़ रुपया है जबकि हमारा कहना है कि वर्ष 2021-22 में

8 लाख 95 हजार करोड़ रुपये था जो अब बढ़ कर 9 लाख करोड़ रुपये हो गया है ।तो उसमें कोई ज्यादा अन्तर नहीं है । ये हमारी जी.एस.डी.पी. है और जी.एस.डी.पी. जो बढ़ी है वह जी.एस.डी.पी. पहले से यानि वर्ष 2014-15 में 4 लाख 37 हजार करोड़ रूपये थी । जब हमने सत्ता संभाली तो 4 लाख 37 हजार करोड़ रूपये का जी.एस.डी.पी. था लेकिन आज उससे डबल बल्कि डबल से भी ज्यादा हुआ है तो यह प्रदेश की एक प्रकार से प्रगति, प्रोग्रैस और आर्थिक विकास को इंगित करता है । उसी हिसाब से ये लायबिलिटी भी एक फॉर्मूला है और यह उस फॉर्मूला के हिसाब से बढ़ती है उसमें कहीं किसी प्रकार की दो राय नहीं है । अगर मैं उसमें भी कहूं कि उस समय एक मार्जिनल डिफरैंस 2.58 गुणा है। आपने जो बताया कि स्टेट लायबिलिटी का इन्टरनल डाटा 2 करोड़ 56 लाख रूपये था और पब्लिक अकाउंट मानो 39402 रूपये स्टेट लायबिलिटी है अगर यह इसमें जोड़ दी जाए तो 2 लाख 95 हजार रूपये बना । वर्ष 2014-15 की कुल स्टेट लायबिलिटी 1 लाख 14 हजार करोड़ रूपया है जो 2.58 गुणा बनता है ना कि चार गुणा । आपने लिखा है कि चार गुणा है । यह आंकड़े बता रहे हैं कि यह चार गुणा इसलिए है कि 463 करोड़ रूपये को 46 हजार करोड़ रूपये मान लिया गया इसलिए वह चार गुणा हो गया । यही अन्तर था इसको ध्यान रखें । जो अब जी.एस.डी.पी. है वह 2.3 प्रतिशत है हालांकि 2.3 प्रतिशत से भी कुछ ज्यादा बनेगी लेकिन आपके हिसाब से भी यह अन्तर सिर्फ 2.58 और 2.3 को अगर कम करें तो .28 प्रतिशत बनता है और एक रनिंग सिस्टम में .28 प्रतिशत का अन्तर कोई भी लायबिलिटी के रेशो का बहुत अन्तर नहीं होता है इसलिए अगर आप सभी आंकड़े ठीक करेंगे तो मैं समझता हूं कि इसमें से बहुत सारे तथ्य ठीक हो जाएंगे ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, इसमें जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2024 में 2 लाख 85 हजार करोड़ रूपये माना है । इसके साथ जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पब्लिक अकाउंट डिपोजिट अर्थात जो स्मॉल सेविंग है । यह कैग की रिपोर्ट है । Speaker Sir, in regard to Public Account Deposits (Small Saving), CAG reported that liability on account of this is Rs. 36,809 Crores as on March ended 2022. इसमें स्पीकर सर, जो लायबिलिटी है वह हर साल तीन-चार हजार करोड़ रूपये बढ़ती है । इसका

मतलब मेरा यह मानना है कि वर्ष 2024 तक यह लायबिलिटी 44 हजार करोड़ रूपये हो जाएगी । यह तो कैग की रिपोर्ट के हिसाब से है । इसके साथ-साथ कंटिन्जैंट लायबिलिटी की बात कही थी । कंटिन्जैंट लायबिलिटी तो आपकी बजट स्पीच में है । यह जो 47211 करोड़ रूपया है यह लायबिलिटी आपने अपने बजट स्पीच में दे रखी है । तीसरा आपने जो एडीशन लायबिलिटी के बारे में प्वायंट की बात की है कि इसमें प्वायंट का फर्क रह गया है । वह मैं चैक कर लूंगा । स्पीकर सर, मैं आपको बताउं कि यह इसलिए नहीं है expenditure may over and above the budgeted allocation. As per report uploaded in E-Paper Business Standard dated 26.09.2021, Government Department in Haryana owed Rs. 46193 Crores to DISCOMS for Electricity Bill (Noise and Interruption).

Mr. Speaker: Dr. Sahib, we are discussing Appropriation Bill. (Noise and Interruptions). यह आप बजट के ऊपर और कहां सी.ए.जी. रिपोर्ट के ऊपर ले गये । यह एप्रोप्रियेशन बिल का पार्ट थोड़ी ही है ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब दिया है मैं तो उसके ऊपर पूछ रहा हूं । सर, फिर तो ऐसा हो जाए कि अगर मेरे फिगर झूठे हों या तथ्यों से परे हों तो मेरे खिलाफ प्रिविलेज आ जाए ।

श्री अध्यक्ष : डॉ. साहब, आप यह बतइये कि कौन सा फिगर झूठा है ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सोर्स बता रहा हूं कि ये डाटाज कहां से आ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : डॉ. साहब, आप लिखित में दे दीजिए वैरिफाई करके आपको बता देंगे । अब एट दि स्पोट मुख्यमंत्री जी के पास कहां इतना डाटा अवेलेबल है ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, Haryana has been declared Financially Stressed State as per the 12th Finance commission Report. 12th फाईनांस कमीशन रिपोर्ट में सात स्टेट्स को Financially Stressed State डिक्लेयर किया था। 05 जुलाई, 2023 'द हिन्दू' अखबार में पिंकी चक्रवर्ती ने अपने-अपने एडिटोरियल में कहा

है कि – 'Haryana State is No.3 after Punjab and Kerala.' स्पीकर सर, इसका मतलब यह है कि आपकी जी.एस.डी.पी. तो 14 प्रतिशत बढ़ रही है और आपकी स्टेट लायबिलिटी 18 प्रतिशत बढ़ रही है। जब इंकम कम है और स्टेट लायबिलिटी बढ़ रही है तो इससे प्रदेश फाइनैंशियली स्ट्रैस में जा रहा है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि आंकड़ों के बारे में यहां आन दि फ्लोर आफ दि हाउस, डिस्कश करके सारा कुछ क्लीयर नहीं होता है। कादियान जी, आपको जो कुछ पूछना है, वे आप लिखित में दे दें और लिखित में ही आपको जवाब चला जायेगा और जो आंकड़ा दिया जाये वह प्रमाणिक आंकड़ा ही दिया जाए, अपने पास से ही कुछ आंकड़े दे दें, उनका कोई महत्व नहीं है। अगर आंकड़े कही किसी सोर्स से दिए जायेंगे तो हम उस सोर्स को ही चैक करने का काम करेंगे। माननीय सदस्य का तो यह केवल इंडीकेशन मात्र ही होगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो 'कैग' रिपोर्ट का हवाला देकर 44 हजार करोड़ रूपये वाली बात कही है, के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि इस समय भी यह बढ़ रहा है क्योंकि सेलरीज वगैरह बढ़ रही है और कर्मचारियों की संख्या भी लगातार 2006 तक बढ़ी ही थी, घटी नहीं थी लेकिन बावजूद इसके मेरा कहना यह है कि 'कैग' की रिपोर्ट कुछ भी लिखे लेकिन जो यह 44 हजार करोड़ रूपया है, मुझे लगता है कि यह मैक्सिमम है और आने वाले 6 साल में यह घट कर वर्ष 2030 और 2035 के बीच में 'जीरो' हो जायेगा क्योंकि जो वर्ष 2006 से पहले के एम्पलाइज हैं, वे मैक्सिमम 24 साल की सर्विस के बाद वर्ष 2030 के आस पास रिटायर हो जायेंगे बावजूद इसके यदि फिर भी कोई 25 साल 28 साल या 30 साल की सर्विस रह गई तो वर्ष 2035 तक यह 'जीरो' हो जाना है। यह जानकारी मैं आज सदन के माध्यम से दे रहा हूँ अगर कोई सदस्य किसी इकोनोमिस्ट से इसकी जानकारी लेना चाहे तो जानकारी ले ले कि यह धीरे धीरे घटेगा की

नहीं घटेगा। वर्ष 2006 के बाद की लायबिलिटी हमारे उपर नहीं है लेकिन वर्ष 2006 से पहले के कर्मचारियों की लायबिलिटी, आगे चलकर रिटायरमैंट के साथ साथ, यह घटेगी।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने प्रोजेक्ट कोई लगाया नहीं है और जिस ढंग से यह सारी स्टेट लायबिलिटी है, इसका मतलब तो यह हुआ कि कर्जा लो घी पियो और मौज करो।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रोजेक्ट की बात है, के संदर्भ में यह भी फीगर बता रहा हूँ कि आज जी.एस.टी. कलेक्शन के क्षेत्र में पर कैपिटा जी.एस.टी. कलेक्शन अमंग बिग स्टेट हरियाणा इज एट नम्बर वन। किसी को कोई शक हो तो फीगर उठाकर देख लो। (इस समय सदन में मेजें थपथपाई गई।)

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

2. हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक 2023

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2023 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2023 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ-

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष:माननीय सदस्यगण, सदन विधेयक पर क्लॉज-बाई-क्लाज विचार करेगा।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लॉज 3

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

शिड्यूल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि शिड्यूल विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

टाइटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष:माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ-

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

कि विधेयक पारित किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

(विधेयक पारित हुआ।)

सरकारी प्रस्ताव

(चन्द्रयान-3 की चांद के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बारे में)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं-

'कि चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग से हर भारतवासी प्रफुल्लित और गौरवांवित महसूस कर रहा है। हरियाणा के लोगों के साथ-साथ यह गरिमामय सदन भारतीय अंतरिक्ष

अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और अन्य सभी अभिकरणों, जिन्होंने इस अद्भुत उपलब्धि में योगदान दिया है, उन्हें बधाई देता है। यह राष्ट्रीय उपलब्धि अमृत काल की शुभ बेला में प्राप्त हुई है। यह अगले 25 वर्षों में एक सशक्त, समावेशी और समृद्ध भारत बनाने के महत्त्वाकांक्षी विजन को प्राप्त करने का शुभ संकेत है। यह बड़े सम्मान की बात है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की यह घोषणा कि चंद्रयान-3 का लैंडिंग प्वाइंट अब से 'शिव शक्ति' कहा जाएगा और चंद्रयान-2 के इंपेक्ट प्वाइंट का नाम 'तिरंगा' होगा, नये भारत के विजन को दर्शाती है। इसमें विफलता के बावजूद भी साहस है और राष्ट्रीय लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करने, नवोन्मेषी ढंग से मिलकर काम करने का जज्बा है भारत की यह भावना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के इस उद्धरण में सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होती है। मैं उसे उद्यृत करना चाहूंगा यह वह भारत है, जो अंधेरे क्षेत्रों में भी जाता है और प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करता है। यह गरिमामय सदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करता है, जिन्होंने चंद्रयान-2 के लैंडिंग सफल न होने पर इसरो के वैज्ञानिकों को सांत्वना दी और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्हें चांद की ऐसी सतह पर पहुंचने का लक्ष्य दिया, जहां अतीत में कोई देश नहीं पहुंचा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नई ताकत दी और जोश भरा। चंद्रयान-2 की लैंडिंग के प्रयासों के बाद के क्षण व एक करूणामय नेता का विजन, जिसने लोगों को वह हासिल करने के लिए इस्पात जैसी ताकत व दृढ़ संकल्प प्रदान किया। यह हर भारतीय के मन में हमेशा के लिए अंकित रहेगा। यह गरिमामय सदन हरियाणा व हरियाणा के लोगों के चंद्रयान-3 मिशन में अहम भूमिका निभाने की सराहना करता है। हरियाणा में उन्नत उद्योग और प्रौद्योगिकी के कारण रोहतक, रेवाड़ी, फरीदाबाद और हिसार से मंगवाए गए परिष्कृत उपकरण इसका आधार बने। यह गरिमामय सदन इस राष्ट्रीय उपलब्धि में हरियाणा के युवा वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करता है। इनके नाम हैं- अम्बाला की आरूषि, हिसार के यज्ञ मलिक, भिवानी के देवेश ओला व अमित, करनाल के दीपांशु गर्ग व एश्वर्या, फतेहबाद के आदित्य सेठी, दादरी की कविता। चंद्रयान मिशन और रोवर प्रज्ञान द्वारा भेजे गये चित्रों से नये वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा

मिलेगा और वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से समस्त मानव जाति, विशेषकर ग्लोबल साउथ के लिए नई जानकारी उपलब्ध होगी। यह गरिमामय सदन लोगों की भावनाओं से ओतप्रोत इस बधाई प्रस्ताव की एक-एक प्रति भारत सरकार, इसरो और अन्य अंतरिक्ष संगठनों को भेजने पर खुशी का अनुभव कर रहा है।' जय जवान-जय किसान-जय विज्ञान

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

'कि चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग से हर भारतवासी प्रफुल्लित और गौरवांवित महसूस कर रहा है। हरियाणा के लोगों के साथ-साथ यह गरिमामय सदन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और अन्य सभी अभिकरणों, जिन्होंने इस अद्भुत उपलब्धि में योगदान दिया है, उन्हें बधाई देता है। यह राष्ट्रीय उपलब्धि अमृत काल की शुभ बेला में प्राप्त हुई है। यह अगले 25 वर्षों में एक सशक्त, समावेशी और समृद्ध भारत बनाने के महत्त्वाकांक्षी विजन को प्राप्त करने का शुभ संकेत है। यह बड़े सम्मान की बात है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की यह घोषणा कि चंद्रयान-3 का लैंडिंग प्वाइंट अब से 'शिव शक्ति' कहा जाएगा और चंद्रयान-2 के इंपेक्ट प्वाइंट का नाम 'तिरंगा' होगा, नये भारत के विजन को दर्शाती है। इसमें विफलता के बावजूद भी साहस है और राष्ट्रीय लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करने, नवोन्मेषी ढंग से मिलकर काम करने का जज्बा है भारत की यह भावना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के इस उद्धरण में सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होती है। मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा यह वह भारत है, जो अंधेरे क्षेत्रों में भी जाता है और प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करता है। यह गरिमामय सदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करता है, जिन्होंने चंद्रयान-2 के लैंडिंग सफल न होने पर इसरो के वैज्ञानिकों को सांत्वना दी और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्हें चांद की ऐसी सतह पर पहुंचने का लक्ष्य दिया, जहां अतीत में कोई देश नहीं पहुंचा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नई ताकत दी और जोश भरा। चंद्रयान-2 की लैंडिंग के प्रयासों के बाद के क्षण व एक करूणामय नेता का विजन, जिसने लोगों को वह हासिल करने के लिए इस्पात जैसी ताकत

व दृढ़ संकल्प प्रदान किया। यह हर भारतीय के मन में हमेशा के लिए अंकित रहेगा। यह गरिमामय सदन हरियाणा व हरियाणा के लोगों के चंद्रयान-3 मिशन में अहम भूमिका निभाने की सराहना करता है। हरियाणा में उन्नत उद्योग और प्रौद्योगिकी के कारण रोहतक, रेवाड़ी, फरीदाबाद और हिसार से मंगवाए गए परिष्कृत उपकरण इसका आधार बने। यह गरिमामय सदन इस राष्ट्रीय उपलब्धि में हरियाणा के युवा वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करता है। इनके नाम हैं- अम्बाला की आरूषि, हिसार के यज्ञ मलिक, भिवानी के देवेश ओला व अमित, करनाल के दीपांशु गर्ग व एश्वर्या, फतेहबाद के आदित्य सेठी, दादरी की कविता। चंद्रयान मिशन और रोवर प्रज्ञान द्वारा भेजे गये चित्रों से नये वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा मिलेगा और वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से समस्त मानव जाति, विशेषकर ग्लोबल साउथ के लिए नई जानकारी उपलब्ध होगी। यह गरिमामय सदन लोगों की भावनाओं से ओतप्रोत इस बधाई प्रस्ताव की एक-एक प्रति भारत सरकार, इसरो और अन्य अंतरिक्ष संगठनों को भेजने पर खुशी का अनुभव कर रहा है।' जय जवान-जय किसान-जय विज्ञान

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान (बेरी): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकारी संकल्प पर आपकी रूलिंग चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें अमैंडमैंट हुई थी।

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, वह प्रस्ताव दूसरा था। यह प्रस्ताव सीधे-सीधे वैज्ञानिकों के लिए है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, बात तो इसी प्रस्ताव के लिये थी।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, इस सरकारी संकल्प के माध्यम से वैज्ञानिकों की सराहना की गई है। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि यह सरकारी संकल्प जैसा है, वैसे ही पास करें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, आप चेयर पर बैठे हो और सरकार के पास विधायकों की संख्या ज्यादा है, इसलिए आप इसे पास तो कर देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कादियान जी, प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, जैसे हम कोई आम का पेड़ लगाते हैं और 10-20 साल बाद उस पर फल लगता है तो उसका कंट्रीब्यूशन तो जिस समय वह पेड़ लगा था उसी समय से ही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आप मेरी बात सुनिये। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, उस पेड़ के अंकुर तो 20 साल पहले लगाया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, हमने उस दिन उन सभी वैज्ञानिकों को बधाई संदेश दिया था। यह उन वैज्ञानिकों के नाम एक प्रस्ताव है जिन्होंने सफलता प्राप्त की है। अत: वह भी रहेगा और इसको भी रखेंगे।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, यह भी वही चीज है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, कादियान जी, इसमें और उसमें बहुत फर्क है। इसमें तो हमने वैज्ञानिकों का धन्यवाद किया है और बधाई संदेश दिया है। (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आपकी बात ठीक है लेकिन इसमें पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का भी नाम आया है। अत: उन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज का भी नाम आना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) जो समाज, जो देश अपने पूर्वजों की इज्जत नहीं करता वह बर्बाद हो जाया करता है। मैं आपके बीच में यह कह रहा हूं कि जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी उस देश में हवाई जहाज बने, आईआईटी बनी, आईआईएम बने, एम्स बने। (शोर एवं व्यवधान)

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, पूर्वजों को किसने याद किया ? क्या इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को याद किया ? क्या सरदार पटेल जी को याद किया ? (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने किसको याद किया? (शोर एवं व्यवधान) अरे, हमने सरदार पटेल जी को याद किया, हमने सुभाष चंद्र बोस जी को याद किया, हमने प्रभु श्री राम चंद्र जी को याद किया। ये क्या बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) ये पूर्वजों वाले आ गये। धारा-370 इन्होंने लगवाई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नीरज जी, शाउट नहीं करना। प्लीज, शाउट नहीं करना। शाउट नहीं करना। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभे सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव की एक लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि -

> हरियाणा के लोगों के साथ-साथ यह गरिमामय सदन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और अन्य सभी अभिकरणों, जिन्होंने इस अद्भुत उपलब्धि में योगदान दिया है, उन्हें बधाई देता है।
>
> अत: इसमें सभी शामिल हैं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अभय जी बहुत इंटैलीजैंट हैं।

डॉ. अभे सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इसमें इंटैलीजैंट होने की कोई बात नहीं है। इसमें इंटैलीजैंट क्या करेगा ? मेरा कहना है कि इसमें सभी शामिल हैं।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024 में हमारी सरकार बनेगी और फिर हम इस रेजोल्यूशन को बदलेंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, जब वह समय आएगा तब आप देख लेना।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि -

चादर मैली ते साबुन थोड़ा,
बैठ किनारे धोवेगा।
दाग नहीं छुटने पापा (पाप) आले,
धोवेगा फिर रोवेगा।

श्री राम कुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 3 काम ऐसे किये हैं जिनके कारण वह युग पुरूष कहलाएगा। उन्होंने धारा-370 को हटा दिया और किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि उस धारा को कोई तोड़ दे। इसके अलावा राम मंदिर बनाया है। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बत्तरा: अध्यक्ष महोदय, इसमें नैसेसरी अमैंडमेंट की जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है-

‘कि चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग से हर भारतवासी प्रफुल्लित और गौरवांवित महसूस कर रहा है । हरियाणा के लोगों के साथ-साथ यह गरिमामय सदन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और अन्य सभी अभिकरणों, जिन्होंने इस अद्भुत उपलब्धि में योगदान दिया है, उन्हें बधाई देता है । यह राष्ट्रीय उपलब्धि अमृत काल की शुभ बेला में प्राप्त हुई है । यह अगले 25 वर्षों में एक सशक्त, समावेशी और समृद्ध भारत बनाने के महत्त्वाकांक्षी विजन को प्राप्त करने का शुभ संकेत है । यह बड़े सम्मान की बात है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की यह घोषणा कि चंद्रयान-3 का लैंडिंग प्वाइंट अब से 'शिव शक्ति' कहा जाएगा और चंद्रयान-2 के इंपेक्ट प्वाइंट का नाम 'तिरंगा' होगा, नये भारत के विजन को दर्शाती है। इसमें विफलता के बावजूद भी साहस है और राष्ट्रीय लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करने, नवोन्मेषी ढंग से मिलकर काम करने का जज्बा है भारत की यह भावना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के इस उद्धरण में सर्वोत्तम रूप से परिलक्षित होती है। मैं उसे उद्यृत करना चाहूंगा 'यह वह भारत है, जो अंधेरे क्षेत्रों में भी जाता है और प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करता है । यह गरिमामय सदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करता है, जिन्होंने चंद्रयान-2 के लैंडिंग सफल न होने पर इसरो के वैज्ञानिकों को सांत्वना दी और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्हें चांद की ऐसी सतह पर पहुंचने का लक्ष्य दिया, जहां अतीत में कोई देश नहीं पहुंचा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नई ताकत दी और जोश भरा। चंद्रयान-2 की लैंडिंग के प्रयासों के बाद के क्षण व एक करूणामय नेता का विजन, जिसने लोगों को वह हासिल करने के लिए इस्पात जैसी ताकत व दृढ़ संकल्प प्रदान किया। यह हर भारतीय के मन में हमेशा के लिए अंकित रहेगा । यह गरिमामय सदन हरियाणा व हरियाणा के लोगों के चंद्रयान-3 मिशन में अहम भूमिका निभाने की सराहना करता है। हरियाणा में उन्नत उद्योग और प्रौद्योगिकी के कारण रोहतक, रेवाड़ी, फरीदाबाद और हिसार से मंगवाए गए परिष्कृत उपकरण इसका आधार बने। यह गरिमामय सदन इस राष्ट्रीय उपलब्धि में हरियाणा के युवा वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करता है। इनके नाम हैं- अम्बाला की आरूषि, हिसार के यज्ञ मलिक, भिवानी के देवेश ओला

व अमित, करनाल के दीपांशु गर्ग व एश्वर्या, फतेहबाद के आदित्य सेठी, दादरी की कविता। चंद्रयान मिशन और रोवर प्रज्ञान द्वारा भेजे गये चित्रों से नये वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा मिलेगा और वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से समस्त मानव जाति, विशेषकर ग्लोबल साउथ के लिए नई जानकारी उपलब्ध होगी। यह गरिमामय सदन लोगों की भावनाओं से ओतप्रोत इस बधाई प्रस्ताव की एक-एक प्रति भारत सरकार, इसरो और अन्य अंतरिक्ष संगठनों को भेजने पर खुशी का अनुभव कर रहा है।' जय जवान-जय किसान-जय विज्ञान

(सरकारी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।)

मुख्यमंत्री महोदय तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद एवं रक्षाबंधन के अवसर पर बधाई देना।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी सभी का धन्यवाद अपनी तरफ से करेंगे और उसके पश्चात् मैं भी आप सबका धन्यवाद करूंगा।

श्री मनोहर लाल: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह 3 दिवसीय हरियाणा विधान सभा का सत्र बहुत ही सुचारू रूप से चला है। इसके लिए मैं माननीय विधान सभा अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, सभी माननीय विधायकगण, सभी हमारे अधिकारीगण, विधान सभा के सभी अधिकारीगण व कर्मचारीगण और सभी मीडिया के मित्रों का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि यह सैशन सुचारू रूप से संपन्न हुआ। इसके साथ ही कल दिनांक 30.08.2023 को रक्षाबंधन का उत्सव है, इसलिए इस रक्षा बंधन के उत्सव की भी पूरे हरियाणा प्रदेश व देश भर के सभी सज्जनों और बहन-भाइयों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं व बधाई देता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सदन की कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालन में आप सभी के द्वारा प्रदान किये गये सहयोग के लिए, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। मैं प्रैस के सभी प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों तथा हरियाणा विधान सभा के अधिकारियों व कर्मचारियों का भी बहुत आभारी हूं जिन्होंने वर्तमान सत्र के सुचारू रूप से संचालन में अपना पूर्ण सहयोग दिया। मैं आप सभी को रक्षाबंधन के पावन त्यौहार की बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

---

*19.44 बजे

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है।

(तत्पश्चात् सभा अनिश्चित काल के लिए *स्थगित हुई।)